(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 40 वां दिवस [संख्या 28

बुधवार

दिनांक 10 अप्रेल, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 11--00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, यातायात, उद्योग, समाज कल्याण, आयुर्वेद, विधि एवं न्याय, अकाल सहायता एवं गृह विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामानन्द अग्रवाल।

पोस्ट ग्रेज्युएट परीक्षाओं के लिए परीक्षकों की नियुक्ति

781. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के आर्डीनेन्स 278 के तहत मेडिकल कालेजों की पोस्ट ग्रेज्युएट परीक्षाओं के लिए दो बाहर के और एक अन्दर का परीक्षक नियुक्त किया जाने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि उसके ऐकेडेमिक कौंसिल ने इस आर्डीनेन्स में संशोधन करके दो अन्दर के परीक्षक रखे जाने का प्रस्ताव सिंडिकेट के पास विचार के लिए भेजा था ?

(3) क्या यह सही है कि सिंडीकेट ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और सिंडीकेट ने एकेडेमिक कौंसिल को एक ही अन्दर का परीक्षक नियुक्त करने पर विचार करने को कहा है ?

(4) क्या यह सही है कि सिंडीकेट ने विश्वविद्यालय का आर्डीनेन्स नं. 278 को सस्पेंड कर दिया है और वाइस चांसलर को इन्टरनल परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दे दिया है ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की धारा 30 (1) व (2) के अनुसार ऐसा करने का अधिकार नहीं हैं ?

Page No 2

(२)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(6) क्या यह सही है कि सिंडीकेट के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) यह सही है कि आर्डीनेंस 278 (सी) के तहत मेडीकल संकाय की पोस्ट ग्रेज्युएट परीक्षाओं (प्रेक्टीकल/क्लीनिकल/वाइवा) के लिए एक आन्तरिक तथा दो बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है।

(2) यह भी सही है कि ऐकेडेमिक कौंसिल ने अपने निर्णय संख्या 3 दिनांक 26-11-73 द्वारा दो आन्तरिक तथा दो बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रस्ताव सिंडीकेट के पास विचारार्थ भेजा था।

(3) (4) यह सही है कि सिन्डीकेट ने अपने निश्चय 26 (2) दिनांक 11 तथा 12 जनवरी, 1974 द्वारा ऐकेडेमिक कौंसिल के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और सिन्डीकेट के पूर्व निश्चय के अनुसार यही निर्णय लिया कि मेडीकल संकाय में भी परीक्षकों के परावर्तन का सिद्धान्त लागू रहेगा। मेडीकल कौंसिल आफ इंडिया की संस्तुतियों (क्लाज 2 एवं 3) के अनुरूप ही यह निर्णय है तथा इससे विश्वविद्यालय पर व्यय भार भी नहीं बढ़ता है। अत: ऐकेडेमिक कौंसिल से सिंडीकेट के प्रस्ताव में यह निवेदन किया गया कि आर्डीनेन्स में आवश्यक संशोधन उपर्युक्तानुसार करके सिन्डीकेट के समक्ष रखा जाय। सिण्डीकेट के निर्णय में यह भी कहा गया है कि जब तक आर्डीनेन्स में इस प्रकार का संशोधन नहीं हो जाता, तब तक वर्तमान आर्डीनेन्स के इस विषय के प्रावधानों को सस्पेंड रखा जाय।

सिण्डीकेट के उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप उपकुलपति ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा सं. 13 (4) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मार्च, 1974 में होने वाली परीक्षाओं के लिए आन्तरिक परीक्षकों की नियुक्ति की।

(5) विश्वविद्यालय की धारा 30(i) (2) का वाइस चांसलर द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अभी तक संशोधित आर्डीनेन्स ऐकेडेमिक कौंसिल ने बना कर सिण्डीकेट के पास नहीं भेजा है। वाइस चांसलर ने आपतकालीन अधिकारों के अनुसार ही कार्यवाही की है।

सिण्डीकेट ने जो कार्यवाही की वह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 22(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की है।

(6) सिण्डीकेट के दो सदस्य प्रोफेसर जी. एस. शर्मा तथा ओमप्रकाश ने परीक्षकों के परावर्तन के सिद्धान्त को तो स्वीकार किया परन्तु वर्तमान आर्डीनेन्स के संशोधन के निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर क्या यह सही है कि जो वाइस चांसलर ने जो सस्पेंड किया है आर्डीनेन्स की धारा को, ऐसा अधिकार उनको नही है और इन दो महानुभावों ने विरोध किया है उन्होंने इसको लीगल बेसिस पर यह कहा है कि उनको आर्डीनेन्स को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है, यह क्या सही है ?

श्री खेतसिंह : सेक्शन 22(ए) यह है :

(श्री खेतसिंह)

"The Syndicate shall perform the following functions, namely:—

To make, amend and cancel the ordinances."

तो जिस बोडी को आर्डीनेन्स बनाने का और उसको अमेंड करने का अथवा उसको कैंसिल करने का अधिकार था तो उसको सस्पेंड करने की पावर्स आटोमेटिक हो जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस आर्डीनेंस की धारा 30 में स्पेसिफिक प्रोविजन कुछ कार्यों के लिए की गई है। मैं आपका ध्यान धारा 30 (1) की तरफ दिलाऊंगा :

"Save as otherwise provided in this section, Ordinances shall be made by the Syndicate:

Provided that no Ordinance concerning admissions to University or its examinations, courses of study, schemes of examinations, attendance and appointment of examiners shall be considered unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council."

सैकिंड भी है इसका :

"The Syndicate shall not have powers to amend any draft proposed by the Academic Council under the provisions of sub-section (1), but may reject it or return it to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part together with any amendments which the Syndicate may suggest."

तो मेरा यह कहना है कि क्या माननीय मंत्री महोदय यह नहीं मानते कि आर्डीनेन्स 22 जिसमें जनरल पावर्स सिंडीकेट की है, उनको यह आर्डीनेन्स नम्बर 30 सरकमवेंट करता है कि इन पर्टीक्यूलर मामलात की सिण्डीकेट को पावर्स नहीं होंगी। इसलिए धारा 22 के तहत पावर्स एक्सरसाइज करना इस चीज के तहत कानूनी गलत है क्योंकि इसमें इन एग्जामिनर्स को नियुक्त करने में स्पेसिफिकली मना किया गया है। रोटेशन में जहां तक मुकर्रर करने का सवाल है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरा ऐतराज जो है वह मैंने जो क्वश्चन किया है उसके अनुसार यह है कि यह लीगली नहीं किया गया है और नतीजा यह होगा कि अगर जो भी एग्जामिनर इसके तहत मुकर्रर किया गया और जो स्टुडेन्ट पास होंगे उस एग्जामिनेशन को किसी ने हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया इस बुनियाद पर कि ये एग्जामिनेशन इल्लीगल हुए हैं तो तमाम एग्जामिनेशन इल्लीगल हो जायेंगे और तमाम स्टुडेन्ट्स पर बड़ा असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार अननेसेसरीली लिटिगेशन में हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्स को डालना होगा। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय, आपने इसको लीगली एग्जामिन कराया है, एडवोकेट जनरल की क्या कोई राय ली है? आप यह बतावें।

Page No 4

(५)

श्री खेतसिंह : मैं आपके इस मत से सहमत हूं दोनों प्रोविजन पढ़ने के बाद। इसको मैं लीगली एग्जामिन करवा लेता हूं, एडवोकेट जनरल से भी राय ले लेता हूं।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : इसके पूर्व आपने रिलेक्स किया, अमेंड किया, इतना बड़ा कदम उठाया तो यह आपकी जानकारी में होना चाहिए। लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट और युनिवर्सिटी के होते हुए लीगली एग्जामिनेशन हुआ या नहीं।

श्री खेतसिंह : युनिवर्सिटी ने तो इसको पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद ही उन्होंने यह अमेंडमेंट किया है। जहां तक प्रिंसिपल का सवाल है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य भी मानते हैं कि यह रोटेशनशिप आफ एग्जामिनर्स किया है यह फैसला ठीक है और इसको वे भी ठीक मानते हैं। इसलिए इसमें तो कोई दोनों के बीच में मतभेद नहीं हैं। अब उन्होंने यह बात कही कि इसको सस्पेंड करने की जो बात है इसको लीगली एग्जामिन करायें क्योंकि हाईकोर्ट में रिट हो जाती है तो क्या परिस्थिति बनती है। इस पोइन्ट पर मैं एडवोकेट जनरल की राय लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह स्पेसिफिक क्वश्चन नं. 5 है। यह इसी बारे में था और आपने यह उत्तर दे दिया है। आप शिक्षा मंत्री के साथ ला मिनिस्टर भी हैं, क्या आपने अपने डिपार्टमेंट से इससे संबंधित राय ली है?

श्री खेतसिंह : अभी तो मैंने आपको उत्तर युनिवर्सिटी और शिक्षा विभाग से ताल्लुक रखने,वाले मामले पर दिया है लेकिन आपने जिस बारीकी का प्रश्न अभी किया है उसको ध्यान में रखते हुए एग्जामिन कराने की आवश्यकता होगी तो करवा लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि माननीय मंत्री महोदय ने मेरी बात को तो एग्री कर लिया लेकिन सवाल का उत्तर देने से पूर्व इस आस्पेक्ट को एग्जामिन नहीं किया।

श्री खेतसिंह : जी हां, पढ़ा था लेकिन आपने यह कहा कि हाई कोर्ट में चैलेन्ज हो जाता है तो क्या परिस्थिति रहेगी, इस पोइन्ट के आधार पर मैंने कहा कि मैं इसको लीगली एग्जामिन करा लेता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा एक निवेदन है इस सम्बन्ध में…

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है…

श्री अध्यक्ष : एक सदस्य एक बार में।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जहां पर जनरल रूल होता है और एक सब्जेक्ट के बारे में स्पेशल रूल होता है तो स्पेशल रूल जनरल रूल को सुपरसीड कर देता है। यह धारा 30(1)(2) एग्जामिनेशन के बारे में बहुत स्पेसिफिक है और पर्टीकूलर है। इसलिए जनरली 22 के पावर बताये वह 30 से सरकमस्क्राइब होता है। एडवोकेट जनरल की राय चाहें तो आप ले लें। यह पेटेन्ट है, यह क्लीअर है। 30 को 22 के साथ पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है। युनिवर्सिटी के सिण्डीकेट में 278 को आर्डि-

Page No 5

(5)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नेन्स से सस्पेन्ड किया है। वह अनधिकृत है। विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन है। अल्ट्रावायर्स है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एडवाकेट जनरल की ओपीनियन ले लें। यह उत्तर आपका संतोषजनक है लेकिन इस बीच में जो युनिवर्सिटी लेवल तक और सिण्डिकेट के बीच में मत-मतान्तर होते हैं उसको छोड़ कर जो सस्पेन्शन का आर्डर है, उसमें वाइस चान्सलर को विशेषाधिकार है कि वह इस आर्डर को सस्पेन्ड करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मामला क्या आपके नोटिस में आया है और उस पर क्या आपने राय ली है और एग्जामिन करके कदम उठाया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री खेतसिंह : आपका प्रश्न इन दोनों से भिन्न होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अलग से नहीं है। क्या यह सही है कि एकेडेमिक कौन्सिल ने पहले सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया था कि रोटेशन आफ एग्जामिनरशिप होना चाहिये। क्या यह सही है कि उसके बाद सिन्डीकेट के अन्दर आर्डिनेन्स बना कर जो उन्होंने भेजा है उसमें इस बात का प्रावधान रखा है कि जो इण्टरनल एग्जामिनर हैं, उसके अलावा दो एक्शटरनल एग्जामिनर हों ...

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्टरी करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सप्लीमेंटरी ही कर रहा हूं। क्या यह सही है कि एकेडेमिक कौन्सिल में हैड आफ दी डिपार्टमेंट एक्स आफिसशियो मेम्बर होता है और हैड आफ दी डिपार्टमेंट एग्जामिनर होता है और हैड आफ दी डिपार्टमेंट लाइफ लांग एग्जामिनर होता है ? वह परमानेन्ट होता है और उसकी मोनोपोली होती है। इसलिये इसको कन्वर्ट करने का, रोटेट करने का प्रावधान रखा गया है इसलिये इसको रिकमण्ड किया गया है। क्या यह सही है कि सिण्डीकेट ने, एग्जामिनर रोटेट हों, और इस सेक्शन 30 के अन्तर्गत सिण्डीकेट ने आर्डिनेन्स में मोडिफिकेशन करके रिकमण्ड किया है ? एकेडेमिक कौन्सिल ने जो रिकमण्ड करके भेजा है अब उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। यह सही तरीका है। इसको स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं उनका जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूं। इसलिये इनका जवाब देना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है उनके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन शुरू हो गये हैं और सारा प्रोसेस होने के बाद अब इसको सस्पेन्ड करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। एक जो मुद्दा है, जो उन्होंने कहा है उसका मैं एग्जामिनेशन कराने के पहले ही कमिट कर चुका हूं। एडवोकेट जनरल से राय लूंगा और यह मालूम कर लूंगा कि इसमें कोई लीगल लेकूना तो नहीं रह गया है। उस हिसाब से कोई कमी तो नहीं रह गई है। ऐसे कोई मैं धुरन्धर एडवोकेट नहीं हूं। इसलिये कह रहा हूं कि इस पर एडवोकेट जनरल की राय ले लूंगा।

Page No 6

(6)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप स्वयं ला मिनिस्टर हैं। तब लीगल लेकूना रहने का प्रश्न नहीं रहता।

श्री केदारनाथ : क्या इस प्रिन्सीपल को, सिद्धान्त को सरकार ने सभी फैकल्टीज के लिये अपनाने का निश्चय कर लिया है ? क्या यह सिद्धांत एग्जामिनरशिप का सभी फैकल्टीज पर लागू होगा ?

श्री खेतसिंह : यह तो मैंने कहा है और इस प्रिन्सीपल को सारा हाउस मानता है।

श्री केदारनाथ : क्या इस प्रिन्सीपल का मेडिकल फैकल्टीज पर अमल किया गया है ?

श्री खेतसिंह : अमल किया है। एक आदमी की मोनोपोली थी उसको खतम कर दिया है। इस प्रिन्सीपल के अनुसार जो दूसरे प्रोफेसर हैं, उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर उनको भी चान्स दिया जायेगा। यह हमारा प्रगतिशील कदम है और आपको इसकी तारीफ करनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस सिद्धान्त को मन्त्रिमण्डल के गठन पर भी लागू करने का कष्ट करेंगे ?

श्री खेतसिंह : यह मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह जो धारा 30 के (1) व (2) है इसका तो स्पष्ट वाइलेशन हो चुका है। यह बिलकुल स्पष्ट है इसको ला मिनिस्टरी को रेफर करके क्या होगा। यह तो स्पष्ट वाइलेशन है। इसमें क्या मन्त्री महोदय यह अनुभव नहीं करते हैं कि यह मोटिवियेटेड हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 782

बीकानेर पोकरण मार्ग पर चलने वाली बसें

782. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर-पोकरण मार्ग का पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि इस मार्ग पर पड़ने वाले कोलायत तहसील के क्रमशः गोडू, भण्डाल, गडियाला, बीकमपुर, बरसलपुर आदि गांवों से होकर निजी बसें नियमित रूप से गुजरती थीं और अब रोडवेज की बसों का इन गांवों से आवागमन नहीं होता है ?

(3) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ गांव सीमावर्ती हैं और उनमें पोस्ट आफिस की सुविधा भी है फिर भी बस रूट नहीं है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों में से होकर रोडवेज की बसों के गुजरने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) जी हां। इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण दिनांक 5-11-1973 से कर दिया गया है।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(2) यह ग्राम राष्ट्रीयकृत मार्ग पर नहीं पड़ते हैं। अतः इनमें होकर निगम की बसों का आवागमन नहीं होता है।

(3) इसका सम्बन्ध निगम से नहीं है।

(4) फिलहाल निगम के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : ये गांव एक, दो, चार, पांच, आठ मील की दूरी पर हैं और जब प्राइवेट बसेज चलती थी, वे इन गांवों से होकर गुजरती थी और इस प्रकार इन गांवों को यातायात के साधन उपलब्ध थे। किन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद रोडवेज की बस इन गांवों से होकर नहीं गुजरती है और इस प्रकार ये गांव यातायात के साधन से वंचित रह गये हैं। उनको जो सुविधा उपलब्धी थी वह खतम हो गई है। राशन ले जाने के लिये उनको कोई यातायात उपलब्ध नहीं है और बस के अलावा और कोई दूसरा यातायात वहां पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी सूरत में क्या राज्य सरकार इस बात पर विचार नहीं करेगी कि ये गांव काम्यूनिकेशन से कट आफ हो गये हैं, उनको वापस इससे जोड़ा जाये और वहां पर बस यातायात की व्यवस्था की जाये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस बारे में रोडवेज के विचाराधीन एक योजना है कि जिन गांवों में प्राइवेट बसेज जाती थी उस रूट पर रोडवेज की बस चालू की जाये। इस पर विचार हो रहा है। अगर यह विचार नहीं हो सका या रोडवेज अपनी बसें नहीं चला सकीं तो टैम्परेरी परमिट इन गांवों के लिये प्राइवेट बस आपरेटरों को दे दिये जायेंगे। मेरे खयाल में थोड़े दिनों में ही राज्य सरकार इसकी निश्चित तिथि की घोषणा कर देगी।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी ? आप कब तक यह निर्णय ले लेंगे ? इसकी निश्चित तिथि आप बता दें। राशन वगैरह ले जाने के लिये लोगों को दिक्कत हो रही है। इसके लिये कोई न कोई इन्टरिम व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिये चाहे तो प्राइवेट बस वालों को परमिट देने की आवश्यकता हो तो तुरन्त देना चाहिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह विचाराधीन है। निर्णय होने पर योजना लागू हो जायेगी।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : कब तक ? टाइम बताइये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : टाइम बताना सम्भव नहीं है। रोडवेज के अन्तर्गत यह योजना विचाराधीन है रोडवेज बस चला सकती है तो चला दी जायेगी वरना जो पहले बसआपरेटर्स थे उनको टेम्परेरी इन गांवों का परमिट दे दिया जायेगा।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पूछना है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जहां पर बसें चलती हैं, और उस रास्ते पर जो गांव पड़ते हैं वहां पर ये बसें नहीं रुकती हैं। वहां पर रोडवेज का बस स्टापेज नहीं होने के कारण इन गांव वालों को परेशानी होती है। क्या सरकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर पड़ने

(श्री दीपंकर)

वाले तमाम गांवों को जो सड़कों पर है वहां पर रोडवेज के बस स्टाप करेगी ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही है, वह दूर हो सके। सबेरे से लोग सड़कों पर खड़े रहते हैं किन्तु कोई बस नहीं रुकती है।

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उन मार्गों पर मिनी बसें और थ्री व्हील के टेम्पों चलते हैं। मेरे इलाके फागी पर ये चल रहे हैं जहां कि अभी 30 तारीख को रोडवेज चलना आरम्भ हुई हैं। वहां पर मिनी बस, टेम्पो चल रहे हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि इनको परमिट दिया गया है? यदि परमिट दिया गया है तो किस आधार पर और यदि परमिट नहीं दिया गया है तो उनको रोकने की क्या व्यवस्था है आपके पास?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अलग से है। अलग से प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर दे सकूंगा। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न भी अलग से है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं जो स्टोप मुकर्रर किये गये हैं राष्ट्रीयकृत मार्गों के वह एक कमेटी द्वारा किये गये हैं। जहां पर प्राइवेट बसें रुकती थीं अक्सर वहीं पर स्टोप किया गया है। अगर स्टोप और ज्यादा हो और लोगों को तकलीफ हो रही है तो आप सूचना देंगे, इस पर निश्चित कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

पाली जिले में बांधों एवं तालाबों को क्षति

783. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण पाली जिले में कुल कितने और कौन कौन से बांध व तालाबों को कितनी क्षति पहुंची और सरकार द्वारा उनकी मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या ऐसे तमाम बांधों और तालाबों की आगामी वर्षा के पूर्व मरम्मत कराई जा सकेगी?

(3) ऐसे तमाम बांधों और तालाबों के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता आंकी गई है और अभी तक कितनी राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है?

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) गत वर्ष बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण पाली जिले में कुल 80 बांधों व तालाबों को 40,99,905 रु० की क्षति हुई थी। इनमें से 62 तालाबों एवं बांधों की मरम्मत हेतु 32,97,500 रु० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। धनराशि की उपलब्धि के अनुसार आवंटित राशि में कमी की गई है। विस्तृत सूचना संलग्न सूची में दर्शाई गई है।

(2) जी हां। समस्त 62 बांधों एवं तालाबों जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गई है, की मरम्मत आगामी वर्षा के पूर्व करा दी जायेगी।

(3) उत्तर प्रश्न के भाग 1 में दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि आगामी वर्ष तक पूरा करा दिया जायगा जब कि आपकी लिस्ट के अनुसार उतना एमाउन्ट ही सैंक्शन्ड नहीं है तो कैसे पूरा हो जायगा, जैसे कि लिस्ट में 29 नम्बर का आइटम है और उस पर जो वर्क है उसके लिए 1,62,000 रु० स्वीकार नहीं किये गये हैं। यह बहुत बड़ा गांव है जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट की बस्ती है। वहां पर एक लाख का नुकसान हुआ है। वहां पर आपने एक पैसा भी सैंक्शन नहीं किया है। इसी तरह से बहुत सी जगह हैं, जैसे नं० 50, 51, 54 का एस्टीमेट ही नहीं हुआ है तो कैसे होंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर ठीक तरह से नहीं समझा है। 80 बान्ध टूटे हैं तो 62 की सैंक्शन हमने दी है कि उन पर आगामी वर्षा के पूर्व काम कर दिया जायगा। 80 बान्धों में जहां बड़े बड़े ब्रीचेज हुए हैं उनके बारे में टेक्निकल रिपोर्ट लेनी होगी वह तो ऐसे हैं कि इस वर्ष में पूरे नहीं कर सकते हैं। जो इस वर्ष में पूरा कर सकते हैं और धनराशि उपलब्ध है उसका उपयोग करके उनसे पूरा लाभ मिल सके ऐसी योजना बनाई है और उसके अनुसार उनको प्राथमिकता देने के आधार पर उन बांधों को हम तैयार करेंगे।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरा इस सम्बन्ध में एक प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि वह फागी का है। इस सम्बन्ध में प्रश्न हो तो पूछ लें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : फागी का ही सबसे अधिक मुल्य है क्योंकि वहां से मैं आया हूं।

श्री अध्यक्ष : आप आज इस प्रश्न के बारे में ही पूछें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : इस प्रकार के बांध टूट गये हैं पूरे राजस्थान के अन्दर और फागी तहसील में भी तो मेरा निवेदन है कि उन बांधों पर काम अकाल में हुआ था और क्रेश में भी काम हुआ था फिर भी बांध का कार्य अधूरा हुआ है। तो मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार के पास क्या इस प्रकार की योजना है कि जो अधूरे बान्ध हैं उनको इस वर्ष में पूरा कराने की कोशिश करायेंगे ताकि आने वाली बरसात में वे पूरे हो जायं ?

श्री शंकरलाल : जिन बांधों या तालाबों को इसमें शामिल नहीं किया है तो उसके लिए आपने आधार बनाया है कि वे बड़े बड़े काम हैं, लेकिन जिसमें 15 हजार का खर्चा है और इसी साल में पूरे हो सकते हैं तो इनको क्यों नहीं लिया गया है ? जिनको नहीं ले रहे हैं उनको कब लिया जायगा ? उनके लिए क्या कार्यवाही होगी ? अगर बरसात के पहले नहीं बनते हैं तो लाखों रुपया खर्च हुआ है, वह बेकार जायेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने स्पष्ट बताया है कि प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है ताकि जिनके लिए विकास पूरा हो सके और जिनको पूरा करने में लाभ मिले। जिन बांधों का जिक्र किया है उनको भी लेना चाहते हैं और ज्योंही धनराशि उपलब्ध होगी त्योंही लेंगे।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी इनको पूरा करें।

दूसरा प्रश्न फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है वह इससे सम्बन्धित तो नहीं है, लेकिन जब सिचाई पर डिबेट हुई थी तब मैंने स्पष्ट बताया था कि इस प्रकार के जो बान्ध अधूरे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर लेकर पूरा करने की कोशिश करेंगे जो धनराशि उपलब्ध है उसमें। यह हमारा दृष्टिकोण है कि वह बांध शीघ्र से शीघ्र पूरे किये जाकर उनसे जो लाभ हो सके, वह लाभ ले लें।

श्री सज्जनसिंह : एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता था कि प्राथमिकता का आधार क्या है? कौन से बान्धों को आपने प्राथमिकता दी है? किन कारणों से दी है? वह कृपा करके बता दें, क्योंकि चाणदा का बहुत बड़ा तालाब है जिस पर लाखों रुपया खर्च हुआ है। वह आपकी लिस्ट में नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : चाणदा के तालाब का विशेषरूप से नहीं बता सकता हूं कि किस आधार पर नहीं ले सके हैं। प्राथमिकता का आधार बिल्कुल स्पष्ट है कि जो तालाब टूटे हैं उनको पूरा करके इसी साल में लाभ उठा सकें और जो धनराशि हमारे पास में है धनराशि के आधार पर कितना काम ठीक तरीके से ले सकते हैं तो इसके आधार पर उनको लेना पड़ा है और फिर उपलब्ध धनराशि। यह दोनों बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम तय करते हैं। दूसरा यह भी है कि कई जगहों पर डिस्ट्रिक्ट कमेटीज ने वहां से अपना हिसाब बनाकर दिया है। उनको भी देखा है और जो तालाब इस तरह के हैं जिनको इस साल पूरा कर सकें उनको लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे आथोरिटी दी है प्रश्न नं० 784 की।

श्री अध्यक्ष : हां है।

सीमेंट के कोटे के लिए सिफारिश

784. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) [श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) की अनुपस्थिति में] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चूरू के जिलाधीश और रसद अधिकारी ने माह अगस्त, 1973 से 10 मार्च, 1974 तक किस किस को कितनी कितनी सीमेंट सरकारी कोटे के अलावा देने की सिफारिश सीमेंट फैक्ट्रियों या उनके ऐजेन्टों को की है? उनकी नामवार सूची मय पूरे पते के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह): इस प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए निवेदन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कल सत्र समाप्त हो रहा है। इसलिए इसी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सत्र में यानी कल मंगवा ली जाय टेलिफोन से मंगवा ली जाय। अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में इस सदन में 1500 बोरी सीमेंट एक ही व्यक्ति को प्राइवेट मकान बनाने के लिए परमिट देने की सिफारिश की थी उसके बारे में प्रश्न इस सदन के अन्दर उठाया गया था और उसमें यह आरोप लगाया गया था कि इसमें यह परमिट किसी बड़े व्यक्ति की वजह से मिला है तो उसको एवायड करने के दृष्टिकोण से यह उत्तर नहीं दे रहे हैं। केवल यही बता दें कि क्या 1500 बोरी सीमेंट का परमिट श्रीमती भूमरदेवी धर्मपत्नी मोहनलाल गुजरानी को 23 जनवरी, 1974 को दिया गया? अगर परमिट दिया गया तो क्यों दिया गया? किसकी सिफारिश पर दिया गया? किस के टेलीफोन पर दिया गया है? यह बात पूछ लें। अध्यक्ष महोदय, कल इसका उत्तर मिलना चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आज ही मिलना चाहिए कल क्यों? और अभी मिलना चाहिए। 15 दिन पहले सूचना मिल चुकी है। सब जानते हैं और सब समाचार इनके पास हैं फिर भी क्योंकि बड़े मिनिस्टर का हाथ है, इसलिए इसका उत्तर नहीं देते हैं। इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के पास इसकी सूचना तो है। इसमें देर लगने का सवाल नहीं है। और सारी बातों को छोड़ दें। यही बता दें कि जो चिट्ठी रसद अधिकारी ने लिखी है, उसकी सूचना दे दें। यदि चिट्ठी लिखी है तो किस तारीख को लेटर लिखा है और किसकी सिफारिश पर लिखा है? यह इम्पोर्टेन्ट मामला है और उनके पास में जानकारी है, और अगर जानकारी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस मामले को दबाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसका मतलब आप पर स्पष्ट आरोप हो जायगा। इसका अर्थ यह है कि·······

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका कोई जवाब तो आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल के लिए करें तो ठीक है। दिस इज पर्टीक्यूलर पाइंट आफ दी हाउस।

श्री अध्यक्ष : पाइंट तो है लेकिन जवाब देने को तैयार हैं तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो इनकी मरजी का सवाल है। जिसको जवाब देना चाहें दे। मरजी आये उसको सीमेंट का कोटा दे दिया गया और मंत्रीजी से पूछेंगे तो मंत्रीजी जवाब नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर क्वेश्चन है कि इस तरह से एक भ्रष्टाचार का मामला सदन के पटल पर आजाय और उसको एवायड करके········

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पक्षपात, भ्रष्टाचार का मामला इस सदन के पटल के सामने आ जाय और मंत्री की तरफ से खुले आम उसको दबाने की कोशिश की जाय यह कैसे बरदाश्त किया जा सकता है ?

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री महोदय के विरुद्ध आरोप लगाया गया था उसके बाद में क्वेश्चन आया है तो जवाब देने में क्या आपत्ति है। किसके नाम से 1500 बोरी सीमेंट का परमिट दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव

श्री मूलचंद सामरिया : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं देना चाहें तो अब आप जो रूल्स के अन्दर है वहीं करेंगे। इस पर बहस का तो कोई सवाल नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव :

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बतला दें कि इसकी सूचना 1500 बोरियों की मंत्री महोदय के पास में हैं या नहीं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न की सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। सूचना के अभाव में मैं जानकारी देने में असमर्थ हूं। इस प्रश्न का सम्बन्ध उद्योग विभाग से नहीं, रसद विभाग से है। रसद विभाग के मन्त्री महोदय के पधारने पर उनसे निवेदन कर दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद गफार अली : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्रीजी।

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस प्रकार से मजाक करने की कोशिश नहीं करें। अगर ऐसे ही तरीके आप चाहते हैं, राजस्थान विधान सभा में भी वैसी ही घटनाएं हों जैसी कि उड़ीसा में हुई। यह ऐसा तरीका आपका नहीं चलने दिया जाएगा। आप जवाब क्यों नहीं देते हैं, प्रश्न का ?

(शोरगुल : व्यवधान)

आप उस अधिकारी को बचाना चाहते हैं।

(शोरगुल: अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : निर्माण मन्त्रीजी।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय....

श्री रामकिशन : उसी के बारे में कहें।

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है। पूरे चूरू जिले में सीमेंट के अलाटमेंट के बारे में पूछा गया है। यह कहना कि पर्टीक्युलर केस की वजह से छुपाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस केस के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हुई

(श्री हीरालाल देवपुरा)

थी। सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने अपना जवाब दिया है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट कहा था कि हम जांच करायेंगे। मैं सदन से अपील करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी मौजूद नहीं हैं।

मुख्य मन्त्री जी सदन को इस सम्बन्ध में अवगत करायेंगे। राज्य सरकार की यह मन्शा नहीं है कि जो चार्ज लगाया गया उसको छुपाया जायेगा। जो चीज होगी उसको स्पष्ट कहा जायेगा।

श्री रामकिशन : मुख्य मन्त्री जी कब तक जवाब दे देंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर जवाब देना एवाइड करना चाहें तो यह गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि कल रिप्लाई आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कल रिप्लाई दे दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, कल जवाब दिला देंगे या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस मामले में मन्त्री महोदय ने जवाब दिया था। वह रिश्तेदार था या नहीं ? बोरियां दी गई हैं, यह क्यों दी गई हैं ? प्रश्न यह नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह क्लीयर सवाल नहीं पूछा है। उसमें अगस्त, 73 से 10 मार्च, 74 तक की जानकारी मांगी है। काफी लम्बा पीरियड है। इसलिए यह सारी सूचना नहीं आ सकी है। जिलाधीश चूरू से सम्बन्धित है।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री रामकिशन : माननीय मन्त्री जी, मैं कठिनाई समझ गया हूं। सूचना लम्बी है। लेकिन जैसा कि किसी खास केस को रेफर किया जा रहा है, उसके बारे में तो टेलीफोन पर जानकारी करा सकते हैं। किसी पार्टी को रिकमेण्ड किया है तो किसी के कहने से किया है। किसके कहने से किया है ? यह सूचना देने में क्या दिक्कत है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निर्माण मन्त्री जी ने स्पष्ट किया है। मुख्यमन्त्री महोदय इस सारे मामले में अवगत करायेंगे।

श्री रामकिशन : रिलेशन है क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सारा मामला मुख्यमन्त्री महोदय के पास है। मैं उनसे इस बारे में अनुरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न को इतना लम्बा करें यह मुनासिब नहीं है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ : अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

Page No 14

(14)

(श्री अध्यक्ष)

श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री मीठालाल : वेरी सॉरी सर ।

राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा राजस्थान कबड्डी संघ को अनुदान के रूप में दी गई राशि

785. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य क्रीड़ा परिषद् राजस्थान कबड्डी संघ को वार्षिक अनुदान के रूप में कुछ राशि देता है ? यदि हां, तो कब से और अब तक इस संघ को कितनी राशि दी जा चुकी है ?

(2) राजस्थान कबड्डी संघ के पदाधिकारी कौन कौन है और उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

(3) क्या उक्त संघ के हिसाब का कभी आडिट हुआ है ? यदि हां, तो गत तीन वर्ष की आडिट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त संघ के अध्यक्ष ने गत तीन वर्ष में कहां कहां की कब कब यात्राएं कीं व कितना टी. ए., डी. ए. प्राप्त किया तथा यात्राओं का उद्देश्य क्या था ?

शिक्षामन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। 1959-60 से। राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा कबड्डी संघ को उनकी वार्षिक गतिविधियों के लिए 1971-72 तक 75,965 रुपये की राशि दी जा चुकी है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। पिछले तीन वर्षों के वार्षिक लेखा विवरण की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) इसकी जानकारी परिषद् को नहीं है क्योंकि संघ के अध्यक्ष की यात्राओं के लिये परिषद् से कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्री जी, इसमें 2 नम्बर में आपने अध्यक्ष का नाम तो बताया है लेकिन उनकी योग्यता क्या है ? इसका उत्तर नहीं मिला है। अध्यक्ष श्री जनार्दनसिंह गहलोत हैं. क्या यह वही जनार्दनसिंह गहलोत हैं, जिनके बारे में माइन्स की बात सदन में उठाई गई थी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह वही जनार्दनसिंह गहलोत हैं, जिन्होंने आपके लीडर को हराया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अगर यह वही जनार्दनसिंह गहलोत हैं तो इनकी योग्यता नहीं दुहराई है। नम्बर 4 का उत्तर दिया जाना चाहिए था। इस कबड्डी संघ का ओलम्पिक एसोसियेशन से क्या सम्बन्ध है ? इसको 75 हजार की ग्राण्ट किस बारे में दी गई है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : नो।

श्री अध्यक्ष : शिक्षामन्त्री जी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई पोस्ट ग्रेज्युएट का एसोसिएशन नहीं है। यह कबड्डी एसोसियेशन है। इसमें क्या योग्यता हो, मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे, यह मेडिकली फिट हैं ? कबड्डी खेलने के लिए ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्रीड़ा परिषद् की जो और एसोसियेशन हैं, उनके एक से ही रूल्स हैं और क्या उनको एक सा ही अनुदान मिलता है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप इसके अलावा कोई और सप्लीमेण्टरी नहीं पूछ सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पूछ सकते हैं, बेकार टाइम खराब करने से क्या मतलब है।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह पूछना चाहता हूं। एक नॉन मैट्रिक को कबड्डी संघ का अध्यक्ष बनाया है। जनवरी में आसनसोल में जो कबड्डी हुई थी। उसमें ये यहां से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता बाइ एयर। कलकत्ते से स्पेशल टैक्सी कार करके वहां गये थे। दूसरा प्रश्न यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से एक अयोग्य व्यक्ति के हाथों में धन आने के कारण धन का दुरुपयोग होता है। भले ही वह फर्स्ट क्लास में जायें। मुझे आपत्ति नहीं लेकिन हवाई जहाज और टैक्सी कार करें। यह तो धन का दुरुपयोग है।

श्री अध्यक्ष : एक मेरा निवेदन है। सभी विधान सभा के माननीय सदस्य हैं इसलिए जो कुछ भी कहा या पूछा जाये वह सम्मान के साथ ही हो। सम्मान के साथ ही पूछा जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं रेस्पेक्टफुली पूछना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : पूछिये, ससम्मान पूछिये, सस्नेह पूछिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बड़ी इज्जत से पूछ रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न था कि क्या यह एसोसियेशन एक व्यक्ति विशेष....

श्री अध्यक्ष : पहले दोनों सवालों का जवाब आने देंगे या एक ही साथ ?

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या सभी एसोसियेशन्स को एक जैसा पैसा देते हैं ? मुझे मालूम हुआ है कि सभी एसोसियेशन्स को नियमानुसार बराबर ग्रांट-इन-एड दी जाती है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : 75 हजार रुपये के लिये गलतफहमी हो रही है, कितने वर्षों में 75 हजार रुपये दिये गये हैं ?

श्री खेतसिंह : मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 1959-60 से 1971-72 तक करीब 11 साल में इतना पैसा दिया है। माननीय हवामहल व उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों को ऐतराज है कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति को कबड्डी संघ का

Page No 16

(16)

(श्री खेतसिंह)

अध्यक्ष क्यों बनाया, मैंने पहले भी कहा कि डबल एम. ए. कबड्डी में कभी कामयाब नहीं होते हैं। अगर राजनैतिक कबड्डी के अखाड़े में जायं तो उन्होंने बहुत बड़े पहलवान, जो जनसंघ के नेता हैं, उनको पछाड़ा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान के बड़े कबड्डी के महकमे दिल्ली के पहलवान राजस्थान के पहलवान से हार गये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पछाड़े हुए पहलवान ने कई सालों तक 4 बार बड़े बड़े नेताओं को पछाड़ा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि जब चैंपियनशिप हुई थी उसमें माननीय सदस्य दिल्ली से कलकत्ता बाइ एयर गये थे और कलकत्ता से स्पेशल टैक्सी लेकर गये थे ?

श्री खेतसिंह : हम लम्पसम देते हैं, आगे कबड्डी संघ में किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, इसके लिये उनके अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स द्वारा चैक होते हैं, उसकी प्रतिलिपियां आपको दे दी हैं, आप खामखा परेशान हैं तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने जो आडिट रिपोर्ट दी है, मेरा चेलेंज है कि उनके पास कोई बुक्स और वाउचर्स नहीं है, वाउचर्स नहीं है, फाल्स हैं। क्या आप इसको इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को रेफर करने के लिये तैयार हैं ?

श्री खेतसिंह : अगर उनको रेफर करें तो उनकी फीस और दूसरा खर्चा इस खर्चे से ज्यादा हो जायेगा। उनकी फीस, वहां से आडीटर्स बाइ एयर आयेंगे, इतना पैसा मेरे पास नहीं है।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने दलील दी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं माननीय सदस्य के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन इसमें जो अनियमिततायें और अवैधानिक गड़बड़ियां हुई हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप पहले तो उत्तर दें कि यह संघ कबड्डी फेडरेशन आफ इण्डिया, इण्डियन ओलम्पिक एसोसियेशन से सम्बन्धित है ? यदि सम्बन्धित नहीं है तो आप उसको ग्रांट-इन-एड नहीं दे सकते, किस नियम के तहत दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : और पूछना है तो पूछ लीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या यह सही है कि इस एसोसियेशन को प्रशासनिक खर्चे के लिए सिर्फ एक हजार रुपये साल का मिलता है और जो कुछ भी खर्चा कबड्डी टीम का होता है वह उनको डाइरेक्ट दिया जाता है, इस एसोसियेशन के मार्फत नहीं दिया जाता है ?

श्री खेतसिंह : राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा है, उतना है पैसा इस संघ को मिलता है और वह कबड्डी एसोसियेशन आफ इण्डिया से एफिलिएटेड है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : नो मोर क्वेश्चन्स। स्थगित प्रश्न।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मैंने और सवाल बन्द कर दिये। श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनकी गतिविधियों को वाच करने का काम है, इनके हिसाब किताब सारे फाल्स हैं, उनकी चेकिंग करानी चाहिये, क्योंकि यह एक सदन के माननीय सदस्य का सवाल है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, मेरे दोनों प्रश्नों का जब तक उत्तर नहीं आ जाता तब तक उचित नहीं है। इसलिये मैं आपसे ससम्मान निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरे दो पूरक प्रश्न हैं उनका उत्तर आने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न नं 786 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : 5 स्थगित प्रश्न हैं। अगर माननीय सदस्यों की सम्मति हो तो उनको लिया जाए या इसी सवाल को लिया जाए ?

कई माननीय सदस्य : स्थगित प्रश्नों को लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। यह मेरा अधिकार है।

श्री दीपंकर : माननीय सदस्य को प्रक्रिया संबंधी नियमों की जानकारी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जांच नहीं करवाना चाहते कि उनको किस प्रकार से ग्रांट मिली है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैंने प्रश्न पूछा है, सप्लीमेंटरी पूछने नहीं देते तो कौनसा तरीका है प्रजातंत्र में।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुझे खेद है, मैंने इतने पूरक सवाल पूछने की इजाजत दी है। कम से कम 15—20 मिनट हो गए फिर भी आपको ऐतराज है। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला :

रोहतास इन्डस्ट्रीज लि० डालमिया नगर को ऋण

786. **श्री श्रीराम गोटेवाला :** (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रोहतास इंडस्ट्रीज लि० डालमियानगर (बिहार) को राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1969-70 में 20 लाख रुपये स्वीकार किया गया था ? यदि हां तो उक्त ऋण किस तिथि को किन शर्तों पर स्वीकार किया गया ? शर्तों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऋण उक्त कम्पनी को तत्काल मशीनरी या अन्य असेट्स के उपयोग हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त ऋण का कम्पनी द्वारा

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

किस तिथि को उपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ऋण की राशि एक मुश्त में दी गई ?

(3) उक्त कम्पनी के ऋण के आवेदन के समय कौन कौन संचालक थे ? संचालकों के नाम उनके पतों सहित बताने का कष्ट करें।

(4) उक्त कंपनी द्वारा किस स्थान पर उक्त ऋण का उपयोग कैसे कब व कहां किया गया और उसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ ?

राज्य मन्त्री उद्योग (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जी हां। दिनांक 7 जून 1959 को रोहतास इन्डस्ट्रीज ......

श्री श्रीराम गोटेवाला : 1969 को आप 1959 पढ़ रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 7 जून 1969 को रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड डालमियानगर को 20 लाख रुपये का ऋण राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत किया गया था। ऋण की शर्तें सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) यह ऋण आवेदनकर्त्ता को कारखानों के लिए आवश्यक सम्पदा एवं असेट्स क्रय (भूमि भवन) के लिए दिया गया था। इस ऋण का वितरण तारीख 9 मार्च 1970 को इस कम्पनी के 20 लाख रुपये के सिक्योर्ड डिबेन्चर्स की प्रतिभूति पर निगम के संचालक मंडल की स्वीकृति प्राप्त कर ऋण का वितरण किया गया था। इस ऋण की राशि का उक्त औद्योगिक संस्थान द्वारा 1 मार्च 1973 के पूर्व उपयोग कर लिया गया है।

(3) उक्त कम्पनी के ऋण के आवेदन के समय संचालकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : छोटी सूची है, पढ़ लीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप पूरक प्रश्न में पूछें।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी नहीं पूछेंगे अभी बता दीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : संचालक मंडल की सूची इस इस प्रकार है :

(1) शांति प्रसाद जैन-चेयरमेन टाइम्स हाउस, बहादुर शाह मार्ग, दिल्ली

(2) श्री मोहनलाल जाना, कलकत्ता।

(3) श्री कांति कलकत्ता।

(4) श्री नंदलाल पोदार, कलकत्ता।

(5) श्री ई. आर. नइयर, कलकत्ता।

(4) उक्त कम्पनी द्वारा ऋण का उपयोग जयपुर में एक वृहत आकार के वनस्पति प्लांट के भवन निर्माण एवं मशीनरी क्रय हेतु किया गया है। यह कारखाना निर्माणाधीन है। कम्पनी ने सूचित किया है कि ट्रायल प्राडक्शन निकट भविष्य में व व्यावसायिक उत्पादन जून 1974 में आरंभ होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थगित प्रश्न। श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंटरी है एक।

श्री अध्यक्ष : नो सप्लीमेंटरी। आई विल नोट अलाउ सप्लीमेन्ट्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह प्रश्न है कि

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

क्या राजस्थान वित्त निगम द्वारा उसके बोर्ड ग्राफ डाईरेक्टर्र श्री शान्तिप्रसाद जैन को एक मुश्त 20 लाख रुपये लोन दिये गये थे ?

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। मैं कोई सप्लीमेन्ट्री अलाऊ नहीं करूंगा। मेरे पास काफी पोस्टपोन सवाल है। मैंने कह दिया है। श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ग्राप दूसरे प्रश्नों को छोड़ दीजिये और इस प्रश्न को ले लें। इसी की सप्लीमेन्ट्री को पूछने दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न जो मेरा पोस्ट पोन और है उसे छोड़ दूंगा।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ ग्रापके ही सवाल नहीं ग्रौरों के भी सवाल हैं मैं यह हाउस से जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे प्रश्नों के बारे में माननीय सदस्यों की राय है कि उन्हें छोड़ दिया जाय ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया।

प्रश्न संख्या 144

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के सप्लीमेन्ट्री के लिये मेरे प्रश्न को छोड़ता हूं। इसी पर सप्लीमेन्ट्री प्रश्न ले लें।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला। अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 404 व 447

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं मेरे पहले वाले प्रश्न को सप्लीमेन्ट्री के लिये इस प्रश्न को छोड़ता हूं। और भी मेरे कोई सवाल हों तो उन्हें छोड़ता हूं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

प्रश्न संख्या 420

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, अब तो सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। नेक्स्ट, स्थगित प्रश्न।

श्री निरन्जननाथ आचार्य।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-74)

जिंक स्मेल्टर का दूषित पानी

453. **श्री निरंजननाथ आचार्य**—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिंक स्मेल्टर (देवारी-उदयपुर) के दूषित और विषैले रासायनिक पानी के उदयसागर झील के नाले में पड़ने से इस नाले का पानी पशुओं और खेती के लिए घातक सिद्ध हो रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उदयसागर झील के नाले का पानी दूषित हो जाने के कारण नाले के किनारों के कुओं का पानी भी दूषित हो गया है कि जिसके फलस्वरूप उसका पानी, पशुओं, मनुष्यों और खेती के लिए हानिकारक हो गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त उदयसागर झील के दूषित नाले के बल्लभनगर बांध में गिरने से इस बांध का पानी भी दूषित होता जा रहा है ?

Page No 20

(२०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(4) क्या यह सही है कि जिंक स्मेल्टर के दूषित रसायनों के पानी को उदयसागर झील के नाले में न पटका जाय राज्य सरकार इसकी ओर प्रयत्न कर रही है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है अत: इस प्रश्न को स्थगित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया । अब आप चाहें तो सप्लीमेन्ट्री पूछ सकते हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा रोहतास इन्डस्ट्रीज लि. डालमियानगर, बिहार को 20 लाख रुपये का लोन किन नियमों के तहत दिया गया ? इसके अलावा राजस्थान की ऐसी कितनी इन्डस्ट्रीज हैं जिनको कि 20 लाख रुपये लोन दिया गया है । यह जानकारी चाहता हूं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस प्रश्न से इसका संबंध नहीं है राजस्थान की कितनी और इन्डस्ट्रीज को राजस्थान वित्त निगम द्वारा लोन दिया गया इसकी सूचना अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है । यह अलग से प्रश्न है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा प्रश्न है कि रोहतास इन्डस्ट्रीज को एक मुश्त 20 लाख रुपये का लोन राजस्थान फाइनेन्शियल कारपोरेशन ने क्यों दिया ? इसके अलावा क्या यह सही है कि श्री शाह शान्ति प्रसाद जैन उस वक्त राजस्थान फाइनेन्सियल कारपोरेशन के बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स में से थे ? इसलिये उन्हें एक ही मीटिंग में एक मुश्त 20 लाख रुपये का लोन दिया गया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राजस्थान वित्त निगम के उस वक्त कौन कौन बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स थे, उसकी सूची मेरे पास अभी नहीं है । इसलिये इसकी सूचना देने में असमर्थ हूं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला । आपने अभी दी तो है, यहां पर पढ़कर सदन में बताया है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य को यह पता नहीं है कि वह सूची राजस्थान वित्त निगम के बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स की नहीं है यह तो रोहतास इन्डस्ट्रीज के बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स और उसके चेअरमैन की हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो यह बता दें कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा और भी कोई इन्डस्ट्रीज को पैसा दिया गया जो कि इस वित्त निगम का बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स में से हो ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसकी सूचना भी मेरे पास नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से कि क्या राजस्थान फाईनेन्शियल कारपोरेशन के नियमों में ऐसा प्रावधान है कि वह किसी ऐसी इन्डस्ट्रीज को जो कि राजस्थान के बाहर हो उसे 20 लाख रुपये उधार दे दें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रावधान है कि राजस्थान के लोग अगर राजस्थान के बाहर उद्योग लगायें तो उन्हें लोन देने की सुविधायें दी जाती हैं ।

Page No 21

(21)

श्री चेतराम : मेरा प्रश्न यह है कि जब यह लोन दिया गया तो क्या उस दिन की बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स की मीटिंग में श्री शाहू जैन थे या नहीं ? और क्या यह जो लोन रोहतास इन्डस्ट्रीज को दिया गया उस दिन अगर बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स की मीटिंग में शाहू जैन बैठे थे और लोन सेंक्सन हुआ तो क्या यह काम लीगल था या इल्लीगल ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि शाहू जैन इसके सदस्य थे या नहीं थे । इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । इसके साथ साथ अभी मैं यह भी बताने में बिना सूचना के असमर्थ हूं कि उस राजस्थान फाईनेन्शियल कारपोरेशन की मीटिंग में शाहू जैन थे या नहीं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा साधारण सा प्रश्न था कि सन् 69 में यह लोन शाहू जैन को दिया गया । लोन आलोक प्रसाद जैन को जो कि शाहू शान्ति प्रसाद जैन के लड़के हैं । तो क्या लोन दिया उस वक्त यह बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स में से थे क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय यह सूचना भी मेरे पास नहीं है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय , इसमें बीस लाख रुपयों का घपला है। आज दूसरी इन्डस्ट्रीज वाले अगर लोन मांगें तो राजस्थान वित्त निगम लोन देती नहीं है और यहां पर एक मुश्त बीस लाख रुपये लोन दे दिया गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मेरा एक प्रश्न है कि क्या यह सही है श्री शाहू जैन इन्डिया की उन कनसर्न्स में आती है जो कि मोनोपोलिस्ट कनसर्न्स है ? इनका नाम भी मोनोपोलिस्ट हाऊसेज में आता है ?

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लें, मीठालाल जी ।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह प्रश्न पूछना है कि यह जो लोन बीस लाख रुपये राजस्थान वित्त निगम द्वारा सन् 69 में दिया गया था । तो क्या उक्त कनसर्न ने अपना कारखाना शुरू कर दिया है ? क्या उन्होंने अपना प्रोडक्शन कर दिया है ? और अगर किया तो कब किया सन् 71 में किया या सन् 72 में कितना किया या सन् 73 तक वह पैसा बिना काम आये उसी फर्म के पास पड़ा रहा ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या शाहू जैन ने उक्त बीस लाख रुपये उन्होंने अपनी बिहार की फैक्ट्री में लगाया या यहां पर लगाने के लिये पैसा लिया था ? किस नाम से लिया ?

एक माननीय सदस्य : वह तो राजस्थान में फैक्ट्री लगाने के नाम से लिया था ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक बीस लाख रुपये का लोन लेने का सवाल है वह राजस्थान में इन्डस्ट्रीज लगाने के उपयोग के लिये लिया गया था । उन्होंने जयपुर में वनस्पति इन्डस्ट्रीज के अन्दर अब तक एक करोड़ 37 लाख 68 हजार रुपये लगा दिये हैं । जबकि हमारे राजस्थान वित्त निगम ने तो सिर्फ बीस लाख रुपये का ही लोन दिया था । यहां पर यह कहना कि उन्होंने बीस लाख रुपये का यहां पर उपयोग नहीं किया, बिलकुल गलत है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हो सकता है कि उन्होंने और दूसरी इन्स्टीट्यूसन से लोन प्राप्त किया हो ।

Page No 22

(२२)

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह कारखाना यहां पर कौनसी तारीख को शुरू करने को था ? जिसके लिये बीस लाख रुपये का लोन दिया गया था । प्रोडेक्शन कब से शुरू होने को था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक छोटा सा सवाल है कि क्या इन्होंने राजस्थान वित्त निगम के अलावा और भी दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स से लोन इन्डस्ट्रीज लगाने के लिये लिया था उन्होंने कहां कहां और एप्लाई किया था ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वित्त निगम जब भी किसी को लोन देती है तो उसकी सारी स्थिति देखकर देती है। सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है और उसके अन्दर शर्तें पूरी करने पर ही लोन दिया जाता है । अब जहां तक सवाल है कि साहू जैन ग्रुप के चेअरमैन अभी आजकल शांति प्रसाद शाहू जैन की जगह अब चेअरमैन श्री अलोक प्रसाद जैन हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अभी का प्रश्न नहीं है । यह फैक्ट्री के लिये लोन लिया जब कौन था इसके अलावा यह फैक्ट्री कब से चालू की गयी है ? बीस लाख रुपये इनको किन नियमों के आधार पर दिये गये एक मुश्त ? इन रुपयों का उपयोग कब तक करना था ? यह सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहें तो पूछलें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा रहा है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस ऋण को 1-3-73 तक उपयोग में लाना जाना चाहिये था ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : रि-पेमेंट कब करना था ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे किन फाईनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स से इन्होंने मदद ली है ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय 1965. ...

श्री मूलचन्द सामरिया : ··· (अश्रव्य) ···उनको रिकमेंडेशन पर ऋण कैसे दिया ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : स्पेसिफिक एलीगेशन हैं, अध्यक्ष महोदय । बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स के अन्दर आलोक साहब खुद बैठे थे और लोन को सेंक्शन करवाया । आपको जानकारी नहीं है तो अलग बात है । यह सीरियस बात है, जो आदमी खुद इन्टरेस्टेड हो फाईनेन्सियल बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में खुद बैठे । क्योंकि बोर्ड से उनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिये । गलत तरीके से लम्बी चौड़ी राशि का लोन दिलवाया । आपको जांच करना चाहिये ···

श्री अध्यक्ष : नो सप्लीमेंटरी ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय उस मीटिंग में बैठना ही नहीं चाहिये था । यह बहुत बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर यह बात साबित हो जाय कि श्री साहू शान्ति प्रसाद जैन उस बोर्ड में शामिल थे तो क्या इस लोन को सरकार गलत करार दे देगी और वसूली करेगी ।

श्री अध्यक्ष : नो सप्लीमेंटरी । मंत्री जी ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, 20 लाख का दुरुपयोग करवाया गया है ।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आने दीजिये । नो मोर नाऊ । मंत्री जी । माननीय मंत्री जी ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय 20 लाख का सवाल है । राज्य सरकार का भारी नुक्सान है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस राशि का उपयोग किया जा चुका है । अतः ऋण के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है । उसका उत्तर चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब सुन लीजियेगा ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो फैक्ट्री प्रोडक्शन में आने की थी वह नहीं आ सकी, क्योंकि जो मशीनें खरीदने की थी वह नहीं खरीदी जा सकी । अब यह प्रोडक्शन में जल्दी आने वाली है । जैसा मैंने उत्तर में निवेदन किया जून 74 में इसका उत्पादन शुरू हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ । नो सप्लीमेन्टरी ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

प्रश्न काल समाप्त हुआ । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : एक्सपर्सन है । 20 लाख का लोन दिया गया है । मना तो करें कम से कम ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ ।

(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अतारांकित प्रश्न

की सूची बुधवार, दिनांक 10 अप्रेल, 1974

खण्ड प्रसार शिक्षक के रिक्त पद

474. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद): क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन विभाग में खण्ड प्रसार शिक्षक के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो राज्य में किन किन स्थानों पर कब से और क्यों पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची नहीं बनी है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? और यदि हां, तो प्रसारण क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि अरबन एक्सटेंशन एज्यूकेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों का कन्फरमेशन नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जिलेवार सूची संलग्न है । सेवा नियमों के अभाव में ये पद गत तीन वर्षों से नहीं भरे जा सके हैं । राज्य सरकार द्वारा सेवा नियम 30 अक्टूबर, 1973 द्वारा प्रकाशित हुए हैं परन्तु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नयी नियुक्ति करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

(2) जी हां । राज्य सरकार द्वारा सेवा नियम प्रकाशित न होने के कारण वरिष्ठता सूची नहीं बनाई जा सकी । चूंकि अब राज्य सरकार द्वारा सेवा नियम प्रकाशित किये जा चुके हैं परन्तु उनमें कुछ संशोधन होना शेष है, जैसे ही राज्य सरकार द्वारा संशोधन के आदेश प्रसारित किये जावेंगे वरिष्ठता सूची प्रकाशन की कार्यवाही की जावेगी ।

Page No 24

(२५)

(स्वास्थ्य मंत्री)

(3) क्रम संख्या 2 के अनुसार।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बस मार्गों से जोड़े जाने वाले ग्राम

475. श्री राम गोपाल (खंडार): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार ने यातायात (बस) मार्गों पर और अधिक गांवों को जोड़ने का विचार किया है? यदि हां तो कितनी आबादी के गांवों को बस मार्गों से जोड़ा जावेगा?

(2) क्या इस प्रकार की आबादी वाले गांवों का कोटा जिले में सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो कौन कौन से बस मार्ग नये बनने की आशा है? सूची सदन की मेज पर तहसीलवार रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) अभी ऐसा औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) कोटा जिले में तीन मार्गों का सर्वे कराया जा रहा है।

(1) बारां-सांगोद

(2) भवानीमन्डी-बकानी

(3) सांगोद-भवानीमन्डी

संजय साप्ताहिक पत्र को विज्ञापन

476. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

संजय साप्ताहिक पत्र झालरापाटन (जिला झालावाड़) को समाज कल्याण विभाग की ओर से 1 जनवरी, सन् 64 से 31 दिसम्बर, सन् 73 तक कितने कितने रुपयों का कब कब विज्ञापन दिया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

प्राप्त सूचना के आधार पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संजय साप्ताहिक नामक समाचार पत्र झालरापाटन जिला झालावाड़ को 1 जनवरी, 1964 से 31 दिसम्बर, 73 तक विज्ञापन हेतु कोई धनराशि नहीं दी गई।

जिला आयुर्वेद अधिकारी सीकर का निलम्बन

477. श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वैद्य श्री रामनारायण शर्मा का परिवर्तन प्रभारी फार्मेसी अजमेर के पद से जिला आयुर्वेद अधिकारी सीकर के पद पर किया गया? बाद में निलंबित किया गया, जबकि जिला आयुर्वेद अधिकारी पद से संबंधित कोई आक्षेप उन पर नहीं था।

(2) क्या यह सही है कि अजमेर फार्मेसी के लेखों की जांच आज से 9 माह पूर्व की जा चुकी है?

(3) क्या यह सही है कि श्री शर्मा को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है?

(श्री माणकचन्द सोगानी)

(4) यदि नहीं तो उन्हें निलंबित रखने का क्या औचित्य है ?

(5) क्या यह सही है कि उन्हें बिना किसी आरोप से निलंबित रख कर राज्य-कोष का दुरुपयोग किया जा रहा है ?

(6) श्री शर्मा के निलंबन को (revoke) प्रत्याहरण करने में क्या वैधानिक आपत्ति है ? यदि है तो क्या ? यदि नहीं तो उनके निलंबन को प्रत्याहरण (revoke) क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री रामनारायण शर्मा, को आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर निलंबित किया गया है।

(2) जी हां। मुख्य लेखाधिकारी के दल ने रसायनशाला, अजमेर के लेखों की जांच माह मार्च, 73 से अगस्त, 73 तक की किन्तु जांच रिपोर्ट अभी इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां।

(4) उन्हें रसायनशाला में कथित अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर निलम्बित किया गया है।

(5) जी नहीं। अनियमितताओं की शिकायत की जांच सतर्कता आयोग द्वारा की जा रही है और जांच पूर्ण होने पर आगे कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(6) सतर्कता आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही श्री शर्मा के निलम्बन के बारे में निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

मृतक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पेन्शन का मामला

478. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री जवाहर लाल पुत्र श्री देवाराम जाति रेगर ग्राम भूडोल जिला अजमेर जो 1967 से रामगंज छात्रावास में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य करता था की दिनांक 5-1-69 को मृत्यु हो गई ?

(2) क्या यह सही है कि उसकी औरत श्रीमती चोथी देवी को अभी तक पेन्शन नहीं मिली ? यदि हां, तो क्यों ? और अब पेंशन कब तक दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इनके पेन्शन स्वीकृति का प्रकरण महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को दिनांक 15-9-73 को प्रेषित किया गया है। वहां से स्वीकृति प्राप्त होने पर पेन्शन दी जा सकेगी।

कोटा जिले में हत्याकांड के मामले

479. श्री रामगोपाल (खंडार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मार्च, 1973 से अब तक कोटा जिले में हत्याओं के काण्ड हुए हैं ? यदि हां, तो कितने हुए ? और

Page No 26

(26)

(श्री रामगोपाल)

कितने हत्याकाण्डों में मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाकर अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया? थानेवार अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट कर।

उत्तर

जी हां। मार्च 1973 से मार्च 1974 तक कोटा जिले में कत्ल के 47 मुकदमें दर्ज हुए हैं। जिनमें से 29 मुकदमों में 96 मुलजिमान गिरफ्तार किए जाकर 62 मुलजिमों का चालान अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है। थानेवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

शाहपुरा थाने के सी. आई. डी. को तफतीश हेतु दिये गये मामले

480. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के थाना शाहपरा क्षेत्र के अनेकों मुकदमों को सी. आइ. डी. में तफतीश हेतु स्थानान्तरण किया गया है? यदि हां, तो वर्ष 73-74 में किस किस मुकदमें को और किन किन कारणों से?

(2) क्या यह सही है कि सी. आइ. डी. द्वारा जिन 2 मुकदमों की तफतीश की गई है उन मुकदमों की तफ्तीश करने वाले अधिकारियों द्वारा तथ्यों के विपरीत राजनैतिक प्रभाव एवं प्रभावों के कारण निष्पक्ष तफतीश नहीं की है? यदि नहीं तो क्या सरकार इन मुकदमों की खुली जांच उच्चस्तरीय अधिकारियों की समिति द्वारा कराने को तैयार है? यदि नहीं तो क्यों? सी. आइ. डी. के किन किन अधिकारियों द्वारा किस किस मुकदमें की तफतीश की है और उनकी पृथक् पृथक् तफतीश के के क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) जी नहीं। थाना शाहपुरा के क्षेत्र के सन् 1973-74 के सिर्फ 5 मुकदमों को सी आइ. डी में तफ्तीश हेतु स्थानान्तरित किया गया। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। चूंकि एक मुकदमें का चालान अदालत में दिया जा चुका है तथा 2 मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट अनुसंधान के निष्कर्ष पर ही दी गई है तथा दो मुकदमात अनुसंधानाधीन हैं। अत: खुली जांच कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जिन जिन अधिकारियों द्वारा मुकदमों की तफतीश की गई है वह संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पुलिस थाना आबू पर्वत तथा आबू रोड में दर्ज मामले

481. श्री भूराराम (आबू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आबू रोड तहसील के पुलिस थाना आबू रोड व पुलिस थाना आबू पर्वत में कितने कितने मुकदमें जनवरी, 1973 से अब तक दर्ज हुए?

(2) क्या यह सही है कि आज तक कई मुकदमें पेन्डिग पड़े हैं? यदि नहीं तो

(श्री भूराराम)

उपरोक्त दोनों थानों में जनवरी, 1973 से अब तक कितने 2 मुकदमें चोरियों के तथा धोखाधड़ी के व 420 के अन्तर्गत आने वाले दर्ज हुए ? कितने 2 एक्सीडेन्टों व दुर्घटनाओं के दर्ज हुए ? कितने 2 मुकदमें मारपीट के दर्ज हुए ? कितने 2 मुकदमों पर कार्यवाही का चालान करवाया गया ? कितने 2 मुकदमों की तफतीश जारी है ? कितने 2 मुकदमें अभी तक पेंडिग हैं ? कृपया सूची अलग अलग बताते हुए सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) पिंडवाड़ा तहसील के पुलिस थाना पिंडवाड़ा व रोहीड़ा पुलिस थानों में कुल कितने 2 मुकदमें जनवरी, 1973 से अब तक दर्ज हुए ?

(4) क्या यह सही है कि आज तक कई मुकदमें उक्त थानों मे पेंडिग पड़े है ? यदि नहीं तो उपरोक्त दोनों थानों में जनवरी 1973 से अब तक कितने 2 मुकदमें चोरियों के दर्ज हुए कितने 2 मुकदमें धोखाधड़ी व 420 के अन्तर्गत आने वाले दर्ज हुए ? कितने 2 मुकदमें एक्सीडेन्टों व दुर्घटनाओं के दर्ज हुए ? कितने 2 मुकदमे मारपीट के दर्ज हुए ? कितने 2 मुकदमों पर कार्यवाही कर चालान करवाये ? कितने 2 मुकदमों की तफतीश जारी है ? कितने 2 मुकदमें अभी पेंडिग हैं ? कृपया सूची अलग-अलग बताते हुए सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) आबू रोड तहसील के पुलिस थाना आबू रोड व पुलिस थाना आबू पर्वत में माह जनवरी 1973 से तारीख 28-3-74 तक कुल अपराध क्रमश: 165 व 41 पंजीबद्ध हुए थे।

(2) जी नहीं। दोनों थानों की सूची संलग्न हैं।

(3) पिंडवाड़ा तहसील के पुलिस थाना पिंडवाड़ा व रोहीड़ा में माह जनवरी, 1973 से तारीख 28-3-74 तक कुल अपराध क्रमश: 56 व 53 पंजीबद्ध हुए थे।

(4) जी नहीं। मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

गंगापुर थाने में दर्ज ट्रेक्टर का मामला

482. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री चिम्मन मीणा ग्राम अरण्या तहसील गंगापुर ने तारीख 7-10-72 को थाना गंगापुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरा ट्रेक्टर आर. जे. एल. 675 मेवला मीणा ग्राम राधेकी ने जबरदस्ती अपने ग्राम में रोक लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि थानेदार गंगापुर ने ग्राम राधेकी में जाकर ट्रेक्टर की सुपुर्दगी वहां के निवासी श्री रामनारायण मीणा को दी थी ?

(3) क्या यह सही है कि सुपुर्दगार ने ट्रेक्टर को गंगापुर मुन्सफी कोर्ट में लाने से

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

इन्कार कर दिया एवं स्वयं भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ ?

(4) सर्किल आफिसर गंगापुर के द्वारा कौनसी तारीख को ट्रेक्टर गंगापुर थाने में लाया गया ?

(5) ट्रेक्टर ग्राम राधेकी से लाने के पश्चात थाना गंगापुर ने सुपुर्दगार एवं मेवला मीणा के खिलाफ धारा 406 के अन्तर्गत चालान क्यों नहीं पेश किया ?

(6) क्या मेवला मीणा ग्राम राधेकी के खिलाफ अपहरण का कोई केस थाना गंगापुर में मौजूद है।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) सुपुर्दीगारों ने ट्रेक्टर मुन्सिफ कोर्ट में लाने से तो इन्कार नहीं किया परन्तु वे निश्चित तारीख पेशी पर लापता रहे और ट्रेक्टर भी न्यायालय में पेश नहीं किया।

(4) सर्किल आफिसर गंगापुर द्वारा 15-11-73 को सुपुर्दीगारों से ट्रेक्टर पुनः बरामद कर थाना गंगापुर में लाया गया था।

(5) ट्रेक्टर को पहिले पुलिस ने अपने स्तर पर सुपुर्दगी पर दिया था जो अनुचित था। अतः सुपुर्दीगारों के विरुद्ध धारा 406/34 ता. हि. का अपराध नहीं बना। इसलिए चालान नहीं किया जा सका।

(6) जी हां।

फसल नष्ट किये जाने का शाहपुरा थाने में दर्ज मामला

483. (333/मु. मं.) श्री हनुमान सहाय व्यास (दराठ) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि थाना शाहपुरा जिला जयपुर में अमरसर के श्री सत्यनारायण बुनकर ने फसल नष्ट किये जाने पर कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट पर काफी समय तक (अभी तक) पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 4-9-73 को श्री सत्यनारायण बुनकर साकिन अमरसर ने फसल नष्ट किये जाने बाबत रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

(2) जी नहीं। परिवादी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपराध सं. 136 धारा 448/427 आइ. पी. सी. थाना शाहपुरा में दिनांक 4-9-73 को ही दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान परिवादी द्वारा गवाह व रेकार्ड सबूत समय पर प्रस्तुत न किये जाने तथा तहसील से भूमि की पैमाइश सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण मुकदमा देरीना हो रहा है।

डीडवाना क्षेत्र के अकाल-ग्रस्त ग्राम

484. श्री भोमाराम (डीडवाना): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना क्षेत्र के 58 गांव 10 आना से 12 आना खराबा में जिलाधीश ने माने हैं ? यदि हां, तो इन गांवों को अकाल-ग्रस्त घोषित क्यों नहीं किया गया ? तथा अब कब तक इन गांवों को अकाल-ग्रस्त घोषित कर दिया जावेगा ?

(2) क्या इन गांवों में अकाल राहत कार्य शुरू करवाये जायेंगे । यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नागौर जिले की डीडवाना तहसील में फसल खरीफ सम्वत 2030 में खराबा होने के कारण जिलाधीश ने अभाव स्थिति का प्रतिवेदन भेजा है। इस प्रतिवेदन में तहसील डीडवाना के बाबत 106 गांवों का उल्लेख है । जिलाधीश ने यह प्रतिवेदन विभाग द्वारा निर्धारित परि-पत्र में नहीं भेजा है। अनेक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सूचनाएं उन्होंने उपलब्ध नहीं की है। अब यह सब जानकारी भेजने के लिए उन्हें लिख दिया गया है। पूरी सूचना उप-लब्ध होने के बाद ही उनके इस प्रतिवेदन की जांच की जा सकेगी एवं तदुपरान्त ही आवश्यकता होने की दशा में अभाव स्थिति घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) अभाव स्थिति की घोषणा होने के पश्चात ही राहत कार्यों को चालू करने के मामले पर विचार किया जावेगा ।

तहसील विराटनगर में सड़कों का विस्तार

485. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार 2000 की आबादी से ऊपर वाले ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो जयपुर जिले की तहसील विराट-नगर के किन किन ग्रामों को किन किन सड़कों से जोड़ने का कब तक विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार एवं विभाग के पास (1) मनोहरपुर से प्रताप-गढ़ वाया मेड (2) बैराठ (विराटनगर) से भांतेला वाया छीतोली (3) बिलान्दरपुर से अमरसर (4)बिलान्दरपुर से मनोहरपुर वाया धानोता, राड़ावास (5) नायन से धानोता (6) विशनगढ़ से बाडीजोडी (7) बैराठ से मेड वाया तेवडी एवं बैराठ से पावटा वाया पाछड़ाला आदि सड़कों के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र एवं प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन किन सड़कों के और कब से ?

(3) क्या सरकार तहसील विराटनगर के ग्रामों में सड़कों का विस्तार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस किस का और कब तक ?

उत्तर

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत 2500 आबादी वाले

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

ग्रामों को पंचम पंचवर्षीय योजना में मुख्य सड़कों से जोड़ने की योजना को कार्यान्वित किया जाना है, किन्तु अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः जयपुर जिले के ग्रामों को किन किन सड़कों से जोड़ा जावेगा, अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(2) मनोहरपुर से प्रतापगढ़ वाया मेड़, बैराठ से आंनेला वाया छिंतोली, बिलान्दरपुर से अमरसर, बिलान्दरपुर से मनोहरपुर वाया घालोता, राड़ावास नयाना से धानोता, बिशनगढ़ से बाडी जोडी, बैराठ से मेड वाया तिवडी तथा बैराठ से पावटा वाया पांछु डाला रोड निर्माण हेतु विधायक श्री हनुमान सहाय व्यास के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त सभी सड़कों के प्रस्ताव उपयोगिता, प्राथमिकता तथा जनसंख्या के आधार पर गत कुछ माह से विचाराधीन हैं।

(3) जी हां। धनराशि की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर ही कार्य किया जा सकेगा।

जैतारण क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

486. श्री सुखलाल सैंणचा (जैतारण) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैतारण क्षेत्र में कौन कौन से गांव विद्युतीकरण योजना में आ चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जैतारण क्षेत्र में किन गांवों का विद्युतीकरण हेतु सर्वे हो चुका है? सर्वे हुई योजना में से आगामी वर्ष में किन गांवों का विद्युतीकरण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जैतारण तहसील में जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, उनकी सूची "ए" सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) जैतारण तहसील के सर्वे किये गये गांवों की सूची 'बी' सदन की मेज पर रखदी गई है। अभी विद्युतीकरण के बारे में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

झालावाड़ सिंचाई डिवीजन के ठेकेदारों को भुगतान

487. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सिंचाई डिवीजन झालावाड़ में 1 अप्रेल, 70 से 28 फरवरी, 74 तक के ठेकेदारों के बिलों का भुगतान आज तक भी नहीं किया गया? यदि हां, तो किस किस के और क्यों? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

यह सही नहीं है कि दिनांक 1-4-70 से 28-2-74 तक की अवधि के ठेकेदारों के समस्त बिलों का भुगतान नहीं हुआ। इस अवधि के अन्य बिलों का भुगतान करने के पश्चात् 94 बिलों का भुगतान करना शेष है जिन में से 15 बिलों को पारित किया जा चुका है तथा इनका भुगतान शीघ्र कर

उत्तर

दिया जाएगा। शेष बिलों के पारित न हो सकने के कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) कई ठेकेदारों द्वारा कार्य अधूरे छोड़ देना तथा अब अधूरे कार्यों को पैमाइश के लिए नहीं आना।

(2) कई ठेकेदारों द्वारा कार्य समय पर पूर्ण न करना और न ही कार्य समाप्ति की अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र देना।

(3) कई ठेकेदारों द्वारा कार्य ठीक व स्पेशिफिकेशन के मुताबिक न करना।

(4) कई ठेकेदारों द्वारा कार्य बिना वर्क आर्डर की स्वीकृति के ही आरम्भ कर देना।

(5) कई बिलों की जांच जारी होने के कारण भुगतान न किया जा सकना।

बादीपुरा तालाब

488. श्री रामगोपाल (खंडार): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बादीपुरा तालाब तहसील किशनगंज, जिला कोटा को ऊंचा करने के लिये संबंधित क्षेत्र की जनता द्वारा विभाग को लिखित सूचना देकर मांग की गई है? यदि हां, तो आज तक विभाग द्वारा इस संबंध में क्या क्या कदम उठाये गये है? अब तक की सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां।

बादीपुरा तालाब का निर्माण कोटा राज्य के समय में गांव को केवल पीने का पानी उपलब्ध करवाने हेतु किया गया था। वर्ष 1953-54 में इसकी दीवारों को ऊंचा किया गया था। जिससे इसमें 60 एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी थी? वर्ष 1968 में पुनः इस को 1½ फीट और ऊंचा उठाया गया जिससे इसकी सिंचाई क्षमता 170 एकड़ हो गई। इस तालाब की दीवारों को 5 फुट और ऊंचा उठाने के प्रस्ताव का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिससे इस की सिंचाई क्षमता 600 एकड़ हो जाने की सम्भावना है। इसका तखमीना पूर्ण किया जा रहा है।

डीडवाना क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिये बिजली

489. श्री भोमाराम (डीडवाना): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि डीडवाना क्षेत्र के गांवों में कृषि के लिये बिजली की अनियमित लाइनें दी गई हैं? यदि हां, तो उन्हें ठीक करने का क्या प्रावधान रखा गया है? और अब कब तक कार्य शुरू कर पूरा कर दिया जावेगा?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगनहर से सिंचाई

490. श्री गुरुदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगनहर की 1970-71, 71-72, 72-73 व 73-74 में कौन कौन सी नहर

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

कब कब कितने दिन फसल रबी व खरीफ के दौरान चली ? और चक 10 डब्ल्यू तहसील करनपुर में उपरोक्त फसलों में खातेवार कितनी कितनी प्रतिशत सिंचाई हुई ?

(स्थगित किया गया)

राज्य-क्रीड़ा परिषद् के सदस्यों की यात्राओं पर व्यय की गई राशि

491. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान क्रीड़ा-परिषद् के गठन से आज तक इसके किस किस सदस्य ने कहां की यात्राएं कीं तथा उसको कितना कितना यात्राओं का भत्ता दिया गया ?

(स्थगित किया गया)

राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा जिला संघों को दिया गया अनुदान

492. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा जिला खेल परिषद् को पिछले पांच वर्षों में कितना आर्थिक अनुदान जिला संघों के लिये दिया गया और उनमें से कितनी रकम वापिस लौटा दी गई ?

(2) जिला खेल परिषदों का गठन कब किया गया था ? क्या उसके बाद पुनर्गठन किया गया ?

(3) 1972-73 व 1973-74 में किन संस्थाओं, क्लबों, व्यायाम शालाओं को राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा सीधा अनुदान व सहायता दी गई ?

(स्थगित किया गया)

राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय शाहपुरा की प्रधानाध्यापिका की योग्यता

493. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीमती चन्द्रा माथुर, प्रधानाध्यापिका, राजकीय मा. बा. विद्यालय शाहपुरा (भीलवाड़ा) ने राज्य सेवा में किस वर्ष किस विभाग में प्रवेश किया, उस समय उनकी क्या योग्यता थी, और उसके बाद आज तक वे कहां कहां किन किन विभाग व स्थान में कब कब रहीं और उनकी आज क्या शैक्षणिक योग्यता है ? इस अवधि में उन्होंने कौन कौन सी परीक्षाएं किन किन वर्षों में किन की स्वीकृति या आज्ञा से दी है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जिन जिन स्थानों पर रही हैं वहां से इनके विरुद्ध शिकायतें कब कब किस किस की क्या क्या आई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) श्रीमती चन्द्रा माथुर की नियुक्ति दिनांक 23-9-57 को महिला समाज शिक्षा संयोजिका के पद पर पंचायत समिति बस्सी में हुई थी। नियुक्ति के समय श्रीमती माथुर अस्नातक थीं। श्रीमती माथुर ने जिन जिन स्थानों पर कार्य किया है उसकी तालिका संलग्न है। वर्तमान में इनकी शैक्षणिक योग्यता एम० ए०, बी० एड० है। श्रीमती माथुर द्वारा राज्य सेवा में आने के उपरान्त

Page No 33

(33)

(श्री शिक्षा मंत्री)

दी गई परीक्षाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	वर्ष	विश्वविद्यालय	स्वीकृति जहां से प्राप्त की
(1)	एस. ई. ओ. टी. सी.	1958	समाज शिक्षा ओर्गेनाइजर प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ (उ. प्र.)	उपनिदेशक समाज शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
(2)	बी. ए.	1960	आगरा विश्वविद्यालय	विकास अधिकारी पंचायत समिति, बस्सी
(3)	एम. ए. (समाज शास्त्र)	1962	,,	,,
(4)	बी. एड.	1966	जोधपुर विश्वविद्यालय	निदेशक, शिक्षा विभाग बीकानेर

(2) प्राथ. एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में श्रीमती चन्द्रा माथुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण जिस में किस किस के द्वारा कब कब शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

बी. एस. टी. सी. के लिये उम्मीदवारों का चयन

494. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 1973 से प्रारम्भ होने वाले बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग सत्र के लिए, सब जिलों के उन उम्मीदवारों जिन्होंने निश्चित तारीख तक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिए थे, में से ही चयन किया गया था ? अगर हां, तो क्या नागौर जिले में भी इस प्रकार का चयन किया गया था और उन्हें कुचामन ट्रेनिंग कालेज में भेजा गया था ?

(2) नागौर के कुचामन ट्रेनिंग कालेज के लिये कुल कितने उम्मीदवार थे व कितनों का किस आधार पर चयन किया गया ? नामों की सूची मय पता, स्कूल के नाम, योग्यता व श्रेणी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या समस्त राजस्थान के ट्रेनिंग कालेजों के लिये चयन करने की आधार रेखा एक ही थी अथवा हर जिले में चयनित कमेटी की बनाई हुई उनकी सुविधा के अनुसार ?

(4) नागौर जिले में चयनित की गई लिस्ट कब आउट की गई ? उसमें कितने ट्रेनिंग के लिये लिए गये व कितने रिजर्व रखे गये थे ? लिस्ट सदन की मेज पर रखें।

Page No 34

(34)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

(5) इन चयनित में से कितने लोगों ने ट्रेनिंग जॉइन करली थी व किस तारीख को ?

(6) क्या इन प्रशिक्षकों में से कुछ लोगों को बाद में कुछ न कुछ कारण लगाकर प्रशिक्षण से हटा दिया गया था ? अगर हां, तो कितनों को, किस किस तारीख को, किस किस कारण से ? नाम सहित, कारण सहित जिनसे उनको हटाया गया सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या इन प्रशिक्षकों को हटाने के बाद कुछ और लोगों को प्रशिक्षण हेतु लिया गया ? अगर हां, तो उनके नाम, तारीख लेने की सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या इन नये लिये गये प्रशिक्षकों के प्रार्थना-पत्र पहिले से कार्यालय के पास थे अथवा बाद में लिये गये ? अगर बाद में लिये गये तो किस कारण से ? अगर पहिले से थे तो किस कारण उनका चयन नहीं किया गया था ?

(9) निकाले गए प्रशिक्षकों ने कितने दिन प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था ? क्या उनमें कुछ एक को पुन: कुछ दिन तंग करने के बाद ले लिया गया था, पर फिर भी कुछ प्रशिक्षकों को नहीं लिया गया जो अभी तक भटक रहे हैं ?

(10) क्या ऐसा नियम लागू है कि ट्रेनीज जिले के बाहर के न हों ? क्या जिले का रहने वाला अगर कोई बोर्डर की स्कूल में शिक्षा ले तो क्या उसका जिला बदल जायेगा ?

(11) अगर जिले के बोर्डर का रहने वाला कोई भी विद्यार्थी पास ही दूसरी जिले की स्कूल में पढ़ता है तो उसका जिला निवास स्थान से माना जावेगा या स्कूल जहां पढा, माना जावेगा ?

(12) क्या यह सही है कि साइन्स वाले विद्यार्थियों को चयन में प्राथमिकता दी गई थी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2 कुल उम्मीदवार 1211 इसमें से 200 आशार्थी मूल सूची में और 97 आशार्थी आरक्षित सूची हेतु चयन किये गये। सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) दिनांक 31-7-73 को। प्रशिक्षण में लिये गये आशार्थी एवं आरक्षित आशार्थियों की संख्या निम्नानुसार हैं। सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है:—

अनुसूचित जाति/जनजाति		महिला		अन्य	
चयनित	आरक्षित	चय०	आ०	चय०	आ०
35	35	18	—	147	62

(5) जिन लोगों ने प्रवेश ले लिया था उसके प्रवेश तिथि सहित सूची 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी हां। 6 आशार्थियों को उप-निदेशक जोधपुर के आदेश से हटाये जाने का कारण एवं दिनांक सूची में अंकित है। सूची 'द' सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 35

(35)

(श्रीशिक्षा मंत्री)

(7) जी हां। सूची 'ई' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(8) जी हां। वरीयता सूची की उपनिदेशक, जोधपुर द्वारा जांच करने तथा संशोधन होने के कारण अधिक अंक पाने वाले आशार्थियों को बाद में प्रवेश दिया गया।

(9) जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण से हटाये गये थे उन्होंने 20 दिन तक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 21 प्रशिक्षणार्थियों को नोटिस दिया गया था, वे प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे थे। प्रशिक्षणार्थियों को किसी भी भांति तंग नहीं किया गया। ये वर्तमान समय में प्रशिक्षणालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। संशोधित वरीयता सूची में नोटिस दिये गये प्रशिक्षणार्थियों के नाम नहीं थे।

(10) जी हां। यह सही है।

(11) एस. टी. सी. में प्रवेश हेतु आशार्थी का जिला स्कूल जहां पढ़ता है, वह माना जावेगा।

(12) विज्ञान विषय के आशार्थियों को 5 अंक अधिक देने का नियम में प्रावधान है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आबू रोड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

495. श्री भूराराम (आबू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आबू रोड में सन् 1972-73 में कुल कितने कितने विद्यार्थी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा पाते थे ?

(2) कितने विद्यार्थियों को सन् 1972-73 में कितनी कितनी छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी ? तथा कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया और कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर भी इस लाभ से वंचित क्यों रहे ? सूची नाम व कक्षावार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस देरी की जांच करवा रही है ? यदि हां, तो इसमें दोषी कौन हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) व (2) सन् 1972-73 में रा. उ. मा. विद्यालय, आबू रोड़ में कुल 111 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थी विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा पाते थे सूची सलंग्न है। इनमें से 24 विद्यार्थियों को 1972-73 में छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी। 13 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया एवं 11 विद्यार्थियों को 8 माह की छात्रवृत्ति का भुगतान प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं किया गया। कारण की जांच की जा रही है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। जांच उपरान्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-4-74)

राजकीय सचिवालय में स्थानान्तरण होकर आये कर्मचारियों की सीनियोरिटी

662. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय सचिवालय में किस किस पद पर कौन कौन कर्मचारी कब कब किस किस विभाग से स्थानान्तरण होकर आये ?

(2) ऐसे स्थानान्तरणों पर आये कर्मचारियों की सीनियोरिटी किस तरह निर्धारित की गई ?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय सचिवालय में समस्त पदों का क्लोज केडर कर दिया गया है ? यदि हां, तो कैसे, कब व क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राजकीय सचिवालय में ऐसे स्थानान्तरित कर्मचारियों की सीनियोरिटी जिस दिन से वे ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, उस दिन से मानी जाती है ? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से कर्मचारी हैं ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए है ? यदि हां, तो कृपया नियमों की आज तक की संशोधित प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) राजकीय सचिवालय से कब कब कौन कौन कर्मचारी किस किस विभाग में स्थानान्तरण होकर गये तथा उनका लियन कैसे और कब तक रखा गया ?

उत्तर

(1) सूचना एकत्रित की जा रही है जिसमें 6 माह लगने की सम्भावना है।

(2) इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न 1 के उत्तर पर ही निर्भर करता है, जिसकी सूचना एकत्रित की जा रही है जिसमें 6 माह लगने की सम्भावना है।

(3) जी नहीं। समस्त पदों का क्लोज केडर नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण दूसरे कार्यालयों से सचिवालय में हो सकता है। मंत्रालयिक सेवाओं के लिये भी बाहर से सचिवालय में आने के सीमित प्रावधान (Limited provision) मौजूद हैं।

(4) जी नहीं। संबंधित नियमों के अनुसार वरिष्ठता तय की जाती है। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी वरिष्ठता किसी कारणवश उनके सचिवालय में कार्यभार सम्भालने की तिथि से मानी गई हो उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है जिसमें 6 माह लगने की सम्भावना है।

(5) जी हां। नियमों की तथा उनमें किये गये अब तक के संशोधनों की प्रति पूर्व में ही तारांकित प्रश्न सं० 298/मु० मं० के उत्तर के साथ भेजी जा चुकी है।

(6) सूचना एकत्रित की जा रही है जिसमें 6 माह लगने की सम्भावना है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-74 एवं 27-3-74)

हिन्दी और राजस्थानी भाषा की उपलब्धियां

141. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हिन्दी भाषा और राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्या उपलब्धियां रहीं ?

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना में इस हेतु क्या प्रावधान रखे गये हैं ?

उत्तर

(1) हिन्दी भाषा, राजस्थानी भाषा तथा इनके साहित्य के विकास और उन्नयन का कार्य राज्य द्वारा "राजस्थान साहित्य अकादमी" को सौंपा हुआ है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में अकादमी को इस कार्य के लिए 12 लाख 38 हजार 50 रुपये का अनुदान दिया गया था जिससे अकादमी ने साहित्यिक संस्थाओं को उनके कार्य के लिये दिये, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं को सहायता दी, सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के लिए पुरस्कार दिये तथा पुस्तक प्रकाशित की। अब तक हिन्दी में 1,23,256 रुपये की लागत की और राजस्थानी में 10,320) रुपये के लागत के प्रकाशन निकल चुके हैं।

इसके अतिरिक्त अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता भी दी गई तथा साहित्यिक उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए राज्य की साहित्यिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई। पिछले दो वर्षों से राजस्थानी साहित्य संगम स्वतंत्र रूप से किन्तु अकादमी के तत्वावधान में बीकानेर में स्थापित किया गया है जिसको अब तक 1,23,554.10 की सहायता दी गई है।

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उपर्युक्त कार्यों के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है और इसके अतिरिक्त योजना भिन्न मद में 1,80,000/- रुपये का प्रावधान रखा गया है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-74)

जिला जालोर को सीमेन्ट का कोटा

164. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर को इस वर्ष सीमेंट का कोटा पर्याप्त मात्रा में न दिये जाने के कारण काश्तकारों को कृषि कार्यों के लिए समय पर सीमेंट प्राप्त नहीं हुआ ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं तो पिछले छः माह में किस किस महीने में कितना कितना सीमेंट का कोटा दिया गया एवं उसका वितरण पंचायत समितिवार किस प्रकार किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार जिला जालोर में सीमेंट की कमी दूर करना एवं प्राप्त सीमेंट वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की जावेगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के लिए निर्धारित कोटे की उपलब्धि को दृष्टिकोण में रखते हुए पर्याप्त सीमेंट जालोर जिले के लिए वितरित किया गया है।

(श्री उद्योग मंत्री)

पिछले छः मास में दिये गये तथा उस के वितरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अधिक उपलब्धि के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्रियों से जिलों में आवंटन अनुसार सीमेंट न पहुंचने की सूचना प्राप्त होने पर यह निश्चित किया गया है कि भविष्य में निदेशक, उद्योग द्वारा आवंटन करने के एक माह पश्चात् क्षेत्रीय सीमेंट अधिकारी, उद्योग विभाग तथा सीमेंट फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग होगी जो इस विषय में जिलेवार फैक्ट्रियों का कोटा निर्धारित करेगी एवं प्रगति का सिंहावलोकन कर उचित कार्यवाही करेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-74)

विभिन्न अस्पतालों में पड़ी हुई खराब मशीनें

289. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किस किस अस्पताल में कौन कौन-सी मशीन, एप्रेटस और एप्लाएन्सेज कब कब से उपयोग में नहीं आ रही हैं और क्यों? उनकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त मशीन की मरम्मत एवं इनको सुधारने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) इस कार्य के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रुपया 15,00 लाख का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त हर साल नान प्लान के मद में कुछ धनराशि इस कार्य के लिए दी जाती है। वर्ष 1974-75 में नॉन प्लान (आयोजना-भिन्न व्यय) मद में इस कार्य के लिए 22.24 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-74)

टीन की चद्दर का परमिट

296. श्री केशरदेव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक, उद्योग विभाग, चूरू के द्वारा कई फर्मों को टीन चद्दर का परमिट दिया गया है? अगर हां, तो किस पार्टी को कब कितना किस कार्य हेतु दिया गया है? पूर्ण नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उप निदेशक ने दिनांक 18-12-73 से कहां कहां तथा किस कार्य हेतु यात्रा की? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि महावीर आइरन वर्क्स, आइरन सेफ मेन्युफैक्चरिंग, चूरू आइरन इण्डस्ट्रीज, न्यू आइरन तोषन वाटर रेडियो के नाम की चूरू में फर्में हैं? अगर हां, तो कब से तथा इन्हें टीन चद्दर का कब कब कितना कोटा दिया गया तथा

Page No 39

(39)

(श्री केशर देव)

मालिक फर्म व प्रोपराइटर का नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

क-ख

सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां।

ग. घ.

सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-3-74)

जयपुर जिले की पंचायत क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

334. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के कुछ ग्रामों में आयुर्वेद औषधालय, डिस्पेंसरी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, फेमिली प्लानिंग सेन्टर, विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के केन्द्र स्थापित किये हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं हों।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की अनेकों पंचायतों के क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधायें नहीं हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से ऐसे ग्राम पंचायत क्षेत्र हैं जहां पर कि न तो आयुर्वेदिक औषधालय हैं और न ही स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं और न ही परिवार नियोजन केन्द्र हैं और न ही मेडिकल डिस्पेंसरी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस संबंध में कोई निश्चित नीति निर्धारित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस आधार पर ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार भविष्य में कोई सब सेन्टर, डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक औषधालय आदि स्थापित किये जाने में पंचायत मुख्यालय को प्राथमिकता देने पर विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार सेकण्डरी और हायर सेकण्डरी स्कूलों के साथ साथ उन्हीं स्थानों पर मेडिकल डिस्पेंसरी खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-3-74)

बीकानेर जिले में अकाल राहत का सामान

374. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (मोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(1) बीकानेर जिले में अकाल राहत के समय सन् 1968 व 1969 में किस किस कैम्प पर कितनी कितनी कड़ाई, फावड़े, पानी के ड्रम, गेंती व लोहे की दस फुटी टीन मजदूरों के छपरे बनाने के लिये किस किस ग्राम में कितना 2 उपरोक्त सामान किस किस ओवरसीयर के मारफत राहत शिविरों पर दिया गया ? राहत शिविरों एवं गांवों का नाम तथा तादाद वस्तु दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राहत कार्यों की समाप्ति के बाद उक्त सामान पी. डब्ल्यू. डी. स्टोर बीकानेर में आज तक जमा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा किस किस व्यक्ति के नाम उक्त सामान बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वांछित सूची संलग्न है।

(2) यह कहना सत्य नहीं है कि सामान पी. डब्ल्यू. डी. स्टोर में जमा नहीं हुआ है। कुछ अधिदर्शकों में सामान शेष है, जिनकी सूची (ब) संलग्न प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर की तहसील गंगापुर के एक ग्राम छोटी उदई स्थित ग्राम सहकारी समिति के चुनाव के समय चुनाव-अधिकारी के साथ किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में,

(2) श्री रामलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील बाड़ी के तहसीलदार द्वारा सरकारी कोटा की 128 बोरी चीनी को ब्लेक में बेच देने के विषय में,

(3) सर्व श्री मोहम्मद गफ्फार अली, केदारनाथ व रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर में बोहरा यूथ एसोसियेशन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस द्वारा फौजदारी के मुकदमें लगा देने के विषय में,

इन तीनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(माननीय सदस्यों द्वारा हंसी)

कल मैं निर्णय बदल दूंगा। आज आज तो रहेगा।

श्री रामकिशन : कल भी कुछ जानकारी में भेजने हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपके हुकुम का नौकर हूं, जो कुछ कहेंगे, कर दूंगा।

(4) श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला भरतपुर में राष्ट्रीयकृत बस मार्गों पर राज्य सरकार के आश्वासन के बावजूद निजी बसों के चालकों और परिचालकों को रोडवेज में नहीं लगाने के विषय में। सदन में आज बसों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में एक विधेयक पर चर्चा

(श्री रामकिशन)

लड़कियां शादी करने के इन्तजार में बैठी हैं और उनका इजाजत नहीं दी जा रही है। अब सवाल यह है।

श्री गोपाल जोशी : मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी !

श्री रामकिशन : कौन बोल गया ?

श्री गोपाल जोशी : मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी।

श्री अध्यक्ष : आप फरमायें।

श्री रामकिशन : ठीक है। स्थिति यह है, उनको इजाजत मिलनी चाहिए, इजाजत शादी के लिए, दफन के लिए और बहुत से मसले हो सकते हैं, जिनमें इजाजत देनी हो। स्थिति यह है कि इजाजत के लिए इन्तजार कर रहे हैं उनको नया रास्ता अख्तियार करना चाहिए। शादी करनी है तो बगैर इजाजत के भी शादी की जा सकती है। एक स्थिति यह है, दूसरी बात मैं नहीं समझ पाता हूं, आज के युग में जो इस प्रकार की पाबन्दी लगाई जा रही है वह कहां तक जायज है। मुझे यहां तक बताया गया है, जब कभी कोई मर जाता है तो एक चिट्ठी दी जाती है सिफारिश की और उसके लिये पैसा लिया जाता है। उस चिट्ठी में यह कहा जाता है, जो गलती हो वह माफ करना और स्वर्ग में भेज देना। इस प्रकार की बात है वह आज के युग में····

श्री अध्यक्ष : पहले आ चुका है। आज पुलिस वाला मामला है।

श्री रामकिशन : इससे ही पुलिस का उलझा है मामला।

श्री अध्यक्ष : इसके कारण बहुत हैं। पर नतीजे पर बात कहें।

श्री रामकिशन : आ वहीं रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कन्जरवेटिव थोट उनके विरोध में, उनमें संशोधन कराने के लिए संघर्ष करते हैं, तो हमें यह देखना है कि राज्य सत्ता का प्रयोग ऐसे लोगों के खिलाफ तो नहीं है, जो किसी प्रकार क्रांति और परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

और इस दृष्टि से जो पुलिस ने केसेज बनाये हैं सचमुच में ऐसे अपराधी हैं कि उनको सजा मिलना जरूरी है, सदन भी नहीं चाहेगा कि उन अपराधियों को क्षमा कर दिया जाय। लेकिन जो संशोधन के लिये संघर्ष करते हैं उनके लिये पुलिस का इस्तेमाल हो और हालात को बिगाड़ दें तो इसमें सम्भावना बिगाड़ की ज्यादा रहती है। एक सम्प्रदाय का अपना सोचने का तरीका हो सकता है और उसमें सुधार करना चाहिये यह हमारी आकांक्षा हो सकती है लेकिन झगड़े बढते रहें और स्थिति में बिगाड़ होता रहे तो राज्य सरकार को एक तमाशा नहीं बनने देना चाहिये। दोनों सम्प्रदायों को बुलाकर उनको समझाने बुझाने का तरीका भी हो सकता है। पुलिस से सुलझेंगे नहीं ये मामले और दंगे और फैलेंगे आगे यह हो सकता है। इसलिए मेरा यह निवेदन करना है कि राज्य पक्ष को सुधारवादी पक्ष को बल देते हुए इस मामले को किसी प्रकार हल किया जा सके इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में पहले भी इस सदन में इसकी चर्चा हुई थी। वहां पर उदयपुर

Page No 42

(५२)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में उस बात के बावजूद इस सदन की भावनाओं के विपरीत भी जैसी सूचना मिली है उसी तरीके को पुराने परम्परावादी हैं उन्होने उसको जारी रखा है और बाद में भी इसको लेकर तनाव पैदा हुआ। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसको दफनाने के बारे में भी बाद में ही कार्यवाही हुई। सदन ने गम्भीरता से इस प्रश्न को लिया था। और अपील की थी किन्तु ओर्थोडेक्स विचारों के जो व्यक्ति हैं उससे प्रभावित न होकर वे उसी प्रकार उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आज यहां केवल यह कह कर नहीं चला जा सकता कि यह सदन हस्तक्षेप नहीं करता है। पुलिस के मामले के केस आते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। उसको रजा मिली नहीं। उसको यदि दफन करना चाहें तो ओर्थोडेक्स परम्परावादियों के जो फोलोअर्स हैं वे रोकेंगे और उनको श्मशान भूमि में नहीं जाने देंगे और झगड़े पैदा होंगे। माइनोरिटी वाले इसको असर्ट करेंगे लेकिन रूढीवादी लोग नहीं मानेंगे और कहेंगे कि रजा नहीं मिली इसलिए इसको दफनाने नहीं देंगे। राज्य सरकार की सत्ता कायम नहीं होगी। आया कि राज्य-सत्ता खड़ी रहे और तमाशा देखती रहे या विजिलेंट रहे? आप तमाशा देखते हैं तो आप उनको मजबूर करते हैं कि वे रजा लें उनकी शर्तों पर और राज्यसत्ता उनकी मर्जी के खिलाफ दखल करके सुधारवादियों का पक्ष ले तो भावनायें सदन के सामने आयी हैं। ये जितने भी केसेज हुए हैं उनकी बुनियाद ओर्थोडिक्स लोगों के द्वारा जो उनकी ओर्थोडेक्सी को नहीं मानते हैं उन पर लादा जा रहा है। वे कहते हैं कि हम भी रजा नहीं लेते हैं। वे ओर्थोडिक्सी लोग कहते हैं कि तुमको रजा लेनी होगी। जबरदस्ती में किसी को प्रगतिशील नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार खामख्वाह एक तनाव की स्थिति पैदा की जा रही है और अमन में खलल पैदा करे तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो कि जोर जबरदस्ती से परम्परावाद को और रूढ़िवाद को लोगों पर थोपना चाहते हैं।

कल प्रेस कान्फ्रेंस की। उसमें कहा कि इस प्रकार का हस्तक्षेप होता है तो इसके लिये कानून भी बनना चाहिये और कानून सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट बनाये। राजस्थान में इस प्रकार की रोजमर्रा समस्यायें पैदा हो रही हैं। राजस्थान सरकार को इनिशियेटिव लेकर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को कहना चाहिये। ताकि इस प्रकार का तनाव पैदा न हो और कोई उन पर सामाजिक सेंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सके इस तरह का हाईकोर्ट का फैसला है कि यदि कोई व्यक्ति कोई काम करे तो उसके लिये उसको जाति के बाहर नहीं किया जा सकता है। यह क्रिमिनल कोड की सैंक्शन से भी ज्यादा जोरदार होता है। यदि समझाने बुझाने से नहीं मानते हैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को इसमें इन्टरवीन करना चाहिये कानून के जरिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न बार बार सदन के प्रांगण पर आता है। मैं भी उदयपुर का रहने वाला हूं, माननीय राज्य गृह मंत्रीजी भी उदयपुर के रहने वाले हैं और माननीय देवपुराजी उदयपुर से बहुत सम्बन्धित हैं।

श्री गुमानमल लोढा : आप (श्री भानुकुमार शास्त्री) उदयपुर को रिप्रीजेन्ट करते हैं विधान सभा में।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वे यहां किस ढंग से करते हैं। मैं तो अभी अपने ढंग से कह रहा हूं।

तीनों व्यक्तियों के सामने उदयपुर की जनता का प्रश्न है। जनता इसलिये कहता हूं कि यह बोहरों का ही प्रश्न नहीं है। आम जनता को इस प्रश्न ने उद्वेलित कर रखा है। राज्य मंत्री जी बार बार उदयपुर जाते हैं प्रयास करते हैं। आप अन्तिम प्रयास क्या कर रहे हैं जिससे स्थिति सुधर जाय? मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता संवेदना के प्रति सद्भावना रखते हुए कहना चाहता हूं कि यह कोअर्शन नहीं चलना चाहिये। मुर्दे के हाथ में चिट दे दी गई तो वह जन्नत में चला जावेगा। और फिर यह खबर दी जाती है कि आत्मा जन्नत में पहुंच गयी है। कुछ दिनों पहले एक मुर्दे के हाथ में चिट दिया। एक आदमी ने उस मुर्दे के हाथ से तरकीब से चिट ले ली। उसने कहा कि चिट मेरे पास है। तो कह दिया गया कि मुर्दा जन्नत में नहीं गया। दो हजार रुपया लिया वह वापिस चुकाना पड़ा। यह सब चीटिंग में आता है। मुर्दे के हाथ में चिट जाय तब तो जन्नत में चला जाता है और चिट न जाय तो जन्नत में नहीं जाता है। राज्य गृह मंत्रीजी यह चीटिंग में आता है। साफ चीटिंग है। कोअर्शन है। उसको रोका जाना चाहिये।

महाराष्ट्र गवर्नमेन्ट ने भी सामाजिक बहिष्कार विधेयक, 1949 निकाला है और महाराष्ट्र गवर्नमेन्ट विचार कर रही है। यह पाबन्दी हो और समाज बहिष्कृत होकर चले। यह समाज और जनता का विषय है। यदि माननीय राज्य गृह मंत्रीजी इस सम्बन्ध में इन्ट्रेस्टेड हों कि दोनों में लड़ाई चलती रहे तो अलग बात है। यदि शान्ति चाहते हैं तो दोनों ओर से जो मुकदमे चलाये गये हैं वे विड्रा किये जायं और सक्रिय रूप से बैठ कर किसी न किसी रूप से इसको सुलझायें। कुमारियां यहां आकर प्रेस कान्फ्रेन्स करें। यह बुरा प्रसंग है। उस नगर के सम्मान की दृष्टि से, उसकी संस्कृति की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से और आप स्वयं उस इतिहास से सम्बन्धित हैं। उससे विलग नहीं हैं। इसलिये आप गृह और शक्तावत दोनों का उपयोग आप करगे इस सम्बन्ध में।

श्री जोंथिग : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिरण नदी के बान्ध के सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। यह बान्ध कुशलगढ़ से दक्षिण हिस्से में बान्धने के लिये सर्वे किया जा रहा है। सर्वे पार्टी ने बेली की लाइन डाली है। एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से मिलाने के लिये डाली है। अगर इस स्थान पर बान्ध बनाया गया तो कम से कम 15/20 गांवों का सत्यानाश हो जावेगा। हजारों लोग बेघर-बार हो जावेंगे। इस बान्ध से इसके बदले में जो लाभ मिलने वाला है वह बिलकुल जीरो होगा। इसका कारण यह है कि पास में ही दूसरा एक कलिंजर का बान्ध है। इस बारे में मैंने सदन में प्रश्न भी पूछा था उसका जो जवाब मिला है उसके अनुसार इस बान्ध पर अकाल के समय 1 लाख 84 हजार 905 रुपया खर्च हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : सर्वे नहीं कराना चाहते तो मन्त्रीजी से बात कर लें।

श्री जीथिंग : तो जिस बान्ध से लाभ कुछ न हो। उल्टे हजारों आदमी बेघरबार हों यह गलत है। मन्त्रीजी इस पर विशेष ध्यान देकर इस सर्वे को तुरन्त रुकवाएं और जिस तालाब पर खर्चा किया गया है वह सही जगह पर है उससे काफी लाभ होगा उसको और ठीक कराने का काम हाथ में लिया जावे। यह मेरा कहना है।

श्री रामलाल (बाड़ी) **:** अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। कल सदन भी समाप्त हो जावेगा। उसका इसलिये जल्दी ही उत्तर दिलावें।

तहसील बाड़ी में 128 बोरी चीनी रूपवास से मंगवाई और बीस बाईस दिनों से वह पड़ी है पर जनता में बांटने का काम नहीं किया जा रहा है। बाड़ी क्षेत्र में हंगामा मच रहा है। आप कब तक जानकारी मांगेंगे। क्या मांगेंगे। उसको 30-3-74 को डीलर से मिलकर ब्लैक में बिकवा दिया। इसके लिये जल्दी से दोषी व्यक्ति को दण्ड दिलाया जावे और जनता में वह चीनी बटवाई जावे।

श्री रामसिंह कुड़ी : मेरे प्रस्ताव का कल उत्तर दिलवाना है।

श्री अध्यक्ष : मुझ से मेरे चेम्बर में आप मिल लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर के विधायक के नाते इस बारे में मैं भी जो जानकारी रखता हूं उसे संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा।

पिछले दो वर्षों से बोहरा कम्यूनिटी के दो गुटों का यह संघर्ष चल रहा है। दफनाने के मामले को लेकर और शादी की रजा के मामले को लेकर। पहले भी यह प्रश्न एक बार सदन में आया था और आज भी आया है, पुलिस के मुकद्दमों के बारे में। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि यह मामला गलत रूप से रिप्रेजेन्ट किया जा रहा है।

मैं स्वयं उदयपुर का हूं। इसी मामले की जानकारी लेने के लिये यहां था तब वहां गया और बोरवाड़ी का वह मकान देखा जो जला हुआ टूटा फूटा तोड़ा फोड़ा हुआ था वह नानाभाई कुराबर वाले का मकान था। मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे यह बताया जावे कि उस मकान से सैयदाना का क्या है? वे रजा देने वाले हों, न हों। उनका इस मकान से कोई लेना देना नहीं। मैं इस विवाद में भी नहीं जाना चाहता कौन प्रगतिशील विचारवाला है, कौन नहीं। रिलीजन में उनके क्या होना है, क्या नहीं, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई प्रगतिशील हो तो वह उसके अनुसार चले, न हो वह अपनी मान्यता के अनुसार चले। पर जो प्रगतिशील अथवा अप्रगतिशील है, एक दूसरे के विचारों को नहीं मानता इसलिये नहीं मानने वाले के घर को जाकर दूसरा जला डाले, तोड़ फोड़ डाले, आग लगा दे, दरवाजा तोड़ दे, बिजली का कनेक्शन काट डाले, उसके घर को तबाह कर दे यह किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार में इजाजत नहीं दी जा सकती। डेमोक्रेटिक सरकार इस तरह की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। मैं झगड़े की डिटेल की बात नहीं जानता, मैं जाना चाहता हूं उसमें कि किन कारणों से

(श्री अध्यक्ष)

की जा रही है अतः माननीय सदस्य उस समय इस प्रश्न को उठा सकते हैं ।

श्री रामकिशन : माननीय मन्त्रीजी को बाध्य कर दें जवाब देने को.......

श्री अध्यक्ष : (5) सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल व केशरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 7 अप्रेल को बीकानेर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले एक व्यापारी को रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद छोड़ देने के विषय में। सदन में आज खाद्य नीति के प्रश्न पर जो चर्चा हो रही है उस समय माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठा सकते हैं........

श्री मीठालाल : चर्चा होगी या आध घंटे की चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष : (6) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 18 मार्च को कस्बा आमेर की ढाणी परगान के एक निवासी जगन्नाथ पुत्र श्री प्रभात की पत्नी को मारपीट कर कुंए में डाल देने के विषय में।

(7) श्री जीथिंग, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला बांसवाड़ा तहसील कुशलगढ़ में हरत नदी पर बांध की सर्वे को रोकने के विषय में,

(8) श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से चम्बल मैनेजमेंट बोर्ड में एक अधीक्षक अभियन्ता को 3 वर्ष की सेवा वृद्धि करने के विषय में,

(9) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से दौसा के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों को इस वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिलने के विषय में,

ये सब प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अत: मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): अध्यक्ष महोदय दौसा कालेज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के 200 छात्र पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है और उसमें एक भी छात्र को इस वर्ष छात्रवृत्ति नहीं दी गई और जो अप्रोच किया गया उसका जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया और कॉलेज के जितने अधिकारी हैं, उन लोगों का नहीं है। जो छात्र वहां पढ़ रहे हैं बहुत परेशान हैं जबकि कान्स्टीट्यूशनल सब लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिये थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों में से एक को भी छात्रवृत्ति नहीं दी गई इसलिए मैं खासतौर से मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा वे स्वय दिलचस्पी लेकर निपटारा करें। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति न देकर सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कोई आन्दोलन शुरू हो उससे पहले स्वयं मन्त्री महोदय दिलचस्पी लेकर निर्णय दे दें ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बच्चों का नुकसान न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उसके बारे में आपने यह व्यवस्था दी है कि खाद्य पर जब बहस हो उस समय उसका उत्तर दे दें। मेरा निवेदन है अब यह प्रश्न खाद्य विभाग से सम्बन्धित न होकर पुलिस विभाग से इसका सम्बन्ध हो गया है, क्योंकि यह क्राइम

Page No 46

(५६)

(श्री रामनन्द अग्रवाल)

बन चुका है, अब क्राइम का सवाल है। बीकानेर में 7 अप्रैल को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जब पता लगा सोहनलाल विद्याधर मोदी हल्दी में पीली मिट्टी मिलाने और मसालों में मिलावट करने वालों पर कार्यकर्ताओं को लेकर छापा मारा तो जो हल्दी मिली है उसमें पीले रंग की मिट्टी मिली हुई पाई गई है और उस हल्दी के थैले को गन्दे नाले में डाल दिया गया। कार्यकर्त्ता वहां पहुंच गये और गन्दे नाले के अन्दर से थैले को लेकर, अध्यक्ष महोदय, उसको पकड़ लिया। मेरे पास फोटो की कापी है, जिसमें थैले के अन्दर हल्दी है, हल्दी पड़ी हुई है। दो घंटे तक उसको पकड़ कर सूचना दी गई, वहां पर सूचना दी गई और खुद नगर दण्ड नायक वहां पर आये, और उन्होंने आकर उसको पकड़ा, और नमूना लिया, और गोदाम को सील किया। अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर की तरफ से आश्वासन दिलाया गया कि गिरफ्तार करते हैं डी. आई. आर. के तहत। जो तीन चार आदमी थे, उनको गिरफ्तार करने की बात का आश्वासन दिलाया। जो दुकानदार वहां था, वह कहीं जाकर छिप गया। उनके लड़के को पुलिस थाने के अन्दर बुलाया। बड़े खेद की बात है कि दूसरे दिन बहुत राजनैतिक दबाव पड़ा और उस व्यक्ति को, जिसको डी. आई. आर. में गिरफ्तार करने की बात कही थी, दूसरे दिन छोड़ दिया गया और उस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है। सबसे अधिक खेद की बात है, वहां जिला कांग्रेस कमेटी है, उसके अन्दर मन्त्री हैं श्री सूरज नारायण पुरोहित, वह जिला कांग्रेस कमेटी के महा मन्त्री हैं।

श्री गोपाल जोशी : वह अब नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले थे।

श्री गोपाल जोशी : पहले कभी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह वकील बने हैं मिलावट करने वाले के और उसको छुड़वाने के लिये कोशिश कर रहे हैं। यह खेद की बात है कि कांग्रेस, जिसकी सरकार है, जो कहती है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उनको पकड़ना चाहते हैं; एक तरफ यह कहें और दूसरी तरफ जाकर जो इस प्रकार पहले महा मन्त्री थे, जो इम्पार्टेन्ट व्यक्ति हैं, कांग्रेस के इम्पार्टेन्ट लीडर हैं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के लोग हैं उनके खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन लेना निहायत जरूरी होता है, जो समाज विरोधी तत्व के साथ मिले हुए हैं। मेरा निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्वास्थ्य मन्त्रीजी के नोटिस में ला दिया था। वहां से टेलीफोन आये और इन लोगों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सख्त कार्यवाही की जायेगी, लेकिन मेरे पास टेलीग्राम आया है :

"7 अप्रैल को जनता ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारी को रंगे हाथों पकड़वाया। जिलाधीश ने अभियुक्त को डी. आई. आर. अधीन बन्दी बनाने की घोषणा की। दूसरे दिन अभियुक्त छोड़ दिया। जनता में गंभीर रोष है। अभियुक्त को डी. आई. आर. में बन्द किये जांय। मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बीकानेर"

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है इसके कारण लोगों में जबर्दस्त रोष है इसलिए फौरन जो भी इसके अन्दर दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाय और जो उनको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

छुड़वाने के लिए दबाव डाल रहे हैं उनको रोका जाय ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है, वह बोहरा कम्युनिटी में जो उदयपुर में आपस में तसविरा चल रहा है, उस सिलसिले में रखा है । अध्यक्ष महोदय, वहां स्थिति यह है कि पचास मुकदमें इन बोहरा यूथ पर चल रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है उन पर चल रहे हैं या दूसरे पक्ष पर चल रहे हैं । हमने पहले स्थगन प्रस्ताव रखा था, उस वक्त कहा था कि पुलिस का कर्त्तव्य यह होना चाहिए कि दोनों फिरकों को पास लाने की कोशिश करे और ऐसी हालत पैदा करे, जो वहां पर संकट चल रहा है, शादी न होने का या दफन न होने का, वह खत्म हो । अभी हाल ही एक प्रेस कान्फेन्स हुई, उसमें स्पष्ट शब्दों में इस बात का इजहार किया कि वह गुरू की इज्जत करते हैं, और उनके खिलाफ बगावत नहीं करना चाहते हैं । मैंने उप मंत्री जी से गुजारिश की थी, यदि आप इखलाकी दबाव इस प्रकार का डालें कि रजा देने की प्रथा है यह समाप्त हो जाय यह संकट दूर हो सकता है । मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, मैंने अध्ययन किया, डिक्शनरी को देखा तो रजा का मतलब कन्सेन्ट होता है, उसे दुआ भी कहते हैं । इसके लिए हम बातचीत करके सैयदन साहब पर इखलाकी दबाव डालें, कह सकते हैं कि दुआ तो सब चाहेंगे, लेकिन वह आप बाद में दे सकते हैं, आशीर्वाद आप निकाह के बाद में दे सकते हैं, कब्र में दफन होने के बाद में आप दुआ दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मुख्तसिर में कहें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह चीज है, इससे बात बनती है, अगर आप उन पर दबाव डालें इखलाकी, यह हुकूमत नायक की हुकूमत से बात करके इस प्रथा को समाप्त करा दें तो यह संकट दूर हो जायगा । मैं चाहता हूं कि दोनों फिरके साथ हों, वह मिल जुल कर चलें । मेरी समझ में नहीं आता है, सैयदन साहब इतने बुजुर्ग नेता हैं, वह क्यों पसन्द करते हैं । एक फिरका उनसे टूट कर चला जाय । उनको बांधे रखने की जरुरत है । आज पुलिस ने पचास केसेज चला रखे हैं, उससे वह लोग परेशान हैं । क्योंकि यह चीज कोर्ट में चली गई है इसलिए हर तारीख पर पेशी पर पहुंचना पड़ेगा अदालत में, गवाह जुटाने पड़ते हैं, हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है । एक तरफ दो सौ लड़कियों की शादी नहीं हुई, दूसरी तरफ यह खर्चा पड़ रहा है, यह गैर मामूली बोझ है । मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा था कि आप मदाखलत कीजिये । अब वह मंत्री, गृह मंत्री हैं, मैं चाहूंगा, जो केसेज पचास हैं, उनके खिलाफ हैं, इनके खिलाफ हैं, उन केसेज की फाइल मंगा कर देखें, और खासतौर से दोनों फरीकेन को एक साथ बैठा कर वह केसेज वापिस ले लिये जायं ताकि दोनों की परेशानी दूर हो । हमारा फर्ज है, हम इखलाकी दबाव डाल कर हमारे फरायज को अन्जाम दें और कोशिश करें, एक गलत प्रथा चल गई है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : जो इस्लाम के उसूल के विपरीत है, उसको विथड्रा किया जाय, वापिस किया जाय। इसके बारे में, मैं चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा यदि थोड़ी तकलीफ गवारा करके आप चाहें तो इस इलाके में अमन चैन कायम करने के लिए बम्बई तशरीफ ले जा सकते हैं, हम लोग भी, आचार्य जी, प्रोफेसर साहब, रामानन्द जी, मैं, रामकिशन जी—हम सबके सब खिदमात पेश करने को तैयार हैं, हम अपना खर्च करके वहां जाने को तैयार हैं, सैयदन साहब से····

श्री निरंजननाथ आचार्य : सैयदन साहब बुलायें और हम अपने खर्च से जायें—यह क्या बात है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं आपका खर्च बर्दाश्त करूंगा। किसी तरह से यह मसला हल हो जाय।

श्री अध्यक्ष : मुख्तसिर में फर्मायें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : चीफ मिनिस्टर साहब हैं नहीं, उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया जाय कि इस मामले में पूरी कोशिश की जानी चाहिए। मैंने सुना है कि बहुत से मंत्री हैं उनकी इस बात में कोरसपोंडेंस हो रही है। यह सही है। अब देखें, नायक का क्या जवाब आता है। मुझे मालूम हुआ है, नायक ने कुछ मामलात में दिक्कत हटायी है। हम चाहेंगे, नायक से तब्दीले खयालात करके, कोरसपोंडेंस करके, उन पर दबाव डालना जरूरी है। यह झगड़ा बढ़ेगा तो दोनों फिरकों की आर्थिक स्थिति खराब होगी, परेशानी होगी क्योंकि मुकदमेबाजी में फंसेंगे। और अमन खतरे में पड़ी रहेगी·······

श्री अध्यक्ष : मेहरबानी करके खत्म फर्मायें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अमन को खतरा है, इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता।

मैं अर्ज करता हूं कि इस चीज को काबू में लाने के लिए जितना इखलाकी दबाव डाला जा सकता है, वह डाला जाय। मुझे मालूम हुआ है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, आज भी लोग एतबार करते हैं, सैयदन साहब को आज भी लोग मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं, आज भी उनकी दुआ लेने को तैयार हैं। लेकिन यह प्रथा पहले दुआ देने की है, वह खत्म हो जाय। दुआ बाद में होती है, रूह के लिए दुआ की जाती है, शादी में आशीर्वाद बाद में दिया जाता है। यह दुआ भी बाद में दी जाय। यह इखलाकी दबाव से खत्म कर दी जाय नहीं तो मामला खत्म नहीं होगा····

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का प्रश्न है जिस पर इस सदन को बहुत गम्भीरता से विचार करना है।

श्री अध्यक्ष : कई दफो कर लिया है।

श्री रामकिशन : मैं इस मामले को कुछ दूसरी दृष्टि से देखता हूं। जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, उस कम्युनिटी के दोनों पक्षों के लोग हम लोगों से मिलते हैं, वह इस प्रकार की बात सामने रखते हैं, जो इस युग के किसी प्रकार अनुकूल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है, दो सौ

(श्री मानकुमार शास्त्री)

झगड़ा हुआ, कौन करवाता है । यह सरकार का काम है वह पता लगावे । अब चूंकि वह नानाभाई कुराबरवाले का मकान था । वह एक संयादना का अनुयायी था । उसके घर को जलाने वाले को पुलिस ने पकड़ा होगा । निश्चित रूप से पकड़ा होगा । फिर यह घटना उस समय घटी जिस समय डी एस. पी. वहां स्वयं मौजूद थे । अब वह नाना भाई संयदन को मानने वाला है। इसलिए उसके घर को विरोधी मान्यता वाला जला दे मैं समझता हूं कि यह कोई भी सभ्य सरकार बर्दाश्त नही कर सकती । यह लॉ और आर्डर का प्योरली लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न है । सरकार को निश्चित रूप से इसे रोकना चाहिये और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिये ।

रहा प्रश्न कि लड़कियां क्वांरी रह गई हैं । उनको शादी की अनुमति नहीं दी जा रही है । इस बारे में राज्य सरकार सक्षम है । वह चाहे तो अलग से एक मुसलमान परसनल लॉ बना दे । या जो करना है कर दे । पर यह तो नहीं हो सकता कि एक के विचारों से जो सहमत न हो उसका मकान जला दिया जाय । लॉ एण्ड आर्डर हाथ में लेने दिया जाय । एक दूसरे के घरों को आग लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती । यह एक उदाहरण है । उसके घर में केवल इसलिए आग लगा दी गई कि वह संयदन का फोलोअर है । यह अन्याय है । डी. एस. पी. वहां थे । अगर वे अपराधी को नहीं दंडित कर सकने तो उनको दंडित किया जाना चाहिये पुलिस का काम था कि वह लॉ एण्ड आर्डर मेंटेन करती ।

इसके लिए मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि या तो कड़ाई से लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन कराया जाय, या दोनों पक्षों को बिठाकर मुख्य मंत्री जी स्वयं उनका आपस में सुलहनामा करवा दें । नहीं तो यह झगड़ा लगातार चलता रहेगा । लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब होती रहेगी । अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की अव्यवस्था फैलाने का अवसर राज्य सरकार किसी को न दे लॉ और आर्डर हाथ में लेने की अनुमति किसी भी पक्ष के अनुयायी को न दे । हिंसा का वातावरण फैलाने की अनुमति किसी भी विचार रखने वाले को एक दूसरे के विरुद्ध न दे । अगर कोई अपने विचार एक दूसरे से भिन्न रखता है तो विचार स्वातन्त्र्य में बाधा नहीं डालने दी जाय किसी को । सब को अपने अपने विचार रखने की स्वतन्त्रता है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह दाऊदी बोहरों का जो उदयपुर में और गलियाकोट में है उनका आपसी कशमकश का प्रश्न है । यह प्रश्न दिन पर दिन जटिल बनता जा रहा है । चूंकि सदन में यह प्रश्न फिर आया है मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में कहना पसन्द करूंगा । यह रजा का सवाल है जिसे आधुनिक दृष्टिकोण से मैं दकियानूसी समझता हूं । आधुनिक दृष्टिकोण से यह दकियानूसी सवाल है । जहां तक मुल्लाजी साहब का सवाल है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन माननीय सदस्य उधर बैठे हुए हैं उन्होंने जैसा अभी कहा कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो यह तो अनादि काल की परम्परा है । यूरोप में भी पोप के खिलाफ बगावत हुई । प्रोटेस्टेन्ट और रोमन केथोलिक थे । आज हिन्दुस्तान में भी सुलेमानी बोहरा भी है और दूसरी किस्म के बोहरा भी हैं ।

Page No 50

(50)

श्री रामकिशन : अग्रवाल बोहरा भी है।

श्री लक्ष्मणसिंह : वे तो हिन्दू हैं, वैश्य होते हैं। वे तो रोजगार करते हैं। लेन देन करके गरीबों को चूसते हैं। उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके खिलाफ लड़ने वाले भी हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी उनसे सहानुभूति नहीं है। यह जो दाऊदी बोहरों का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह स्पष्ट करता हूं कि जिन लोगों को आधुनिक दृष्टिकोण से विवाह करना हो तो क्यों नहीं करते हैं। रजा का क्या मतलब है। मैं समझता हूं कि अगर उनको ऐसा करना है तो वे मुल्ला साहब को नहीं मानें। अगर उनको नहीं मानते हैं तो रजा का प्रश्न भी नहीं होगा। यह तो बड़ी अजीब बात है कि लोगों के घर जला दिए जावें, मरे हुए लोगों को जलाने की रजा नहीं दी जाय तो यह मेरी समझ के बाहर है। अगर युवतियों को मुल्ला साहब की रजा की आवश्यकता नहीं है तो वह छोड़े मुल्ला साहब का साथ और वे स्वतन्त्र रूप से शादी कर ले, उसमें आपत्ति कौन सी है। वैसे मैं तो यह निवेदन करूंगा कि दूसरे जो बोहरे हैं वे यहां दबें और कहें कि मुल्ला साहब के धर्म को भी मानें और यह भी कहें कि सरकार कानून भी बनाए, तो सरकार कब तो कानून बनाएगी और यह विवाह का समाधान कब होगा, मेरी समझ के बाहर है। इसलिए जिनको स्वतन्त्रता अख्तियार करनी है, वह बोहरा मजहब के मुल्ला साहब का साथ छोड़े दे। मुल्ला साहब, वे भी अलग हो जायगें। लेकिन जहां धाय-लेस होता है, लोगों के घर जला दिये जाते है तो वहां तो सरकार को दखल करना चाहिये। सरकार दखल नहीं करती है तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करती है।

दूसरा माननीय सदस्य जो कुशलगढ़ से आए थे, उन्होंने यहां हिरण नदी का बांध बांधने के सम्बन्ध में जो चर्चा उठाई उसके साथ मेरा एक हद तक सहानुभूति है कुशलगढ़ से बांसवाड़ा तक सब जमीन ऊबड़ खाबड़ है। और समतल जमीन नहीं है। बड़े 2 बांध बन ये जायेंगे तो उसके अन्दर अच्छी जमीन जो है, दस दस, पन्द्रह पन्द्रह मौजें और घर डूब में आ जायेंगे तो उनके सामने संकटापन्न स्थिति उत्पन्न होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सरकार बड़े बड़े बांध बांधने के बजाय छोटे छोटे बांध बांधें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। बड़ा बांध बांधने की योजना सरकार ने बना ली है तो उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके और इस बात का समन्वय करना चाहिए कि लाभ कितना है और हानि कितनी है।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मेरा दो दिन पहले एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : मैं तो आज के प्रस्ताव ले रहा हूं। अभी मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मैं इसके लिए थोड़ा सा निवेदन कर दूं, थोड़ी बात तो सुनने की कोशिश कर लीजिए। दो दिन पहले स्थगन प्रस्ताव·········

श्री अध्यक्ष : आप तो फिर वहीं कह रहे हैं।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : अवैध शराब के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव था। उस सम्बन्ध में ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि अवैध शराब की जांच कराने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। आपका जो उत्तर मिला है। उसमें आप सरकार से जानकारी कर रहे हैं और उसमें सरकार द्वारा जवाब दिया जाएगा। कल को सदन का खात्मा, समाप्त होने वाला है। ....

श्री अध्यक्ष : यह बात अभी फरमाने की भी नहीं है।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए, मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : But this is not the way.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मामला बढ़ता जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और भी लोग भूख हड़ताल करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके पास मामला उठाने का और भी रास्ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट तो होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या एटीट्यूड लेती है, यह हाउस को पता लग जाय।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, भुतपूर्व विधायक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी हालत गम्भीर है, इस बारे में पहले भी कहा था।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, चम्बल मैनेजमेंट बोर्ड के सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव था। अध्यक्ष महोदय, भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड में भी यही था कि जितने इंजीनियर्स हैं, एल. डी. सी. हैं, यू. डी. सी हैं, उनके जो अपोइन्टमेंट हैं वे कोस्ट आफ प्रोडक्शन में जिस स्टेट का जितना शेयर है, कोस्ट आफ कंस्ट्रक्शन में उसके मुताबिक अपोइन्टमेंट का रेश्यो होना चाहिए। अब यह चम्बल मैनेजमेंट बोर्ड का गठन हुआ है, तीन चार महीने पहले जिसमें मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों पार्टी हैं। दोनों का समझौता हुआ कि एक साल चेयरमेन चीफ मिनिस्टर मध्यप्रदेश रहेंगे और दूसरे साल चीफ मिनिस्टर राजस्थान चेयरमेन रहेंगे और सेक्रेटरी इण्टरचेंज करेंगे। सारे के सारे अपोइन्टमेंट गवर्नमेंट आफ मध्यप्रदेश ने कर लिया है और अब एक सेक्रेट्री महेशप्रसाद जो पहले एस. ई. का काम करते थे और जो रिटायरमेंट से पहले प्रिपेरटरी टू रिटायरमेंट की लीव पर हैं, उनको सरकार ने तीन साल का एक्सटेंशन दिया है। एक्सटेंशन के बारे में सरकार की यह घोषित नीति है कि केवल वही लोग जो कि स्पेशलाईज्ड टेलेंट के हों, उन्हीं को एक्सटेंशन मिल सकेगा वरना एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब, अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर मध्यप्रदेश के कहने से उनको राजस्थान की सरकार ने तीन साल का एक्सटेंशन दिया है और बाकी सारे के सारे अपोइन्टमेंट मध्यप्रदेश की सरकार ने कर लिए हैं। अब जब कभी भी क्लेश होगा, दोनों स्टेट्स के इंटरेस्ट क्लेश होंगे तो वहां हमारा इंटरेस्ट कौन वाच करेगा। सेक्रेट्री हैं, वे उनके कहने से हैं, चेयरमेन उनका है और इस तरह हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचायेंगे। अब जिनको तीन साल का एक्सटेंशन दिया गया है उससे जो एक्जो-

(श्री केदार नाथ)

क्यूटिव इन्जीनियर दस दस, बारह बारह साल से काम कर रहे हैं और उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो यहां प्रमोशन का इन्टरेस्ट भी उनका क्लेश हो रहा है। मैं समझता हूं कि जहां भी इण्टर स्टेट जोइन्ट मैंनेजमेंट बोर्ड हों वहां का एम्पलायमेंट रेश्यो शेयर के मुताबिक होना चाहिए।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था जो टैक्सी चलाते हैं उनकी मांगों के बारे में जिसको आपने जानकारी के लिए भेजा है। उनकी मांगें यह हैं कि उनको पैट्रोल मंहगा दिया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : यह तो आज विधेयक पर कह दीजिए।

श्री केदारनाथ : आखिरी दिन है। उनकी मांग है कि पैट्रोल सस्ती दर पर दिया जाय, पैसेंजर टैक्स हटाया जाय। उनकी टैक्सी स्टेंड की मांग है और अध्यक्ष महोदय, दूसरी यह........

श्री अध्यक्ष : दुबारा नहीं बोलने का इरादा हो तो बोल डालिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं दुबारा नहीं बोलूंगा। मेरा सिर्फ यही....

श्री अध्यक्ष : आपका एडजोर्नमेंट मोशन ही नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हस्ताक्षर दोनों के हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कहते हैं तो मैं सही मान लेता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके सामने मिस-अण्डरस्टेंड नहीं करेंगे। जो कहेंगे बहुत जिम्मेदारी से कहेंगे।

मैं निवेदन करता हूं और खास तौर पर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर महोदय से कि बाहर डेमोंस्ट्रेशन हो रहा है, बाहर करीब 200 कारें है, टेक्सी कारें हैं, मायने टैक्सी मजदूरों की हैं और टैम्पोज हैं और सारा बाजार भरा हुआ है और उनकी मांगें सिर्फ यह हैं कि पैसेंजर टैक्स नहीं लिया जावे। पैट्रोल सस्ती दर पर मुहैय्या करायें। टैक्सी स्टैंड कायम किया जावे, स्टेंड पर बिजली पानी की व्यवस्था की जाय। टैक्सी यूनियन को पेट्रोल पम्प लगाने दिया जावे, किराये की दर यातायात विभाग से निश्चित कराई जावे। अब ये मांगे तो आपकी प्रगतिशील कार्यक्रम के अन्तर्गत ही हैं। मेरा विश्वास है कि यह उनका प्रीमेच्योर एक्शन है बाकी इनमें से बहुत सी मांगें तो ऐसी हैं जिनकी आप स्वत: ही करने वाले है और स्वत. ही करेंगे। जैसे पैसेंजर टैक्स नहीं लिया जाय। इस जमाने में पेसेन्जर टैक्स और जब पैट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, सवारियां कम हो गई हैं तो पेसेंजर टैक्स समाप्त करने के लिए तो आप स्वत: ही कदम लेने वाले हैं।

पैट्रोल सस्ती दर पर मिले। सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा वगैरा सभी जगह सस्ती दर से दिलाया जाता है। ये लोग मजदूर लोग हैं और मजदूर लोगों की तरफ तो आपको स्वतः ही ध्यान देना चाहिए।

तीसरी जो टैक्सी स्टेंड की मांग है। टैक्सी स्टेंड के प्रश्न पर मेरा ख्याल है कि यह बहुत ही आवश्यक चीज है। इसके साथ ही टैक्सी स्टेंड के साथ बिजली पानी की मांग हैं, यह भी आवश्यक है लेकिन बिना स्टेंड के कौनसा बिजली पानी।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इसलिए मेरा निवेदन है कि एस. टी. ए. के चेयरमैन और दूसरे सदस्यों की एक कमेटी बना कर या स्वतः आप दखल रखते हों तो जहां पर प्रदर्शनकारी बाहर खड़े हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है, मैं समझता हूं कि दो मिनिट के लिए मन्त्री महोदय उनसे मिल लें और उनको संतोष दिला दें, ऐसा मैं चाहता हूं।

(घंटे 2 धीरे से-श्री मोहनलाल छंगाणी द्वारा—मिल लेते हैं)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं भी यह ठीक समझता हूं कि माननीय मन्त्रीजी उनसे मिल लें।

श्री रामकिशन : यह तो बहुत सुन्दर मांग है।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव मंदिर के सम्बन्ध में था...

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं है, आप मुझ से चेम्बर में मिलें।

श्री रामसिंह कुड़ी : सदन में जानकारी देने में क्या आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी चेम्बर में ही देने की है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा स्थगन प्रस्ताव....

श्री रामसिंह कुड़ी : हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके बारे में नहीं कहने देना तो साइड ट्रैक करना है...

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से चेम्बर में मिल लें, शायद मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। आप मुझ से चेम्बर में बात करेंगे तो शायद आपको संतुष्ट कर सकूंगा।

(व्यवधान—अश्रव्य)

आप संतुष्ट होकर ही जायेंगे मेरे से बात करने के बाद।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नहीं है। यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री रामसिंह कुड़ी : मैंने लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में मिल लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18-3-74 को श्रीमती लाल उम्र 16 वर्ष पत्नी श्री जगन्नाथ, ससुराल पक्ष पीहर से इस लाल नामक महिला को लेकर चले आये। उस दिन रात्रि को 9 बजे उसके पति ने जिनका नाम जगन्नाथ है, इस महिला को कई स्थानों पर मारा पीटा और उसको कुवे में डाल दिया। इसके बाद उनको भय लगा और उसके पति ने, ससुर ने उसको कुए से निकाला। रात्रि के 9 बजे से लेकर ढाई बजे तक उसके भाई भोरीनाथ को,

Page No 54

(54)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पीहर वालों को इसकी किसी प्रकार से सूचना नहीं दी और न कोई उपचार किया। डाक्टर, वैद्य बुला कर उसका कोई उपचार नहीं कराया गया। यह घटना कस्बा आमेर की है। रात्रि के 12 बजे के बाद इस घटना की सूचना उसके भाई को मिली। वह आया।

उसने अपनी बहिन को देखा। उसने देखा कि उसकी बहिन अत्यधिक शराब के नशे में है। इतनी शराब इसलिये पिला रखी थी कि जो कुछ घटना उसके साथ घटी है, उस घटना को वह अपने भाई को न कह सके। वह उसको प्रकट न कर दे। उसके भाई ने पूछा तो वह नशे में थी। कुछ नहीं कह सकी किन्तु ऊंगलियों से अपने शरीर की ओर इशारा करती रही। यह सारी हालत है। दिनांक 19-3-74 को सुबह 8 बजे रिपोर्ट की। एस. एच. ओ. सुगनसिंह ने कहा कि अभी सी. ओ. का इन्तजार करना है। सी. ओ साहब आयेंगे तब इस लाश के बारे में आगे कार्यवाही की जायेगी। 5/6 घन्टे के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। और अन्त में लाश एस. एम. एस. अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिये भेज दी गयी। इतनी अप्रिय घटना के बावजूद भी पुलिस के अधिकारी वहां पर आज तक मौन बैठे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरा निवेदन करना है कि पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार न करके दूसरे पक्ष पर यह प्रेशर डाल रही है कि तुम्हारी बहिन तो मर गयी। अब तुम राजीनामा कर लो। मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र में, लोकतन्त्र में, राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास, हमारी पुरानी राजधानी आमेर में यह घटना हो, पुलिस के लोगों का इस प्रकार से हौसला बढ़ जावे, यह किसी प्रकार से ठीक नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस अगर कोई कार्यवाही करने में अपने को अक्षम मानती है, योग्य नहीं मानती है तो इस घटना की जांच सी. आई. डी. के द्वारा करायी जानी चाहिये। एक पक्ष पुलिस से मिल गया है और इसकी जांच न हो, हत्या की जांच न हो। इसलिये मैंने आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया है।

एक मिनिट और अर्ज करना चाहता हूं। टैक्सी, टैम्पों वाले बाहर हड़ताल कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं वे न्यायोचित हैं। वे बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यातायात मंत्रीजी को उनसे मिलना चाहिये। उनकी सहानुभूति मजदूरों के साथ रहती है। ये टैक्सी वाले पेट्रोल पम्प के लिए जगह चाहते हैं। टैक्सी स्टेण्ड चाहते हैं। पेसेन्जर टैक्स कम कराना चाहते हैं। ये उनकी वाजिब मांगें हैं और इसके लिये मंत्री महोदय को उनसे मिलना चाहिये।

अन्त में हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि शराब बंदी के बारे में जिस गति से, कई तरकीब से यहां पर प्रश्न रखे गये हैं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय अपना एक स्टेटमेंट दें। जो घटना अभी जयपुर में घटी है, उसकी जांच करवायी जाये। विधान सभा चल रही है। विधान सभा नहीं चल रही है और जांच नहीं हो, यह अलग बात है। इस प्रकार से कार्यवाही न हो। विधान सभा चले और उस दोषी अधिकारी को मंत्री महोदय शील्ड करें तो यह एक गंभीर प्रश्न है। बाहर बंका साहब आमरण अनशन पर बैठे हैं। कल सायंकाल 5 बजे यह अधिवेशन समाप्त हो जायेगा। उधर, आमरण अनशन कर रखा है। लोगों में असन्तोष है। एकओ·

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नमेंट भी दिये हैं। जिस प्रकार से भी वैधानिक तरीके हो सकते हैं उनके जरिये सदन का ध्यान दिलाया गया है। सब प्रकार की कार्यवाही की गयी है। परन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आप सर्वोपरि हैं। सदन की गरिमा आप ही रखने वाले हैं। इसलिए जो बात सदन में रखी गयी है उसके बारे में मंत्री महोदय से वक्तव्य दिलावें। यह सदस्यों की भावना है। उनको सन्तुष्ट रखना आपका फर्ज है। जनजीवन की रक्षा करना आपका फर्ज है। यह आपका कर्तव्य है आप किसी भी प्रकार, किसी भी नियम के तहत वित्त मंत्री को वक्तव्य देने के लिए पाबन्द करें। आज, नहीं तो कल प्रातःकाल कार्यवाही शुरू होने के पहले या बीच में जैसा भी हो सके, मंत्री महोदय का वक्तव्य कराएंगे, यही आपसे निवेदन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं भी करना चाहता हूं। सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं भी अपील करना चाहूंगा कि यातायात मंत्रीजी जो टैक्सी वालों की डिमांड्स हैं जो उन्होंने मांगे रखी है और आचार्य जी ने यहां पर बताया है, उसके बारे में मिलें। इनका डेपूटेशन हमारे पास भी आया था। यह एक मानवीय प्रश्न है। गरीब तबके का प्रश्न है। उनकी यह गंभीर समस्या है। आज की महंगाई में, पेट्रोल का जो भाव बढ़ गया है, उससे उनकी समस्या और बढ़ गयी है। इसके बारे में वे लोग डिमान्स्ट्रेशन लेकर आये है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जाकर मिलें। पुराना जो तरीका था, डेपूटेशन से मिलने के लिये अवाइड किया जाता था। डंडाधारी, तोपधारी आदमी को आगे भेज दिया जाता था। अब जमाना बदल गया है। जनतन्त्रीय मूल्यों के अनुसार हमारे मन्त्री महोदय को इनसे मिलना चाहिये और बातचीत करना चाहिये और उनकी समस्याओं का जहां तक हो सके मिल कर के हल करना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप जाकर मिलें और उनकी समस्या को हल करें।

उपाध्यक्ष महोदय, दो शब्द और कहना चाहता हूं। शराब के बारे में। इसके बारे में मन्त्री महोदय ने यहां पर वक्तव्य दिया है लेकिन दुर्भाग्य से अध्यक्ष महोदय उसके बाद कुछ घटनाएं और हुई है। कुछ लोगों की और मृत्यु हुई है। इसके बारे में यहां पर प्रस्ताव रखा गया। आपने उसको डिसअलाऊ कर दिया। यह ठीक है। यह आवश्यक नहीं था किन्तु अध्यक्ष महोदय यह भावना आम जनता में हो रही है, यह साधारण जनता में ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रों में, उन व्यक्तियों में जो कि राजनीतिक चिन्तन करते हैं सामाजिक चिन्तन करते हैं, वे भी सोच रहे हैं इतना बड़ा कांड हो, इतना बड़ा स्केन्डल हो जाये राजधानी के अन्दर और उसके बाद भी किसी का एक पत्ता न हिले। इस सदर्भ में एक भी अधिकारी को सजा न दी जाये जो संबंधित अधिकारी हैं उनके बारे में मुख्य मंत्री सदन में कह चुके हैं कि उनको संरक्षण नहीं दिया जायेगा उसके बाद भी उन तत्वों के प्रति कार्यवाही न हो, यह दुखद बात है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं अधिक बोलना भी नहीं चाहता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय कम से कम यह जो मांग है कि त्यागपत्र दें यह तो एक्स्ट्रीम है। परन्तु यह जनतन्त्र है। जो मूल्य लालबहादुर जी ने रखे, राजस्थान उन मूल्यों को कायम रखेगा, यह आशा करना या कहना अतिशयोक्ति है। परन्तु सरकार कम से कम उन अधिकारियों को सस्पेन्ड न करे, डिसमिस न करे तो भी जन भावना का आदर करते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि उन अधिकारियों का तुरन्त तबादला करें। एक ही व्यक्ति क्यों इतने अर्से तक रहे। अगर सरकार जन भावना की कद्र करना चाहती है. आदर करना चाहती है तो किसी न किसी अधिकारी का जो कि संबंधित है तबादला होना चाहिये। सस्पेन्शन, डिसमिसल नहीं, ट्रान्सफर न हो। ट्रान्सफर तो सर्विस कन्डीशन में बाधक भी नहीं होता है। परन्तु आज तक किसी का ट्रान्सफर नहीं किया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि बारबार सब तरफ से यह मांग आ रही है और इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय सदन का सत्र समाप्त हो इसके पहले पहले यदि कोई घोषणा करें तो अधिक विश्वास उत्पन्न हो सकता है।

दो शब्द मैं निवेदन करना चाहूंगा और उदयपुर की समस्या के बारे में कहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह समस्या बार-बार सदन में आई है। कल सत्र समाप्त हो जायगा तो सत्र की समाप्ति से पहले पहले राज्य सरकार इसको सुलझाने का प्रयास करेगी तो उसका समुचित इफेक्ट होगा। बोहरा यूथ और उनके धर्मगुरु के बीच में जो झगड़ा है उसके डिटेल्स में जाने के लिए न तो हम कम्पीटेन्ट है और न जाना चाहते हैं और न हमें पता है। लेकिन एक बात परसिस्टेन्टली हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है, वहां पर ला एण्ड आर्डर का प्राब्लम हो सकता है सोशियल रिफार्म्स का प्राब्लम हो सकता है, या ऐसे पोलिटिकल प्राब्लम्स हो सकते है, लेकिन जब मेटर हाउस में आता है तो मंत्री महोदय को सीज्ड होना चाहिए और तमाम बातों को अपने हाथ में लेकर समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

तो स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय. जो बराबर लाई जा रही है और उसके बाद में दोनों तरफ के डेपुटेशन्स आते हैं। एक यह कहता है कि प्रोग्रसिव हो गये हैं तो क्यों जाते हैं धर्मगुरुओं के पास। जब धर्म में आस्था नहीं है तो जाओ मत। अपने आप शादी कर लो कौन मना करता है? दूसरी ओर वे युवतियां आती हैं और प्रेस काम्फ्रेन्स करती हैं और ऐसा कहती हैं तो उनका कहना बेमलेस होगा यह मानने का कारण नहीं है। यह एक प्राब्लम है हमारे सामने। मैने पहले भी अर्ज किया था कि जब हिन्दुस्तान में हिन्दू मेरिज एक्ट बना है, हिन्दू कोड बिल बना हुआ है तो दूसरों के लिए भी ऐसा कानून बना दें इस स्तर पर जिससे सारी समस्याओं का हल हो जाय। लॉ एण्ड आर्डर का प्राब्लम है तो माननीय मंत्री महोदय को अपने हाथ में लेकर समस्या का समाधान करवाने के लिए कानून के माध्यम से भी और अन्य अपने गुड आफिसेज यूज करके इसके लिए प्रयास करना चाहिए यही मेरा निवेदन है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां तक टेक्सी वालों का प्रश्न है और

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात सदन के समक्ष रखी है उसके लिए एक हद तक मेरे मन में सहानुभूति है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वे बाहर जाकर उनसे नहीं मिलें तो शिष्टमंडल बुलायें और बुलाकर उनकी जो बात है............

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं एक सूचना दे दूं। मंत्री महोदय, कृपा करके मजदूरों से भी मिल लिये हैं और साथ ही मंत्री महोदय ने एक कमेटी भी कान्स्टीट्यूट कर दी है जिसका एक मेम्बर मजदूरों का प्रतिनिधि होगा और एक माननीय सदस्य रामकिशनजी उसके अन्दर रहेंगे और 15 दिन के अन्दर यह कमेटी रिपोर्ट उनकी सारी मांगों के सम्बन्ध में दे देगी। इसलिए....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथजी हाण्डा का जो स्थगन प्रस्ताव है उसके संबंध में दो शब्द कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : उनका स्थगन प्रस्ताव है तो उनके बजाय आप कैसे फर्मा सकते हैं। वैसे फर्माना चाहें तो फर्मा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने अपने क्वेश्चन के सम्बन्ध में तो प्रॉयोरिटी दी थी, लेकिन यह पब्लिक क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : फर्मा दें। नियम में तो आता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाई माधोपुर में उदई गांव में भूमि विकास बैंक का 30-3-74 को चुनाव था। एक शिवसिंह एल. डी. ओ. चुनाव कराने गया तो जो लोग चुनाव नहीं करवाना चाहते थे तो उन्होंने उस चुनाव अधिकारी को पीटपाट कर वहां पर एक कमरे में बन्द कर दिया। फिर पुलिस ने जाकर उनको छुड़वाया। पुलिस में केस दर्ज हो गया, और सारे जिन लोगों ने पीटा उनका पूरा मालूम है और उनके खिलाफ वारन्ट जारी हो गये हैं और प्रेशर डालने पर उससे कहा जा रहा है कि मामले को सी. आइ. डी. के सुपुर्द कर देंगे ताकि मामला रफा दफा हो जाय। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के जमाने में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि कहीं जनता एम. एल. ए. को पीटपाट दें, कहीं चुनाव कराने वाले अधिकारी को पीटपाट दें तो मैं समझता हूं कि इस मामले को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए और अगर इस तरह से किन्हीं अभियुक्तों को बचाने की कोशिश की गई चाहे इस मामले में आगे जमानत वगैरह होती होगी लेकिन इस तरह से कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश करेंगे तो गलत परम्परा डालेंगे और गलत लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आज या कल गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में सफाई होनी चाहिए।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन

वित्तीय समितियों का निर्विरोध निर्वाचन

(1) पुरानी आमेर रोड़ पर गटर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पुरानी आमेर रोड़ पर गटर लाइन डलवाने, सड़क के दोनों ओर पक्की नालियां बनवाने,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

एवं वर्षा के पानी के निकास से संबंधित चार याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी।

(2) (I) बीकानेर नगर में गन्दे पानी के निकास एवं सूरसागर को स्वच्छ रखने के सम्बन्ध में

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर शहर के गन्दे पानी के निकास एवं सुरसागर को स्वच्छ रखवाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी दूसरी याचिका है।

(II) बीकानेर शहर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में

अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर शहर में पेय जल समस्या से निपटने हेतु लिफ्ट कैनाल के निर्माण में तेजी लाने से संबंधित तीन याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(III) पलाना खान को पुनः चालू करने के संबंध में

अध्यक्ष महोदय, मैं पलाना खान को पुनः चालू कराने एवं उक्त लिग्नाइट का उपयोग बिजली पैदा करने तथा अगर बाइ प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने के संबंध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल।

चाकसू से गरुड़वासी सड़क के नीचे आई हुई जमीन का काश्तकारों को मुआवजा दिलाने के संबंध में

श्री जयकिशनलाल (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाकसू से गरुड़वासी सड़क के नीचे आई हुई जमीन का काश्तकारों को मुआवजा दिलाने से संबंधित चार याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

वित्तीय समितियों का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति, 1974-75, प्राक्कलन समिति, 1974-75 तथा राजकीय उपक्रम समिति, 1974-75 के लिए निम्नलिखित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं :—

जनलेखा समिति

(1) श्री प्रद्युम्नसिंह।
(2) श्री प्रतापसिंह।
(3) श्री भानुकुमार शास्त्री।
(4) श्री रामकिशन।
(5) श्रीमती प्रभा मिश्रा।
(6) श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास।
(7) श्री जयनारायण।
(8) श्री ओंकारलाल चौहान।
(9) श्री महेन्द्रकुमार।
(10) श्रीमती मदनकौर।
(11) श्री सहदेव शर्मा।
(12) श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(13) श्रीमती कान्ता कथूरिया ।
(14) श्री भीमसेन ।
(15) श्रीमती उषा प्रकाश ।

प्राक्कलन समिति

(1) श्री रामजीलाल ।
(2) श्री लक्ष्मीनारायण ।
(3) श्री अजीतसिंह ।
(4) श्री जोरावरसिंह ।
(5) श्री पूनमचन्द बिश्नोई ।
(6) श्री गौरीशंकर मुनीम ।
(7) श्री सज्जनसिंह ।
(8) श्री नाथूराम ।
(9) श्री लूणाराम ।
(10) सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव ।
(11) श्री सामरमल मोर ।
(12) श्री नन्दलाल बैरवा ।
(13) श्रीमती निर्मला कुमारी ।
(14) श्रीमती नगेन्द्र बाला ।
(15) श्रीमती गौरी पूनिया ।
(16) श्री मोहनराज ।
(17) श्री विजयसिंह राठौड़ ।
(18) श्री भंवर लाल भदादा ।
(19) श्री रामप्रसाद बोहरा ।
(20) श्री ज्ञानसिंह ।
(21) श्री रामचरण ।

राजकीय उपक्रम समिति

(1) श्री मनोहरलाल ।
(2) श्री केशरीमल
(3) श्री केसरदेव ।
(4) श्री शंकरलाल (पाली) ।
(5) श्री श्रीनिवास शारदा ।
(6) श्री रामसिंह बिश्नोई ।
(7) श्रीमती सुमित्रासिंह
(8) श्री गोपाल जोशी ।
(9) श्री विद्या सागर ।
(10) श्री गोकुलचन्द ।
(11) श्री घासीराम यादव ।
(12) श्री रघुनाथ बिश्नोई ।
(13) श्री भुवनेश चतुर्वेदी ।
(14) श्री अमृतलाल गहलोत ।
(15) श्री दलपतसिंह ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बेरोजगार इन्जीनियरों की मांगों के सम्बन्ध में

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत बेरोजगार इन्जीनियरों की मांगें मन्जूर न होने से उत्पन्न स्थिति पर श्री श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्रम मंत्रीजी

(अनुपस्थित)

श्रम मंत्रीजी को अधिक ध्यान देना चाहिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह डेपुटेशन से मिलने गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : किसी से मिलने गये हों। यहां पर होना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले वह ले लें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामानन्द अग्रवाल विधायक द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के तथ्य इस प्रकार हैं :—

दिनांक 23-12-73 को दिन में प्रतापसिंह भूतपूर्व महाराज कुमार, अलवर के कुछ आदमी महल चौक में आम खास के आगे छतरियों में लगी संगमरमर की जालियां निकाल कर ले गये । जिलाधीश, अलवर ने इस घटना की लिखित सूचना थाना कोतवाली, अलवर में दिनांक 24-12-73 को भेजी जिस पर मुकदमा नं. 388 धारा 447/379/आइ. पी. सी. कायम किया जाकर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया । श्री प्रतापसिंह ने इन जालियों पर अपना अधिकार बताते हुये सुरक्षा हेतु हटवाना माना है । मुकदमें का अनुसन्धान अब गुप्तचर विभाग कर रहा है ।

दिनांक 14-2-74 को जिलाधीश, अलवर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि भूतपूर्व महाराज कुमार श्री प्रतापसिंह के आदमी, हाथी, बैल, ठेले, कार आदि लेकर महल चौक में स्थायीतौर से कब्जा करने व रहने की गरज से घुस आये । इस पर अभियोग नं. 54/74 धारा 448 ता. हि. दिनांक 14-2-74 कायम किया जाकर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की और इन हाथी, बैल, ठेले व कार आदि को जब्त कर अनाधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया । भूतपूर्व महाराज के मैनेजर श्री रामसिंह ने इन व्यक्तियों को जबरदस्ती रोके रखने के विरोध में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है । जिस पर मुकदमा नं. 55/74 धारा 342 ता. हि. कायम किया गया जो जेरतफतीश है ।

दिनांक 14 व 15-2-74 को रात्रि को श्री प्रतापसिंह के व्यक्तियों ने महल के मुख्य द्वार पर पचरंगा झंडा फहरा दिया । इसकी रिपोर्ट श्री छगनसिंह चौकीदार जिलाधीश कार्यालय अलवर द्वारा दिनांक 15-2-74 को की जाने पर मुकदमा नं. 56/74 धारा 448 आइ. पी. सी. कायम किया गया और पचरंगा झण्डा पुलिस द्वारा वजह सबूत में जब्त कर लिया गया ।

यह सही है कि राज्य सरकार ने तीन साल का किराया अदा किया है । लेकिन यह रकम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, अलवर द्वारा एक दीवानी दावे में फैसले के उपरान्त दिया गया है ।

यह सही है कि भूतपूर्व महाराज कुमार ने महल चौक से होकर गणगौर की सवारी निकालने का कार्यक्रम बनाया था परन्तु उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप से उन्होंने ऐसा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया । इन सभी घटनाओं के बारे में राज्य सरकार पूर्णतया सचेत है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो कुछ भी मैंने रखा था, उन सब को स्वीकार किया है । मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब राज्य सरकार ने यह माना है कि कलेक्टर, अलवर ने दिनांक 23-12-73 को जो जालियां हटाकर लेगये जबरदस्ती, जब कि गार्ड खड़ी थी । मण्डे था, उस दिन, गार्ड के मना करने के बावजूद वह लोग घुसे । 447/379 का मुकदमा दर्ज हुआ । तो मैं यह कहना चाहूंगा, इस चोरी के सम्बन्ध में, जालियां हटाने के बारे में जो कि उनके फूलबाग में है । इस प्रकार का नोटिस में लाया गया तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया ? यह अपने आप में एक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बहुत बड़ा प्रूफ था। इसके अलावा जो भी लोग गये थे वहां पर, उनके पास में हथियार भी थे। जो रिपोर्ट कलेक्टर को उनके कर्मचारियों ने दी, उसके आधार पर कलेक्टर ने रिपोर्ट पुलिस में की है। उसमें यह दर्ज है कि असलह लेकर बन्दूक और पिस्तोल लेकर घुसे। उनके हाथ में असलह थे। अगर गये थे तो ये असलह जब्त क्यों नहीं किये गये? जो भी लोग गये थे उन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मैं जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि कोतवाल उनको गिरफ्तार करना चाहते थे। लेकिन यहां के आई. जी. पी. ने मना कर दिया था। क्या यह सही है कि वह फाइल आई. जी. पी. ने आपने पास मंगवाली। और फिर सी. आई. डी. को जांच सुपुर्द कर दी। अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि सी. आई. डी. को सुपुर्द करने का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि अलवर के भूतपूर्व महाराज तेजसिंह अभी जिन्दा हैं। इसलिए जो भी प्रापर्टी है, जो प्रतापसिंह उनके लड़के हैं, उनका हस्तक्षेप हो। वह किराया भी पाने के हकदार नहीं हैं। क्या यह सही है कि भूतपूर्व महाराजा के मैनेजर द्वारा किराये के बारे में सरकार के लिए कहा गया है। कलेक्टर और सेशन जज जहां जहां बैठते हैं, वह जमीन भी महलों के सामने है, वह दर्ज है। उसका किराया उन्होंने मांगा है। इस किराये को पी. डब्लू. डी. से असेस कराया गया है। वह उनको पेमेन्ट किया गया है। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मकान मालिक अपना मकान किराये पर दे दे। उसके बाद उसको बिना किरायेदार की स्वीकृति के घुसने का भी अधिकार नहीं है। तो मेरा निवेदन है, टिनेन्सी पूरी साक्स करते थे। अगर जालियां निकाल कर चोरी की हैं तो यह सरकारी आथोरिटी को चैलेंज है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने खुद इस बात को माना है। महाराज कुमार के आदमियों को इस घटना के बाद बजाय इसके कि वह रोके गये हों, उलटे उनको और प्रोत्साहन मिलता है। वह उनको मिला है। यहां जयपुर के अन्दर जो उनके सामन्ती लोग सेक्रेटरियेट में बैठे हैं। जो पुलिस अधिकारी हैं। उनकी तरफ से पूरी तौर से लायलटी लेकर चलते हैं। इस घटना से पता चलता है कि एक तरफ गवर्नमेंट इस प्रकार के कार्य करती है। कलेक्टर कहता है इस पर कार्यवाही करो। दूसरी तरफ सामन्ती लोग होम कमिश्नर के रूप में बैठे हैं। आई. जी. के रूप में बैठे हैं। मिनिस्टर के रूप में बैठे हैं। टेलीफोन पर वार्ता करते हैं। दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में होम कमिश्नर और महाराज कुमार आई. जी. और महाराज कुमार, राज्य मंत्री और महाराज कुमार के बीच में टेलीफोन हुये हैं। वह लिस्टें मांगी हैं। आज यह यह सबोटेज किया जा रहा है। जिस प्रकार से जनता ने इन राजाओं को हटाया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात को माना है कि पचरंगा झन्डा लगाया गया है। यह कौन सा पचरंगा झंडा है। जिसको हटाने के लिए लोग जेलों में गये हैं। 1947 के बाद उनकी यह हिम्मत होती है कि हाथी, घोड़े और आदमियों को लेजाकर बिल्डिंग पर हमला करें। 1947 से पहले उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। 27 साल

Page No 62

(62)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के बाद आज वह यह हिम्मत करते हैं। होम कमिश्नर और आई. जी. उनकी मदद के लिए बैठे हैं। उनसे उनको शह मिलती है। वह अपने आदमियों को ले जाकर झंडा चढ़ा दें। यह इन पुराने राजाओं के जो प्रिविलेज थे, वह खत्म हो गये। उनको दुबारा लिया जाना गैर कानूनी है। वह प्रिविलेजेज छीन लिये गये। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह उसी तरह की स्थिति है, जैसे चीन ने हमारी बाउण्डरी में घुसकर हमारी बाऊन्ड्री पर कब्जा किया, उसी तरह पुराने हटाये हुए महाराजा हैं, उनकी जो सम्पत्ति ले ली और सोवरिनिटी प्राप्त कर ली, उनके द्वारा बिल्डिंग पर झण्डे को ठहराना राज्यसत्ता को और सोवरिनिटी को सीधा सीधा चैलेन्ज है। 14, 15,16,17,18—लगातार चार पांच रोज तक इस तरह की कार्यवाही होती रही और गवर्नमेंट खड़ी खड़ी तमाशा देखती रही, और किसी को गिरफ्तार नहीं किया। बावजूद इसके वह लोग 342 का मुकदमा दर्ज कराते हैं, पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं कि हमारे लोगों को जबर्दस्ती गिरफ्तार किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके बाद में जब 26 मार्च को गणगौर थी, अब तक इस महल में राजा के राज्य के वक्त भी गणगौर नहीं गई, गणगौर जनाना महल में जाती थी। लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि गणगौर इस महल में ले जायेंगे। इसके लिए यहां पूरी तरह से शै मिली, यहां के लोगों की वहां के लोगों को शै मिली। मैं कहना चाहता हूं कि यहां से ही शै नहीं मिली बल्कि यहां से दिल्ली भी गये, दिल्ली जाकर वहां पर बड़े लोगों से मिले हैं। वहां के होम मिनिस्टर से मिले हैं और वहां पर हर तरह से कोशिश की है। कितनी ही बार मैं खुद भी गया हूं दिल्ली। एम. पी. से बात की है, कांग्रेस के एम. पी. से बात की है। वहां यह बात प्रचलित है कि कोई शीला दीक्षित हैं, उनसे मिलकर महाराज कुमार आये हैं, इन आदमियों से मिलकर आये हैं और यहां की सरकार के ऊपर दबाव डलवाने की कोशिश की है। वहां पर बहुत बहुत बातें कही जा रही हैं, और उनका मामला लोक सभा में आयेगा। लेकिन इस तरह से सरकार के ऊपर दबाव डाल कर और सरकार को दबाने की कोशिश की गई है। आज स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, पहली दफा यह मामला नहीं किया गया है, पहले जंगल काट लिया, 1600 बीघा जमीन का अपने नाम पर इन्द्राज करा लिया, जो रिजर्व फारेस्ट है उसको वह चुपचाप ले सकते हैं

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़े में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोठी बना सकते हैं अनधिकृत रूप से, जिस पर उनका अधिकार नहीं है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जिस पर उनका अधिकार है उसका कन्वर्शन नहीं हुआ है, 40 लाख का उसका क्लेम बनता है लेकिन एक पैसा देने का सवाल नहीं है। उनके यहां से जो घोड़े बिकते हैं उन पर कोई सेल्स टैक्स देने का सवाल नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह स्टेट विदिन स्टेट आज भी चल रही है। आज उनके ऊपर कोई ऑथोरिटी और कोई कानून नहीं है। सब एक तरफ उठाकर रख दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने अपने बयान में अपना स्टेण्ड नहीं दिया है, अपना इस बारे में रवैया क्या है, उस बारे में सरकार का कहना क्या है, सरकार क्या मानती है, क्या

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्टेन्ड मानती है ? क्या महलों के बारे में यह सोच रही है कि वह सरकार के कब्जे में हैं या नहीं । इसके बारे में हाई कोर्ट क्या फैसला देगा-यह बात अलग है । लेकिन सरकार का व्यू क्या है ? क्या आप अपनी चीज मानते हैं या नहीं ? महाराज कुमार की चीज मानते हैं ? मुझे ताज्जुब है, इस तरीके से राज्य मन्त्री जी ने इस प्रकार का जवाब दिया है, जैसे प्राइवेट प्रापर्टी का मामला है । अफसोस की बात है, मैं जो स्टेण्ड ले रहा हूं, वह राज्य मंत्री को स्टेण्ड लेना चाहिए था । मुझे चिन्ता है अपने राज्य की सम्पत्ति की रक्षा करने की, वह चिन्ता मंत्री जी को होनी चाहिए । लेकिन मंत्री जी राज्य की सम्पत्ति की चिन्ता न करके राजा की चिन्ता कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि राजा आसानी से नहीं हटे हैं, कोई रिश्तेदारी निभा कर नहीं हटे हैं । उनके द्वारा लोकतंत्र की बुनियाद पर सेबोटेज किया जाय और इस प्रकार सरकार की चीजों के ऊपर कब्जा किया जाय और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो, तो मैं कहूंगा, इस मसले को लेकर बहुत बड़ा आन्दोलन होगा । माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, यह मुख्य मंत्रीजी का टेस्ट है । मुख्य मंत्री जी की प्रगतिशीलता का टेस्ट है । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वायदा किया था, अपनी नीति में यह घोषणा की थी कि सरकार की ताकत का इस्तेमाल, जब गरीब और अमीर की लड़ाई का सवाल आयेगा, तो मजदूरों के हित में होगा । यह प्रश्न राज्य की सत्ता का है, यह राज्य की जनता के हित का सवाल है, राज्य की सम्पत्ति का सवाल है, जिस पर अनाथोराइज्ड तरीके से, कानून को तोड़ कर आपकी कानूनी सरकार को चुनौती देकर, वह राज्य की सम्पत्ति को हड़प रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, जंगल के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है, जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है । अब खुले रूप में महलों पर कब्जा कर रहे हैं । अन्य प्राइवेट व्यक्ति ऐसा करे तो पुलिस भेज कर आप गोली चलवा देते हैं, लाठियां चलवाते हैं । माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि पांच दिन तक वहां पर हंगामा होता रहा और सरकार की पुलिस वहां पर तमाशा देखती रही । वहां उनकी कोठियों पर टेलीफोन आते रहे, और कहा, परवाह नहीं । हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं... ...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें । काफी वक्त हो गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मन्त्री जी स्थिति को साफ करें । अगर इस तरीके की घटनायें हों और उनके ऊपर आंख मींच ली गई तो मैं समझता हूं कि फिर सारे राजाओं के केसेज भी हैं, और भी प्रापर्टी पर उनकी निगाह है, उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे । अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, जहां सेशन जज की अदालत लगती है, हाथी वहां घुसेड़ कर उनको मार कर लोहे की छड़ से उनको चिघाड़ना शुरू करा दिया, जिससे सेशन जज अदालत में फैसले न कर सके । कलेक्टर का आफिस वहां है, शीश महल में, उसमें घुस कर, मिस्त्रियों को लाकर हथौड़े की चोट देना शुरू करा दिया ताकि कलेक्टर के आफिस में काम न हो सके और वह वहां से उठ कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भाग जाय। मेरे पास लिस्ट है प्रापर्टी की, जो प्रापर्टी राजा को दी गई है। उसमें साफतौर से लिखा हुआ है, यह महल है, इसके बारे में लिखा हुआ है :

City Palace including adjoining building a portion of the building at present in use by the State for administrative purpose or for Museum and Imperial Bank will continue to be so used till such time as required. Requirements of the State in future will not be of the same order as today. Every effort will be made to release accommodation at present occupied in the Zanana and Mardana Mahal at the earliest practicable time....

अध्यक्ष महोदय, यह 1947 के कोवनेन्ट का हिस्सा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस के बाद राजनैतिक स्थिति बहुत बदली है, इस लिस्ट के तहत जनाना महल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में था, आपने वापिस उनको काम के लिए दे दिया। वह आज भी खाली पड़ा है और उसके अन्दर चमगादड़ दौड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद पालिटिकल स्थिति में परिवर्तन हुआ है। जो सेटलमेंट किया राजा के प्रिवीपर्स का, प्राइवेट प्रापर्टी का, उसके बाद में राजाओं को डीरिकगनाइज किया है, रूलर्स को डीरिकगनाइज किया है और पहले जो प्रापर्टी थी, उस प्रापर्टी का राइट देने का सवाल नहीं है। मेरा निवेदन करना है, मैं पहले भी सदन में निवेदन कर चुका हूं, कोवनेन्ट के तहत जो प्राइवेट प्रापर्टी की लिस्ट थी, अब उसकी लीगल वेलिडिटी नहीं रही है क्योंकि रूलर्स के साथ एग्रीमेंट अब नहीं रहा है। अब तेजसिंह रूलर नहीं है, इसलिए कोवनेन्ट के तहत प्राइवेट प्रापर्टी को होल्ड करने का अधिकार नहीं है इसलिए जो प्रापर्टी उनकी मानी जाती थी उस वक्त वह डीरिकगनाइज होने के बाद प्रापर्टी स्टेट की हो चुकी है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो मिनिट में कर रहा हूं।

यह महल में घुसे, ऐसा नहीं हो कि जो स्टेट के कब्जे में है वह उनके हाथ में हो। जो किराया दिया है, इस किराये का जिक्र भी नहीं है। इस सदन में बैठे हैं, इस सदन का कल के दिन किराया बहुत लम्बा चौड़ा क्लेम करने लगेंगे। मैं कहता हूं कि इस तरह से आप रास्ता खोल रहे हैं, यह गलत है। यह तमाम महल जो सरकार के काम में आ रहे हैं, वह सरकार के कब्जे में है। फिर वह इन सब बातों को एक तरफ रख कर तमाम पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास पावर नहीं थी। उसको क्यों नहीं रोका। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं कि सुखाड़ियाजी के जमाने में एक वक्त इन्हीं महाराज कुमार ने जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा किया था और कोठी बनाई गई। सर्किट हाउस में जाते हैं, वहां कोने पर। उस वक्त महाराज कुमार हथियार लेकर आ गये थे, लेकिन उनको कब्जा नहीं करने दिया गया। उस वक्त के चीफ

Page No 65

(65)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सेक्रेटरी ने वारण्ट आफ अरेस्ट जारी कर दिया था तब जाकर अक्ल ठीक हुई । तब सरकार का कब्जा होने दिया था । मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय हरिदेव जोशी, आपसे उम्मीद करते हैं, आपने बांसवाड़ा में मुकाबला किया है राजाओं का, फिर भी राजाओं से समझौता करते चले आ रहे हैं । हम उम्मीद करते हैं कि राजाओं से समझौता करने और उनके सामने झुकने का रास्ता छोड़ कर सामन्तवाद को समाप्त करने का, सामन्तवाद से संघर्ष करने का रास्ता अपनायें । और सामान्य नागरिकों की पावर हैं उसी तरह का रुख राजाओं के प्रति रखें। राजा जमीन को लेते जा रहे हैं, प्रापर्टी पर कब्जा करते जा रहे हैं नाराजय तरीके से, मैं समझता हूं, पहला टेस्ट है, मुख्य मन्त्री पद सम्भालने के बाद पहला टेस्ट हमारे सामने इन राजाओं का आया है । हम यह चाहेंगे मुख्य मंत्री जी जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है आपने उस घोषणा के अनुरुप इसमें कदम उठाया और यह बताया कि वास्तव में जो उन्होंने जनता के प्रति अपना वादा किया है उसको निभाने के लिए वह दृढ़ संकल्प हैं । यही कहकर चाहूंगा कि वह इसका जवाब दे दें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दो चार सवाल पूछने हैं ।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लें पहले । यह एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में स्टेटमेंट है । इसके अलावा और भी प्रस्ताव हैं और भी दूसरे काम हैं । मैं समझता हूं कि मंत्री जी को सुन लें वह ज्यादा इम्पोरटेन्ट है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इम्पोरटेन्ट मामला है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सिर्फ दो चार सवाल हैं और मैं सिर्फ क्लेरीफिकेशन चाहता हूं । एक दो सवाल करना चाहता हूं । मैं यह पूछना चाहता था कि यह जो आर्म्स लेकर गए और आर्म्स एक्ट के मातहत वह आर्म्स लाइसेन्स्ड थे या अन-लाइसेन्स्ड थे ? इसके साथ में आप यह ध्यान में रखें कि उनके प्रिविलेजेज समाप्त हो गए हैं और वह आर्म्स नहीं रख सकते । मेरी जानकारी है कि 100–150 आदमी बन्दूक लेकर गये तो मैं जानना चाहता था कि आर्म्स लेकर गये तो क्या वह एक्ट के अन्दर लाइसेन्स्ड थे ? अगर लाइसेन्स्ड थे तो किस आधार पर दिये गये ।

दूसरा सवाल यह है कि इस सिलसिले में क्या राज्य सरकार ने लीगल एडवाइस ली कि प्रिविलेजेज खतम होने के बाद झण्डा लगाते हैं तो 448 का ही आफेन्स होता है या सिडीशन की हरकत में आता है ? अगर आपके यहां पाकिस्तान का झण्डा लगा दें तो उसके ऊपर 124 लगायेंगे या कौनसा लगायेंगे ? इसी तरह से मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जो झण्डा उन्होंने लगाया उसमें खाली पुलिस ने यह कह कर कि ट्रेसपास किया और 448 लगा दी तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह औचित्य है कि कोई झण्डा लगाये उसको 448 माना जाये ?

तीसरा सवाल यह है कि इस सिलसिले में कितनी अरेस्ट्स की गयीं और उनके साथ क्या सलूक किया गया और खुद राजा के साहबजादे थे उनको गिरफ्तार किया गया या नहीं ? यह जानकारी जानना चाहता था और सबसे ज्यादा इम्पोरटेन्ट सवाल यह है । मंत्री महोदय मेरा अर्ज करना यह है कि जो आपने तीन दिन टालरेट किया उसका क्या

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आधार था ? एक दफा प्रिसिडेन्स हो गया और रेकर्ड है और झण्डा लगा दिया जाये जिसका कोई औचित्य नहीं हो सकता इसलिये इन पांचों प्रश्नों के बारे में भी इनफोर्मेशन दे दी जाये कि उनका क्या जवाब है ? आर्म्स सीज किये या नहीं ? अगर किये हैं तो क्या क्या चीज सीज की गयीं । यह बता दें ।

श्री केशरीमल : सिर्फ एक क्वेश्चन । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जाली टूटने का किस्सा होने के बाद हमारे यहां के राज्य मन्त्री श्री जुझारसिंह जी वहां मुजरा देने के लिए गये क्या यह सही है ? और क्या उनका वहां जाना प्रोत्साहन देना नहीं है और प्रोटेक्शन देना नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो फैक्टस राज्य मंत्री जी ने सदन के समक्ष रखे हैं और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है । वह उनका व्यक्तिगत नहीं है, वह राज्य सरकार का स्टेटमेंट है । यह किस्सा मेरे समक्ष आया था और माननीय सदस्य ने भी मुझे बतलाया था और कलेक्टर अलवर को भी बुलाया और सारी स्थिति को मैंने समझने की कोशिश की । इस सारी चीज में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य के और मेरे एप्रोच में बेसिक फर्क है और वह फर्क यह है कि वह ऐसा समझ रहे हैं शायद कि महाराज कुमार अलवर कोई अलवर का राज्य हथियाने की तैयारी कर रहे हैं, वह इन्डिपेन्डेन्ट महाराजा अपने आपको घोषित करा पायेंगे, कुछ ऐसा हो जायेगा और राजस्थान राज्य का इन्टीग्रेशन कहीं शायद खतरे में होकर कुछ अव्यवस्था हो जायेगी ऐसी कुछ बात का उनकी बातों से आभास होता है उसके मुकाबले में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एक्शन्स दूसरी तरफ से हो रहे हैं उनको मैं बहुत ही माइल्डेस्ट वे में कहूं तो बचकाना कह सकता हूं । कोई राजा आज के जमाने में अपना झण्डा फहरा दे मुझे उस पर हंसी ज्यादा आयी और गुस्सा कम आयेगा । आपको गुस्सा आता है और मुझे हंसी आती है-इतना फर्क है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में कई प्रकार के लोग हैं उनमें बाजमर्तबा इस तरह के लोग भी हैं जो झंडा फहराते हैं अथवा कुछ ऐसे ही काम करते हैं । मेरा निवेदन यह है कि मैं इस राय का हूं कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की तरह से चलना चाहिये । गवर्नमेंट के माने यह है कि कहीं भी इस प्रकार का अगर दरअसल में खतरा है तो स्टर्न एक्शन लेना चाहिये । इसलिए मैंने स्वयं ने चला कर कलेक्टर को सरटेन डाइरेक्शन्स दिये हैं । जहां तक आफिस को डिस्टर्ब करने का सवाल है, सामान को तोड़फोड़ करने का सवाल है अथवा उसमें किसी प्रकार की बाज हरकत करने का सवाल है कहीं भी उसको टालरेट नहीं करना चाहिए और किसी भी कदर गिव-अप नहीं करना चाहिए । स्टेट के अधिकार हैं उस चीज में कहीं भी गिव-अप करने का सवाल नहीं होता है । बाकी बचकाना हरकत कोई करते हैं तो मैं उसे इस रूप में देखता हूं कि वह कम समझी की बातें हैं । इसलिए कम समझी की बातों में कलेक्टर ने एक्शन नहीं लिया उसमें कुसूरवार मैं हूं दूसरा कोई आफिसर नहीं है क्योंकि कलेक्टर को ही मैंने बहुत साफ साफ कहा था ।

अब रह जाता है सवाल माननीय सदस्य ने यहां राज्य मंत्री जी के लिए कहा था

(श्री हरिदेव जोशी)

होम कमिश्नर के लिए कहा। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि पता नहीं क्यों मेरे मन में यह बैठा हुआ है कि चाहे राज्य मंत्री करे कहीं कोई भी चीज इस केस में नहीं हो रही है जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोई एक्शन लिया हो अलबत्ता जो फाइल वहां से मंगाई गई वह मेरी जानकारी में नहीं मंगवाई गई थी। इसके सिवाय चाहे चीफ सेक्रेट्री ने कोई कहीं एक्शन लिया हो, होम कमिश्नर ने लिया हो तो राज्य मंत्री जी तो बीच में नहीं आते सिवाय इसके कि गवर्नमेंट स्टेटमेंट तैयार करती है उसको मैं नहीं पढ़ता हूं वह पढ़ते हैं। इसलिए उस पर कहना कि वह एक अमुक जाति के हैं इसलिए उन्होंने किया, यह उनके साथ में ज्यादती हुई है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं भी यही स्टेटमेंट पढ़ता जो उन्होंने मेरी ओर से पढ़ा है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने टेलीफोन की बात बताई।

श्री हरिदेव जोशी: नो। मैं निश्चित-रूप से कह सकता हूं, मैं गुलाबसिंह जी को आज से नहीं, एक बहुत लम्बे अर्से से जानता हूं, किसी भी ऐसे व्यक्ति से अपना सम्बन्ध या सम्पर्क वह नहीं रखते जो कि आज के सामाजिक जीवन के अन्दर फिट इन नहीं करता। रह जाता है सवाल सरकार के एक्शन लेने का। सरकार की ओर से मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार कमिटेड है इस मामले में कि जहां एक समर्थ व्यक्ति और कमजोर व्यक्ति के बीच में संघर्ष हो, तो राज्य सरकार निश्चितरूप से कमजोर व्यक्ति के पक्ष मे खड़ी रहेगी। अब रह जाता है सवाल कि सरकार और भूतपूर्व राजा के बीच में कहीं कोई चीज आती है तो उसको किस रूप में राज्य सरकार को लेना चाहिए। मैं राजाओं को जो किसी जमाने में राजा थे, उन्हें जिस निगाह से 1942, 1945 या 1947 में देखता था उससे भिन्न दृष्टि से देखता हूं, वह यह कि वे आज हैसियत वाले समाज में प्रतिष्ठा-प्राप्त व्यक्ति हैं, उन्हें अपने आपको राजा के रूप में नहीं देखना चाहिए, उनके मन में कभी भी यह चीज नहीं होनी चाहिये कि वे समाज के अन्दर दूसरों से अधिक ऊंचे हैं। अगर कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो निश्चितरूप से कुछ न कुछ खराबी है........

श्री रामकिशन : यह रेकार्ड में नहीं आएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दिमाग में खराबी है, यह मतलब है।

श्री हरिदेव जोशी : कहीं भी है। प्रतापसिंह व दूसरों ने कानूनी रूप में गलती की है तो उनको हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। किसी स्थिति में गैरकानूनी काम करते हैं तो कोई रियायत उनके साथ नहीं की जाएगी अगर जालियों को तोड़ने का सवाल है तो मैंने आदेश दे दिये हैं कि विसाविस गवर्नमेंट का जो एक्शन है, एक ही एजेन्सी सारा काम करे और हम जैसे मैंने कहा है जो भी केसेज दायर किए गए हैं पुलिस में उन सब में मैं इसलिए भी नहीं जाना चाहता कि सम्भव है कि यह केस आगे बढ़ेगा, गवर्नमेन्ट का क्या पक्ष है क्या थिंकिग है, ये चीजें सामने वाली पार्टी के सामने नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं यही कह सकता हूं कि सरकार, जहां उसके अधिकार

Page No 68

(68)

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं उनमें किसी प्रकार की रियायत करने के लिए तैयार नहीं है और कहीं भी गैर-कानूनी कार्यवाही हुई है तो उसको किसी प्रकार बख्शा नहीं जाएगा । अलबत्ता मैं कोई ऐसे एक्शन को पसंद नहीं करता जिसको बाद में सरकार को रिट्रेस करना पड़े। इसलिए मैंने इन सारी चीजों को इग्जेमिन करवाने की ओर कदम उठाने की बात कही ।

रह जाता है माननीय सदस्य ने सम्मानीय महिला का नाम लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री द्वारा मुझे संदेश दिए जाने की बात कही । मुझमें अगर ईमानदारी है तो उसको रखकर मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस दरमियान उनसे मिला हूं लेकिन एक शब्द भी उन्होंने मुझ से नहीं कहा ।

श्री रामकिशन : महिला कहां से आ गई ?

श्री हरिदेव जोशी : न महिला ने मुझ से कहा न दीक्षितजी ने कहा । अगर ऐसी कोई चीज थी तो मुझसे मेहरबानी करके जानकारी करते तो मैं साफ साफ कहता । मुझ में एक दंभ है वह यह कि मुझे कोई भी अनुचित बात नहीं कहेगा, ऐसा समझकर मैं चलता हूं । इस प्रकार के केसेज में सब लोग मेरी मनोवृत्ति को समझते हैं जानते हैं, मुझे कोई नहीं कहेगा और दीक्षित जी को मैं लम्बे अर्से से जानता हूं, वह कभी भी सिफारिशबाजी में नहीं पड़ते ।

श्री रामानंद अग्रवाल : माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो फाइल वहां से मंगाई गई, वह उनकी जानकारी में नहीं थी ।

श्री हरिदेव जोशी : एडमिनिस्ट्रेटिवली मंगाना जरूरी है तो आइ.जी.पी. ने मंगाई होगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर सी. आइ. डी. को भेजने का क्या औचित्य था जबकि ये सारे तथ्य बिल्कुल सामने हैं और इस बात को कहा जा रहा है कि जालियां रिमूव की जायंगी । तो इस मामले को सी. आइ. डी. को आपकी सहमति से रेफर किया है या आप इसको उचित समझते हैं या रफा दफा करने का रास्ता नहीं है तो इसलिए किया है ? मैंने राज्य गृहमंत्री या गृहायुक्त के बारे में कहा है वह केवल जाति की वजह से नहीं लेकिन जो मेरी जानकारी है, टेलीफोन पर जो बातें हुई हैं, महाराज कुमार के घर के टेलीफोन बिल्स मंगाकर देखा जा सकता है कि इन तीनों महानुभावों में कितनी बार बातें हुई हैं तो वह भी एक आधार है । दीक्षितजी के बारे में आपने कहा है, आप कांग्रेस पार्टी मीटिंग में कांग्रेस एम. पीज. से विश्वास प्राप्त कर लें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता । मेरी जानकारी कांग्रेस के एम .पी. से दिल्ली में हुई है, और कोई मेरी जानकारी का आधार नहीं है । क्या बात हुई वह भी मैंने नहीं कहा है लेकिन आप अपनी पार्टी मीटिंग को बुलाकर आप एम. पीज. से पूछें कि क्या यह सही है या नहीं कि दिल्ली में इस बात की चर्चा है या नहीं, उन्होंने मुझ से कहा था या नहीं । आप अपने संतोष के लिए कर लें ताकि भविष्य में आप ठीक कदम उठा सकेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं पूर्ण संतोष करके कह रहा हूं कि श्री गुलाबसिंह की महाराज कुमार से कभी कोई बात नहीं हुई, मैं पूर्ण संतोष करके कह रहा हूं कि गृहायुक्त की महाराज कुमार से कोई कभी बात नहीं हुई। आपको जो सूचना दी गई है, एकदम असत्य है और तथ्यों के विपरीत है। एस. पी. अलवर के रिक्वेस्ट पर हायर ऑथोरिटीज से फाइल को देखने के लिए मंगाई। एस. पी. ने रिक्वेस्ट की कि इस प्रकार स्थिति उलझन में है, हमें गाइडेंस दी जाए, तब जाकर यह किया गया है। आज सी. आइ. डी. जो एन्कुवायरी कर रही है और वह चल रही है वह राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर कर रही है और राज्य सरकार के माइने मुख्य मंत्री तक।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत बेरोजगार इन्जीनियरों की मांगें मंजूर न होने से उत्पन्न स्थिति पर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मंत्री) : इस प्रस्ताव का मुझ से संबंध नहीं है, यह मेन पावर के पास है जो योजना विभाग के पास है। उसका ही बेरोजगार इंजनीयर और रोस्टर सिस्टम से संबंध है इसलिए इसको उन्हें ट्रांसफर किया जाए।

श्री हरिदेव जोशी : आइ एम वेरी सॉरी। कोई गल्ती हुई मालूम पड़ती है। अगर आप सहमत हों तो वक्तव्य लिखा हुआ होगा, अगर कल के लिए रख दें....

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री हरिदेव जोशी : हो सकता है श्रम मंत्री के पास वह वक्तव्य गया हो, उनके निजी सचिव ने पुटअप न किया हो, इस लिए उनको यह कहना पड़ा। होना यह चाहिए था कि जैसे ही एक मंत्री के पास वह कागज पहुंच गया तो संबंधित मंत्री के पास पहुँचाना चाहिए था, सरकार की ओर से गल्ती हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कार्य की विषय सूची है उसमें जो पहले आपके चेम्बर में तय हुआ था कि खाद्य मंत्री का वक्तव्य होना चाहिए और उस पर डिबेट होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से इसमें रखा गया है, एक माननीय सदस्य ने नियम 127 के अन्तर्गत चर्चा चाही है। वह माननीय सदस्य दूसरा दृष्टिकोण रखते हैं, वह दूसरे दृष्टिकोण से चर्चा करना चाहते हैं। सरकार की जो अब राष्ट्रीयकरण के बारे में नीति है, उसका वह स्वागत करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत व्यापारियों को देना कम रह गया तो और निभाना चाहते हैं। हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था, हमें रोष है कि राष्ट्रीयकरण की नीति को लेकर सरकार ने व्यापारियों और बड़े बड़े जमींदारों के आगे आत्मसमर्पण किया है, उस मामले को हम रखना चाहते हैं, आप हमें मौका नहीं दे रहे हैं। मंत्रीजी का वक्तव्य आना चाहिए था और उस पर बहस होनी चाहिए। आप माननीय सदस्य को नियम 127 के अंतर्गत मौका दें, हमको अलग से कह देते, हम भी दूसरा प्रस्ताव देते इसलिए मंत्रीजी का वक्तव्य होना चाहिए और उस पर डिबेट होनी चाहिए।

विधायी कार्य मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974 परिनियत संकल्प

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में कुछ माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव आये थे इसके अलावा शास्त्रीजी जोकि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की थी उसको शामिल किया है। जिन जिन माननीय सदस्यों ने अपने एडजोर्नमेन्ट मोशन दिये हैं उनको सभी को बोलने का मौका मिलेगा। इसके बाद में स्टेटमेन्ट होगा।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

श्री केदारनाथ : वह तो आपने कल के लिये रख लिया है।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । परिनियत संकल्प । श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 1974 को प्रख्यापित मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं. 3 सन् 1974) को अस्वीकार करता है।

2.51 बजे

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव किया है उसमें मेरी मन्शा यह नहीं है कि इस मोटर गाड़ी विधेयक का विरोध किया जावे। हमारी भावना मूलरूप से इसके खिलाफ नहीं है यह मैंने इसलिये दिया है कि राज्य सरकार निरन्तर इस प्रकार की स्थिति पैदा करती जा रही है कि पहले तो कानून बनाती है और फिर उसे पारित करती है पारित करते वक्त वह जानबूझ कर उसमें कुछ गलतियां रख देती है उसके बाद में पार्टियां उसके खिलाफ में हाईकोर्ट में आती है और फिर बाद में राज्य सरकार को जब तब यह अध्यादेश लाना पड़ता है। मेरा इस संकल्प के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित इस ओर करना इसलिये आवश्यक हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जो राष्ट्रीयकरण के बारे में विधेयक लाती है उसके खिलाफत करने का हमारा ध्येय कभी नहीं रहेगा हम तो राष्ट्रीयकरण की नीति के समर्थक हैं उसके हामी हैं। लेकिन राज्य सरकार जिस तरह के संशोधन यहां पर सदन में लाती है और जो स्टेटमेन्ट सदन में मन्त्री महोदय देते हैं कि हम 25 प्रतिशत रूट्स का राष्ट्रीयकरण कर लेंगे। इसलिये मैं आपके मारफत यह मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं यह जो आप 25 परसेन्ट बसेज का रूट्स का जो आप राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं वह सही मायने में सरकार करना चाहती है या नहीं। राज्य सरकार रूट्स का राष्ट्रीयकरण करे उसकी हमें चिन्ता नहीं। राज्य सरकार अपनी आमदनी बढ़ावे उसकी हमें चिन्ता नहीं हम तो व्यक्तिगत सम्पत्ति को कम करने के पक्ष में हैं। राष्ट्रीयकरण का तो हम हमेशा ही स्वागत करेंगे लेकिन राज्य सरकार जो राष्ट्रीयकरण को बदनाम कर रही है उसके

(श्री रामकिशन)

खिलाफ में है। क्योंकि किसी भी चीज का आप राष्ट्रीयकरण करते हैं तो पहले उसमें सरकार को देखना चाहिये कि हमें क्या करना है उसकी टेक्नीक को समझा जाना चाहिये, लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिये यह क्या कि एक नाम सुना राष्ट्रीयकरण अच्छी चीज है और आपने बिना सोचे समझे राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। चाहे आप उसका अर्थ समझें या नहीं समझें। चाहें उसके करने से अर्थ होगा या अनर्थ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य ने मोटर वेहीकल्स एक्ट में संशोधन करने के लिये जिक्र किया है उसका भी मैं कोई विरोध नहीं करता लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह आकर खड़ी हो गयी कि आपको संशोधन करना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा महसूस होता जा रहा है कि जिस तरह राज्य सरकार राष्ट्रीयकरण करती जा रही है उसी तरह उनमें भ्रष्टाचार और अव्यवस्था भी उनमें फैलती जा रही है। क्या सरकार यह जानती है कि वह जितने रूट्स का राष्ट्रीयकरण करेगी वहां पर सुचारुरूप से काम चला सकेगी। या सरकार अब अपने इस पुराने ढर्रे में कुछ सुधार करने की कोशिश करेगी। इस वक्त मैं उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन के बारे में नहीं बोलूंगा उसकी आय क्या है क्या खामियां उसका भी जिकर अभी नहीं करूंगा क्योंकि वह मैं बजट के वक्त बोल चुका हूं सदन में। उसमें कितना नफा नुकसान है उसके बारे में भी चर्चा अभी करके मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता क्योंकि यह तो मैं जिस दिन यातायात की मांगें थी उस दिन बोल चुका हूं। इसके साथ साथ मैं यह भी नहीं सदन में अभी कहूंगा कि कितनी पून्जी राज्य सरकार की इस कारपोरेशन में लगी हुई है और उसके मारफत हमारी राज्य सरकार को क्या मिलना चाहिये या क्या नहीं मिलना चाहिये उसको भी मैं अभी दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जिस रफ्तार से राष्ट्रीयकरण करती जा रही है उस सब व्यवस्था को सुचारुरूप से चला सकेगी इसमें मुझे शक होता है। क्योंकि यह तो सरकार की घोषित नीति हो गयी है कि सरकार राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। यह तो राष्ट्रीयकरण की हवा चली और कांग्रेस वालों को यह पता चला कि राष्ट्रीयकरण प्रगतिशील कदम है अतः इन्होंने प्रगतिशील के नारे के तहत राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। इसके दो फायदे कांग्रेस वालों को हैं पहला तो यह है कि वह चुनाव में अपने आपको प्रगतिशील कहलाने लग जाये कि हम राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं दूसरे उनको दूसरे दलों से मदद मिल जाती है और उनकी चुनावों में हालत मजबूत हो जाती है। इसलिये राष्ट्रीयकरण का हथियार कांग्रेस ने अपने हाथ में लिया है। एक तरफ तो अपने को प्रगतिशील कहते हैं दूसरी तरफ पार्टी को मजबूत करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीयकरण को आप अच्छी तरह समझ नहीं सके तो यह लोकतन्त्र के लिए एक भयंकर घातक सिद्ध हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य सरकार राष्ट्रीयकरण रूट्स का करना चाहती है वह करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कुछ माननीय सदस्यों का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित

(श्री रामकिशन)

करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजन के अन्त तक 25 प्रतिशत रूट्स राज्य सरकार नेशनेलाइज करेगी। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार अपने इस 25 प्रतिशत रूट्स को नेशनेलाइज करने के लिये सिन्सियरिटी से काम नहीं ले रही है। उनके संस्कार पवित्र नहीं है। इसमें उन्होंने यह देखा कि इसमें कौन से जिले को लेना है कौनसे को नहीं लेना है। इसमें एक जिले को ले लिया उसमें भी परटीक्यूलर रूट्स को छोड़ दिया परटीक्यूलर रूट को ले लिया जाय। इसका कारण यह है उपाध्यक्ष महोदय कि इन 25 प्रतिशत रूट्स जो बस ग्रापरेटर्स ऐसे हैं जिनमें अधिकांश वह लोग हैं जो कि या तो सरकारी पार्टी के समर्थक हैं या सरकारी पार्टी को सहयोग देते हैं या वह लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के जो मन्त्री वगैरह हैं उनके रिश्तेदार हैं या उनके परिवार वाले लोग हैं। इसलिये राष्ट्रीयकरण करते वक्त सरकार यह ध्यान रखती है कि इन लोगों को कैसे बचाया जाय। ताकि राष्ट्रीयकरण की नीति का भी चलाते रहे हैं और इन लोगों को भी लाभ मिलता रहे। उन्हें कोई नुकसान नहीं हो। यह अभी जो यातायात मन्त्री जी हैं वह तो नये नये हैं। यह राष्ट्रीयकरण की नीति को क्या समझे। राष्ट्रीयकरण भी एक अजीब खेल है। उपाध्यक्ष महोदय, जब राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो मुझे एक घटना याद आती है। इनमें होता क्या है कि पहले स्कीम प्रकाशित कर देते हैं और फिर लोगों से ग्रोब्जेक्शन मांगते हैं और जब स्कीम फाइनल हो जाती है तो फिर बस ग्रापरेटर्स इनके पास जाते हैं तो यह उन्हें कहते हैं कि हम इसे छोड़ देंगे तुम इतना चन्दा कांग्रेस पार्टी को दो या चुनाव होते हैं तो चुनावों के लिए चन्दा दो। और जब चन्दा दे दिया जाता है तो उस स्कीम को छोड़ देते हैं। इस प्रकार का वाकया हमारे उधर गुजरा। मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन यह बताना चाहता हूं इसकी चर्चा पहले सदन में काफी हुई थी। यह वह महाशय हैं जिनकी भी बस चलती है स्वतन्त्रता आन्दोलन के दिनों में वह हमारे साथ भाग ले चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अलवर भरतपुर की तरफ से कुछ स्कीमें प्रकाशित हुई। तो बस ग्रापरेटर्स घबराये और उन्होंने मीटिंग की तो यह कहा कि तुम चालीस हजार रुपया दो तो हम इस स्कीम को नहीं लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, चालीस हजार रुपया लेकर कुछ दिन उस स्कीम्स को रोक दिया गया लेकिन बाद फिर वही स्कीम्स प्रकाशित हुई तो जब वह बस ग्रापरेटर्स उनसे जाकर मिले तो उन्होंने कहा कि यह तो उतने दिनों तक रोकने के लिए ही लिया था अब आगे और बात करो तो और रुपये दो तो यह फाइनल रुक सकता है। अध्यक्ष महोदय, बेचारे बस ग्रापरेटर्स ने 40 हजार रुपये भी दिये और काम भी पक्का नहीं हुआ। तो उपाध्यक्ष महोदय यह तो कांग्रेस पार्टी के चुनावों के दिनों में चन्दा लेने का रास्ता हो गया है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर राज्य सरकार राष्ट्रीयकरण करने की सही माने में मन्शा रखती है तो हमें तो फायदा ही है क्योंकि हम तो राष्ट्रीयकरण की नीति के समर्थक हैं और इस बात के पक्ष में है कि धीरे धीरे व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं उसको समाप्त किया जाय

(श्री रामकिशन)

हम तो राष्ट्रीयकरण की नीति के विरोधी नहीं हैं लेकिन यह परिनियत संकल्प देकर हमने तो सिर्फ राज्य सरकार से एक नाराज जाहिर करने के लिये एक मौका लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात माननीय मंत्रीजी से कहनी है। आप 25 परसेंट मार्गों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। राष्ट्रीयकरण मार्गों का 25 प्रतिशत हो जाय। लेकिन आप क्षेत्र को नहीं देखते हैं। भरतपुर में 25 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। जितने रूट्स थे उन मार्गों पर या तो स्कीम चालू करदी या बसें चल चुकी हैं। स्कीम प्रकाशित हो चुकी है। और सरकार की ओर से उन मार्गों के ऊपर बसें चलाई जावेंगी। लेकिन ऐसे रूट्स को छोड़ दिया जाता है ऐसे रूट्स भी हैं जहां पर रोडवेज की बसें चलायी थीं और उनको वापिस बन्द कर दिया। वापिस उसको ले लिया। माननीय मंत्रीजी, आपको जानकारी होगी। पिलानी और जयपुर के बीच में रोडवेज की बसें चलनी शुरू हो गयी थीं। अच्छा रूट है और नुकसान का कहीं सवाल नहीं था। पांच छः महीने चलीं और उनको बन्द कर दिया। जो प्राइवेट पार्टीज इससे अफेक्टेड थीं उनसे तीन लाख रुपया चुनाव में चन्दा ले लिया। मुझे इस बात का ताज्जुब होता है कि जो दल अपने आपको समाजवाद का समर्थक मानता है, जो अपने आपको राष्ट्रीयकरण का समर्थक मानता है वह अपने आपको करप्शन के अन्दर शामिल कर लेता है वे दल न केवल राष्ट्रीयकरण को ही बदनाम करते हैं, न केवल समाजवाद को ही बदनाम करता है किन्तु वह ऐसी शक्तियों के हाथ मजबूत करता है जो कि राष्ट्रीयकरण की विरोधी हैं। कांग्रेस के लोग राष्ट्रीयकरण की तरफ बात करते हैं और उन लोगों को गालियां देते हैं जो जनसंघ या स्वतन्त्र दल से संबंधित होते हैं और काम करप्शन का करते हैं। आप अपने कर्म से और अपने आचरण से राष्ट्रीयकरण को बदनाम कर रहे हैं। समाजवाद को बदनाम कर रहे हैं। एक नहीं अनेक मिसालें हैं। मैं जानता हूं। कोई माननीय सदस्य मुझे इसके लिये चुनौती दे कि कब कब किन किन रूट्स पर कितना पैसा लिया गया मैं उनको बता सकता हूं। उनकी सूचना भी मेरे पास है।

अगर राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है तो करिये। अपने दल की शक्ति को बढ़ाने के लिये और करप्शन को बढ़ाने के लिये और उसको पालने के लिये आप राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके फिलहाल आप इन कार्यक्रमों को छोड़ दीजिये। जो भी सरकार आवेगी उसको चिन्ता होगी वह करेगी। जनता को आज आपके समाजवाद से नफरत होगयी है। समाजवाद एक जीवित और वैज्ञानिक दर्शन है। मनुष्य-मनुष्य के बीच की खाई को पाटने वाला समाजवाद से बढ़ कर और कोई दर्शन नहीं है। आपने अपने आचरण से, अपनी नीतियों से इसको इतना बदनाम कर दिया है कि उसके व्यवहार में उसकी क्या दुर्दशा कर दी गई है जो जानकारी में होने के कारण इसका हम समर्थन करने में हिचकिचाते हैं।

एक बात मैं मंत्री महोदय, कहना चाहूंगा। भरतपुर में कुछ मार्गों का आपने राष्ट्रीयकरण किया। विज्ञप्ति निकाली। जो कन्डक्टर और ड्राइवर हैं उस कारण से बेकार हुए हैं उनको राज्य सरकार, निगम अपने यहां भर्ती करने में प्राथमिकता देगा। जो प्राइवेट कम्पनियां थीं और राष्ट्रीयकरण

(श्री रामकिशन)

कर देने से ये लोग बेकार होगये थे उनको निगम प्राथमिकता देगा यह विज्ञप्ति निकाली गयी। मैंने इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया था और माननीय अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी थी, माननीय मंत्रीजी इसका जवाब देंगे। भर्ती की जा रही है। या भर्ती कर ली गयी है। चालीस कन्डक्टर और ड्राइवर्स में से एक को भी उनको नहीं लिया गया। लेकिन जिनके खिलाफ चार्जेज थे, जिनका नाम एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज से नहीं आया है और उनसे पैसे धेला लेकर उनको ले लिया गया और जो राष्ट्रीयकरण के कारण ये लोग बेकार हो गये थे उनको रोजगार देना चाहिये लेकिन उनको लिया नहीं गया। इसलिये माननीय मंत्रीजी से मैं चाहूंगा कि वे खासतौर से बतायें उनको लिया जावेगा या नहीं। आपका वायदा है। उसके अनुसार उनको लेना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ रोडवेज का जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, कई करप्शन के मामले सामने आते हैं राजकीय उपक्रम समिति की रिपोर्ट सामने आयी है। रात को दी गयी है। उसको कोई पढ़ नहीं सके और राय नहीं दे सके। यदि उसको देखें तो इतनी धांधलीबाजी है और इतनी कमियां निगम के कार्यों में कि जिसकी कोई हद नहीं और इसीलिये यह निगम घाटे में जाती है, नुकसान में जाता है। छोटे छोटे बस ओपरेटर्स, ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स थोड़ी पूंजी लगा कर जो अपने परिवार का भरण-पोषण कर लिया करते थे वे आज बेकार हो गये हैं। निगम की आज हालत सुधर गयी हो। जिस तरह से निगम घाटे में जाता रहा है यह राष्ट्रीयकरण का दोष नहीं है किन्तु भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की वजह से निगम बदनाम होता चला जा रहा है।

अभी निगम ने टिन की चद्दर बसों की बोडीज बनाने के लिये खरीदीं। इनका 8 रु० से 11 रुपये तक का भाव था लेकिन 22 रुपये के भाव में ली गयीं। सम्पत्ति लगती है राज्य के पास से। अधिकारियों को राज्य की सम्पत्ति का इतना मोह होना चाहिये कि उसको अपनी समझे और यह समझे कि यह राष्ट्र की सम्पत्ति है लेकिन सरकारी अफसर और सरकारी दल को प्रगतिशीलता का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है लेकिन जनता की सम्पत्ति पर इस प्रकार से डाका डाला जाता है कि जिससे यह राष्ट्रीयकरण ही बदनाम हो चुका है। डिपो मैनेजर हो या और कोई हो आमतौर पर उन पर गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तीन तीन साल से मामले चल हैं। उनकी जांच नहीं की जाती है। बहुत से ऐसे केसेज हैं कि जिनमें लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है उनको तरक्की पर भेज दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जिस उद्देश्य के लिये आपने अमेंडमेंट पेश किया है, जिस उद्देश्य से आप अध्यादेश लाये हैं वह उद्देश्य आपका अच्छा है लेकिन राजस्व में भ्रष्टाचार के कारण वृद्धि नहीं हो पाती है।

छोटे 2 जो बस ओपरेटर्स हैं उनकी समस्याओं को सफाई हाथोंहाथ करते रहना चाहिये। जो डिस्प्लेस होते हैं उन लोगों को बिला हुलहुज्जत के दूसरे रूट देने चाहिये। जिस प्रकार से उनको

(श्री रामकिशन)

कम्पेन्सेट करना है उनको उस प्रकार से कम्पेन्सेट करके लगा देना चाहिये। वे कोई बड़े पूंजीपति तो हैं नहीं। छोटे 2 बस ग्रोपरेटर्स थोड़ी थोड़ी पूंजी वाले साधारण लोग हैं। कर्जा लेकर बसों को चलाने वाले लोग हैं। इसलिये जिन रूट्स को सरकार ले ले उनके लिये एल्टरनेटिव रूट्स की व्यवस्था हो जानी चाहिये ताकि वे लोग परेशान न हों ग्रौर न उनका खर्चा हो।

इन्हीं शब्दों के साथ ग्रौर कुछ कहना नहीं है क्योंकि मैं राष्ट्रीयकरण का समर्थक रहा हूं। दूसरी चीजों पर न कह कर मैं यह चाहूंगा कि ड्राइवर ग्रौर कन्डक्टर जो बेराजगार हो गये हैं या हो रहे हैं उनको खपाने के लिये राज्य सरकार जिम्मेदारी ले।

ग्राज भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त है। एक नहीं कई नाम लिये जा सकते हैं किन्तु यही एक विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन के चार्जेज लगे हुए हैं। इसलिये ईमानदारी से इसको चलाने की कोशिश करे। बेकार हुए ड्राइवर्स ग्रौर कन्डक्टर्स को खपाया जाय इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार ले। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ग्रन्त में यात्री की सुविधाग्रों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। जिन सुविधाग्रों को देने के लिये निगम ने ऐलान किया था उन को भी पूरा किया जावे। एक बार ऐलान कर देना, ग्रौर फिर उस पर ग्रमल नहीं करना इससे भ्रान्तियां पैदा होती हैं, गलतफहमी पैदा होती है। जो ग्रध्यादेश ग्राप यहां लाये हैं इस. पर इन सब दृष्टिकोणों से ग्राप विचार करें।

इन मंत्रीजी की पिछली बैक ग्राउन्ड पर मुझे थोड़ी ग्रास्था है। उनकी राष्ट्रीयकरण में ग्रास्था है। पर इसका जो विरोध किया जा रहा है, इसको फेल करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, भ्रष्टाचार ग्रौर ग्रव्यवस्था के कारणों से जो लोगों की ग्रास्था इस पर से हिलती जा रही है, ग्रौर विरोधी लोगों को बदनाम करने का जो ग्रवसर मिलता जा रहा है, इन सब पर ग्रगर तेज नजर नहीं रखेंगे तब तक राष्ट्रीयकरण के खिलाफ ग्राज जो मानस लोगों का बनता जा रहा है वह ग्रौर बिगड़ता जावेगा। मैं समझता हूं मंत्रीजी इन बातों पर ध्यान देंगे ग्रौर इस ग्रध्यादेश का तो इसलिये मैंने जिक्र किया कि सरकार स्वयं राष्ट्रीयकरण के प्रावधान का दुरुपयोग करती है। हम तो इसके समर्थक हैं, ग्रौर रहेंगे। पर खराबियों का जिक्र इसलिये करता हूं कि उनको देख कर सुधार किया जा सके। ग्रन्यथा मैं कहूंगा कि उन्होंने जो इस विभाग को संभाला है तो इसके साथ साथ वे खुद भी सम्भले रहें। यह विभाग तो ऐसा है कि जो इसे सम्भालता है, वही खुद ही फिसल जाता है।

वैसे ग्रापकी मैं तारीफ करूंगा। ग्राप चुनाव के दिनों में भरतपुर ग्राये थे। रोडवेज में लगे लोगों ने यह कहा कि हम आप को चन्दा तो दे देंगे पर राष्ट्रीयकरण की गारन्टी लीजिये कि वह ग्राप यहां नहीं करोगे। ग्रापने गारन्टी नहीं दी ग्रौर केवल 2100 ले गये। चालीस हजार नहीं लिये। सिर हिला रहे हैं ग्राप। नहीं लिये ? ऐसे क्यों मना करते हैं ? कम से कम 2100

(श्री रामकिशन)

तो ले ही गये। मैं फिर भी तारीफ करूंगा कि आपने चालीस हजार नहीं लिये। दूसरे लोगों ने आपके साथियों ने कई बार कई जगह इस राष्ट्रीयकरण के नाम पर सौदे किये हैं। मैं आपकी तारीफ करूंगा कि चुनाव के समय भी कांग्रेसी मंत्रियों की तरह आपने काम नहीं किया। आज कांग्रेस मंत्रियों का यह काम हो गया है।। बोलना पर करना नहीं करना तो उल्टा करना। दिल्ली से लेकर जयपुर तक सभी जगह ऐसा ही है। आप इस दृष्टि से अभी पक्के कांग्रेसी नहीं बने हो। पक्के कांग्रेसी बनने में आपको पांच चार साल लगेंगे। आपको अभी दो ढाई साल हुए हैं। जो कांग्रेसी में खराबियां आनी चाहियें, मुझे खुशी है कि अभी वे आप में नहीं आने पाई हैं। आगे पांच चार सालों में भी आप पक्के कांग्रेसी न बनें ऐसी मेरी आकांक्षा है, इच्छा है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यापार चाहे राज के हाथ में हो या किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में हो दोनों का मैं समर्थक नहीं हूं। मैं समर्थक हूं मध्यम मार्ग का।

मन्त्रीजी, आपके पास चिकित्सा विभाग है और यह यातायात विभाग भी है। आप अभी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कहेंगे यह मुझे मालूम है। मैं यह तो नहीं कहता कि आप अस्पताल में कभी रहें, मैं आपका शुभचिन्तक हूं इस माने में। पर कभी आप जाकर अकस्मात् देखें वहां कि वहां की क्या हालत है। इतना कहकर मैं अब मूल विषय की ओर आ रहा हूं।

अब अगर आप मोटर में नहीं घूम कर कभी क्यू में लगकर अपनी रोडवेज की बसों से यात्रा करें तो आपको मालूम पड़ जावेगी कि रोडवेज की क्या हालत है। मोटर छोड़कर आप एक दिन बसों में भी चलें। यकायक जावें। बिना किसी को अपना परिचय दिये जावें। एक साधारण यात्री का रूप धरकर जावें।

आपने आर्डिनेन्स के द्वारा राज्य परिवहन वालों को अधिकार दिया है। एक प्रकार से आपने उनको भ्रष्टाचार की खुली छूट खुला लाइसेन्स दे दिया है। इस माने में खुला लाइसेन्स आपने उनको दिया है कि राष्ट्रीयकरण वैसे हमेशा फेल रहा है। अब वह चाहे अनाज का हो, चाहे पाठ्य-पुस्तकों का हो, चाहे वह कोयले का हो, किसी का भी हो। आपका तेंदूपत्ते का भी फेल होगा। इसी तरह से आपका रोडवेज का बसों का भी फेल हो गया। आप इसे फेल भी करना चाहते हैं स्वयं ही। इसका कारण है कि आपने रोडवेज अधिकारियों को छूट दे दी कि जिस रूट का वे चाहें उसका तो राष्ट्रीयकरण करवा लें और जिसका चाहें उस रूट का नहीं करवाएं। यह बिल्कुल उनकी मरजी पर होगा। और इसलिये होगा कि जो प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं वहां पर प्राइवेट रूट वालों को नहीं चलाना चाहेंगे तो वे इजाजत नहीं देंगे, अगर चलाना चाहेंगे तो इजाजत दे देंगे। और यह भी कह दिया आर्डिनेन्स के द्वारा कि यदि दिये हुए हैं प्रार्थना-पत्र तो भी अगर रोडवेज वाले आवश्यक नहीं समझते तो वे प्रार्थना-पत्र विथड्रा भी कर सकते हैं। ये तीनों प्रकार के प्रावधान आपने इसमें किये हैं।

मेरा निवेदन करना यह है कि जहां पर बस मालिकों से पैसे का हिसाब किताब

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बैठ जावेगा वहां तो अधिकारी कह देंगे कि यह रूट हमें नहीं चाहिये। अगर पैसे का हिसाब किताब नहीं बैठा तो राष्ट्रीयकरण की स्कीम की घोषणा उसके लिये कर देंगे। इससे बस मालिकों में भय पैदा करेंगे। फिर सौदेबाजी हो जावेगी तो स्कीम की घोषणा रद्द कर देंगे, नहीं तो लागू कर देंगे। यह अधिकार स्वयं आपने इस कानून में दे दिया है। वे घोषणा रद्द इस बिना पर कर देंगे कि हमारे पास बसें नहीं है, डीजल की कमी है, सड़कें निकम्मी हैं, टीयर बीयर ज्यादा होगा खर्चा ज्यादा आवेगा, आमदनी उतनी होगी नहीं। इस तरह के कोई भी बहाने बना लेंगे।

मेरा निवेदन करना है कि आप इस तरह के भ्रष्टाचार के कारण को उन अधिकारियों की मरजी पर छोड़ कर परमिट किसी रूट का वे लें न लें। तो यह उनकी मरजी पर है, तो इससे तो भ्रष्टाचार को ही प्रोत्साहन मिलेगा।

आपने एक प्रकार से अपने चेयरमैन को जूडीशियल पावर दे दी है। तुम्हारी मरजी हो तो रूट ले लो, नहीं हो तो छोड़ दो। इसका साफ मतलब यह है कि जो गरीब बस मालिक हैं जो उनको पैसा दे नहीं सकता उस बिचारे का रूट ले लिया जावेगा, उसकी रोजी रोटी का साधन छिन जावेगा और जिस रूट पर पैसे वाला बैठा है या सत्ता का बल जिसके पीछे है वह सत्ता के बल पर या पैसे की चमक के बल पर अपना रूट खाली करवा लेगा। या खाली रहने देने के लिये उनको राजी कर लेगा। तो इस तरह से मन्त्रीजी, आप उन गरीब कन्डक्टरों ड्राइवरों और खलासियों के रोटी के देवता नहीं रहे, आपकी रोडवेज के ये चेयरमैन उनको रोटियों के देवता हो गये। रोटी के देवाल वे हो गये। जिसकी मरजी आई रोटी छीन ली, जिसकी मरजी आई उसको रोटी दे दी। मैं निवेदन करूंगा कि जो रोड़वेज के हालात आजकल चल रहे हैं उनको देखते हुए मेरी यह आशंका निर्मूल नहीं है।

उदयपुर के आर. टी. ओ. की मीटिंग 6, 7, व 8 फरवरी, 74 को हुई। उदयपुर बांसवाड़ा रूट का कन्हैयालालजी टाली की परमिट का नवीनीकरण कर दिया गया। उनको तो दे दिया वह रूट जबकि उसी रूट पर चलने वाले श्री प्रभुलाल का परमिट का नवीनीकरण रोक दिया गया। मेरा मतलब कहने का यह है कि जब आप एक रूट का नेशनेलाइज करने जा रहे हैं तो एक पार्टी को तो कह दिया कि तुम्हारे परमिट का नवीनीकरण हो जावेगा और दूसरे को मना कर दिया। कह दिया तुम्हारे परमिट का नवीनीकरण नहीं होगा। यह क्यों? यह भेदभाव क्यों? इसमें कौनसी आपकी पालिसी आड़े आ रही थी। इस तरह से आपने जब अधिकार दिये हैं तो ये भेदभाव चलेंगे। यह एक उदाहरण है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है और बढ़ेगा।

उदयपुर की 6, 7, व 8 फरवरी की मीटिंग में राष्ट्रीयकरण की स्कीम में दस ग्यारह रूटों के परमिटों को रोडवेज के नवीनीकरण की स्वीकृति देकर हजारों रुपया ले लिया गया। नेशनेलाइज की स्कीम की घोषणा कर दी तो फिर वापिस लेने की बात क्यों की? यह क्या है? करना है किसी रूट को नेशनेलाइज तो फिर इस तरह से प्राइवेट बस वालों को जो वहां चलते हैं उनको डर मत दिखाओ। इसके पीछे सौदे-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बाजी की गन्ध आती है। सौदेबाजी की बड़ी-भारी सम्भावनाएं इसके पीछे रहती हैं। यह दूसरा उदाहरण है। कंक्रीट उदाहरण है। आपको प्रमाण चाहिये। वह यह है।

आर० टी० ओ० जयपुर की 26, 27 फरवरी, 74 को मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राष्ट्रीयकरण की पूरी स्कीम को लागू करने की घोषणा के बावजूद चित्तौड़, बून्दी के परमिटों का प्राइवेट बस वालों के नवीनीकरण कर दिया गया। रोडवेज के अस्थायी परमिट के लिये दर्खास्तें होने पर भी नवीनीकरण पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया गया।

इसके विपरीत जयपुर पिलानी और जयपुर बीकानेर के लिये जिन प्राइवेट बस ओनर्स ने नवीनीकरण की दर्खास्तें दी थीं उनको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं पूछता हूं कि यह क्यों? जयपुर बीकानेर रूट पर प्राइवेट बस वालों की 28 गाड़ियां चलती थीं अब राष्ट्रीयकरण करो आपने इन 28 की जगह अपनी 12 गाड़ियां ही लगाई हैं। कहां 28, और कहां 12 (बारह)। कहां उन प्राइवेट बस वालों की डी लक्स गाड़ियां और कहां आपकी खटाला गाड़ियां, खटाला ही डी लक्स गाड़ियां। दोनों की हालत का मिलान कर लें। उनकी समय की पाबन्दी और आपकी समय की बरबादी दोनों देख लीजिये।

मैं निवेदन करूंगा कि इसके बावजूद भी आपको अपने चहेते लोगों को प्रसन्न करना था तो पूरा करना था। दो आदमियों को अब भी प्राइवेट रूट से इस रूट पर चलने की आपने अनुमति दे दी। मेरा निवेदन यह करना है कि ये लोग सरकारी खजाने में पैसा जमा कराते थे, और वह भी तीन साल के लिये स्थायी आधार पर कराते थे पर आज जो रोडवेज ने परमिट लिया है वह अस्थायीरूप से केवल चार महीने के लिये है। प्राइवेट वालों से प्रतिगाड़ी 2800 रुपया लेकर परमिट देते थे वहां रोडवेज से प्रतिगाड़ी केवल 95) रुपया ही लेकर परमिट दे दिया। यह आपके राजस्व में भी घाटा हुआ।

तो मेरा कहना यह है कि जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं हो जाती पूरी गाड़ियां आपके पास न हो जाती तब तक आप इस पर सभी को चलने देते, दो को ही क्यों परमिट किया आपने? बिना पक्षपात के तो इन दो को भी नहीं मिलना चाहिये था। अगर दो को दिया तो बाकी ने क्या कसूर किया। कहीं राष्ट्रीयकरण करके न्याय किया तो कहीं अन्याय किया है।

मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि अगर यही करना है आपको तो खुलकर पूरे कम्पीटीशन में प्राइवेट वालों के साथ आवें। रोडवेज की भी चले और प्राइवेट वालों की भी चले। तब पता लगे कि आप कितनी सहूलियत जनता को देते हैं और प्राइवेट वाले कितनी देते हैं। एकाधिकार हो जाने से तो आप तानाशाह बन जावेंगे। जनता की सुख सुविधा आपके भ्रष्टाचार में डूब जावेगी। या तो कांग्रेसी नेता की गाड़ी चलती होगी या किसी प्रभावशाली आदमी ने कहा होगा या फिर चान्दी के सिक्के यानि नोटों के कारनामें होंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा एस. टी. ए. ने इन्टर-स्टेट रूट्स पर एक राज्य से दूसरे राज्य में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जाने के लिये नवीनीकरण कर दिया परन्तु भीलवाड़ा से नीमच जाने वाली गाड़ी के मार्ग को बन्द कर दिया। एक में अनुमति दे दी, दूसरे में अनुमति नहीं दे रहे हैं तो इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

इसी प्रकार भीलवाड़ा से उदयपुर वाया कांकरोली 15-2-74 को राष्ट्रीयकरण कर दिया एवं इस मार्ग पर अनेक बसें चलाना प्रारम्भ कर दिया और माननीय मन्त्री जी इस रूट पर 75 गाड़ियां चलीं, 70 और 5, 75 गाड़ियां चलीं जरा गौर से सुन लीजिये और 10 दिन चलने के बाद कहा गया हमारे पास परमिट नहीं है, हमारे पास बसें नहीं हैं और इस बात को अखबारों में प्रकाशित कर दिया गाड़ियां चल रही हैं, नाइट सर्विस चल रही है, डीलक्स बसें चल रही हैं। 10 दिन के बाद रोडवेज के अधिकारियों के पास पैसा पहुंच गया तो गाड़ियां बन्द हो गईं और मैं नमूने के तौर पर बता दूं कहां 75 गाड़ियां और कहां अब एक गाड़ी। डीजल भी नहीं, बस भी नहीं यह भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं रोडवेज ने भीलवाड़ा से चित्तौड़, चित्तौड़ से उदयपुर वाया मंगवा और वाया कपासन परमिट लेकर गाड़ियां चलाईं लेकिन थोड़े दिन बाद चलाकर रोडवेज ने परमिट सरन्डर कर दिया। कह दिया हमारे पास गाड़ियां नहीं है। इस रूट पर गाड़ी नहीं चलायेंगे। रतनगढ़ से सीकर 29 नवम्बर को नवीनीकरण करके वापिस रिजेक्ट कर दिया। रतनगढ़-सीकर के बस मालिक उच्च न्यायालय में गये और उन्होंने वापिस भेज दिया और एस. टी. ए. को कहा इनकी सुनवाई करें। उसको भी पेंडिंग कर दिया। 27-2-74 को नवीनीकरण कर दिया मेरा निवेदन है 4-3-74 को नवीनीकरण करने के बाद 5-3-74 को अस्थाई परमिट को सरन्डर कर दिया। मेरा निवेदन है इस प्रकार की बात होजाय परमिट को सरन्डर कर दिया गया तो भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या कहा जा सकता है।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं रोडवेज के राष्ट्रीयकरण करने के बारे में राजनीति लगी हुई है। कहीं कोई कांग्रेस का नेता है तो कहीं कोई मिनिस्टर है। अगर वह मना कर दें तो राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। जनता की बहबूदी की सोचने की बात ही नहीं है। भीलवाड़ा से उदयपुर, भीलवाड़ा से चित्तौड़ राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही कर रहे हैं। यह कार्यवाही तो कर रहे हैं पर भीलवाड़ा-ब्यावर अच्छा मार्ग होने पर भी राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है। यह इसलिये नहीं किया जा रहा है कि आपके कांग्रेस के प्रधान श्रीमान गिरधारी लाल जी व्यास ने जिस समय आसीन्द से चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा मुझे चुनाव जिता दो मैं इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण नहीं होने दूंगा। कांग्रेस के मिनिस्टर पैसा खा खा कर, कांग्रेस के प्रधान पैसे खा खा कर जिन अच्छे रूट्स का नेशनालाइजेशन होना चाहिये वह नहीं कर रहे हैं। जयपुर का सारा रूट नेशनेलाइज हो जायगा लेकिन और जगह का नहीं होगा। उदयपुर में सुखाड़िया साहब का प्रभाव और अब उदयपुर में माननीय वर्तमान मुख्य मंत्री का प्रभाव है यह भेदभाव करने की जो प्रवृत्ति है, वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसी तरह भरतपुर के चुनाव के समय लोगों से पैसे खाये। एक राजनैतिक सौदेबाजी हुई। राष्ट्रीयकरण का जो बहाना किया जा रहा है यह कोई अच्छी बात नहीं है, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली बात है। अब मैं जयपुर शहर के मार्गों की बात बताता हूं। 20 मार्च को जयपुर-सांगानेर रूट पर 20 बसें चलती थीं, 16 बसों को बन्द कर दिया गया और अब रोड़वेज ने 16 बसों के स्थान पर 6 बसें चलाई। जयपुर से सांगानेर उप-नगरी बनी हुई है और ये बस कौन चलाने वाले थे। सन 1948 में जो सिन्धी लोग आये थे जिनके पुनर्वास की व्यवस्था की थी, जिनके पेट की व्यवस्था की थी। वे सिन्धी शरणार्थी सन् 1948 में आये जिनकी 16 बसें चल रही थीं। उनकी रोजी रोटी को छीनकर जो अपना मुल्क छोड़कर आये थे और अपना सब कुछ भारत माता के लिये न्यौछावर करने आये थे, उनकी बसों को बन्द करके आपने 6 बसें चलाईं। उसका नतीजा यह हुआ कि अब दो-दो घन्टे में बस मिलती है। लोग इन्तजार किया करते हैं और इन्तजार कर करके थक जाते हैं। अब आपका यह कहना कि रोडवेज की बसों में ज्यादा सहूलियतें हैं। पहले बस हर पांच मिनिट बाद मिल जाया करती थी और अब इन्तजार करते करते जब आदमी थक जाता है तब दो घन्टे बाद बस मिलती है। पहले बैठने को बढ़िया बसें मिलती थीं और अब रोडवेज की खचड़ा गाड़ियां बैठने को मिलती है। दूसरे आपका यह कहना कि रोडवेज की बसों में आदमी ज्यादा नहीं होने चाहिये तो मेरा निवेदन है बस में ही नहीं बल्कि रोडवेज बसों की छतें भी भरी हुई आती हैं। सारी बसें बुरी तरह भरी हुई आयेंगी, उसमें महिलायें भी होती हैं, बच्चे भी होते है, बूढ़े भी होते हैं, उनकी हालत क्या हो जाती है और यही नहीं इन दिनों में सेकेन्डरी और हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के लिये दूर दूर से छात्र जयपुर में आते हैं, तिलक नगर से आते हैं, अन्य अनेक उप नगरियों से आते हैं। अब परीक्षा देने के लिये विद्यार्थी जाय और रोडवेज की बस देर से आये और विद्यार्थी देर से परीक्षा में जायें और यह कहें कि बस समय पर नहीं आई थी, बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी तो उससे एग्जामिनर उनको छोड़ेगा नहीं। यह छात्रों की प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है।

यह नेशनेलाइज किया गया, किसके लिये किया गया, जनता की सुविधा के लिये किया गया था। आज टेम्पों वाले चाहे बसों से ज्यादा पैसे लेते हैं। स्टेशन से सुभाष चौक जाने वाला हर टेम्पों पांच मिनिट बाद मिल जायगा इसलिये आदमी आपकी बस में बैठना पसन्द नहीं करता है और टेम्पों में बैठना ज्यादा पसन्द करता है। सिटी बसों की हालत भी आप देख लीजिये.....

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

दो मिनिट का समय और लूंगा। सरकार के भ्रष्टाचारी महकमें की बात है। एकाधिकार करने से लोगों का धन्धा जायगा, ड्राइवर बेकार होंगे, क्लीनर बेकार होंगे और उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के राजस्व को भी घाटा होगा, क्योंकि 26 लाख की आय बताई है। 18 लाख का रोडवेज का कर्जा बताया है--रोड टैक्स का आपका 18 लाख बकाया है और 14 लाख पैसेन्जर टैक्स का आपका बकाया है तो फिर लाभ कहां है? 26 लाख की आय, 18 लाख का रोडवेज

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

के टैक्स का बकाया बता दिया, 14 लाख का पैसेन्जर टैक्स का बकाया बता दिया और पैसेन्जर टैक्स पर आप स्टे लाये हुये हैं।

इसी प्रकार फिटनेस की जो प्रत्येक प्राइवेट गाड़ी चलाने वाले 80) रु. के हिसाब से प्रति वर्ष देते थे, रोडवेज वाले फिटनेस की आपको फीस भी नहीं देते हैं। रोडवेज वाले अपनी गाड़ी को सरन्डर करा लेते हैं और उसके बाद टैक्स नहीं देते हैं और जब चाहा पहिया लगवा लिया तो हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है।

मेरा अन्त में निवेदन करना यह है कि जो प्राइवेट बसों के मालिक हैं उनकी बसों का 1960 का माडल देख लीजिये और आपका सन् 1974 का माडल देख लीजिये, कौनसी गाड़ी बढ़िया है, कौनसी गाड़ी में अच्छा बैठने में आनन्द मिलता है, कौनसी गाड़ियां समय पर चलती हैं तो मालूम पड़ेगा कि रोडवेज की गाड़ियां समय पर नहीं चलतीं। कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि आज बस जायेगी तो वह कैंसिल हो जायेगी। आपने बसों के लिए टाइम टेबल बना रखा है उसमें टाइम कुछ और है और बस और समय पर रवाना होती है। तो मैं कहूंगा कि आपने तीन कारणों से बसों का राष्ट्रीयकरण किया था पहले जनता के आराम के लिए, दूसरे कार्यकुशलता के लिए और तीसरे पाबन्दी के लिए। मैं समझता हूं कि जनता को आराम मिला नहीं। शुरू में आपने कहा कि इन तीनों बातों के लिए हमने बसों का राष्ट्रीयकरण किया है। पहले जयपुर अजमेर आने के लिये किराया होता था दो या तीन रुपया लेकिन अब वही 6 रुपया से कुछ ज्यादा है। अब जिसको रोडवेज की बसों से जाना होगा तो वह देगा इतना किराया। लेकिन मजबूरी से लोग देंगे। आप 15 रुपया कर देंगे तो भी लोग तो मजबूरी से जायेंगे ही। जयपुर से बीकानेर का किराया पहले 11 रुपये लेते थे और आज आपकी डी-लक्स बस लेती है 20 रुपया और थोड़े दिनों के बाद जयपुर से बीकानेर का 22 रुपया लगेगा तो भी लोग देंगे, झक मारकर देंगे। जिनको रोडवेज में जाना है वह तो देंगे। जनता को कोई आराम नहीं। बस चली गयी और चलने के बाद गाड़ी पन्चर हो गयी। टूल बाक्स गाड़ी में लिखा होता है लेकिन उसमें से टूल गायब। टूल बाक्स मिलते नहीं। ड्राइवर कहता है कि मेरे पास औजार नहीं है। गाड़ी में ठक ठक होती है एंजिन में गड़बड़ है तो बिना टूल के किस तरह से ड्राइवर ठीक करे। कम्पलेन्ट बाक्स का डिब्बा खाली हिलता है, टन टन करता चलता है। मैं कहता हूं कि जब दिल्ली जायें हरियाणा की सड़कों को देखेंगे। तो लोग कहते हैं कि राजस्थान की बसों का क्या हाल है। मुझे इन्दौर जाने का मौका मिलता है। मध्य प्रदेश की बसों को देख लें। हमारे यहां की रोडवेज की बसों की सफाई नहीं, छत बिगड़ रही है और कोई व्यवस्था नहीं है। उधर रोडवेज जो मध्यप्रदेश की है उनकी रोज सुबह सफाई की जायेगी। तो लोग मुझे पूछते हैं कि कहां से आप एम. एल. ए. हैं। मैं कहता हूं कि राजस्थान से। तो वह कहते है कि आपकी बसों की हालत देख लीजिए। उस समय मैं आपकी और मुख्य मंत्री जी की बुराई नहीं कर सकता, कांग्रेस के नेताओं की बुराई नहीं कर

(82)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सकता। हम कहते हैं कि हां हमारी बसें ऐसी हैं और हम उनको ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य का जहां तक प्रश्न है वहां तारीफ ही की जाती है। जनता को सुविधायें नहीं हैं। कार्यकुशलता भी बिलकुल नहीं है। एफीशियेन्सी बिलकुल नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प के ऊपर बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनट में समाप्त कर देता हूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। कार्यकुशलता बिलकुल नहीं है। रिक्शा वालों को अन्दर जाने नहीं देते। रिक्शा बाहर खड़ा होगा, अन्दर नहीं जायेगा और कोई भी बीच में में सामान ले जाये तो ले जाये। कई बार इस तरह से यात्रियों की अटेचीज़ गायब हो गयी हैं सामान गायब हो गया है। सामान को संभालने वाली बात नहीं है। एफिशियेन्सी जो आनी चाहिए वह नहीं आई है। आखिरकार इसके कुछ कारण हैं। वहां के कुछ कर्मचारियों में असन्तोष है। श्रम कल्याणकारी अधिकारी हैं, उनमें असन्तोष है। वहां के कर्मचारियों को भली प्रकार की सुविधायें दें, उनको रहने के लिए मकान दें कर्मचारियों को वर्दी दें और समय पर उनकी वाजिब मांगों को मान लें तो मैं समझता हूं कि कर्मचारियों में भी भावना आयेगी। माननीय मंत्री जी कम से कम आपके समय में तो आनी ही चाहिए क्योंकि आप पहले ही लेबर लीडर हैं। आपकी दृष्टि में केवल एक ही लीडर है दामोदर मौर्य वाटर वर्क्स में, बिजलीघर में, और सभी जगह वही दामोदर मौर्य। मैं समझता हूं कि यह यहां का तरीका है। आप कर्मचारियों की बातों को सुनें और लेबरर्स की प्राब्लम का हल करें तो मैं समझता हूं कि लोगों में यह भावना आयेगी कि यह मेरी बस है और यह देश की धरोहर है। माफ करना हम ऐसे दल के नहीं हैं जो कि तोड़फोड़ करते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी विचारधारा कुछ भी रही होगी लेकिन आपकी विचारधारा कुछ भी रही होगी लेकिन आपकी विचारधारा अब धीरे धीरे बदल रही है और परमात्मा करे जल्दी जल्दी बदले।

अंत में, मैं यही निवेदन करूंगा रोडवेज में समय की बिलकुल पाबन्दी नहीं है। रोडवेज कई बार समय पर नहीं चलती हैं। लोगों को असुविधायें हैं और इसका प्रमाण देखना चाहें तो जयपुर में जो सिटी बस सर्विस है उसको देख लें। आपको मालूम हो जायेगा कि जनता को कितनी असुविधायें हैं और कितनी इसमें कार्यकुशलता है और साथ ही कितनी पाबन्दी है इसको भी आप देख सकते हैं। इसको देखने के बाद आप कहेंगे तोबा 2 मैंने जो राष्ट्रीयकरण की बात कही थी वह नहीं करनी थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश जारी कर लोगों के रोजगार

Page No 83

(83)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

छीनने का प्रयास किया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाड़ी····

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दीजिए। प्रस्ताव नहीं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर राष्ट्रीयकरण के बारे में सदन में काफी बहस हो चुकी है और राष्ट्रीयकरण की नीति में हम जब आये हमने देखा कि प्राईवेट ऑपरेटस जनता के लिए जितनी सुविधायें दना चाहिए थी उतनी नहीं दे पाये और जनता को तकलीफ और होती गयी। बसेज की हालत बुरी होती गयी इसलिए हमने निर्णय किया कि राष्ट्रीयकरण की नीति पर अमल करना चाहिए और इसको सफल कैसे किया जाये उसके लिए भी निधारित कदम उठायें। पिछले सदन में ही साल सवा साल पहले यह तय हो गया था कि राजस्थान के अन्दर राष्ट्रीयकरण बसों की औसत 25 परसेन्ट हो जाये और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न किये। यह सही है कि माननीय सदस्यों ने जितने आर्गूमेन्ट्स दिये हैं और राष्ट्रीयकरण के लिए नहीं बल्कि उसकी व्यवस्था के लिए दिये हैं। व्यवस्था में जितना सुधार करना होगा चाहे पैसेंजर के लिए, चाहे ज्यादा बसेज लगाने के लिए हो जैसे जैसे हमारे पास बसेज आती रहेंगी हम जनता को अधिक सुविधायें प्रदान करते रहेंगे और निश्चिततौर पर थोड़े ही सालों में हमारी रोडवेज आपको बहुत बड़ा हुआ और वेल मैनेज्ड यूनिट मिलेगा। ऐसा आश्वासन मैं दे सकता हूं। हमने जब से राष्ट्रीयकरण किया और आज सालभर से मेरा ख्याल है कि माननीय गिरधारीलालजी को कम जानकारी है और अगर हमारे मैनेजमेन्ट को आप देखें तो कन्डक्टस यदि गड़बड़ी करते मिलते हैं तो हम उनके ऊपर प्रापर एक्शन लेते हैं। आज स्थिति यह है कि हम 40 लाख रुपया मुनाफा कमाते हैं जिसमें से कुछ घाटा सिटी बस सर्विस के लिए देना पड़ता है। वह इसलिए देना पड़ता है कि गिरधारीलाल जी और दूसरे सदस्यों का जितना सहयोग सिटी बस सर्विस के लिए मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है··

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने सहयोग लेने की कब कोशिश की।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अब देंगे यह राष्ट्रीयकरण के मामले में।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय गिरधारीलाल जी से निवेदन करूंगा कि वह राष्ट्रीयकरण की नीति को बुरा नहीं बतायें, उसमें कुछ खराबियां हो सकती हैं और उनको सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं और जो माननीय सदस्य ने व्यक्त किया कि रोडवेज अच्छी होनी चाहिए तो निश्चितरूप से हम इनकी आस्था और विश्वास को पूरा करने का कोशिश करेंगे और जितने भी रोडवेज के रूट्स हैं उन पर सुचारुरूप से बसें चलें, ज्यादा से ज्यादा चलें और अधिक से अधिक सुविधायें मिलें, रात्रि बसेज, डीलक्स बसें आदि मिलें-यह हम चाहते हैं। यह सही

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

है कि जल्दी में हमें राष्ट्रीयकरण करना पड़ा और उसके लिए जितनी तैयारी होनी चाहिए वह नहीं थी और उसमें कहीं न कहीं खामियां रह गयीं और उन्हें हम दूर कर रहे हैं और आपको पता लगेगा कि जो हमने कदम उठाये हैं वह निश्चित रूप से जनता की सहूलियत के लिए और सुविधाओं के लिए बहुत ही अच्छे कदम हैं और सदन पूरा का पूरा सहयोग देगा। और दूसरा जो पंडितजी ने, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया, वे स्वयं पं. रामकिशनजी का कमिटमेंट ही है राष्ट्रीयकरण की तरफ, इसमें तो दो राय नहीं है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि राष्ट्रीयकरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि जनता को असुविधा मिले और उनका दूसरा प्रश्न छोटे 2 ऑपरेटर्स का है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जहां 2 हमारा नेशनेलाईजेशन लागू हो गया है, नोटीफाईड रूट्स डिक्लेयर हो गए हैं, जहां 2 बसें लग चुकी हैं वहां पर जो छोटे 2 ऑपरेटर्स डिस्लोकेट हो गए हैं उनको किसी तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाय, उनको धन्धा दिया जाय। उसके लिए मामला विचाराधीन है और उनको हम धन्धा देंगे निश्चित-तौर से। यह जो, उपाध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट ला रहे हैं शीघ्रता से इसका कारण यह था कि जब हमने राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया, उस वक्त, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर, सदन को यह जानकर अचरज होगा कि 1800 मुकद्दमें रोडवेज के खिलाफ दर्ज थे। अट्ठारह सौ के करीब रिट थीं, हाई कोर्ट में और दूसरी कोर्ट्स में। हमें निश्चत् रूप से अमेंडमेंट लाना पड़ा राष्ट्रीयकरण की प्रगति को तेज करने के लिए अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। रोडवेज की जहां 2 के लिए दो तरह की नेशनलाईजेशन है, एक तो स्कीम पब्लिश करते हैं या जहां परमिट लेते हैं उस परमिट में प्रिफरेंस रोडवेज को मिलना चाहिए और इसी के लिए ये दो अमेंडमेंट लाए हैं जिससे कि राष्ट्रीयकरण की गति को तेज कर पायें। हमारी निश्चित धारणा है कि जो डिस्लोकेट प्राईवेट ऑपरेटर्स हुए हैं, जहां 2 हम उनको रूट दे पायें हम उनको धन्धा दे पायें दूसरा, इसके लिए हमारी फेजिंग पोलिसी बन रही है। पांच साल में सम्पूर्ण नेशनलाईजेशन की हमारी कोशिश है, अब किन 2 रूट्स का राष्ट्रीयकरण किस किस साल में किया जाय, वहां प्राईवेट ऑपरेटर्स काम कर सकेंगे या नहीं, इसका सारा निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा। मेरा खयाल है कि इसमें प्राईवेट ऑपरेटर्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्राईवेट आपरेटर हमें अपनी बस रोडवेज को किराये पर देना चाहेगा तो किराये पर दे दें। जो आपरेशनल कास्ट रोडवेज की रखी है उसी किराये पर लेने को तैयार हैं, वह अपनी बस को किराये पर रोडवेज को देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये आपके द्वारा सदन को निवेदन करूंगा कि हमारे जो दो अमेंडमेंट रखें हैं उन्हें पास कर दिया जावे और·······

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने कोई जवाब नहीं दिया जो हमने सारे आंकड़े आपके सामने रखे हैं·····

श्री मोहनलाल छंगाणी : कौन से आंकड़े।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इतनी बेई-मानी हुई है, इतना नुकसान हुआ है.......

श्री मोहनलाल छंगाणी : कहां नुक-सान हुआ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो भी आपने सुझाव दिये हैं उदयपुर के बारे में, एक तो आपने यह कहा था कि उदयपुर के अन्दर प्राईवेट बस आपरेटर्स हैं उनके रूट रिन्यू किये........

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्रीजी, भेदभाव पूर्ण तरीके से नेशनेलाई-जेशन किया गया है। कहीं पर छोड़ दिया है और कहीं पर ले लिया है। जयपुर जिले को पूरा ले लिया और उदयपुर को छोड़ दिया। मैं आपको डिटेल्ड में बतादूं फिर।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, यह उदयपुर के बारे में लगातार चार्ज लगाए जाते हैं कि उदयपुर का राष्ट्रीय-करण नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उदयपुर में काफी तेजी से राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं। अजमेर-उदयपुर, अजमेर-भीलवाड़ा जो भी नोटीफाई होंगे, जिस तरह से बसें उपलब्ध होंगी, हम लगातार नेशनेलाईजेशन करते जायेंगे। इसी तरह से बीकानेर में भी किया है और जोधपुर में भी किया है और जयपुर में भी किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो यह मान-नीय सदस्य गिरधारीलालजी ने चार्ज लगाया कि एक आदमी को—कौन सा व्यक्ति था—उनको हमने प्रिफरेंस दिया। मैं यह बताना चाहूंगा कि कोई इस तरह की जानकारी मिलेगी और वे जानकारी उपलब्ध करायेंगे तो निश्चिततौर पर वातावरण ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उदयपुर में जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो आपकी 75 बसें एक दिन में चल रही थीं। यकायक अब मैं देख रहा हूं कि वे बन्द हो गई हैं और इसके बाद अब केवल दो गाड़ियां चल रही हैं। यह क्या है, कभी बन्द कर दिया, कभी चालू कर दिया, फिर बन्द कर दिया, यह क्या हो रहा है। यह प्राइवेट आपरेटर्स आपको मिले, फिर उनको चालू करने का मौका दे दिया., यह कौनसा बीच का रास्ता है। एक बार राष्ट्रीयकरण हो गया, बसें चल पड़ीं फिर अब बन्द हो गई। आप एक नीति स्पष्ट रूप से अपनाइये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 15-2-74 को 75 गाड़ियां चल रही थीं और अब किसी कारण के बिना केवल एक गाड़ी चल रही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह आपकी सूचना गलत है। उदयपुर के बारे में यह आपकी जानकारी सही नहीं है। क्योंकि जहां हमारी बसें चल रही हैं, नोटिफाईड एरिया हो गया और उस नोटीफाईड पब्लिक स्कीम में बसें लगातार चल रही हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं स्वयं जाकर जानकारी लेकर आया हूं। आपके डिपो से पूछ कर आया हूं और फिर आपको यह

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

सूचना दे रहा हूं । यह मेरी व्यक्तिगत सूचना है, अखबारी सूचना नहीं है । पहले बसें चलती थीं, अब नहीं चलती हैं क्योंकि गाड़ियों का पता नहीं, गाड़ियां वहां उपलब्ध नहीं हैं, यह उन्होंने बताया है ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो बातें उठाई थीं, उनका आप जवाब दें एक तो पिलानी-जयपुर पर आपकी बसें शुरू हुईं और अब उसको बन्द क्यों करवा दिया ।

दूसरी स्थिति यह है कि भरतपुर के जिन रूट्स को आपने लिया, पहाड़ी, नगर वगैरा, इसके जो कर्मचारी हैं, कण्डक्टर, ड्राइवर वगैरा, इनको लगाने के लिए आप पाबन्द हैं, इनको लगाना चाहिए । लेकिन अभी वहां इन्टरव्यू हुए तो उनमें उनको तो लिया नहीं, दूसरे लोगों को ले लिया । दो बात ।

तीसरी बात जिसका जवाब शायद आप नहीं दे सकेंगे, पहले रूट पब्लिश कर देते हैं और फिर चन्दा ले लिया और उसको छोड़ दिया । यह धन्धा आपका शायद नया ही है, आप इसका जवाब नहीं दे पायेंगे ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उदयपुर ब्यावर रूट के बारे में जो चार्ज लगाया है, उसके बारे में मुझे अभी इत्तला मिली है कि कोर्ट ने पैरेलल रनिंग दूसरे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को दिया था । यह कोर्ट के जरिए प्राईवेट आपरेटर्स चलाने की इजाजत दी गई है । अब ज्योंही यह आर्डर रिमूव हो जावेगा लगातार बसें चल सकेंगी हमारी । दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, डीजल की भारी कमी, प्राईवेट आपरेटर्स के साथ चलाने में इन-काम्पीटिटिव वहां चल सकती हैं । ऐसी स्थिति में हमारी यह निश्चित धारणा है कि प्राईवेट आपरेटर्स के बारे में कोर्ट का आर्डर रिमूव होने के बाद निश्चित् रूप से हमारी बसें लगातार चलेगी ।

अब भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया । हमारी निश्चित नीति है कि जो बस रूट का हमने नेशनलाइजेशन किया है, जिसको नोटिफाई करेंगे, उनके जो भी नौकर हैं जैसे कण्डक्टर, ड्राईवर उनको प्रिफरेंस दिया जावे, यह हमारी निश्चित नीति है । अभी भरतपुर के मजदूर भाई मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हमें मौका दिया जाय क्योंकि किसी कारण से वे इण्टरव्यू में नहीं आ सके थे तो उनके लिए दूसरा इण्टरव्यू रखवाया।........

श्री रामकिशन : चार को हो गया इण्टरव्यू तो ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : फिर हमारा क्राइटेरिया सर्विस का जो भी रखा है, कण्डक्टर हो, ड्राईवर हो, उनको लगाने का जो क्राइटेरिया रखा है उसके अन्दर अगर वे कण्डक्टर, ड्राईवर आयेंगे उनको रखने की हमारी निश्चित नीति है । जो भी ड्राईवर और कण्डक्टर प्राईवेट आपरेटर्स के है उन सभी को रखेंगे यह स्थिति कमिटेड नहीं है, पर प्रिफरेंस सर्विस में होगा यह निश्चित धारणा है । जो हमारे क्राइटेरिया में आते हैं और उनको जानबूझ कर उसके मजदूरों को, कण्डक्टर्स, ड्राईवर्स को नौकरी में नहीं लगाया गया है तो मैं इसकी

Page No 87

(87)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

जानकारी करूंगा और उनको लगाने की कोशिश करूंगा ।

श्री रामकिशन : ये चालीस केस हैं उपाध्यक्ष महोदय, जो आपके क्राइटेरिया के अनुसार उम्र की कण्डीशन को पूरा करते हैं, शिक्षा को पूरा करते हैं फिर भी उनको प्रिफरेंस नहीं दिया गया है । जो आपने विज्ञप्ति निकाली थी उसके तहत चार चार बार इण्टरव्यू हो गया लेकिन उनको लिया नहीं.......

श्री मोठालाल : पांच पांच हजार रुपये मांग रहे हैं ।

श्री भानु कुमार शास्त्री : हाईकोर्ट का पैरेलल सर्विस चलाने के लिए आप पर स्टे नहीं है । यहां तो साथ साथ पहले भी बसें चल रही थी वैसे ही अब भी चलाइये, उनको बन्द क्यों कर दिया है । इसमें लोगों को दूसरी धारणा पैदा हो गई है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह सही बात है कि जब कोई रूट लेते हैं तो उसकी क्षमता भी देखते हैं । अब एक रूट की स्थिति है चालीस बसों की और चालीस बसें प्राईवेट चलें और अपनी भी बीस बसें चलें तो काफी कोम्पीटिटिव रूप में दोनों को नुकसान होगा, इसमें कोई फायदा नहीं है । हम तो अपने मोनोपोली रूट्स पर ही चलना चाहते हैं । जो रूट नोटीफाई हो गए उन्हीं पर रोडवेज रन करेगी और वहीं पर बसें चलायेंगे । उदयपुर ब्यावर रूट पर लगातार रूप से रोडवेज की बसें चली हैं और कोर्ट का आर्डर रिमूव होने पर उसी तरह से बसें चलेगी यह हमारी मान्यता है और इसका प्रयत्न करेंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर से सांगानेर के बारे में बता दें ।

(व्यवधान – अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज.... आर्डर प्लीज ।

(कई मा० सदस्य एक साथ बोलते रहे— अश्रव्य)

आप भी तशरीफ रखिए ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उनको सारे के सारों को आल्टरनेटिव रूट्स दे दिए हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी छः बसें चल रही हैं जब कि पहले 16 बसें चलती थीं । प्राईवेट बसें पहले सिंधी शरणार्थियों की चलती थी अब कुल छः बसें चल रही हैं और इससे जनता को बहुत असुविधा हो रही है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह सही है कि जयपुर-सांगानेर बीच में जो मुसाफिर चलते हैं उनको तकलीफ है । हम जल्दी से जल्दी ज्यादा बसें लगाने की कोशिश करेंगे. बाकी वहां के जो प्राईवेट आपरेटर्स हैं सबको हमने आल्टरनेटिव रूट दे दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेंगे ?

श्री रामकिशन : ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वापस ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्यों को अपने संकल्प वापस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

श्री रामकिशन : मैं वापस लेता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा से मैं भी वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष :

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा। दस मिनट ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि इस संशोधन बिल को मैंने देखा है और उसमें जो यह प्रावधान किया है, उस सम्बन्ध में, मैं मोटे तौर पर यह कहूंगा कि इसका विरोध नहीं करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इसके अन्तर्गत जो भावना है, वह अनुचित नहीं है। लेकिन साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि आज जो देश का वातावरण है, उस पर अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो दिन ब दिन मानव का मूल्यांकन, जो ह्यूमन वेल्यूज है उनका ह्रास हो रहा है। देशभक्ति, त्याग ये दिन ब दिन यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार जनता ग्रहण करती जा रही है। और जो स्वाभाविक भी है। जनता उनका अनुकरण करती है। चाहे जितनी भी सरकार की भावना शुद्ध हो, पवित्र हो और ठीक दिशा में हो, किन्तु उसका क्रियान्वयन न हो उसका इम्पलीमेन्टेशन न हो, उसका दोष आखिरकार सरकार का है और वास्तविकता और भावुकता ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर देखा जाये तो गेहूं का राष्ट्रीयकरण अभी हुआ। तो सिद्धान्ततः इस राष्ट्रीयकरण के अन्दर कोई बुराई नहीं है। यह मैं समझता हूं। मैंने यहां यह कहा है कि यह राष्ट्रीयकरण अगर सफल होता है तो मैं स्वागत करता हूं। दूसरे जो भी राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था आपने की है वह सफल होती तो मैं उसका स्वागत करता। बैंकिंग, इन्शुरेन्स इनका आपने राष्ट्रीयकरण किया। या रेल्वेज को देखिये। आज रेलवे की क्या स्थिति है। जो सबसे ज्यादा आय देने वाली थी। जो देश के लिये हितकर थी वह घाटे में चल रही है। यह राष्ट्रीयकरण का दोष नहीं है। यह हमारा और शासन का दोष है और शासन को यह मन्जूर करना चाहिये। जब आप कोई चीज नहीं कर सकते हैं। वास्तविक रूप से सफलता से नहीं कर सकते हैं तो आपको अपनी कमियों को मान कर जिस हद तक आप कर सकते हैं उतना ही आप करें तो उत्तम होगा।

तो उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो कल ही जैसे तेन्दूपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसको अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि इससे एक करोड़

(श्रीलक्ष्मण सिंह)

रुपये की आमदनी होगी। कल प्रभारी मंत्री महोदय ने जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया, उसमें बताया गया है कि 35 लाख रुपयों का लाभ होगा। कहां उपाध्यक्ष महोदय एक करोड़ का लाभ और कहीं 35 लाख का लाभ और वास्तविक रूप से 35 लाख का लाभ भी नहीं होगा। मैं विषयान्तर हो रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिये एक मिनिट के लिये विषयान्तर होने की आज्ञा चाहूंगा। उड़ीसा और मध्यप्रदेश के तेन्दू के वृक्षों के आधार पर राजस्थान के तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीयकरण हुआ। परन्तु वहां पर 50 फीट ऊंचे तेन्दू के वृक्ष हैं और राजस्थान में 15 फीट के तेन्दू के वृक्ष हैं। राजस्थान की परिस्थितियां गुजरात के समान हैं। राजस्थान की परिस्थितियां उड़ीसा और मध्यप्रदेश के समान नहीं है। वहां की वर्षा का अनुपात देखिये। वहां पर दण्डकारण्य है। साल के वृक्ष हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि 40 लाख रुपया सरकार इसमें कमाती है। सरकार को आमदनी होती है। मैं यह समझता हूं कि इतने बड़े भ्रष्टाचार और घपले के बावजूद यह 40 लाख का फायदा सरकार बता रही है। यह वास्तविक है या अवास्तविक है, इसके बारे में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। सरकार की जो कमियां हैं, उनको बताने का सब से पहला अधिकार विरोधी पक्ष का है। मैं राष्ट्रीयकरण के अन्दर विश्वास इसलिये नहीं करता हूं कि अगर आप इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हमें बोलने की गुंजाइश नहीं रहती। तो भावना और वास्तविकता दोनों अलग अलग चीजें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो सेक्सन 68 सी.सी. के अन्तर्गत सरकार संशोधन करना चाह रही है, जो व्यवस्था है उसमें कम्पेनशेसन की कोई व्यवस्था नहीं है। कोर्ट के अन्दर जाने का कोई अधिकार नहीं है। अनियमितता से अधिकार आप प्राप्त करें और फिर उसका सदुपयोग न करें तो मेरे ख्याल से यह कानून कानून नहीं है, ला लेस, ला आफ जंगल है और आप नागरिक को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। यह अन्याय है। मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपका सेक्शन 68 सी. सी. है अगर उसका उदारतापूर्वक आप इन्टरप्रिटेशन लें, लीगल इन्टरप्रिटेशन लें तो उसको मैं समझ सकता हूं कि एक हद तक औचित्य है। लीटरल इन्टरप्रिटेशन लेंगे। लीटरल इन्टर-प्रिटेशन लेने से सिवाय अत्याचार के और कुछ नहीं होगा। मंत्री महोदय ने यहां अभी यह कहा कि अगर किसी रूट का राष्ट्रीयकरण होता है तो पहले खानगी बस चलाने वाले जो लोग हैं उनकी बस को किराये पर लेने की भी व्यवस्था होगी। अगर ऐसी कोई व्यवस्था करने का सरकार का इरादा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर दस दिन पहले किसी आदमी ने नई बस ली और बाद में उस रूट का राष्ट्रीयकरण हो गया तो उस आदमी की उस बस का क्या होगा? उसने इस बस में इतना रुपया डाला, उसका क्या होगा? बहस का उत्तर देते समय मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें। अभी इसके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि अगर कोई एक प्राईवेट पार्टी बस चला रही है और उस

(श्री लक्ष्मणसिंह)

रूट का राष्ट्रीयकरण हो गया है तो उस प्राइवेट पार्टी को कोई दूसरा रूट आप बता सकते हैं। वह वहां अपनी बस चलाये तो मेरे ख्याल में एक हद तक उसके कष्ट का निवारण होगा। सब से अच्छा तो तरीका यह होगा कि जो आपका 25 प्रतिशत रूट्स का राष्ट्रीयकरण करने का इरादा है, उसकी अगर आप कोई योजना बनावें, और ऐसी योजना बना कर उसको घोषित करदें, प्रकाशित कर दें ताकि सब लोगों को यह पता चल जावे कि अमुक अमुक रूट्स का राष्ट्रीयकरण सरकार करने जा रही है। उदयपुर डिवीजन के अन्दर, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, जब तक सुखाड़ियाजी मंत्री रहे तो राष्ट्रीयकरण का नामोनिशान नहीं था।

आपने अगर राष्ट्रीयकरण किया तो अब राष्ट्रीयकरण का राजकीयकरण हो गया। इसको राष्ट्रीयकरण तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि राष्ट्रीयकरण करने से जनता का हित होता है, सरकार का हित होता है, सरकारी कोष का हित होता है, तो उसका मैं स्वागत करता हूं अन्यथा मेरे खयाल में वह अर्थ का अनर्थ है, और आपकी एक जिद है, एक थ्योरी है। एक भावना के रूप में अगर आप राष्ट्रीयकरण करें तो वह राष्ट्रीयकरण नहीं है, राजकीयकरण है। यह नेशनेलाइजेशन नहीं है, यह स्टेटिज्म है मेरे पूर्व वक्ता ने जो इसके अन्दर ब्राइबरी और करप्शन के सम्बन्ध में निवेदन किया है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक पैरेलल ब्लेकमार्केटिंग ट्रेड चल रहा है। आपकी बसें आती हैं वह चन्द महीनों के अन्दर बिल्कुल पुरानी, टूटी और थर्डक्लास हो जाती हैं, और अगर राष्ट्रीयकरण का यही अर्थ है कि रद्दी बसें हों, और उसके साथ स्पेयर पार्ट्स का ब्लेकमार्केट हो और स्पेयर पार्ट्स भी निकाल करके दुकान के अन्दर रखकर वहां से स्पेयर पार्ट वापिस ले जाकर बसों के अन्दर लगा दिये जायं तो इससे बढ़कर और क्या निन्दनीय स्थिति होगी। गन्दी बसें हैं, बराबर चलती नहीं हैं, रिपेयर्स की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क पर बस अगर खड़ी हो जाती है तो दुरुस्ती करने की व्यवस्था नहीं है। आज जो रेलवे, तार, डाक और हवाई जहाज की व्यवस्था है वही की वह बसों की व्यवस्था है। कोई क्वालिटी का नामोनिशान नहीं है तो मेरे खयाल से राष्ट्रीयकेरेक्टर के अन्दर खामी है हमारी इन्सानियत में खामी है। ऐसी परिस्थिति के अन्दर मैं आपको यह कहूंगा कि राष्ट्रीयकृत की हुई जो रूट्स हैं उनको पहले आप सुधारें बनिस्बत इसके कि उसको आप एक्सपाण्ड करें। अगर आप क्वालिटी के लिए जायेंगे तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप क्वान्टिटी पर जायेंगे तो मेरे खयाल मे राष्ट्रीयकरण समाप्त हो जायगा, और अपनी भावनाओं को बालाए ताक रख कर करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हुए बिना नहीं रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण के बारे में अगर कोई जनहित की बात नहीं हो तो वह राष्ट्रीयकरण नहीं है। अगर राष्ट्रीयकरण आपको करना है तो ओपन माइण्ड से, खुले दिल से स्वागत करेंगे। उसका क्रियान्वयन आपका कैसे होगा यह पता नहीं लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको सफलता मिले, और अगर आपको इसके अन्दर सफलता मिल गई तो सबसे पहले मैं उसका स्वागत करूंगा और आपको बधाई दूंगा, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो जनतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार, डेमोक्रेटिक

(श्री लक्ष्मणसिंह)

वेल्यूज के अनुसार जनतन्त्र की पद्धति के अनुसार आप पर जैसा मस्त हाथी होता है तो उसके ऊपर अंकुश लगाकर उसको ठीक रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे। आपने गेहूं का व्यापार किया। उसका भी घोर विरोध हमने किया कि वह अवास्तविक था। वह जनहित के लिए नहीं था। वह जनता का शोषण है, और आज यह कहती है सरकार खुले आम कि 150 रुपये क्विन्टल गेहूं का भाव कायम किया जाय और यह वास्तविक भाव है। मेरे खयाल में, मेरे दृष्टिकोण से यह भावना अपवित्र है। इस भावना के अन्तर्गत ब्लेकमार्केटिंग एक्टीविटीज हैं। अगर इस तरह का राष्ट्रीयकरण करके आप अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, आप इलेक्शन फण्ड्स क्रियेट करना चाहते हैं, और इलेक्शन की जो पद्धति है उसको अपवित्र बनाकर पता नहीं क्या क्या नहीं करना चाहते हैं तो मेरे खयाल में जनता जबरदस्त हिन्सा, पब्लिक विल नाऊ डिमान्स्ट्रेट सरचार्ज्ड विथ वायलेंस काम में लायेगी। आज सारे देश के अन्दर हिंसा का वातावरण है। वह हिंसा की भावना बढ़कर भभक उठेगी आप चाहे कितना ही अहिंसा का नाम लें लेकिन अहिंसकी पब्लिक ही हिंसा करने वाली पब्लिक हो जायगी। तो आप हिंसा के शिकार हुए बिना नहीं रह सकते। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह संशोधन लाया गया है 25 वर्षों के बाद में उसका मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले कई मंत्रि-मंडल आये और चले गये· ·

श्री मीठालाल : यह भी चला जायगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हम लोग मांग करते रहे कि यह कदम उठाना चाहिए लेकिन वह कदम नहीं उठा, और 25 साल के बाद भी हमको यह कहना पड़ता है कि 18 पर्सेन्ट रूट्स का इस वक्त तक राष्ट्रीयकरण हुआ है। आपने टार्गेट बनाया था कि 74 के अन्त तक हम पूरा राष्ट्रीयकरण कर-देंगे 25 पर्सेन्ट, लेकिन अभी तक 18 पर्सेन्ट का हुआ है, और यह जो पंचवर्षीय योजना आई है नई उसके मातहत आपने यह जनता को विश्वास दिलाया है कि हम पूरे क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। तो जब तक यह चीज अमल में नहीं लाई जाय तब तक विश्वास पैदा होना तो मुश्किल है, लेकिन मेरी मान्यता यह है कि आज जो मंत्री महोदय इस डिपार्टमेंट को अपने हाथ में लिये बैठे हैं वह कुछ परपजफुल आदमी मालूम होते हैं, और मेरी मान्यता यह है कि उन्होंने सही दशा में बहुत से कदम उठाये हैं, और इसलिए हम उनसे आशा कर सकते हैं कि जो वायदे-अहद हमसे और जनता से किये जा रहे हैं उनको पूरा किया जायगा।

इसके साथ-साथ मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा, कुछ कन्स्ट्रक्टिव रचनात्मक सुझाव रखना चाहूंगा। मैंने कुछ एमेंडमेंट्स भी दिये हैं, और उन एमेंडमेंट्स के बारे के ऊपर मैं उस वक्त शायद प्रेस न करूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप जिन रूट्स का राष्ट्रीयकरण करें उन रूट्स के राष्ट्रीयकरण के बाद आपकी जो कार्पोरेशन है उसको पहला आपशन दे देना चाहिए, और

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जहां तक उनकी जो दरख्वास्तें और जो स्कीम्स हैं उनको आप एप्रूव कर दें उसमें उनको जितनी फार्मेलिटीज ग्राब्जर्व करनी पड़ती है वह डिस्पेन्सविथ कर दी जायं, और समाप्त कर दी जायं, और एक लेटर फार्मल भेज दिया जाय कि हम इन स्कीम्स को एडमिट कर चुके हैं और यह रूट्स राष्ट्रीयकृत हो रही हैं। अगर आप इन पर अपना ओपशन एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो फिर सब फार्मेलिटीज को समाप्त कर दिया जाय, और वह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप इन तमाम दिक्कतों में फंसें कि दूसरी दरख्वास्तें आयें, आप बैठे और निर्णय लें, तो इसमें बहुत देरी लगती है। जब हमारा उद्देश्य साफ है, मकसद और ध्येय साफ है तो उसमें देर करने की कोई वजह नहीं है। हमको यह तय कर देना चाहिए कि जो रूट्स हैं और जिनका राष्ट्रीयकरण किया जायगा और जो स्कीम्स होंगी उनके आधार पर हम राजस्थान ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन को इत्तिला दे देंगे और अगर वह उस ओपशन को एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उन रूट्स के बारे में कोई नोटिफिकेशन करने या कुछ करने की जरूरत नहीं है।

दूसरी चीज जो मैं चाहूंगा वह यह है कि ऐसे जो कन्डक्टर्स और जो ड्राइवर्स हैं, मेरी यह जानकारी है और मेरी यह मान्यता भी है कि जब तक प्राइवेट बसें चलती थीं तो ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स की बड़ी दयनीय हालत थी। उनकी हालत में सुधार आया है। कुछ ज्यादा सेलेरीज भी मिल रही हैं, कुछ परिवर्तन भी हुआ है उनकी आर्थिक स्थिति में, अगर अब भी मुझे उससे पूरा सन्तोष नहीं है। मेरी मान्यता यह है कि जो उनको सहूलियतें मिल रही हैं वे तो मिलें हीं, लेकिन मुझको यह पता चला है कि बाज ओकात ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स को एट ए स्ट्रेच 23--23 घन्टों की ड्यूटी देना पड़ती है। जो लम्बी सर्विसेज हैं और जो इस प्रकार के बड़े रूट्स हैं जैसे भोपाल वगैरह उन पर दो--चार घन्टों का रेस्ट तो मिलना ही चाहिए। मैं इसको बहुत अधिक इनह्यूमन मानता हूं। यह सही बात है कि आप उनको पैसा देते हैं, वेजेज भी देते हैं और शायद ड्यूटी वेजेज भी देते हैं, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि यह जो सिस्टम है इसके अन्दर कुछ तब्दीली आना चाहिए और हर ड्राइवर को और कन्डक्टर को चाहे कितना ही लम्बा रूट पर चले, उसके लिए इस किस्म की सहूलियत होना चाहिए कि वह थोड़ा सा आराम कर सके, वर्ना इसमें इस बात की भी सम्भावना रहती है कि कोई आदमी एट ए स्टेच अपनी ड्यूटी अन्जाम देता है तो थकावट होने की सम्भावना होती है। इन्सान आखिर मशीनरी नहीं हो सकता है। उसको स्टीयरिंग पर बैठे रहना पड़ता है और आंखें लगने की भी सम्भावना हो सकती है क्योंकि लम्बी सर्विसेज होती हैं, यह जो भोपाल वगैरह जाती हैं तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय को ध्यान में रखकर यह तय करें कि चाहे कितना ही लम्बा रूट हो लेकिन कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स को कुछ सहूलियत उपलब्ध होना चाहिए। आपके लिए यह दिक्कत है कि आपको ओवरस्टे का या रात को ठहरने का अलाउन्स देना पड़ता है। वह देना चाहिए। इसके अलावा मैं एक दूसरा सुझाव रखूंगा, वह यह है कि आप वैसे वेजेज देते हैं। उनको

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

ड्यूटी में एक वक्त, दो वक्त रुकना पड़े, तो आप यह क्यों सोचते हैं कि वह भूखे रहें। उनको ड्यूटी अलाउन्स एडीशनल होना चाहिए। इसलिए जहां वह जाते हैं, अगर 5–6 रुपया ज्यादा खर्च कर दें तो वह वेजेज की बात भी खत्म हो जाती है। तो जो पैसा आप देते हैं, वह उनके बालबच्चों तक पहुंच सके। यह आपको सोचना चाहिए। जो पैसा आप देते हैं, वह बीच में ही खत्म हो जाये तो यह ठीक नहीं है। जो वह ड्यूटी देते हैं, वह डाइट उनको मिलनी चाहिये। जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लम्बा सफर करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप का मोशन जनमत जानने के लिए है। मौजूदा बिल के बारे में आप सारा ही डिस्कशन कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा अमेण्डमेन्ट के बारे में भी है। मैं सभी पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जो मौजूदा बिल है, आप उसी तक सीमित रहें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप जैसा फरमायेंगे।

श्री केशरीमल : यह तो ये सब एक साथ लिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ का मतलब यह नहीं है कि आप सारी बातों को उसमें मिला दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं यह अर्ज करना चाहूंगा, जो ऐतराजात हो रहे हैं कि फलां रूट नहीं लिया। फलां रूट नहीं लिया। इसके बारे में मैं यह कहूंगा कि नेशनेलाइजेशन के बारे में हमारी स्पीड बहुत स्लो है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। (सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य एक स्थान पर खड़े होकर इस प्रकार बात-चीत करने लगे जिससे कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान पड़ने लगा।) आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज़, माननीय सदस्य। यह बातचीत का स्थान नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था, राष्ट्रीयकरण के बारे में हमारी धीमी गति है। इसके कारण हमें लम्बी चौड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन रूट्स को, जैसे कि कहा जाता है कि फलां साहब की वजह से नेशनालाइजेशन नहीं हुआ है। गवर्नर साहब की वजह से नहीं हुआ है। या मिनिस्टर साहब की वजह से नहीं हुआ है। वह सबसे लेना चाहिए। जो रूट्स विलेजेज को जाती हैं, उनको तो छोड़ देना चाहिए। और जो बाकी खास रूट्स हैं, उनको पहले लेना चाहिए। और, दूसरी बात मैं यह भी कहूंगा, आप जो राष्ट्रीय-करण की नीति बना रहे हैं उसमें दूसरी एसेंशियल कमी यह है कि जो वर्कर्स हैं, उनका हर काम में पार्टीसिपेशन होना चाहिए। अगर आप उनका पार्टीसिपेशन करेंगे तो आये दिन जो झगड़े होते हैं, वह खत्म हो जायेंगे और वह खुद बैठकर तय करेंगे। जब आप समाजवाद का कदम उठा रहे हैं। राष्ट्रीयकरण की तरफ उठा रहे हैं तो उधर तेजी से कदम रखेंगे। तो जो आप करेंगे, उन लोगों को जो उसमें हैं। आपने

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

फरमाया है कि हम उनको लेते हैं। पर मैं एक बात निवेदन करूंगा मैं चाहूंगा कि जो लोग उसमें काम करते चले आ रहे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी उदार नीति अपनानी चाहिए। यह नहीं है कि जो काम नहीं कर सकता या अन्धा हो, लूला हो। लेकिन जो काम करते आ रहे हैं, उनके बारे में रिलेक्सेशन करना चाहिए। अगर वह क्राइटेरिया में आते हैं तो यह नहीं है कि उनको कम्पीटीशन में बैठाया जाये। आपको डिसक्वालिफिकेशन कर देना चाहिए और उनको ले लेना चाहिए। फिर जो जगहें बचें, तब आप इन्टरव्यू काल करें। अगर आप इण्टरव्यू कायम रखेंगे तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। वह घूमते ही रहेंगे। अभी भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था, चार बार होने पर भी उनका इण्टरव्यू नहीं हुआ है। बीस, बीस साल से ड्राइवरी करते चले आ रहे हैं। पांच, पांच साल से कण्डक्टरी करते चले आ रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि इस बारे में सुधार हो रहा है। जो हालत ज्वाला प्रसादजी के जमाने में थी, उसमें सुधार हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगा,

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। उधर अपोजिट ग्रुप के आदमियों को तो आप डेढ़ डेढ़ घण्टा देते हैं। मैं दो चार मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं एक बात कहूंगा, पार्टीसिपेसन के बारे में वह आप करें लेकिन जिन मजदूरों का बहुमत हो, उनके प्रतिनिधि हों। आपकी नीति यह नहीं होनी चाहिए जिससे कि पक्षपात जाहिर हो। क्या मैं यह पूछने का हक रखता हूं, क्या आप वाकई में ट्रेड यूनियन्स के झगड़े खत्म करना चाहते हैं। या उनको बढ़ाना चाहते हैं। अभी आपने फरमाया कि दामोदर मोर्य को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में मेम्बर बनाया है। अगर आपको लेना था तो आपका क्या क्राइटेरिया था। जो आपके मजदूर हैं, उनके जो बेरिया साहब हैं वह कण्टेस्ट करते। असल में आप प्रगति की बात करते हैं, वहा आपके द्वारा ऐसे एक्शन्स होते हैं। राज्य सरकार का दबाव होता है। आप बेरिया साहब को इनकम्पीटेंट नहीं मानते हैं। वह मैदान में आयें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में आयें, वह जीत जायें तो अच्छा है। आप पार्टीसिपेशन उनका लीजिये जो ट्रेडयूनियन में काम करते हों। यह तरीका नहीं होना चाहिए कि दामोदर मोर्य को नामजद कर दिया। चूंकि वह इन्टक के हैं। यह अच्छा नहीं है कि ट्रेड यूनियन्स में आपस में सिर फुटौवल हो। आप यह घोषणा करेंगे कि यह जो गलत फैसला किया है, उसको वापिस लें। मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर ट्रेड यूनियन में काम करने वाले या उन मजदूरों की राय से जो वहां वर्कर्स की हैसियत से काम करते हैं। डाईवर की हैसियत से काम करते हैं। उनकी तरफ से अगर मोर्या साहब नामजद होकर आजायेंगे तो उनको ले लीजिये। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि आप पर्पजफुल आदमी है, आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी नीतियों में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी राय की कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं यह अर्ज किया चाहता हूं, इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं। मैंने कुछ अमेंडमेंट रखे हैं उन पर बाद में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढा।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन बिल के रूप में इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है रोडवेज के बारे में, इसके सम्बन्ध में पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार रोडवेज का राष्ट्रीयकरण करे, और अपनी योजना के अनुसार करे राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण के हम विरोधी नहीं है। राष्ट्रीयकरण तमाम ट्रेड्स में व्यवसाय में, अण्डरटेकिंग में किया जाय--इसका सैद्धांतिक विरोध भारतीय जनसंघ नहीं करता है। व्यवहारिक पक्ष यह है, उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण सामाजिक न्याय और समाज के सब तबकों को सही मायने में राहत देने में सफल होता है तो वह राष्ट्रीयकरण अच्छा है। यदि राष्ट्रीयकरण केवल नारे के रूप में किया जाता है और राष्ट्रीयकरण के नाम के ऊपर यदि स्वार्थ सिद्धि करने के लिए और राजनैतिक दृष्टिकोण से कोई कार्यवाही की जाती है तो हम निश्चित

3.22 बजे

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, सभापति, पीठासीन)

रूप से उसका विरोध करते हैं। सभापति महोदय, इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में मोटर गाड़ी के राष्ट्रीयकरण के नाम पर कांग्रेस संस्था ने तमाम कांग्रेस संगठन ने और सत्तारूढ़ दल ने जितना अधिक शोषण किया है, बस के मालिकों से समय समय के ऊपर राष्ट्रीयकरण का डर दिखा कर चन्दा वसूल करने के रूप के अन्दर। और हर प्रकार से वास्तव में राष्ट्रीयकरण के पवित्र सिद्धांत का एक प्रकार से नाटक क्यों किया जाता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, सभापति महोदय, उदयपुर डिवीजन के अन्दर, आपको यह अच्छी तरह से पता है कि बड़ी बड़ी बसों के ठेकेदार, बसों के मालिक, जिनकी एक नहीं, पचासों बसें चलती हैं, उनके रूट्स का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है, वह इसलिए नहीं किया गया है कि हर चुनाव के अन्दर, वह चाहे विधान सभा का चुनाव हो, चाहे लोक सभा का चुनाव हो, चाहे नगरपालिका का चुनाव हो उनसे बहुत बड़ी रकम कांग्रेस संगठन ने, कांग्रेस के नेताओं ने चन्दे के रूप में ली है। इनके अतिरिक्त एक निवेदन करना चाहूंगा कि पिक एण्ड चूज जिस प्रकार से किया जा रहा है, पन्द्रह-बीस सालों से....

श्री यशवन्त सिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं इन्टरवीन करना चाहूंगा, उदयपुर डिविजन के एक मोटर चलाने वाले का नाम बता दीजिये, जो परमिट होल्डर हो और जिसकी पचास बस हों। यह कहें, और कुछ कहें, यह समझ में आता है। लेकिन माननीय गुमानमल जी यह कहें, नेशनेलाइजेशन का पवित्र नारा है, यह पवित्र फिर अपवित्र कैसे है। अपवित्र है, तो अपवित्र के नाम के साथ रिश्वतखोरी की बात कांग्रेस के साथ जोड़ देने के साथ आप नाम बता देते तो हमें संतोष होता....

श्री मनोहर लाल : कांग्रेसी रिश्वत के अलावा क्या करते हैं ?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आप कह रहे हैं कि पचास बस हैं, इसमें कांग्रेसी रिश्वत खाते हैं, चन्दे के नाम पर वसूल करते हैं। फिर आप पवित्र बता रहे हैं।

श्री सभापति : प्लीज कन्टीन्यू।

श्री मनोहर लाल : नाम सब हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : भूतपूर्व मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, वह नाहर साहब को पता है, उसमें सारे नाम दिये गये हैं सब कान्ट्रेक्टर्स के, ठेकेदारों के। वह ज्ञापन विरोधी पक्ष के लोगों ने दस्तखत करके दिया है, छपा हुआ है, पढ़ा हुआ है नाहर साहब का, नाहर साहब जानते हैं कि कितना रुपया किस कान्ट्रेक्टर ने दिया। वह चाहते हैं मेरे से सुनना, वैसे सब उनके दिल में है वह कह नहीं सकते····

श्री रामकिशन : मैं आपको करेक्ट कर दूं, उस पर जनसंघ वालों ने दस्तखत नहीं किये थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जनसंघ वालों ने समर्थन किया था। देखिये, दो चार चार्जेज उसमें ऐसे भी थे, जिनके बारे में प्रमाण उतने पक्के नहीं थे, इसलिए हमने दस्तखत नहीं किये। अधिकतर चार्जेज थे, उनका हमने समर्थन किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, नाहर साहब जानते हैं, इस बात को कि किसने कितना रुपया दिया है, कितना रुपया दिया-यह छिपा हुआ नहीं है। यह भी जानते हैं कि नारा पवित्र है, उस पवित्र नारे का दुरुपयोग होता है तो उनकी आत्मा तिलमिलाती है। इसलिए यह कहने के लिए खड़े हुए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाजारों में जाता हुआ व्यक्ति, होटलों और रेस्टरां में बैठा हुआ व्यक्ति इसकी चर्चा करता है, बस आपरेटरों से कितना कितना चन्दा कब कब लिया जाता है। इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है छिपाने की या बताने की। मैं निवेदन कर रहा था, उदयपुर डिविजन में क्यों नहीं किया राष्ट्रीयकरण नाहर साहब इस प्रश्न का उत्तर दें जब वह स्पीच दें, क्यों नहीं किया उदयपुर डिविजन में? उदयपुर डिवीजन में ऐसी क्या विशेषता थी सिवाय इसके कि वड़े बड़े कान्ट्रेक्टर हैं वह कांग्रेस की सहायता करते हैं। राजस्थान में और जिलों में बड़े बड़े रूट राष्ट्रीयकरण के लिए चुने गये लेकिन उदयपुर को बिल्कुल छोड़ दिया। क्या भौगोलिक कारण थे? क्या ऐतिहासिक कारण थे? या केन्द्र से मेन्डेट मिला था? यह स्पष्ट है, दीवारों पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में अमेंडमेंट करके प्रावधान किया है कि स्टेट ने परमिट के लिए एप्लाई किया तो उसको प्रिफरेन्स दिया जायगा। ठीक है। मुझे आपत्ति नहीं है। आप चाहते हैं कि स्टेट को साधारण नागरिक के अन्दर प्रिफरेन्स दिया जाय-उसमें आपत्ति नहीं है। प्रिफरेन्स देने के कारण रोडवेज की बस चले और जनता को राहत दें। सही तरीके से स्टेट बस चलाना चाहती है तो उसे प्रिफरेन्स दें-- इसमें आपत्ति नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप स्कीम बनाते हैं, सभापति महोदय, राजस्थान हाईकोर्ट के अन्दर रोडवेज को लेकर एक बेंच के सामने इतने लिटिगेशन रहते हैं कि सुबह से शाम तक रोडवेज के आपरेटर, जिन्होंने नेशनेलाइजेशन को चैलेंज किया है, वहां बैठे रहते हैं और सुबह से शाम तक वहां बहस चलती रहती है। हजारों केसेज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है, माननीय मंत्री एग्स्योर कर लें, यह आपके समय में रिपीट नहीं हो। आज तक का इतिहास यह रहा है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, ला डिपार्टमेंट और अन्य आफिसर आपरेटर्स से मिल कर नेशनेलाइ-

(श्री गुमानमल लोढा)

जेशन कानून में, स्कीम में जानबूझ कर लेकूना रखते हैं, पहले सलाह हो जाती है, यह लेकूना रख देंगे, और सौदेबाजी हो जाती है और उसको लेकर स्टे आर्डर के लिए जाते हैं। और फिर तीन, चार पांच साल तक स्टे आर्डर पड़ा रहता है। इस कारण नेशनेलाइजेशन की स्कीम है वह कागजों में रहती है, केवल नारा रहती है, और सड़क पर कामयाब नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूं, मंत्री महोदय, एन्स्योर कर लें। यह तरीका है, यह नया नहीं है, कई सालों से चल रहा है। सभापति महोदय, जो कुछ आपको करना है वह सही मायने में कीजिये, प्रमाणिकता के साथ कीजिये, विश्वास पैदा कीजिये कि आप यह करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने एक साथ एक एरिया में नेशनेलाइजेशन कर दिया, जैसे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जैसलमेर पोकरण एरिया था उसमें आर्डर कर दिया, एक साथ नेशनेलाइजेशन। लेकिन इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक मानवीय पहलू भी है, जहां जनता के हित के अन्दर सही मायने के अन्दर रोडवेज को अधिक और ठीक तरीके से चला कर सुविधा देना चाहते हैं ... वह कितनी इम्प्लीमेंट होती है। उद्देश्य उसका यह है कि वहां पर छोटे छोटे बस आपरेटर्स हैं, एक ही आज्ञा के द्वारा आप हमेशा के लिए उसके अपसेट करते हैं, जिन्होंने एक एक बस के लिए 30-40 हजार रुपये खर्च किए हैं, कई लोग लीज एग्रीमेंट में कर्जा लेकर खरीदते हैं आप उनको अपसेट करते हैं। खैर, जब परिवर्तन होता है तो आदमी अपसेट होता है। लेकिन व्यापक हित में जब कुछ वर्गों को सैक्रीफाइस करना पड़े तो सहन करना चाहिये, स्वागत करना चाहिये। आप उत्तर प्रदेश के उदाहरणों को लीजिए। आप उनको कुछ छोटे ऐसे टुकड़े दिए जायं जहां आपका डाइरेक्ट रोडवेज नहीं चलता है। कई ऐसे रूट्स हैं, बड़े रूट को नेशनेलाइज कर दिया। बहुत अच्छा, एप्रूव हो गया, आपके पास काम्पेन्सेशन देने का प्रावधान नहीं। काम्पेन्सेशन के बारे में मेरी मान्यता है कि छोटे तबके के जो आपरेटर्स होते हैं, जिनकी बहुत बड़ी बसिज 10-10, 20-20 व 50 बसों की फ्लीट रहती है, उनको छोड़ दीजिए लेकिन छोटे छोटे आपरेटर्स जिनके लिए बस जीविका का साधन होती है और बड़ी मुश्किल से हम एक दो बस खरीदते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। या तो छोटे रूट्स पर आप उनको एडजस्ट करें ताकि अपना जीवन निर्वाह कर सकें या आपने 5 साल के लिए परमिट दिया और बीच में 6 महीने बाद नेशनेलाइज कर दिया तो उसको काम्पेन्सेशन दिया जाए, कम ही सही। लेकिन आप उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखें और आप आब्जेक्टिवली डिसाइड करें कि इसमें क्या करना चाहिए।

रोडवेज निगम में जो पहले यहां व्यक्ति था उसको हटाया, बहुत अच्छा किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुपरसीड कर लिया उसके बाद में एक्सटेन्शन किया, टाइम लिमिट समाप्त किया, फिर एक्सटेन्शन कर दिया। आप उस पर विचार करें, उस समय लिटीगेशन हुआ, हाईकोर्ट में आया कि सुपरसेशन का एक्सटेन्शन लीगल है या इल्लीगल, वह सुप्रीमकोर्ट तक चल रहा है तो आपका विभाग लिटीगेशन में इतना लिप्त है कि आपका बड़े अधिकारियों, ला विभाग के लोगों और वकीलों में इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, इस बारे में

[illegible]

तकलीफ [illegible] स्थान हैं, जहां 5–5, 6-6 दिन के बाद आवागमन के साधन मिलते हैं। आज के युग में जब मानव चंद्रमा तक पहुंच चुका है, हमारे यहां रेल बंद होने के कारण एक व्यक्ति को 5-6 दिन लगते हैं, डाक पहुंचने में 7 दिन लगते हैं और [illegible] की स्थिति बनी हुई है। तो मंत्रीजी [illegible] जनता की सुविधा के लिए बाड़मेर, जैसलमेर, बिलाड़ा, [illegible] जहां भी रेल यातायात अवरुद्ध हुआ है वहां एडीशनल बसिज लगायें। आपने जोधपुर में सिटी सर्विस प्रारंभ नहीं की। जयपुर में सिटी बस सर्विस चलती है, जोधपुर में भी क्यों नहीं चलाते? आखिर हर बात के अन्दर आपका इकानामिक [illegible] नहीं हो सकता, यह कोई बनिये की दुकान नहीं। एक बार जब सवाल उठा था तो मंत्रीजी ने कहा कि हमारे लिए [illegible] है, [illegible] नहीं है, [illegible] चलाते हैं तो वहां कौनसा लाभ होता है? यह जन-कल्याणकारी विभाग है, आप समाजवाद [illegible] और जनतंत्र पद्धति में विश्वास करते हैं इसके बाद भी हम कहें कि जोधपुर नगर में सिटी सर्विस चलेगी तो प्राफिटेबल नहीं होगी। यह दृष्टिकोण कम से कम वर्तमान यातायात मंत्री से तो अपेक्षित नहीं है। यदि सिटी सर्विस चलने से जोधपुर नगर की जनता को फायदा होता है और निगम को नुकसान भी होता है तो उस नुकसान की वजह से जनता को उस सुविधा से वंचित नहीं रखना चाहिए। तो जोधपुर में सिटी बस सर्विस प्रारंभ करें और वह वहां पर लगातार चलनी चाहिए जिससे नगर की जनता को सुविधा मिले।

[illegible]

श्री [illegible] : [illegible] सीटस के स्थान पर दो व्यक्ति मुश्किल से बैठ सकते हैं, दो सीटस के स्थान पर एक व्यक्ति मुश्किल से बैठ सकता है। आपके

Page No 99

(99)

(श्री गुमानमल लोढ़ा) पास तो यातायात विभाग, है, इक्फाला और दूसरी बढ़िया कारें हैं शायद बस में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बार मनोरंजन के लिए ही सही मेरे साथ एक बार बस में चले, मुझे जोधपुर के ही एक यात्री ने कहा कि छंगाणी साहब को ले आइए, आप दोनों सीट पर बैठ जायें...

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप चाहेंगे तो डबल डेकर की व्यवस्था करूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बड़ी मुश्किल से आधी सीट पर बैठ सकेंगे और आधे सीट में नहीं बैठ सकेंगे, तो बड़ी असुविधा होती है। यात्रियों ने कम्परिजन किया उन्होंने कहा जम्मू काश्मीर गए थे, वहां की डीलक्स बसें देखी, वहां सीटस बढ़िया होती है, कम्फर्टेबल होती हैं। एक व्यक्ति आराम से बैठ सके, ऐसी सुविधा तो दें। सब प्रकार का बैठाएं, उसके लिए आपको व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। रोडवेज स्टेशन्स बने हुए हैं वहां पर रहने के लिए एक रात के ठहरने के लिए बड़े बड़े स्थानों पर 2-4 कमरे जाम के लिए बनाए हैं लेकिन आजकल जैसे बस यात्रा बढ़ रही है उसको भी बढ़ाइए। जहां बस स्टाप्स आते हैं वहां पर शौचालय इतने गंदे होते हैं कि वहां पर खड़ा रहने के लिए भी इन्सान को बड़ी तकलीफ हो जाती है। जहां पर बस स्टाप्स बड़े बड़े हैं जहां पर 200-400 व्यक्तियों को बस के लिए इन्तजार करना पड़ता है, वहां अच्छी लेवेटरीज बनायें। आज के युग में यदि राज्य सरकार यह नहीं करेगी तो किस से अपेक्षा करेंगे?

तो मेरा यह निवेदन है कि जहां तक आप बसों का राष्ट्रीयकरण करें रूटस का परमिट ज्यादा से ज्यादा आप लें हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। पहले आप कहीं पर बस चलायें, रूटस का नेशनेलाइजेशन करें तो हमें कोई विरोध नहीं है। हम राष्ट्रीयकरण के विरोधी नहीं हैं। ना राष्ट्रीयकरण की नीति के ही विरोधी हैं। लेकिन आप छोटे छोटे संशोधन लाते हैं उससे काफी दिक्कतें होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे ताकि जनता की क्या क्या असुविधायें हैं उन सभी को एक साथ ही स्टडी करके इस बिल में संशोधन लाया जावे। आप इसमें हौलसेल में एमेंडमेंट लावें वरना आज यह होता है कि आप बार बार छोटे छोटे एमेंडमेंट करते रहते हैं फिर हाईकोर्ट में जजमेंट होते हैं आप और एमेंडमेंट लाते रहते हैं स्वयं हाईकोर्ट को भी पता नहीं रहता कि इसमें क्या एमेंडमेंट राज्य सरकार ने कर दिया है। जहां तक सवाल एमेंडमेंट का है वह राज्य सरकार ही नहीं ला रही है लेकिन आपकी केन्द्रीय सरकार भी इससे बची हुई नहीं है। केन्द्रीय सरकार का सिद्धांत ही संशोधन करना है।

श्री [illegible] : [illegible] सरकार [illegible] एक्सीडेन्ट्स [illegible] यह [illegible] है

श्री गुमानमल लोढ़ा : एडीशन्स और आल्टरेशन्स करें उसका तो कोई दुख नहीं लेकिन डिलीशन्स नहीं करें। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस बिल को जनता में सरक्युलेट कीजिये ताकि जनता अपने सुझाव इसके लिये दे सके। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करूंगा आज जो आपके

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बसेज के कन्डक्टर्स और बस ड्राइवर्स को उनका भी पार्टीशिपेशन इसमें कीजिये उनको सम्मानित जगह दीजिये। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपके सामने एक मसला आया था कि एक रोडवेज की बस से एक एक्सीडेन्ट हो गया था जयपुर के आगे। अभी तक उसका कोई राज्य सरकार का जवाब नहीं आया वास्तविक स्थिति क्या थी वह तो मन्त्री महोदय का स्टेटमेंट आयेगा तब पता चलेगा लेकिन मैं इसके लिये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई रोडवेज की बस एक्सीडेन्ट से किसी की मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार उन्हें क्या कम्पेन्शेसन देती है यह मुझे पता नहीं लेकिन इतना अभी मैंने पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति की हवाई जहाज से एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को एक लाख रुपया दिया जाता है कम्पेन्शेसन के और रेलगाड़ी से एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 50 हजार रुपये मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हवाई जहाज से मरते हों तो आपकी कीमत एक लाख रुपया है और रेल एक्सीडेन्ट से मरते हैं तो आपकी कीमत 50 हजार हो गयी मतलब आधी होगी। लेकिन बसेज से एक्सीडेन्ट में अगर आपकी मौत होती है तो आपको क्या मिलता है यह पता नहीं है। शायद 250 रुपये मिल पाते हैं या पता नहीं क्या मिलता यह मन्त्री महोदय, शायद सदन में बतायेंगे तब पता चलेगा कि उन्हें क्या मिलता है। मेरे ख्याल से राज्य सरकार ने कोई प्रावधान नहीं रखा है। सभापति महोदय, अभी एक एक्सीडेन्ट जयपुर से थोड़ा आगे हो गया था उसमें दुर्भाग्य से दो तीन साध्वी थीं जिसमें से शायद दो साध्वी तो मर गयी और एक बीमार अभी अस्पताल में पड़ी हुई और एक व्यक्ति लल्लूलाल साथ में था उसकी भी घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी। लेकिन उस व्यक्ति के परिवार को अभी तक कोई कम्पेन्सेशन नहीं मिला है जबकि अगर वह हवाई जहाज से एक्सीडेन्ट से मरता तो एक लाख रुपये उसको मिलता और रेल से मरता तो 50 हजार मिलते।

श्री रामकिशन : लोढाजी आप इन कांग्रेस वालों को यह मत बताओ कि एक लाख रुपये हवाई जहाज के एक्सीडेन्ट में मृत्यु होने से मिलता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो सभापति महोदय, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। कम से कम उस व्यक्ति के मरने पर उसको दाह संस्कार के लिये दस बीस रुपये भी नहीं मिलते है। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो बस ड्राइवर जिसने कि एक्सीडेन्ट किया था वह बस ड्राइवर रात भर से चला आ रहा था जोधपुर से उसे रातभर से नींद आ रही थी उसे कई बार यात्रियों द्वारा सचेत किया गया लेकिन वह अन्त में रोंग साइड होकर उसने इन दो साध्वीजी तथा उस लल्लूलाल की हत्या करदी। एक साध्वी बच गयी है जो सभापति महोदय, अभी अस्पताल में पड़ी अपना इलाज करा रही है। बात यहां पर भी समाप्त नहीं होती है सभापति महोदय, उसके बाद में रोडवेज की एक बस पीछे की पीछे आ रही थी उसे कहा कि जो साध्वी वहां घटनास्थल पर एक तो मर गयी थी दूसरी और तीसरी साध्वी घायल हो गयी थी खून बह रहा था, उन्हें कहा कि आप इनको यहां से जयपुर अस्पताल ले जावो तो उन्होंने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

ले जाने से यह कह कर इनकार कर दिया कि हम तो नहीं ले जायेंगे हमें तो ऐसे आदेश नहीं है कल हम ले जावें और हमारे बयान वगैरह हों, हमारे खिलाफ मुकदमा बना दिया जावे तो हम क्यों ले जावें। खैर वह नहीं ले गये और बाद में दो तीन घन्टे के बाद एम्बूलेन्स आयी तब तक एक साध्वीजी वहीं पर समाप्त हो गयी और लल्लूलाल भी समाप्त हो गया था। वरना यह दूसरी वाली साध्वीजी को बचाया जा सकता था। मैं समझता हूं कि अभी तक लल्लूलाल के नाम पर कोई कम्पेनसेशन नहीं मिला है अब उसके परिवार वाले लोग शायद लेबर कोर्ट वगैरहा में जायेंगे तब कुछ राहत मिले तो पता या मन्त्री महोदय कोई कम्पेनसेशन की घोषणा कर दे तो दूसरी बात। लेकिन इतना मैं जरूर आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक ड्राइवर जो रात भर चले तो हो सकता है उससे एक्सीडेन्ट हो जाय थोड़ा माननीय दृष्टिकोण भी तो होना चाहिये इसके लिये आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि जब एक ड्राइवर रात भर बस चलाता है तो उसे नींद आना स्वाभाविक है इसके साथ में यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि उस बस में सौ पचास व्यक्ति बैठे रहते हैं उनके जन.जीवन का भार उस बस ड्राईवर पर है इसलिए आप उनकी सेफ्टी के लिये इतना तो करें कि एक बस के साथ दो ड्राईवर रखा करें ताकि अगर एक को नींद आवे तो दूसरा बस चलावे या आधी देर वह बस चलावे और आधी देर दूसरा बस चलावे। उनकी एलटरनेट ड्यूटी रखी जावे। ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। सभापति महोदय अगर यही एक्सीडेन्ट किसी प्राइवेट बस ड्राईवर के हाथ से होता तो मैं समझता हूं कि एक्सीडेन्ट होने के बाद वह बस ड्राईवर या उसका मालिक ऐसी व्यवस्था जरूर करता कि जिससे कि घायलों को अस्पताल जल्दी से जल्दि पहुंचाया जाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में राज्य सरकार जरूर कुछ विचार करे। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे और जब जनता से सुझाव आजावें तो इसके लिए होलसेल में ही एमेंडमेंट बिल उसके लिए लावे ताकि जनता को इसका पूर्ण लाभ पहुंचे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भानुकुमार शास्त्री: अनुपस्थित। श्री झाबरमल सूण्डा : अनुपस्थित। श्री यशवन्त सिंह नाहर : अनुपस्थित। श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, अभी सदन में मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974 के बारे में सदन में चर्चा चल रही है। सभापति महोदय राज्य सरकार रूट्स का नेशनेलाईजेशन करने जा रही है, तथा सरकार मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन करने जा रही है, जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है सभापति महोदय, बहुत लम्बी प्रतीक्षा करने के बाद अब सरकार उन मांगों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है, यह तो सौभाग्य की बात है। और उनके लिए हम अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। पर इसके साथ साथ जो बसें चलाई जा रही हैं उन रूट्स पर उसमें बहुत सी खामियां हमें नजर आ रही हैं उसके बारे में मैं आपकी मारफत

(श्री लूणाराम) मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हमें उन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए जिन मार्गों के राष्ट्रीयकरण के लिए हम पूरी तरह तैयार हों। वरना होता यह है कि एक तरफ तो हम राष्ट्रीयकरण करते हैं मार्गों का दूसरी तरफ हमारी उन मार्गों पर बसें चलाने के लिए पूरी तैयारियां नहीं होती हैं। इससे हमें काफी संकट का सामना करना पड़ता है। इसके लिये हमें यह देखना पड़ेगा कि सिर्फ मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने से काम नहीं चलता है या सिर्फ मार्गों का राष्ट्रीयकरण करके आप इनकम ही अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो उससे क्या फायदा, हमें जनजीवन के कल्याण की भावना का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम जन जीवन के कल्याण की [illegible]। [illegible] सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही राष्ट्रीयकरण करते हैं तो राष्ट्रीयकरण करना ही व्यर्थ है। अगर राज्य सरकार को सिर्फ आमदनी करनी ही हो तो राज्य सरकार को जैसे शराब से आमदनी होती है उसी तरह और कोई ऐसी ही व्यवस्था करे। दूसरे रास्ते से भी राज्य सरकार को पैसा मिल सकता है। राज्य सरकार उन रास्तों से अपनी आमदनी बढ़ाये। लेकिन अगर आप राष्ट्रीयकरण करते हैं तो [illegible] जनता को [illegible] की सुविधायें [illegible] [illegible] जिन मार्गों के लिए हम राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं [illegible] [illegible] के बारे में निवेदन करना चाहता हूं [illegible] बीकानेर से चूरू, बीकानेर से [illegible]। [illegible] [illegible] समय नहीं हुआ है। सभापति

महोदय, करीब तीन माह के [illegible] बहुत ही [illegible] है। बसों की वहां [illegible] को किसी प्रकार की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। उल्टे लोगों को वहां परेशान किया जाता है लोगों को जलील किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण मैं सदन में देना चाहता हूं। सभापति महोदय, सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने यह निवेदन करूंगा कि वहां पर बसें कभी भी समय पर नहीं चलती हैं। आज तक वहां पर जो भी बसें चली हैं वह समय पर नहीं चली। जो बस बीकानेर से जयपुर चलती है वह तथा जो बस जयपुर से ही बीकानेर को रवाना होती है, उसके लिए अगर आप जा कर पूछें तो कोई वहां पर सही समय बताने वाला नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि बस जयपुर से कितने बजे रवाना होगी। इसके लिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वह चाहें तो आज तक के आंकड़े लेकर देख लें। उन्हें आंकड़े देखने से पता चलेगा कि बसें जो यहां से दस प्रतिशत भी समय पर रवाने नहीं हुई। तो सभापति महोदय, जो बस यहां से रवाने ही समय पर नहीं हुई, तो वह जिस स्थान पर जाना है वहां पर समय पर कैसे पहुंचेगी। उस बस का समय पर पहुंचने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

दूसरी [illegible] सकते हैं [illegible] को अपने [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible]

कोई अच्छा इन्तजाम नहीं है। यह नहीं के बराबर है। आये दिन हम सुनते हैं कि अमुक [illegible] अमुक [illegible] है। [illegible] प्रकार [illegible] हैं जो अपने सामान को इस प्रकार से ऊपर चढ़ाना और उतारना उनके लिये [illegible] नहीं होता है। इससे मुसाफिरों को बड़ी भारी परेशानी होती है। हर बस स्टैण्ड पर यह समस्या मौजूद है। [illegible] में कुली रखते थे [illegible] आजकल जो प्रथा [illegible] इससे यह समस्या और भी विकट हो गयी है। उनके रखने से तो गाड़ी की सफाई [illegible] हो सकती थी। जैसा जहां आज भी [illegible] बसें चलती हैं वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था होने से मुसाफिरों को आराम मिलता है, सुविधा रहती है और सामान की भी हिफाजत रहती है। इसलिये इसका पुनः इन्तजाम होना चाहिये। इसके बगैर मुसाफिरों को बड़ी भारी असुविधा हो रही है।

[illegible]

उसी प्रकार इनमें नहीं भरा जायगा? लेकिन आज हम देखते हैं कि इन बसों में भी यही हाल है। इसलिये मंत्री महोदय को इस प्रकार का सख्ती का आदेश निकालना चाहिये कि अधिक नहीं भरें। अधिक मुसाफिर हैं तो अधिक गाड़ियां चलायें। लेकिन सुविधा होनी चाहिये जनता को। व्यवस्था में सुधार होना चाहिये।

आपने एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी हैं। चाहे वे खाली जायं लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है। इसमें भ्रष्टाचार भी चल रहा है। उदाहरण के तौर पर कण्डक्टर और ड्राइवर के भ्रष्टाचार को हम रात दिन देखते हैं और कानों से सुनते हैं। कानों से हमको बहरा बनना पड़ता है और आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। लोग तो बराबर शिकायत करते हैं।

श्री केशरीलाल : सब ही कण्डक्टर और ड्राइवर भ्रष्ट हो गये हैं?

श्री लूणाराम : अधिकांश ऐसे मिलेंगे। हमारा उनसे काम पड़ता है और हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं।

3.55 बजे

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति पदासीन)

राष्ट्रीयकरण करने का विचार आपका पवित्र था और ध्येय भी उज्ज्वल है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के कारण यह योजना बदनाम हो रही है। आप किसी भी कोने में चले जाइये आपको यह पता लग जायेगा। किसी कण्डक्टर को और ड्राइवर को चाहे किसी कोने में भेज दीजिये राजस्थान की कहावत है कि शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। आप जिस प्रकार चाहते हैं उससे तो यह भ्रष्टाचार बन्द नहीं होने वाला है।

एक उदाहरण आपको दे देता हूं। मैं रतनगढ़ से गाड़ी में बैठा। इतने में कन्डक्टर आया। उसने आकर इशारा किया। मैंने कहा मेरे पास पास नहीं है। मुझे जयपुर का टिकिट दे दो। उसने कहा 9।) रु० लगता है। मैंने दस रुपये का नोट दे दिया। कहा कि रेजगारी नहीं है। मैंने कहा जयपुर तक

(श्री लूणाराम)

दे देना। सहमति प्रकट करते हुए उसने मुझे टिकिट दे दिया। टिकिट पर 65) पैसे बकाया लिख कर दे दिया। उसको मैंने जेब में डाल दिया। दूसरे मुसाफिर से भी 9)25 पैसे लिये। टिकट देखा तो बिलकुल सफेद। मैंने कन्डक्टर को बुलाया। पूछा, यह सफेद कैसे? उसने कहा कि कारबन नहीं आया। मैंने कहा, कारबन का तो प्रश्न ही नहीं रहता है। फिर कहने लगा यह गलती से दे दिया। मैंने वापिस जेब में डाल दिया। उसको मालूम हुआ कि जयपुर वाले मुसाफिर को टिकट फर्जी कहीं का दे दिया। तीसरी बार भाग कर फिर आया। कहा सीकर में दूसरा बना लेना। मैंने कहा न जयपुर में और न सीकर में बनाऊंगा उसको यह कहा गया। फिर कहा आप कि टिकिट क्यों नहीं बताते हैं। आप मुझे आकर पूछ लें मैं बता देता हूं। फतहपुर और सीकर के बीच में सात बार आ गया। मैंने उसको कहा कि आप बताओ कि यह एक्सप्रेस गाड़ी है। रतनगढ़ और फतहपुर के बीच में इसका स्टोपेज नहीं है। लेकिन उसको कहा कि आपने उसको कितनी बार रोका और कितने सारे टिकट काटे इस तरह के। लोग पूछने लगे। मैंने बताया कि मेरे टिकिट का यह हाल है। सारे चौकने हो गये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बैलगाड़ी की तरह क्यों फरमा रहे हैं। मोटर में बैठ कर फरमायें वैसे फरमावें।

श्री लूणाराम : उदाहरण दे रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री केशरीसिंह : डी लक्स जैसे बोलें।

श्री लूणाराम : डी लक्स जैसे ही होगा।

आखिर सब मुसाफिर बोले कि इसको माफ करें। मैंने कहा कि कोई सवाल नहीं है। सारे के सारे इस तरह से झूम गये मेरे और कहने लगे कि इसको माफ कर दो। इस प्रकार कई उदाहरण दे सकते हैं। पिछले साल का उदाहरण याद आ गया। सीकर से जयपुर तक बड़ी भीड़ थी। मैं उसमें बैठ गया। ऊपर नीचे तक मुसाफिर भरे थे। बरमाड़ा में सेल्सटेक्स इन्सपेक्टर ने गाड़ी चेक की। पर वह बस के नजदीक नहीं आया। कण्डक्टर ही उसके पास गया। कागज दिखाकर आ गया। मैंने यहां आकर टान्सपोट मंत्री से इसकी शिकायत की। सेल्सटैक्स के मंत्री को भी शिकायत की। इस पर सेल्सटैक्स दफ्तर से मेरे पास जवाब आया कि आप के पास शहादत हो तो देने के लिये आवें। यह आपदा और मोल ले ली। मैंने आगे जानकारी की ता मालूम हुआ कि उसने यह लिखकर भेजा कि बस में एम. एल. ए. साहब सो रहे थे। मुसाफिरों ने उनको जगाया तो ऐतराज किया और इसलिये मेरी शिकायत कर दी। इस तरह का जालसाजी से भरा जवाब। यह सोचकर मैंने देखा कि इसको माफी दे देना ही ठीक है। ऊपर कोई सुनने करने वाला नहीं है।

एक बात और है छोटे रूट पर गाड़ियां ठहराई नहीं जाती बीच के स्टेशनों पर नहीं रुकतीं। मरजी आई तो रोक दिया नहीं मरजी आई तो नहीं रोका, चाहे मुसाफिर उसमें पूरे हों या न हों। तो यह सारी अव्यवस्था तो है ही। चैकिंग की व्यवस्था भी

(श्री लूणाराम)

पूरी नहीं है। मैं इस रूट पर आता जाता रहता हूं। तीन महीने तक मैंने किसी को चैकिंग करते नहीं देखा। तीन महीने में एक बार एक इन्सपेक्टर मिला। मैंने इसका कारण पूछा तो वह बोला कि इससे लाभ क्या है। मैं जब भी जिधर जाता हूं गाड़ी वाले एक दूसरे को तुरन्त इत्तला दे देते हैं। सारी गाड़ी के ड्राइवर मिले होते है। फिर ड्राइवर कण्डेक्टर भी आप टेम्परेरी रखते हैं। तीन चार महीने में बदलते रहते हैं। तो वह यह सोचता है कि तीन महीने बाद तो निकाल ही देंगे तो इस बीच में इतना कमा लो कि पेन्शन की तरह काम आवे।

अब सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है, भार्गव साहब ने भी कहा मैंने भी देखा सिन्धी कैम्प के पास बस स्टेण्ड बनाया गया लाखों रुपये इन स्टेन्डों पर व्यय किये गये। पर आप उसका मुलाहिजा फरमावें। गाड़ी का तीन चौथाई हिस्सा बाहर निकला रहता है। बरसात में ऊपर रखा सामान भीगता रहता है उसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं। तिरपाल तक नहीं रखा जाता इतना लाखों रुपया खर्च किया जाता है पर मुसाफिरों के सामान की हिफाजत के लिये इतना भी खर्च नहीं किया जाता। इससे बढ़कर अव्यवस्था और क्या होगी ?

शादियों में जब गाड़ियों की आवश्यकता होती है तो पहले तो मिलती नहीं, मिलती है तो किराया बहुत ऊंचा होता है। प्राइवेट में अच्छी से अच्छी बस जब चाहो सस्ते में मिल जाती थी। इसी तरह की व्यवस्था बारातों के लिये बसों को सस्ते किराये पर की जानी जरूरी है। जब चाहें तब मिल जावे इसका भी इन्तजाम होना चाहिये।

डूंगरगढ़ से समय पर समय सारणी के बावजूद रूट की बस नहीं जाती। यहां यात्रियों को आये दिन कठिनाई होती है। एक रोज कितासर बिग्गा के बीस आदमी थे। टिकट ले लिये। ऐन समय पर कह दिया कि बस नहीं जावेगी क्योंकि बीस ही मुसाफिर हुए हैं। आखिर बाध्य होकर उन बीस आदमियों ने कितासर तक के आने जाने का पूरी बस का पैसा दिया तब जाकर वह बस गई। इसका मतलब क्या हुआ - जब आपकी शिड्यूल गाड़ी है तो समय पर उसको जाना ही चाहिये। चाहें मुसाफिर एक भी हो या एक भी न भी हो। आखिर रास्ते में भी तो सवारियां इन्तजार करती होंगी समय पर।

मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी इन दिक्कतों का भी खयाल रखा जाय।

इसी प्रकार ब्रेक डाउन के मामले हैं।

(घंटी)

श्री सभापति: और भी बोलने वाले हैं। जल्दी समाप्त करिये।

श्री लूणाराम: दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फिर खाद्यमंत्री कब बोलेंगे ?

रोड़वेज की बहस में ही समय समाप्त हो गया यह तो।

श्री लूणाराम: जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। बीकानेर चूरू हो गया। रतनगढ़ मेड़ता हो गया। रावतसर हनुमानगढ़ वाया सरदारशहर रतनगढ़ तक

(श्री लूणाराम)

हो गया शादुलगढ़ बीकानेर, बीकानेर से डूंगरगढ़ तक हो गया। शादुलपुर से बीकानेर वाया सरदारशहर डूंगरगढ़ तक हो गया। डूंगरगढ़ तक हुआ। बीच के कुछ हिस्से का नहीं हुआ - डूंगरगढ़ से सरदारशहर तक तो इससे जनता को बड़ी कठिनाई होती है। हनुमानगढ़ से मुसाफिर चला वहां से उसे उतर कर सरदारशहर में प्राइवेट में आना पड़ता है और आगे सरदारशहर से प्राइवेट में बैठना पड़ता है। तो एक मुसाफिर को अपने स्टेशन तक पहुंचने के लिये तीन तीन बार उतरना चढ़ना पड़ता है। एक जगह जाने वाले को तीन तीन जगह उतरना पड़े यह क्या सुविधा हुई। ऐसे जो मार्ग बीच में रह गये हैं उनका भी नेशनेलाइजेशन साथ साथ कर देना चाहिये। कम से कम एक लम्बी लाइन का तो ख्याल रखा जावे। इसी तरह से छोटे टुकड़े का सवाल है। रतनगढ़ का सवाल है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : एक बात कहें, दस बात कहें आपका निर्धारित समय हो गया।

श्री लूणाराम : आपकी महरवानी नहीं है तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : मेरी महरवानी का प्रश्न नहीं है। आप बोलिये पर जल्दी समाप्त करिये।

श्री लूणाराम : रतनगढ़ सीकर के रूट पर परेशानी है। छोटा सा रूट है इसे ले लिया जाना चाहिये ताकि जनता को सुविधा हो।

राष्ट्रीयकरण से कुछ प्राइवेट बसों वाले बेकार हो गये हैं। इनमें डूंगरगढ़ बीदासर के रूट पर एक आदमी को दो परमिट दे दिये। पर बाकी बेकार हैं। या तो इनको भी परमिट दें नहीं तो एल्टरनेट रूट एक ही को देने के बजाय इनको भी दे देते।

अब राष्ट्रीयकरण का तो मैं स्वागत करता हूं। पर इसमें जो कठिनाइयां हैं वे दूर होनी चाहिए। इन पर आप ध्यान देंगे ऐसी आशा है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो भी विस्थापित और बेरोजगार चालक परिचालक होंगे उनको राष्ट्रीयकृत और सरकारीकृत बसों में रोजगार दिया जायगा। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य पं. रामकिशनजी ने बताया था चार बार इन्टरव्यू लिया गया लेकिन सच्चाई यह है कि चालक और परिचालक को पांच बार इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया और पांचवीं बार भी इसलिये स्थगित करना पड़ा कि जो वहां अधिकारी पहुंचे—भरतपुर वे कुछ ऐसे लोगों को ले रहे थे जो अयोग्य थे और जो शिकायत सुनने को मिली वह यह है कि रिश्वत लेने की बात हो रही थी, जो लोग पैसों की बातचीत कर रहे थे उनको ड्राइवर, कण्डक्टर की नौकरी मिलेगी। जो लोग राष्ट्रीयकरण से प्रभावित हुये, जो चालक और परिचालक डीग, भरतपुर से बेरोजगार हुये उन्होंने उसी वक्त प्रदर्शन किया और हो-हल्ला हुआ और भरतपुर जिलाधीश को

(श्री मनोहरलाल)

मध्यस्थता करनी पड़ी । परिणामस्वरूप वह इन्टरव्यू भी स्थगित करना पड़ा । तो सभापति महोदय, आज जो कुछ करने जा रहे हैं उसके पीछे अच्छा उद्देश्य हो सकता है, आपकी भावना शुभ हो सकती है । राष्ट्रीयकरण की बात आपके मन में एक लगन की बात हो सकती है । लेकिन जहां तक व्यवहार की बात है, इस देश में राष्ट्रीयकरण का व्यवहार करप्शन का रहा है, बेईमानी का रहा है और इस देश का दुर्भाग्य है जितने ज्यादातर चोर हैं वे पब्लिक सेक्टर में घुस गये हैं, पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करते है और जितने अच्छे लोग है उन्होंने पूंजीपति लोगों को पकड़ रखा है ।

यह निश्चित बात है कि प्राइवेट बस आपरेटर्स के यहां, सही है शोषण होता था लेकिन एक बात निश्चितरूप से है कि वे आपके कर्मचारियों से ज्यादा ईमानदार थे । उनकी योग्यता के बारे में शंका करने लगे हैं । जो 10-10, 15-15 साल से काम करते आये हैं, जिनके पास लाइसेन्स है उनको कहा जा रहा है अपना प्रमाण-पत्र लाइये, अपना सर्टिफिकेट लाइये, अपने कागज लाइये उनका यही प्रमाण-पत्र काफी है कि 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे है । आपने जमीदारों का उन्मूलन किया, आपने जागीरदारों का उन्मूलन किया, आपने राजाओं को हटाया, आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया लेकिन जो लोग प्रभावित हुये उनको रोजगार दिया । इसके विपरीत बसों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तो जो इनसे जो प्रभावित लोग हैं, खासतौर से भरतपुर, आपके जोधपुर वाले तो बड़े बड़े आपरेटर्स हैं, अमीर लोग इसमें लगे हुये हैं परन्तु हमारे यहां लोवर लोग लगे हुये हैं और आपने उन लोगों को बेरोजगार किया है जिनके पास इसके अलावा कोई धन्धा नहीं है ।

मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से इस बिल के साथ साथ आश्वासन ही नहीं बल्कि इस प्रकार का प्रावधान लाना चाहिये कि जो छोटे आपरेटर्स हैं जिनको बेरोजगार किया है, जिन चालक और परिचालकों को बेरोजगार किया है उनको निश्चित रूप से रोजगार देंगे–आश्वासन नहीं चाहिये, इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां भरतपुर और अलवर में शायद मंत्री महोदय बुरा माने भेदभाव किया गया है । कौनसा ऐसा जिला है जिसमें राष्ट्रीयकरण ज्यादा किया हो । केवल 95 प्रतिशत भरतपुर में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है । दूसरे जिले में कहीं 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण हुआ है । जहां 100-100, 150-150, 175-175 मील के रूट हैं, उनका तो राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है लेकिन जहां 10-20-25-30 मील के टुकड़े हैं और गाड़ियों का मेल नहीं बैठता है, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया है ।

बरसाना नन्द गांव और गोवर्द्धन व मथुरा, राजस्थान और यू० पी० के ही नही है बल्कि भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थानों में से हैं । बरसाना से नन्दगांव जाते हैं उनके लिये आज कोई व्यवस्था नहीं है गोवर्द्धन से मथुरा जाते हैं आज उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है । वहां बसों का मिलान नहीं हो पा रहा हैं । यू. पी. वालों का समय कुछ है, आपका समय कुछ है इस कारण यात्री परेशान रहता है । अब तक प्राइवेट बसों में जो छोटे छोटे कर्मचारी काम करते

(श्री मनोहरलाल)

थे वे दिन रात यात्रियों की सेवा किया करते थे। इसके अलावा सभापति, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप खुद इस रोड़वेज को घाटे में ले जाना चाहते हैं। आपके टिकट मेरे पास रखे हुये हैं, आप उन टिकटों पर क्या लिखा है, पढ़ नहीं सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं यह टिकट कहां से कहां तक का बनाया गया है। एक दिन डीग से टिकट लिया मैंने और उस टिकट में कुछ नहीं लिखा— भरतपुर से जयपुर बिलकुल खाली है, भरतपुर से पहाड़ी बिलकुल खाली है। आप हरियाणा की तरह क्यों नहीं टिकट बनाते हैं। हरियाणा के टिकटों पर स्टेशन का नाम लिखा होता है, टिकट का नम्बर होता है, अच्छा बढ़िया कागज होता है, जो कुछ लिखा होता है, वह साफ पढ़ा जा सकता है। आपका टिकट का रद्दी कागज है, उस कागज पर कुछ लिखा या नहीं लिखा, आप मालूम नहीं कर सकते हैं। कहां से टिकट बनाया गया है और कहां तक का है और न ही उसमें जो पैसे लिये जाते हैं, वे पढ़े जा सकते हैं। हरियाणा जो टिकट छापता है, उसमें चोरी आसानो से पकड़ी जा सकती है आप चाहें तो चोरी भी नहीं पकड़ सकते हैं—आपका टिकट यह नहीं बता सकता है, पेसेन्जर ने कहां से कहां तक का टिकट कटाया है।

सभापति महोदय मैं, एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं यह आपका बिल इनकम्प्लीट है अतः इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित कर दें। एक बात मैं बसों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं भरतपुर जिले में सारे रूट्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया, एक दो रूट्स को छोड़कर। आपने अभी तक एक दो महीने हुये हैं कोई निश्चित समय ही नहीं है। कभी आपकी बस आध घन्टे बाद चलती है, कभी एक घन्टे बाद चलती है तो कभी 2 तीन घण्टे बाद चलती है। कहां कहां आपकी बस रुकती है और कहां 2 आपकी बस नहीं रुकती है। इसके लिये हमने जिलाधीश भरतपुर से पूछा, एस.डी.एम. से पूछा, वहां जो टिकट बनाते हैं उनसे पूछा, वे सब यह कहते हैं हमारे पास टाइम टेबिल नहीं है, कौनसी गाड़ी कब और कहां से चलेगी इस की कोई व्यवस्था नहीं की है।

सभापति महोदय, एक बात और है अंतर्राज्यीय सर्विसेज आपने चालू की-जयपुर से बस चलती है भरतपुर लेकिन भरतपुर से गुड़गांव आपकी बस नहीं चलती है, भरतपुर से दिल्ली आपकी बस नहीं चलती है। जिस तरह प्राइवेट बसों के मालिक बेतुके ढंग से गाडियां चलाते थे उसी ढंग से आप चलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय, बेरोजगार चालक और परिचालक और आपरेटर्स को रोजगार देने के लिये और उनको मुआवजा देने के लिये, इस पर पुनः विचार करने के लिए, इस पर दूसरे रूप से विचार करने के लिये जनमत जानने हेतु प्रसारित कर दिया जाय।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, मोटर गाड़ी संशोधन विधेयक के ऊपर मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, इसका सीधा सम्बन्ध जनता से आता है इसलिये मैं इसको जनमत

(श्री अजीतसिंह)

जानने के लिये आवश्यक समझता हूं । सरकार ने राष्ट्रीयकरण की नीति के अनुसार अन्धाधुन्ध राष्ट्रीयकरण करके गाड़ियों को लगाया है उससे जो कच्चे पर चलने वाली गाड़ियां थीं और उसमें बैठने वाली सवारियां थीं उनके सामने बड़ा भारी दिक्कत खड़ी हो गई । मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करूं जयपुर से माधोराजपुरा, जयपुर से लामाहरिसिंह टोंक से इन्द्रगढ़, टोंक से मालपुरा, टोंक से डिग्गी कई गाड़ियां जिन सड़कों का राष्ट्रीयकरण होगया है उन पर रोडवेज चलने लगी है । उन पर प्राईवेट गाड़ियां अब नहीं चलती हैं । इसलिये जो 5-5, 10-10 मील के रास्ते आते हैं उन पर ये नहीं चलने देते हैं । अत: उन सवारियों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है । सरकार राष्ट्रीयकरण करे तो पूरे रूट्स का करे वरना जो कच्चे में चलने वाली 5-5, 10-10 मील में चलने वाली प्राइवेट बसें हैं उनको हिदायत दीजिये कि वे अपनी गाड़ियां चालू रखें वरना जो सवारियां हैं वे परेशान होती हैं और दूसरी गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं । आपकी गाड़ियों में कच्चे रास्तों से बैठने वालों के लिए कोई कुली अवेलेबल नहीं हैं और न वहां पर कोई सामान उतारने चढ़ाने की व्यवस्था है । जो आसपास की गाड़ियां आती थीं मालपुरा रोड पर उनसे दूध आता है, फ्रूट्स आते है और भी चीजें शहरों में बेचने के लिए आती हैं उसके लिए बहुत कठिनाइयां हो गयीं और कच्चे रूट्स की बसों की काफी दिक्कत हो गयी । तो या तो आप गाड़ियों को इन रूट्स पर चलाने की इजाजत दे दें नहीं तो पूरा राष्ट्रीयकरण कीजिए तब जनता को पूरी सुविधायें मिलेंगीं ।

इसके अलावा आपकी गाड़ियां जयपुर से सवाईमाधोपुर जाती हैं वह सवाई माधोपुर रेल्वे स्टेशन पर जाकर खड़ी रह जाती हैं और यात्रियों को दो तीन मील का रास्ता शहर जाने के लिए तय करना पड़ता है । इससे लोग बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं । इस संबंध में मेरा यह निवेदन करना है कि जो प्राईवेट आपरेटर्स सुविधायें देते थे वही सुविधायें रोडवेज को भी देनी चाहिए ।

इसके अलावा बेरोजगार आपरेटर्स और ड्राइवर्स की समस्या हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट में खड़ी हो गयीं । आपने सारे के सारे रूट्स पर कब्जा कर लिया और डाईवर्स और कन्डक्टर्स बेरोजगार हो गए । उनको तीन-तीन बार बुलाया गया सर्विस के लिए और जो आधार बनाया था सभी उसके लिए उपयुक्त थे लेकिन फिर भी उनको सर्विस नहीं दी गयी। जब आपने सभी को री-हैबिलिटेट किया है जागीरदारों को किया है, राजाओं को किया है, सुन्हारों को किया है तो इन्होंने ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया कि आप उनको री-हैबिलिटेट नहीं करना चाहते हैं । आप उनको किसी भी उद्योग में लगायें इसके लिए हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन आपने उनको कहीं भी नहीं लगाया तो बड़ी भयंकर समस्या खड़ी हो जायेगी । एक एक बस से जो चार, पांच अपना पेट भरने थे और अपना गुजारा करते थे मेरा खयाल है कि बिल के साथ ही उनके री-हैबिलिटेट करने वाली बात लानी चाहिए थी कि इनको किस तरह से बसायेंगे लेकिन कुछ नहीं किया । इसके लिए मेरा निवेदन है कि सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए ।

(श्री अजीतसिंह)

तीसरा निवेदन करूंगा कि रोडवेज की बसें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर खराब हो जाती हैं। इसके लिए हमने मंत्री महोदय को निवेदन किया तो टोंक में डिपो खोलने की बात थी। उसकी सैंक्शन भी हो गयी थी लेकिन फिर भी न जाने क्यों मंत्री महोदय की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी और क्यों सारी योजना ठप्प कर दी। मैंने तो सुना है कि इसको बन्द कर दिया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि डिपो के बारे में आप जवाब में जरूर आश्वस्त करें कि वह वहीं पर खोला जायेगा क्योंकि जब आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तो वहां पर डिपो खोलना आवश्यक है। गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो हमको इमदाद नहीं मिल पाती है और इतना ट्रैफिक होता है कि दूसरी गाड़ियों को सवारियां उठाने में दिक्कतें हो जाती हैं। इसकी कार्यवाही न जाने क्यों पेन्डिंग पड़ी है तो आप ध्यान देकर डिपो की कार्यवाही करवायेंगे, यह निवेदन करना है।

मिनी बसेज का प्रावधान समझ में नहीं आता कि आखिर यह कितनी सवारियां लेकर चलती हैं। क्या इनका तरीका है। यदि मिनी बसेज चलाने हैं तो इनका स्टेन्डर्ड ठीक कराइये और कितनी सवारियां लेकर चले यह सब चीजें तय करनी चाहिए। सही सही व्यवस्था होनी चाहिए। अंधाधुंध काम चल रहा है। 25-25 सवारियां इन मिनी बसेज में बैठाते हैं और भेड़ बकरियों की तरह भरते हैं।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर से मालपुरा रोड है उस पर 27 गाड़ियां पहले चलती थीं और अब केवल 6 गाड़ियां आपने लगा रखी हैं। इतना भारी ट्रैफिक है तो यह कैसे काम चलेगा? तो सभापति महोदय इस रूट पर यह हालत हो गयी है कि बुरी तरह से सवारियां भरी जाती हैं और इसके बावजूद भी असुविधायें हैं और मनमाने ढंग से आपरेट किया जा रहा है। तो राष्ट्रीयकरण करना है तो पूरी तरह से करें और जितनी गाड़ियां पहले चलती थीं उतनी ही गाड़ियों की व्यवस्था की जाये तब जाकर कुछ लाभ मिल पायेगा।

सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न में पूछा था और उसके हिसाब से 8 ब्रेकडाउन कोटा रूट पर रोज होते हैं। तो इस हालत को ठीक किया जाये और समय की पाबन्दी कराई जाये। इसके अलावा इतना लम्बा समय रखा गया है कोटा से जयपुर तक का जो बहुत ही तकलीफदेह है। इसका क्या किया जाये। आपकी रात्रि सेवायें और डीलक्स सेवायें मैं मानता हूं कि ठीक हैं लेकिन डीलक्स बसें जो बनाई गई हैं उनमें सीटों का एडजेस्टमेन्ट बहुत परेशानी पैदा करती हैं। उसमें अच्छी तरह से पैर फैलाकर भी नहीं बैठ सकते। जब आप पूरा किराया ले रहे हैं तो यात्रियों को समुचित सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है और उसके लिए भी कुछ करें।

इसके साथ ही साथ सामान उतारने और चढ़ाने की समस्या भी बड़ी विकट है उसको भी हल करें। यह जयपुर और कोटा के अन्दर ही फैसेलीटीज हैं लेकिन बाकी स्टेशनों पर यह फैसेलिटी नहीं है। तो जो सम्माननीय लोग होते हैं या औरतें हैं उनको बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो

Page No 111

(111)

(श्री अजीतसिंह)

गाड़ियों से सामान उतारने और चढ़ाने के लिए आप कोई, उचित व्यवस्था करें।

अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान टोंक के बस स्टेण्ड के लिए दिलाना चाहूंगा वहां वहुत छोटा स्टेशन है और वहां नया बस स्टेण्ड बनायें तो लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और जो रूट्स का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं उसकी आप एक निश्चित नीति अपनायें। मेरी मान्यता यह है कि जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनके ऊपर आप रोडवेज की वसें चलायें और जो राजमार्ग हैं उनको भी आप अपने कब्जे में लेकर रोडवेज की वसें चलायें और जो डिस्ट्रिक्ट रूट्स हैं वह प्राईवेट बसेज के लिए छोड़ दें और जितनी बसेज आपके पास हैं उतना ही राष्ट्रीयकरण करें। यह कोई बात नहीं है कि गाड़ियां नहीं हैं और राष्ट्रीयकरण करते जायें और पब्लिक को और परेशानी पैदा कर दें। इससे आपको लाभ होने वाला नहीं है लम्बे रूट्स पर रोडवेज की बसेज चलानी चाहिए तो ज्यादा फायदा हो सकता है। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : लक्ष्मणसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री राम गोपाल

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : माननीय सभापतिजी, आज मोटर गाड़ी संशोधन विधेयक पर विचार हो रहा है। इस सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी के समक्ष काफी माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन पेश किये हैं और अपने सुझाव दिये हैं, मैं भी इसी सन्दर्भ में जो असुविधायें जनता के सामने आती हैं और जिनसे दिक्कतें पैदा होती हैं उनका निवेदन करूंगा। माननीय सभापति जी, हम जो यह कदम उठा रहे हैं और जिसका आम जनता से संबंध है प्रत्येक व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो क्योंकि आज भी इस युग के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को बिना यातायात के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती।

इसी प्रकार से जो हमने राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया है और जहां 2 पर जिन 2 मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया है उनमें क्या हमारे सामने समस्यायें हैं, क्या नहीं हैं और क्या सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है, उसमें क्या 2 मुसीबतें हैं, क्या क्या नहीं हैं, उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा।

माननीय सभापतिजी, झालावाड़ के अन्दर हमने राष्ट्रीयकरण किया और शत-प्रतिशत राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसके अन्दर यह कहा गया था कि जितने भी प्राईवेट बसों के ड्राईवर और कण्डक्टर हैं उन सब को हम जो निगम की बसें हैं उनमें चयन समिति के सामने आयेंगे और उनको चयन में प्राथमिकता दी जावेगी। उनको प्राथमिकता दी गई, उनका चयन हुआ। उन्होंने इस निगम के अन्दर तीन चार महीने तक काम किया और आज उनको धीरे 2 करके सारे कण्डक्टरों और ड्राईवरों को निकाला जा रहा है। आज की तारीख में 16 या 17 निकाले जा चुके हैं और वे सारे के सारे आज की तारीख में जयपुर के अन्दर कोई मंत्री के दरवाजे पर भटकता है या निगम के आफिस में भटकता फिर रहा है। तो इस प्रकार की समस्या उनके सामने है।

Page No 112

(112)

(श्री रामगोपाल)

यह आखिर किस ओर आपका कदम बढ़ रहा है। हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि कण्डक्टर और ड्राईवर का जीवन-स्तर क्या है। उनकी जीविका का साधन क्या है, इस ओर देख करके उनके सामने जो समस्यायें आई हैं उनका न्यायोचित तरीके से हमें सुलझाना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि उनको वापिस जो हटाये गये हैं, उन्हीं स्थानों पर लगा दिया जावे और उनके स्थान पर जो नए लिए गए हैं, मैं यह नहीं कहता कि उनको हटा दिया जावे, लेकिन उनके लिए जो उपयुक्त स्थान हों वहां पर राज्य सरकार नौकरी दे।

दूसरी बात यह है कि झालावाड़ जिले में भादरा से घाटोली, सरडा, अकलेरा होकर एक बस सरनावदा और वहां से सालपुरा जाती थी और उसी रूट से वह वापस भादरा आती थी। किन्तु उसमें कुछ हिस्सा तो राष्ट्रीयकरण में आ गया और बाकी हिस्सा नहीं आया। वहां पर अभी तक सरकार की ओर से कोई यातायात की सुविधा वहां की जनता को उपलब्ध नहीं है। वहां पर कोई नई बस नहीं चलाई गई है। आज की तारीख में उस लम्बे मार्ग में जनता की काफी यातायात की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उस राष्ट्रीयकरण मे जो उस मार्ग का हुआ, है वह पूरा नहीं हुआ, कुछ हिस्से का हुआ, इसलिए प्राईवेट जो बस मालिक हैं उनकी बसें तो बन्द कर दी गई और पब्लिक दोनों तरफ से लटक गई और उनके यातायात का कोई मार्ग खुला नहीं है और उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की जो असुविधाएं होती हैं उनको देखना पड़ेगा और वहां पर आपकी ओर से, सरकार की ओर से इस व्यवस्था को बैठाना पड़ेगा और जनता के सामने जो समस्या है इस यातायात की, उसको दूर करना पड़ेगा।

मैं आगे यह कहना चाहूंगा कि जिन जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करते हैं उन पर हम सरकार की ओर से गाड़ियां चलाते हैं और प्राइवेट मोटरें बन्द करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे और उनके लिए जीविका का साधन उपलब्ध करायेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय, कहना चाहूंगा कि इससे जितने भी बस आपरेटर्स हैं उनको नुकसान हुआ है, वह भी एक हमारे लिए सोचने की बात है। क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि हमारा यह जो कदम बढ़ता हुआ है, उसको हम रोक दें, इस कदम को निश्चितरूप से बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जितने कदम बढ़ायेंगे सुनियोजित ढंग से, अच्छे ढंग से बढाना होगा ताकि जनता को सुविधा उपलब्ध हो और हमारे राज्य के कोष के अन्दर ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो। यहां पर प्राईवेट बस आपरेटर्स के लिए सरकार को यह चाहिए कि जितने भी मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया है उसके अलावा जो दूसरे ऐसे गांव हैं जिनके लिए ढाई हजार की पोपुलेशन है उनको हम सड़कों से जोड़ेंगे यह हमने घोषित किया है। तो ऐसे रास्ते जहां पर अभी सड़क मार्ग की घोषणा नहीं की, उन मार्गों को बस मार्ग घोषित किया जावे और जो प्राईवेट बस आपरेटर्स हैं उनको वह अलाट किए जावें ताकि वे बसें चला सकें और अपनी जीविका का साधन चला सकें। इस प्रकार से इन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा और साथ

(श्री रामगोपाल)

कर हमें उनकी व्यवस्था बैठानी पड़ेगी मैं इसके लिए माननीय मंत्रीजी को सुझाव देता हूं। आगे जो राष्ट्रीयकरण के लिए जो बस मार्ग हैं उन पर बस चलाने में क्या दिक्कतें हैं, क्या हमारे सामने मुसीबतें हैं, यह भी सोचनीय स्थिति है और दिन प्रति दिन, क्योंकि रात दिन आने जाने का काम पड़ता है, उसको हम भुला नहीं सकते क्योंकि हमारे सामने दिक्कतें आती हैं। मैं सभापति महोदय, वर्णन करूं कि कई कई जगह यह पोजीशन है और मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी इसी प्रकार का ध्यान आकर्षित किया था कि बसें जहां रुकनी चाहिए वहां नहीं रुक पाती। ऐसे स्थान हैं जहां पर बसों को रुकना चाहिए वहां नहीं रुकती है, उनको वहां रुकना चाहिए और सवारियों को लेना चाहिए। उन स्थानों पर स्टोपेज बढ़ाने पड़ेंगे और स्टोपेज बढ़ा कर जनता को सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी।

दूसरा यह कि हम इन बसों का टाइम अलाट करते हैं, हम यह भी करते हैं कि वहां डी-लक्स बस चलेगी, एक्सप्रेस बस चलेगी और साधारण बस चलेगी। इस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। लेकिन वह वर्गीकरण करने के बाद डी-लक्स के स्थान डी-लक्स बस ही चलनी चाहिए, हम एक्सप्रेस के स्थान पर एक्सप्रेस ही चलावें। जहां पर जिसके लिए हमने घोषणा की है और नियमों में भी वही है तो वही बस चलनी चाहिए ताकि जनता को सुविधा मिल सके। किराया भी हम एक्सप्रेस का लेते हैं लेकिन उसकी जगह साधारण बस लगा देते हैं और इन बसों की हालत ऐसी हो रही है, उनकी ऐसी दुर्दशा हो रही है, उसकी सीटों की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि मैं आपको बताऊं कि कोटा से जयपुर के लिए मैं आ रहा था नाईट बस के अन्दर। एक यात्री पीछे की सीट पर बैठा और कम्बल ओढ़ कर बस में सो गया। अब सीटों की ऐसी दुर्दशा है कि जो सीट के ऊपर की गद्दी होती है वह आगे चली गई और वह लोहे की साट पर ही रात भर बैठा रहा और उस पर सोता रहा। जब वह सीट आगे चली गई तो लोग कहने लग गए कि यह कौन सी सीट आ गई, तो ऐसी स्थिति है बसों की। अगर मंत्री महोदय इसमें यात्रा करें, कोटा से जयपुर तक यात्रा करें तो देखेंगे कि किस तरह की दुर्दशा है बसों की। उस आदमी को कम्बल ओढ कर बैठा तो नींद आ गई और गद्दी दूर चली गई। आप भी जायेंगे तो इसी तरह से गद्दी दूर चली जाएगी और आप लोहे पर बैठे रह जायेंगे....

श्री मोहनलाल छंगाणी : मंत्री महोदय कहीं मंगल लोक के वासी नहीं है, इसी धरती के वासी हैं।

श्री रामगोपाल : तो जो डी-लक्स बस चले, नाईट बस चले तो उसमें वही बस चलनी चाहिए क्योंकि जनता को भारी मुसीबत आती है और हमारी सरकार की आलोचना होती है और जो कदम बढ़ाते हैं उसका उल्टा असर पड़ता है।

आपको आगे बताऊं कि आपके यहां बड़े बड़े निगम के बस स्टैंड हैं। राजधानी का बड़ा बस स्टैंड जिसको सिंधी कैम्प के नाम से बोलते हैं, उसके बारे में मैंने आपको सूचना भी दी थी। जिस रात्रि को मैं गया था उस रात्रि में एक बस तो मध्यप्रदेश की

(श्री रामगोपाल)

चलती है और दूसरी राजस्थान की। जो मध्यप्रदेश की बस है वह रात्रि को 9 बजे चलती है और एक नाइट एक्सप्रेस साढ़े दस बजे चलती है। अब उस 9 बजे वाली बस को नहीं लगाया और टिकिट काट दिए और साढे दस बजे वाली बस के भी टिकिट काट दिए। तो सब सवारियां उस साढे दस बजे वाली बस में घुस गई और फिर हालत यह हुई कि आपस में लकड़ियां चलीं। बुरी तरह से लकडियां चलीं। यह स्थिति हुई तो मैंने स्वयं आपको सूचनादी, टेलीफोन से सूचना की। खूब लकडियां चलीं तो आपने पुलिस की व्यवस्था की। अब पांच सिपाही वहां पर पहुंचे तो उनकी लकडियां छीन कर आपके डिपार्टमेंट के आदमियों में आपस में लकड़ियां चलीं और जनता में असंतोष बढ़ा। आपने स्वयं रात्रि को दो बजे पुलिस की व्यवस्था की और वह व्यवस्था की तो दो दिन तक पुलिस पड़ी रही, फायदा क्या हुआ ? यह हमारे विभाग की कमजोरी है। यह कमजोरी दूर होनी चाहिए ताकि जनता को इसका फायदा हो और वास्तव में जो लाभ मिलने वाला है वह मिल सके।

आगे मैं यह कहना चाहूंगा कि जो अकलेरा से सालपुरा वाला मार्ग है, माननीय मंत्रीजी ऐसा मार्ग है कि जो आपने बताया कि झालावाड़ जिले का राष्ट्रीयकरण कर दिया, कोटा का राष्ट्रीयकरण कर दिया उदयपुर का आपने और तरीके से कर दिया, कोटा के अन्दर अलग तरीके से कर दिया। इस तरह से अलग 2 तरीके से राष्ट्रीयकरण करते हैं, यह नहीं होकर हमको कदम से कदम मिलाना चाहिए।

(4.40 बजे)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

अब सड़कों की हालत है। जो रास्ता है वह खराब है। आपकी मोनोपोली चल रही है। रास्ता खराब है। मेरे खुद के गांव से बैठता हूं। पांच जगह सीट पर बैठता हूं और 95 जगह सीट से उठना पड़ता है। यह तो रास्ते की हालत है। आज ट्यूब टायर नहीं मिलते हैं। इसलिये बस की व्यवस्था तो आप ठीक कर दें। रास्ता खराब है खराब ही रहने दें। जब राष्ट्रीयकरण किया है तो बस की व्यवस्था आप ठीक करदें। इसी तरह से जो प्राइवेट बस आपरेटर हैं, जो अपनी ओर से बसें चला रहे हैं, उनको समस्या आती है। इन समस्या को भी आप सुलझाइये। उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनको भी आप लाइसेन्स दीजिये। इस प्रकार से ये सुझाव देना चाहता हूं। आपकी मर्जी हो तो मानें या न मानें। वैसे भावना तो आप समझ ही गये हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : जरूर मानेंगे।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति जी,

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक निवेदन करना चाहूंगा सभापति जी,

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सुबह से अब बोला हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप यह न समझें कि मैं आपका विरोध करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य को तीन, चार अवसर इस बिल पर बोलने के मिल चुके हैं। संकल्प, जो आर्डिनेन्स को

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

नामन्जूर करने के लिये होता है, उसपर माननीय सदस्य बोल चुके हैं। तब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिये......

श्री सभापति : आपने जनमत जानने के लिये भी दिया है......

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आखिर कोई सीमा तो तय होनी चाहिये।

श्री सभापति : दूसरी बार बोलने का अधिकार है।

माननीय सदस्य को एक ही बार बोलने की अनुमति है, एक ही संशोधन पर, प्रस्ताव पर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : परन्तु माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अब बोल रहा हूं। मेरा राइट है। मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। संक्षेप में। जनमत जानने हेतु आपका संशोधन है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसीलिये तो कह रहा हूं।

असेम्बली में किस लिये आये हैं। अपने विचार रखने के लिये ही तो आये हैं।

श्री सभापति : संक्षेप में....

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप अवश्य बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो मेरा अधिकार है उसे कैसे छीन सकते हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो पहले बोल चुके हैं, उससे हट कर बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो पहले बोल चुका हूं वह रिपीट नहीं करूंगा। छोटी छोटी बातें हैं, उनको कहूंगा।

सभापतिजी, आपके माध्यम से मुझे मंत्री महोदय को यह निवेदन करना है कि आपको बस के अन्दर कुछ सुधार करना है जो उसके लिये इस बिल को जनमत जानने के हेतु प्रसारित किया जाये। यह बात इसलिये की है कि बस अधिकतर ग्राम जनता के काम में आती है। ग्राम जनता बस में किस प्रकार की सहूलियत चाहती है, उसकी राय जानी जाये और इस बिल को आप जल्दी में पास न करें। ग्राम जनता की राय जानी जाय। कौन कौन सी कठिनाईयां उसको है। वह किस प्रकार का सुधार चाहती है। इसलिये जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का यह प्रस्ताव मैंने किया है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय आप कभी गुजरात पधारें होंगे। गुजरात में बस में बैठने की किस प्रकार की व्यवस्था, वह आपने देखी होगी। हमारे यहां बस में सीट पर तीन व्यक्तियों के बैठने का स्थान है। सभापति जी रोडवेज की जो नयी बसें हैं उसमें ड्राइवर की सीट के के पीछे एक जंगला लगा दिया है और एक सीट पर 6 व्यक्ति मिल कर बैठते हैं। यह सुविधाजनक नहीं है। असुविधाजनक है। गुजरात में जिस प्रकार से बैठने की व्यवस्था है वह होनी चाहिये। वहां पर दो दो

(116)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कुर्सी लगी हैं। तीन के बजाय दो। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की व्यवस्था आप भी करें। दूसरा सुझाव जो है वह आपके सामने आ चुका है। हरियाणा, पंजाब की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह टिकट सिस्टम है। टिकट पर स्पष्ट हो कि यह कहां का है, फलां जगह का है। इसमें निवेदन करना है कि उसमें स्टेशन नम्बर लिखा हुआ है, 1,2,3,4,5,6 हर स्टेशन का नम्बर लगा दिया गया है और जिस स्टेशन पर जाना है उस स्टेशन के नम्बर पर छेद कर दिया जाता है। उसका पैसा आप ले लें। कन्डक्टर उस नम्बर को पिन्च कर देगा। भरतपुर जाना है और भरतपुर का नम्बर 6 है तो 6 नम्बर पर छेद कर दिया जायेगा और भरतपुर जाने के लिये जो किराया है वह लिया जायेगा। इस प्रकार टिकट में जो बेईमानी होती है वह रुक जायेगी। इसके आधार पर बेईमानी रुक जायगी। इसी प्रकार जो आपके डिपो हैं वहां पर भी भली प्रकार की व्यवस्था नहीं है। गाड़ी जब रवाना होगी तो वह डिपो पर जाएगी। डीजल लेने या अन्य प्रकार की व्यवस्था के लिये। वहां पर अव्यवस्था रहती है। इसलिये उसको दूर करने के लिये मंत्री महोदय कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। स्टेण्ड के बारे में भी निवेदन करना है। हर जगह स्टेन्ड नहीं है। जयपुर में स्टेन्ड है। भरतपुर का अन्धकार में है और रतनगढ़ में, शायद उस क्षेत्र से आपका ज्यादा लगाव है। वहां पर कोई बस स्टेन्ड नहीं है। ड्राईवर हनुमानजी के मन्दिर की ओर जावे तो बस धूल में फंस जायेगी। लोग उतर नहीं सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा नहीं है। कहने को तो आपने कहा भी है। पिछले दिनों अखबार में भी पढ़ा। परन्तु बसों में बिजली नहीं है। आपने यह घोषणा की थी कि बस में पानी मिलेगा। यह भी कहा कि जयपुर-दिल्ली की बस में शौचालय की व्यवस्था होगी। शौचालय की व्यवस्था तो दूर रही पानी की व्यवस्था भी नहीं है। पता नहीं यह कब होगा। जो आपके बस स्टेन्ड बने हुए हैं वे भी शुद्ध नहीं हैं; साफ नहीं हैं। वहां पर जो शौचालय है वे मल मूत्र से भरे रहते हैं। गन्दे रहते हैं। महिलाओं के लिये बस स्टेन्ड पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था बिलकुल ही नहीं है। प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिये। जब इतना पैसा आप लोगों से लेते है तो नागरिकों को भी कुछ सुविधा दीजिये। जब पहले प्राइवेट बसेज चलती थी तो उनमें कम्पीटिशन था और लोग आठ आठ आने में अजमेर गये हैं। और पुष्कर जाकर आये हैं। यह कम्पीटिशन के कारण था। उनमें प्रतिस्पर्द्धा थी। तो मेरा कहना यह है कि आप प्राइवेट लोगों को बस का परमिट दीजिये। उनको भी बस चलाने दीजिये। जो अच्छी सहूलियत देगा लोग उसकी बस में जाएंगे। जो ड्राईवर के पीछे खाना है, उसके लिये यह कहा गया था कि इसमें पुस्तक रखी जावेगी। अखबार होंगे। उपन्यास होंगे ताकि यात्री पढ़ सकें। अब ड्राईवर की सीट के पीछे जो खाना है उसमें अखबार और पुस्तक गायब है। और तो और वह खाना भी गायब होता जा रहा है। इस प्रकार की घोषणाएं तो आपने कर दीं परन्तु इसके लिये किसी प्रकार की व्यवस्था आपने नहीं की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बसेज के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अन्दर गन्दगी मिलती है। सफाई होनी चाहिये। यात्री मूंगफली के छिलके, केले के छिलके डाल देते हैं। हर बस स्टेन्ड पर बस की सफाई होनी चाहिये। मध्यप्रदेश में हमारी बसें जाती हैं। वहां इन गन्दी बसेज को देख कर यात्री क्या कहेंगे। इसका राजस्थान की जनता पर असर पड़ता है। यह कोई नहीं कहेगा कि व्यवस्था की कमी के कारण यह गन्दगी है। यह कहेगा कि राजस्थान की जनता कितनी गन्दी है। मूंगफली के छिलके, केले के छिलके बस में डालती है। इसलिये बसेज जिस समय स्टेन्ड पर पहुंचे तो वहां पर उसकी तत्काल सफाई की व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टूल बाक्स भी नहीं है। ड्राइवर से पूछते हैं तो वह ड्राइवर कहता है कि क्या करें सरकार देती नहीं है। न हथौड़ा देती है, न छीनी और न किसी प्रकार का पेचकस देती है। माननीय मन्त्रीजी बसेज की वही हालत है जो कि आपके दूसरे विभाग की है शफाखानों की वहां पर न तो गोलियां मिलती न पट्टियां। शीशियां हैं बड़ी बड़ी उनमें कोरा पानी दिया जाता है लोगों को। डाक्टर्स कहते हैं और कम्पाउन्डर्स कहते हैं कि हमारे पास हैं नहीं। उसी प्रकार से वह कम्पाउण्डर जो गाड़ी में बैठा हुआ है....

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरे खयाल से जब आप बीमार हुए थे तो काफी व्यवस्था थी। मैंने पूछा था तो गोलियां भी थीं और वह बराबर आपको मिल रही थीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनको लेना मैं अपना धर्म नहीं समझता हूं। मुझे सरकार पैसा देती है तो हास्पिटल की दवा लेकर मैं गरीबों के हकों को क्यों मारूं ?

ड्राइवर कहता है कि किसी प्रकार का सामान नहीं है। सामान के अभाव में बस बिल्कुल खड़ी हो जाती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं पर एक्सीडेन्ट हो जाय दुर्भाग्य से तो वहां पर कायदा है कि फर्स्ट ऐड बाक्स रहता है लेकिन जब आपके टूल बाक्स में औजार नहीं है तो फर्स्ट एड बाक्स में, मैं समझता हूं कोई सामग्री है नहीं।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)।

इसके अलावा अजमेर स्टैण्ड की क्या हालत है, अजमेर जैसे नगर के अनुरूप क्या वह बस स्टैण्ड है। वहां पर बैठन की कोई व्यवस्था नहीं। टीन में है बिल्कुल निकम्मा। इसी प्रकार से भरतपुर का है, इसी प्रकार से रास्ते के बीच में पड़ता है तो किशनगढ़ में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बस में राजस्थान के मन्त्री नहीं बैठते हैं, राजस्थान के ही लोग नहीं बैठते हैं बल्कि और राज्यों के लोग बैठते हैं और जो फारेनर्स आते हैं अगर वे रोडवेज की बसों में बैठकर जायं तो राजस्थान की बसों की गन्दगी के बारे में, टूल बाक्स के बारे में, रेड क्रास के बाक्स के बारे में और अव्यवस्था के बारे में क्या इम्प्रेशन लेकर जायेगा ?

और होता क्या है कि जितनी सीटें होती हैं बस में उससे ज्यादा लोगों को वहां पर बैठाया जाता है। सामान रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बक्सा नहीं रख सकते। ऊपर अट्टेची रखते हैं, बक्सा रखते हैं तो एक आदमी साथ में रखकर चलें कि वह सामान की रक्षा करेगा बाबूजी बस पर

(118)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जायगे तो ऊपर सामान रखने के लिए कोई कुली नहीं मिलेगा ऊपर चढ़ेगा और सामान रखेगा और हर स्टैण्ड पर चिन्ता करेगा कि उसका बक्सा और बिस्तरा सही सलामत तो है। अगर नहीं देखेगा तो कोई सामान पार करेगा। जयपुर बीकानेर रूट पर मेरे सारे के सारे कपड़े खो गये तो उसका मुझे बड़ा दुःख है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक आदमी साथ में रखें चाहे एक आना दो आना और बढ़ा दें....

श्री केशरीमल : माननीय मन्त्री महोदय, इनको कम्पेन्सेशन दिला दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं कि उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा।

श्री केशरीमल : इनके जितने कपड़े वगैरह गये हैं उनका कम्पेन्सेशन दे दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो इनको दे दें आपकी बछड़ा पार्टी के लोग हैं इनको दे दें।

बसों की हालत ठीक नहीं है। आपने, माननीय मंत्रीजी कई बार देखा होगा कि भयंकर सरदी के अन्दर इधर से उधर हवा पार होती है और लोग कम्बल लेकर बसों में चलते हैं। खिड़कियां टूटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं, मैं समझता हूं कि इस के बारे में विचार करना चाहिए।

उसके बाद टाइम टेबल के बारे में कहना चाहता हूं कि उसके अनुसार आपकी डिलक्स बसें नहीं चलती हैं। एक-एक, दो-दो घन्टे बसें लेट हो जाती हैं। डिलक्स बसें आपकी चलती हैं वह तो अच्छा है, पर मैं समझता हूं कि उनकी हालत महीने, दो महीने में खराब हो जाती हैं। किसी की लाइट दुली पड़ी हैं तो किसी का फाटक बहुत मुश्किल से बन्द होता है। डिलक्स बसें देखने में बहुत बढ़िया लगती हैं। उनकी दशा को दुरुस्त कराना चाहिए। डिलक्स बसें जहां मर्जी आये चली जाती हैं और रुकती हैं। जयपुर से अजमेर चलने वाली डिलक्स बस किशनगढ़ क्यों नहीं ठहरती है? किशनगढ़ से 1100 रु. प्रतिदिन की आमदनी होती है, ऐसे किशनगढ़ जैसे स्थान पर नहीं रुकती हैं जब कि दूसरी रूट्स पर सब जगह रुकती है। मुझे जयपुर से बीकानेर जाने का मौका मिला डिलक्स बस से तो वह सब जगह रुकती है। लेकिन वह सुबह वाली बस चौमू जिसको आजकल कहते हैं विजयनगर वहां पर, माननीय मंत्रीजी, न तो जाते समय ठहरती है और न आते समय ठहरती है। चौमू से ऐसा कौनसा प्यार नहीं है आपको जब कि डिलक्स बस सब जगह चलते हुए ठहरती है? तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा आप इस ओर ध्यान देंगे।

इसी प्रकार से आय वाली बात करना चाहता हूं। आपकी आय हुई है, लेकिन 18 लाख रोड टैक्स का बाकी है, 14 लाख पैसेन्जर टैक्स का बाकी है और फिटनेस टैक्स तो आप देते ही नहीं है और खराब बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट आप सरेन्डर करते नहीं है। बस कब तक चली और कब बन्द हुई यह पता नहीं। जो आंकड़े मैं निवेदन करना चाहता हूं उनको अगर निकाल दें तो आपको पता है कि आपकी आय क्या आती है? अब आप एक्चुअल

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लगा लें कि आपको कितना लाभ हुआ ? आप जानते हैं कि आपकी बसें निकम्मी हैं, थर्ड क्लास हैं। नई आगई तो कब चलेगी पता नहीं तब तक पुरानी चलती जाय....

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह पैसेन्जर टैक्स 74-75 का बताया है या 72-73 का कहना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 72-73 का 18 लाख रोड टैक्स का है....

श्री मोहनलाल छंगाणी : 73-74 का कोई बाकी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो भी आंकड़े आप चाहते हैं मैं स्वयं उनको लेकर आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा और सारे आंकड़े आपके सामने लाकर प्रस्तुत करूंगा। रोड टैक्स, पैसेन्जर टैक्स और फिटनेस टैक्स नहीं देते हैं....

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं एक इन्टरप्शन करके निवेदन करूंगा कि ऐसे आंकड़े जिनकी आपको पूरी जानकारी नहीं है आप कह दें और मैं कह दूं कि बकाया नहीं तो फिर आपको बोलना पड़ता है और फिर मुझे डिनाई करना पड़ता है तो इससे असुविधा आपको होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोई इस प्रकार की केवल आलोचना करने का आदी नहीं है। जो कुछ आंकड़े पिछलीबार बताये थे तो कागज लाकर दावे के साथ दिखा सकता हूं। वह इसलिए नहीं दे रहा हूं कि विधान सभा में केवल बोलना है। अगर शक हो तो न तो आंकड़े गलत मैंने पहले रखे हैं और न गलत अब रखे हैं, आप देख सकते हैं।

इन सब टेक्सेज को चुकाने के बाद फिर एक्चुअली फीगर्स लें कि कितना लाभ हुआ यह आप सदन में बता दें अधिकारियों से सारी बात मालूम करके जवाब दे दें तब तो मैं समझता हूं कि बढ़िया होगा।

मैंने पिछली बार भी कहा था कि वहां पर शिकायती किताब रहती है बस में। मेरे एक मित्र चेयरमैन थे तो उनका यह कहना है कि बिल्कुल असत्य है, और आप भी उस सत्य को स्वीकार करेंगे। कहा जाता है कि रोडवेज में जाते हैं तो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किये जाते हैं और इसलिए कर दिये जाते हैं कि रोडवेज के बारे में जो असुविधा हो वह उसमें लिख कर डाल दें और उस पर टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है और वह रोडवेज के चेयरमेन या प्रशासक कहें या चेयरमेन साहब हैं उनके पास पहुंच जायेंगे। यह बिल्कुल असत्य बात है। आज सम्माननीय सदस्यों में से एक भी आदमी यह बता दें कि इस प्रकार के कार्ड्स रोडवेज में बांटे जाते हैं और मुसाफिरों में बंटते हैं और उन पर सुझाव मांगते हैं। कम्प्लेन्ट बुक तो गायब है और कार्ड देने की बात प्रशासन की ओर से कही जाती है वह बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल झूठी है। इसलिए मैं निवेदन यह करना चाहता हूं।

विधायकों के बारे में कहा गया है कि विधायकों को यह सुविधा दे रखी है तो मेरा यह अनुभव है कि वह मिल नहीं पाती है। विधायकों को अपने पास लेकर खिड़की के पास जाकर खड़ा होना पड़ता है, और रात की बस, डिलक्स बस के कर्मचारी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कह देंगे कि एम. एल. ए. होंगे लेकिन डिलक्स बस में पास से नहीं चलेंगे। पिछली बार मुझे बीकानेर का अनुभव है कि डिलक्स बसे से प्रातःकाल 6 बजे चलना चाहता था लेकिन मुझे डिलक्स बस से एलाऊ नहीं किया गया और, यात्री बस से एलाऊ नहीं किया जबकि इसमें डिलक्स बस से, स्पेशल बस से और सारी बसों के लिए लिखा हुआ है लेकिन फिर भी····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं आपको इन्टरवीन नहीं करना चाहता हूं। मैं समय के लिए प्रस्ताव करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय जब तक कि आज का कार्यक्रम पूरा न हो।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जब तक आज का बिजिनेस डिसपोज ऑफ हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ा दिया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो विधायकों को इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। पिछली बार जब मैं भरतपुर में चुनाव में गया तो वहां पर रात को बस आती है तो हम उसके लिए खड़े रहे। जब बस आई तो कहा गया कि जगह नहीं है और खड़े-खड़े चलना है तो चलें। सम्माननीय विधायक जब उनको अपनी सम्पत्ति समझते हैं, बस को अपनी सम्पत्ति समझते हैं तो आखिरकार आपको (मंत्रीजी) तो जगह मिलेगी ही और अब तो मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एम. एल. एज. की सुविधाओं का ध्यान रखें।

अब वहां के कर्मचारियों, जो रोडवेज में कर्मचारी काम करते हैं उनके वेतन के बारे में, उनको उसमें शेयर होल्डर, भागीदार बनाया जाय, उनको भी बोनस मिलना चाहिए, रोडवेज का जो मैनेजमेंट है उसमें भली प्रकार पार्टीसिपेशन कर सकें, उनका भी सहयोग मिले, इसके बारे में मैं, निवेदन करना चाहता हूं। उनकी कालोनी बनाना चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, उनको स्कूल की सुविधा मिले, उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था हो। आप उनसे समय-समय पर जाकर कहें और पूछें कि तुम्हें क्या तकलीफ है। आप जयपुर में कन्डक्टर्स की क्लास चलाते हैं वह मेरी जानकारी में हैं। कन्डक्टर्स की क्लास चलाते हैं यह आपका सद्प्रयास है। लेकिन श्रममंत्री भी आप हैं तो आप उनसे पूछिये कि उनके लिए चिकित्सा की क्या सुविधा है, उनको वेतन मिलने में क्या असुविधा है या और कैसा क्या है और उनकी कोई कठिनाई हो तो उसका निवारण करेंगे। और वहां पर शुरू से बदनाम एम. एल. ए. दामोदरलाल मौर्य को छोड़कर और कोई बढ़िया से आदमी को आप रोड़वेज के मैनेजमेंट में पार्टीसिपेट करेंगे तो निश्चित बढ़िया बात होगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

आप कहते है कि कम्प्लेन्ट बुक भी है। कार्ड भी बांटे जाते हैं। सभी प्रकार की बढ़िया बात है। अभी आप यही कहेंगे।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

किताब आप देंगे नहीं। स्वीकार आप करेंगे नहीं। मैं मन्त्री महोदय को कहूंगा कि आप हमको वक्त दीजिये। मैं आप को अपने वास्पा पर बैठाकर ले चलूंगा। तब आप देखिये कि जो कुछ मैंने कहा है, वह कितना सत्य सिद्ध होता है। अगर वह असत्य हो तो आप हमें कहिये। हास्पीटल के बारे में मैने कहा है। वहां देख लें जाकर। रोडवेज के बारे में है। रोडवेज के बारे में जनता को कितना कष्ट है। अगर आप जनता के हित की बात कर रहे हैं तो इसको पास कराने में जल्दी नहीं करें। आप फिर टाइम राज्यपाल महोदय से करा लेंगे। जनता को क्या असुविधा है, इस बारे में आपको जानना जरूरी है। इसलिए मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जब आप भार्गव साहब के साथ में जायें तो उनके साथ में बुरका पहनकर जायें। नहीं तो वैसे असली बात का पता नहीं चलेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, मैं बहुत थोड़ा इस बारे में निवेदन करूंगा। मेरा निवेदन है कि जो परमिट इश्यू होता है। यह परमिट मिल जाये तो उसमें माननीय मन्त्री महोदय जानते हैं और सभी अधिकारी जानते हैं कि यह परमिट मिलने में एक पीढी खत्म हो जाती है। भरी हुई गाड़ियां जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक 'स्कोप' नाम का शब्द है। अपील दर अपील और सुप्रीम-कोर्ट में जाते हुये आदमी थक जाता है। मोटर व्हिकल एक्ट में एक सेक्शन 43 है। "To avoid an economic competition."

मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनेलाइजेशन तो जल्दी हो जाता है। यह परमिट है अन्-इकानामिक कम्पीटीशन है। मगर है तो सब्जेक्ट सेन्ट्रल व्हिकल एक्ट की आर्टिकल 54 की तहत में बताने की कृपा की है। उसकी कृपा करें। मोटर व्हिकल में 28% नेशनेलाइजेशन करने की सुविधा मांगी है। वह मिल जायेगी। इसलिए आगे की क्या कल्पना है। इसलिए पूरा नेशनेलाइजेशन करने की बात बड़ी आवश्यक है। वह परमिट अपने आप खत्म हो जायेगा। सारी जिन्दगी तो एल. एल. बी. पास किया। मेडिकल पास किया। आपने परमिट थमा दिया। जाओ तुम वकालत करो। अच्छे आदमी की जिन्दगी की कोई कीमत नहीं। 50 हजार की गाड़ी की इतनी बड़ी कीमत। तो जो स्टेप लिया है, वह स्टेप लें। अच्छा काम है। बस यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन विधेयक, 1974) को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये। मैंने इस बारे में एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उसी के सम्बन्ध में, मैं अपने विचार

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अभी हवाई महल से आने वाले माननीय सदस्य ने........

एक माननीय सदस्य : हवाई महल नहीं, हवा महल।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो जानकारी दी है, राष्ट्रीयकृत मोटर गाड़ियों के बारे में, वह वास्तव में मैंने भी बसेज में टूर किये हैं। वह कठिनाई भी पाई है। उनकी इस बारे में शत प्रतिशत बातें सही हैं। इस बारे में सबसे बड़ी कठिनाई डेजर्ट एरिया में आती है। रेगिस्तान एरिया में आप राष्ट्रीयकरण करें तो बाड़मेर और जैसलमेर एरिया में करें तो वहां अगर आप प्याऊ की व्यवस्था नहीं करेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। वहां पर आप पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो पैसेंजर को बीमारी हो सकती है। वह बीमार पड़ सकता है। इसलिए जहां रेगिस्तान एरिया में आपने राष्ट्रीयकरण कर दिया, यहां दस, बीस और पच्चीस मील के एरिया में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी पाया गया है कि जो बसें चलती हैं, उनमें एडीशनल स्टेपनी नहीं होती है। वह नहीं होने के कारण गाड़ियां रुक जाती हैं। लोग 4,5 घण्टे तक पड़े रहते हैं। तो पानी की समस्या आती है। पानी की व्यवस्था सभी जगह कर सकें तो बढ़िया नहीं तो रेगिस्तानी इलाके में अवश्य होनी चाहिए। इसी तरह से रेगिस्तानी क्षेत्र में स्टेपनी की व्यवस्था करनी होगी। नहीं करेंगे तो जनता को असुविधा होगी। इसके लिए तो जो प्राईवेट बस ऑपरेटर्स हैं, वह भी व्यवस्था करते हैं। उनके जो आदमी होते हैं, वह अच्छे मैकेनिकल भी होते हैं। अगर कहीं कुछ खराब हो जाये तो वह ठीक भी कर देते हैं। रोडवेज के ड्राइवरों को मैकेनिकल की जानकारी नहीं है। उनको ठीक करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब आप उनको ट्रेनिंग दें तो मैकेनिकल जानकारी भी दें। उनके साथ में टूल्स की व्यवस्था भी अवश्य होनी चाहिए। आप कहेंगे कि टूल्स की व्यवस्था करेंगे तो ड्राईवर मिसयूज भी कर सकते हैं। अगर वह ऐसा करे तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए टूल्स और स्टेपनी की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए जो कदम उठाना चाहते हैं, वह कदम उठायें। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मैं गुजरात में गया। पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी के आदमी वहां गये थे। डिपो की व्यवस्था अच्छी हो। अपने यहां डिपो की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब अजमेर जैसी जगह में, जोधपुर जैसी जगह में लैट्रिन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पेशाब घर की व्यवस्था अच्छी नहीं है। वहां कोई भी महिला पेशाब यदि करे, लैट्रिन में यदि जाय तो इतनी गन्दगी रहती है कि जिसकी हद नहीं है। इसके लिए हम जो समाजवाद का कदम उठा रहे हैं, राष्ट्रीयकरण का कदम उठा रहे हैं, जनता की सुविधा देने के लिए हम कदम उठा रहे हैं, हमारा उद्देश्य ज्यादा प्राफिट करने का नहीं है, लेकिन समाजवाद का दृष्टिकोण रख कर जनता को सुविधा देना चाहते हैं। तो जब हम यह कदम उठा रहे हैं तो हम जनता को सुविधा देने की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण गुजरात के कोर्पोरेशन का है, गुजरात कोर्पोरेशन ने कदम उठाये हैं, उन कदमों का अच्छा असर पड़ा है। टाईमिंग उन के फिक्स हैं, बराबर फिक्स हैं। हमारी कमेटी गई थी, हमने वहां जांच की, बिल्कुल एकुरेट टाइम पर बस चालू हो जाती है, टाइम की सुविधा दी गई है और आराम की सुविधा भी दी गई है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण सक्सेसफुल हो सकता है और इस राष्ट्रीयकरण के द्वारा हम आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, नान टैक्स रेवेन्यू का अच्छा सोर्स हो सकता है, जनता को सुविधा भी दे सकते हैं। परन्तु इसके बारे में हमें कदम उठाने पड़ेंगे, वह सोच समझ कर प्रगतिशील कदम उठाने पड़ेंगे। खास तौर पर जनरल मैनेजर को पावर दी जा रही हैं, इस कानून के अन्तर्गत विस्तृत पावर दी जा रही है। मैनेजर आउटस्टैंडिंग केलिबर का आदमी होना चाहिए, उसका खुद का मैकेनिकल माइण्ड होना चाहिए, कार्मशियल माइन्ड जनरल मैनेजर का होना चाहिए, तब जाकर कंट्रोल होगा। अपन जो इन्स्टीट्यूशन, कोर्पोरेशन स्थापित करते हैं, वहां जो अधिकारी हैं अगर उनका कार्मशियल माइण्ड नहीं होता है तो इन्स्टीट्यूशन और कोर्पोरेशन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए, जो कोर्पोरेशन के जनरल मैनेजर हों, असिस्टेन्ट मैनेजर हों, वह कार्मशियल माइण्ड के हों, और एक्सपर्ट हों, मोटर गाड़ी के बारे में जानकारी रखते हों, मैकेनिकल एक्सपीरियेन्स रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो यह व्यवस्था ठीक तरह से चला सकेंगे।

अब मैं बाड़मेर जिले के रूट्स के बारे में, जिन्हें राष्ट्रीयकरण के अन्दर लिया जाना चाहिए, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाड़मेर से अहमदाबाद का रूट है, बाड़मेर से अहमदाबाद की अच्छी रोड है, डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से भी इम्पार्टेन्ट है। इसलिए गुजरात की गवर्नमेंट से बात करके आपको व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बाड़मेर से अहमदाबाद आठ दस घण्टे में अच्छी तरह पहुंच सकते हैं। बहुत से बिजनेसमैन हैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के, बालोतरा टाउन के वह बिजनेसमैन अहमदाबाद में बिजनेस करते हैं, इससे उनको भी सुविधा होगी इस रूट पर बस चलने से, हमारी कुछ व्यवस्था भी बढ़ेगी और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए बाड़मेर से अहमदाबाद रूट के लिए सुझाव रखा है कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

दूसरे रूट के लिए सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं, बाड़मेर से चोहटन, बाड़मेर से गडरा रोड और बालोतरा से जालोर। इनकी स्कीम बनाने में क्या कठिनाई पड़ रही है। सिवाना से बालोतरा आती है बस सर्विस, वह प्राइवेट रूट है, बालोतरा से तीन मील डिस्टेन्स सवारियों को क्योंकि वहां तक प्राइवेट रूट है, फिर राष्ट्रीयकृत रूट आ जाता है, ठहरना पड़ता है। ऐसी स्थिति होती है कि चार पांच घण्टे तक सवारियां पड़ी रहती हैं। जो बाड़मेर से बालोतरा तक आप राष्ट्रीयकृत बस चलाते हैं वह गाड़ियां ठसाठस भरी रहती हैं, वह उठायें कैसे सवारियों को। इसलिए आपको बस बढ़ानी चाहिए। अगर आप राष्ट्रीयकरण करें और बस नहीं बढ़ायें तो उसके कारण जनता में असन्तोष होता है। हमारे यहां राष्ट्रीयकरण जोधपुर से बाड़मेर रूट का किया गया है, परन्तु सभी गाड़ियां ठसाठस

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

भरी रहती हैं। सिवाना से वालोतरा सवारी आती हैं, उनकी कठिनाई होती है, बीच में सवारियां मिलती हैं तो उनको किसी तरह से वह बस में चढ़ा नहीं पाते हैं। यह स्थिति होती है। जो प्राइवेट आपरेटर होते हैं, गाड़ियां उनकी चलती हैं तो वह ढाणी ढाणी पर रुकती है और सवारियों को बैठा लेते हैं, जो भी रास्ते में मिलती थीं उनको बैठा लेते हैं। परन्तु यह जो स्थिति है राष्ट्रीयकृत बसों की, उसमें यह स्थिति नहीं है इस कारण जनता को सुविधा नहीं मिलती है। जनता को सुविधा जब तक नहीं देते हैं तब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

अब प्रश्न आता है कि जब हम राष्ट्रीयकरण करते हैं, तो जो प्राइवेट आपरेटर्स बस चलाते हैं, उनके कन्डक्टर और ड्राइवर होते हैं, उनको सर्विस में लेने का भी प्रावधान आपकी योजना में होना चाहिए। लेकिन अधिकांश में यह देखा है कि प्राइवेट बस आपरेट करते हैं, उनके ड्राइवर, 70 पर्सेंट शराब पीते हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, इन्टरव्यू में यह भी जानना चाहिए और जो ड्राइवर शराब पीते हैं, उनको अपनी सर्विस नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि शराब पीकर एक्सीडेंट होने का डर रहता है। इसके अन्दर इस कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि गाड़ी, जिसमें 60 सवारी हैं, 100 सवारी हैं, उस गाड़ी का ड्राइवर शराब के नशे में चूर होकर गाड़ी चलाये और एक्सीडेन्ट कर दे तो उस ड्राइवर की असावधानी के कारण कितने ही आदमियों की जान जा सकती है, कितने ही आदमियों को चोट पहुंच सकती है।

एक दो मिनिट और लूंगा।

गाड़ियों में कोई फर्स्ट-एड की व्यवस्था नहीं है। बाड़मेर से जहां जहां गाड़ी चलती हैं, उनमें मैंने देखा है कम्पलेन्ट बुक की व्यवस्था नहीं है, फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था की जानी चाहिए। गन्दगी गाड़ियों में रहती है, उसकी सफाई की व्यवस्था नहीं है। वह व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत ही अच्छा है, और जो पूनमचन्द विश्नोई ने अमेंडमेंट पेश किया है, उससे विधेयक के अन्दर कमी पूर्ति हो जाती है। मैं यह चाहूंगा कि जो अमेंडमेंट रखा है पूनमचन्द विश्नोई ने इस कानून के साथ अमेंडमेंट को एड नहीं करते हैं तब तक कानून की पूरी इम्पार्टेन्स और महत्वता नहीं रहती है। इसलिए इस अमेंडमेंट को मानकर इस कानून को हमें पारित करना है। परन्तु जो असुविधा है उसके बारे में मैंने जिक्र किया है, जनता को सबसे अधिक सुविधा देनी चाहिए यह उद्देश्य हमारा रहना चाहिए।

श्री सभापति: श्री रामानन्द अग्रवाल! नहीं बोलेंगे! श्री केसरीमल!

श्री केशरीमल : सभापति महोदय, अभी सुना है कि 17-18 पर्सेन्ट राष्ट्रीयकरण हुआ है जब कि होना चाहिए था मार्च के आखिर तक 25 पर्सेन्ट। जो हुआ है, इसको गति देकर करना चाहिए और इसकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे यह काम सुचारु रूप से कर सकें और इसमें खामियां हैं वह दूर हो जायं। इससे अच्छा तो सामने आ सकती है और खराबी ऐसी है उनको दूर किया जा सकता

(श्री केशरीमल)

है। आज देखते हैं कि अभी जो बस चलाई जा रही है, उनमें कई तरह की अव्यवस्थायें हैं, यदि उन्हें दूर कर दिया जाय, कहीं भी अव्यवस्था है, उसको दूर किया जाय तो निगम को फायदा होगा और जनता का कष्ट दूर होगा। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गाड़ियों पर से सामान उतारने की व्यवस्था है वह इतनी खराब है कि पैसेंजर जो सामान लाते, ले जाते हैं उनको उतरवाने में मुश्किल पड़ती है। और रात के समय चलने वाली गाड़ियों में और मुश्किल पड़ती है। इसका स्थाई हल निकालना चाहिये। जो बस स्टेण्ड हैं बड़े बड़े, वहां ऐसा व्यक्ति रखना चाहिए जो यह काम करे और गाड़ियों की सफाई भी कर सके। एक आदमी इस तरह का रखा जाय तो यह सारी व्यवस्था हो सकती है। यह व्यवस्था नहीं होती है तो सामान को उतारने और चढ़ाने की और गाड़ियों की सफाई की शिकायत रहती है। मैं यह सुझाव के तौर पर बता रहा हूं।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यह जितनी गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों में से जो रात में चलने वाली हैं, गर्मी का मौसम है, जो दस बजे गाड़ियां चलती हैं, उन गाड़ियों में चलने वाले पैसेंजर होते हैं वह घर में खाना-पीना करके गाड़ियों में बैठते हैं। खाने के बाद गर्मी की रात में पूरी रात उनको पानी नहीं मिले तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। पहले देखा था कि कुछ गाड़ियों में पानी की व्यवस्था भी की थी। दिखाने की बात और, और करने की बात और होती है, यह मिसाल चरितार्थ होती है। जब शुरू में गाड़ियां चालू हो रही थीं, तब गाड़ी में पानी की टंकी रखी हुई थी, टंकी अच्छी थी, स्टील की। थोड़े दिनों के बाद टंकी गायब करदी गई। होना तो यह चाहिये था कि वह व्यवस्था बढ़ती, लेकिन वह व्यवस्था गायब कर दी •• यह व्यवस्था सुधारना चाहिए - बस स्टेंड्स जो बने हुए हैं उसका माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि बस स्टेंड्स की ऐसी दुर्दशा है कि कोई वहां खड़ा नहीं रह सकता। अजमेर की बस स्टेन्ड पर हजारों आदमी आते-जाते हैं पर वहां पीने के लिए पानी नहीं मिलता और बाबा आदम के जमाने की बल्लियां लगाकर छप्पर लगा रखा है। लोगों की नजर वहां पड़ती नहीं। पानी पिलाने की जगह भी ऐसी गंदी है कि कोई आदमी प्यास भी हो तो भी पीना पसंद नहीं करेगा और मोबिलआइल के ड्रम काट-कर पानी उनमें भरा रहता है। इस गर्मी के मौसम में पानी पिलाने का यह कौनसा तरीका है? शौचालय और मूत्रालय बना नहीं, उसका नतीजा यह है कि आदमी इधर उधर सब जगह बैठता है और गंदगी करता है। आदमी तो बैठ जाते हैं लेकिन महिलाओं की क्या दशा होती होगी? तो बस स्टेन्ड्स पर पानी की, सफाई की, बैठने की और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, यह पहला काम है। जितने प्राइवेट आपरेटर्स हैं उनको परमिट देते समय कहा जाता था कि आपको यह करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा, तब परमिट दिया जाएगा। हमारा सरकार प्राइवेट आपरेटर्स से भी ज्यादा अच्छी बात करके दिखाए और बताए कि राष्ट्रीयकरण करने से यह फायदा है, तब तो जनता मानेगी। करों की कितनी आमदनी है? 17 प्रतिशत तो प्राइवेट ओनर्स

(श्री केशरीमल)

से और 82 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत मार्गों से, इससे आप अंदाजा लगायें कि राष्ट्रीयकरण करने से कितने फायदे हैं। प्राइवेट बसों से 1/4 हिस्से के यात्रियां के टिकट काटे जाते है, 3/4 हिस्से के टिकट नहीं काटे जाते है, इससे सरकारी खजाने में टैक्स नहीं आता और लाखों रुपयों का टैक्स मालिक के पास चला जाता है। जो राष्ट्रीयकरण के विरोधी हैं, प्राइवेट आपरेटर्स के समर्थक हैं, उनका इस काले बाजारी का लाभ है ? जिसको नंबर दो का पैसा कहते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अच्छी बातें करें जिससे यह काम और आगे बढ़े........

श्री मीठालाल: हमारी तरफ उंगली क्यों कर रहे है ?

श्री केशरीमल: कुछ गांवों में तो आपकी गाड़ियां चलती हैं, कुछ गांव छोड़ दिए गए हैं। कुछ लोगों ने कहा अगर ब्यावर से जो गाड़ी उदयपुर की तरफ जाती है वह बीच के गांवों में नहीं जाएगी तो वहां के यात्रियों का क्या होगा ? नेशनल हाई वे पर गाड़ियां चलायें बाकी स्टेशन्स पर नहीं चलायेंगे तो फिर वह ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार ब्यावर से भीम गाड़ी नहीं चलेगी तो मुश्किल होगा। ऐसे कुछ और रूट्स हैं जिन पर गाड़ियां चलाना जरूरी है। अगर निगम यह व्यवस्था अभी नहीं कर सकती है तो कोई न कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, प्राइवेट ओनर्स से कहा जाए कि इतने हिस्से में अपनी गाड़ियां चलायें नहीं तो वहां के लोगों को और दुख होगा और उनको गाड़ी नहीं मिलेगी और राष्ट्रीयकरण को गाली खाने का अवसर मिलेगा। तो उन रूट्स पर भी गाड़ियां लगाना जरूरी है।

मजदूरों के मामले में भी निगम को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सरकार यदि किसी उद्योग की मालिक बन जाए तो उसको प्राइवेट उद्योग के मालिक से कुछ अधिक अच्छाइयां लानी चाहिए और वह मजदूरों और अपने बीच में इस तरह के रिश्ते कायम करे जिससे ऐसा लगे कि यह हमारा काम है लेकिन जब सरकार खुद जब मालिक होकर इस तरह का भेदभाव करे और फूट डलवाए तो निश्चिततौर से उस उद्योग में अच्छाई आने के बजाय बुराई आएगी। दूसरी बात मजदूरों के जितने मुकदमें चलें उनका फैसला हो जाने के बाद भी निगम के लोग उस फैसले को नहीं मानें और अपील में जाते हैं, जबकि आपस में तय किया हुआ है कि जहां तक हो सकेगा इस तरह से फैसला हो जाने के बाद हम अपील में नहीं जायेंगे जिससे शांति बनी रहे। इसका मतलब आप आगे होकर अशांति पैदा करना चाहते हैं, झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं, आप वह स्थिति नहीं लाना चाहते हैं जिससे मालिक और मजदूर का रिश्ता अच्छा हो, जो दूसरे लोगों के लिए उदाहरण हो लेकिन बड़े अधिकारी जिसमें दूसरों की बात सुनने की समझ ही नहीं, अपना हुकम चलाना चाहते हैं अगर वहां भी यह अफसरशाही मिलेगी तो इन उद्योगों में अच्छाइयां नहीं आ सकेगीं।

इसी प्रकार सरकार आगे होकर यूनियनों को आपस में लड़ाना चाहती है, नई नई यूनियन्स खोलना चाहती है। इस तरह से तरजीह देकर आप उसमें फायदा उठायेंगे लेकिन चूंकि पार्टी का काम है उनको अपनी यूनियन खोलनी है लेकिन बहुमत का ध्यान रखें। अगर मजदूरों का प्रतिनिधि लेना हैं तो बहुमत वाली यूनियन का प्रतिनिधि लें। सारे रोडवेज में 90 प्रतिशत एटक के

(श्री केशरीमल)

सदस्य हैं तो उनका प्रतिनिधि इंतजाम कमेटी में नहीं लिया और लिया दामोदर मोरिया को। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि वह इंटक के नेता हैं इसलिए उनको लेना है लेकिन इस भेदभाव से आखिर क्या करना चाहते हैं? मजदूरों की जो मांगों की समस्या है उसमें भी बातचीत में भेदभाव रहता है। मजदूरों और मेनेजमेंट के बीच अगर इस तरह के रिश्ते पनपाए गए तो यह जो अच्छा उद्योग है उनको नुसकान पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

गाड़ियों में बहुत सवारियां भरी जाती हैं, हम जब आते हैं तो खड़े रहने के लिए स्थान नहीं मिलता, लटक कर आते हैं तो बसों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जनता को तकलीफ होती है। आपकी जो इंतजाम कमेटी है उसके अंदर मजदूरों के प्रतिनिधि होने चाहिए जिससे वे खरीद-फरोख्त में भाग ले सकें। मजदूर बताते हैं कि लाखों का माल ऐसा खरीदा जाता है जो गाड़ियों के काम नहीं आता है लेकिन क्योंकि मोटर कंपनियों से दोस्ती है इसलिए उनको फायदा पहुंचाना है. इससे लाखों रुपए का नुकसान होता है। जिस चीज की जरूरत न हो मजदूर बताते हैं कि ऐसी चीजें क्यों खरीदते हो। आप यदि चाहते हैं कि राजकीय उद्योग पनपे तो आपको मजदूरों का सहयोग लेना पड़ेगा और मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों का चुनाव कराकर मेनेजमेंट के अंदर पारटीसिपेट करने का मौका देना होगा।

किस तरह से अच्छी तरह से चल सकता है? कैसे अच्छी व्यवस्था हो सके इसको चलाने के लिये राज्य सरकार को निगम को चाहिये कि इन मजदूरों से बैठकर बातचीत की जावे। इससे आपको भी फायदा है और मजदूरों को भी फायदा होगा। लेकिन आप इस प्रकार की व्यवस्था करना नहीं चाहते। आप तो मजदूरों के साथ बैठकर बातचीत करने में अपनी बेइज्जती समझते हैं। मानों या नहीं मानो आपको ही नुकशान है हम तो आपको सिर्फ सुझाव ही दे सकते हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि आपके यहां नयी कमेटीज को बनाया जाये। जैसे आपके यहां उनके बेनेफिट के लिये ऐसी कमेटीज बनायी जांय जैसे प्रोवीडेन्ट फण्ड कमेटी, उनके कोआपरेटिव स्टोर्स खोले जायं तथा और भी खरीद-फरोख्त में आपको उन्हें रखना चाहिये। इससे न केवल आपको लाखों रुपयों का फायदा होगा बल्कि मजदूरों को भी लाभ पहुंचेगा। मजदूर लोग आपको फायदा पहुंचायेंगे। जहां पर बड़े बड़े आगार हैं वहां भी यह सहकारी स्टोर्स खोलने चाहिये। लेकिन आप तो उनसे बैठकर बात करना चाहते हैं जो अफसर हों। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं सभापति, महोदय निगम के अधिकारी उस यूनियन से बात करते हैं जिनका वहां पर दस प्रतिशत भी सदस्यता मजदूरों की नहीं है। अगर कोई बस यात्रा के लिये जायगी कोई दर्शन करने के लिये निकलेगी बसेज तो उसमें एटक मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा इन्टक का होगा। क्योंकि इन्टक वाले आपके चहेते हैं। ठीक हैं चहेते तो आप उन्हें चाहें लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो एटक के मजदूरों की तरफ भी दें। सभापति महोदय, वहां पर निगम के अधिकारी लोग बहुत ही पक्षपात करते हैं। यह

(श्री केशरीमल)

अच्छी बात नहीं। इसके अलावा थोड़ा मैं अजमेर के वर्कशॉप के बारे में निवेदन करना चाहूंगा वैसे तो कहना नहीं चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज जो अजमेर में वर्कशॉप के अन्दर जो मजदूर काम करते हैं उनके पीने के लिये पानी की बिलकुल व्यवस्था नहीं हैं। वैसे और उनकी मांगे हैं उनका तो जिकरा मैं यहां नहीं करूंगा उन लोगों को वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था भी अगर निगम के द्वारा नहीं की जाय तो इससे ज्यादा क्या खराब बात हो सकती है। सभापति महोदय उनको बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वह लोग अपने वर्कशॉप से करीब 2-3 मील दूर से पानी लाते हैं पीने के लिये। अगर ऐसी जरूरी बातों को अगर आप नहीं मानेंगे तो वह हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप मजदूरों की समस्याओं को नहीं सुनेगें उनकी जरूरतों को पूरी नहीं करेंगे तो उनके पास सिवाय हड़ताल के क्या चारा है। उनकी कुछ मांग तो सभापति महोदय ऐसी हैं कि जिनको निगम के अधिकारी बैठकर निपटा सकते हैं। हो सकता है कि उनकी दस मांगें हों आप उनमें से जो जल्दी मान सकते हैं और आपकी निगम को उससे कोई नुकसान नहीं हो मान लें तो वह भी राजी हो जावे और आपस में द्वेष भावना नहीं बढ़े। दूसरी दिक्कतों के बारे में और तरीका निकाल सकते हैं। लेकिन आपतो उनकी सुनना नहीं चाहते हैं। आपकी रीति नीति है अलग है सोचने की पद्धति अलग है। और जब आप उनकी वाजिब बातों को नहीं मानेंगे तो वह दुखी होकर लेबर कोर्ट में जायेंगे। वहां पर भी आपके निगम के अधिकारियों में यह बात है कि इस कोर्ट में जो जज है वह मेरे से नीचे ग्रेड का है मैं उससे बात करना नहीं चाहता तो सभापति महोदय उसका निपटारा कैसे हो? अब अजमेर के वर्क-शाप में जो मजदूर काम करते हैं वह वर्क-शाप सभापति महोदय शहर से 5-6 मील दूर है वहां पर उन लोगों के रहने का कोई मकान नहीं है, उनके पीने के लिये पानी की व्यवस्था नहीं है बेचारे लोग वहां पर पास के गांव में जाकर झोंपड़ी में रहते हैं। तो मैं आपके मारफत राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि सभापति महोदय कम से कम उन मजदूरों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था तो करें। यह तो मानवीय दृष्टिकोण आपको अपनाना चाहिये। इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय अभी जब कुछ समय पहले हमारे मुख्य मन्त्री जी श्री बरकतुल्लाखां का देहान्त हुआ तो उन लोगों ने वहां पर शोक दिवस मनाया, सभापति महोदय वहां पर जितने मजदूर थे और जिन्होंने शोक दिवस मनाया उनके पैसे काट लिये गये। जबकि यहां पर आपने राज्य सरकार के दफ्तरों में छुट्टियां की और आपने भी शोक दिवस मनाया। सभापति महोदय आपके निगम के अधिकारियों ने उनको बेचारों को आजतक उन दिनों के पैसे नहीं दिये तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों ने या अधिकारियों ने स्वर्गीय मुख्य मन्त्री के स्वर्गवास पर जो शोक दिवस मनाया था उसके लिये आपने क्या उनके एक दो दिन के पैसे काटे क्या नहीं काटे तो उन मजदूरों के पैसे क्यों काटे गये मैं मांग करूंगा कि उनकी नागाओं को नागायें नहीं मानकर उन्हें तनख्वाहें एक दो दिन की जो भी हो दिलायी जाय।

(श्री केशरीमल)

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि आज हमारे तो निगम के कन्डक्टर और बस ड्राईवर्स हैं वह 16-16 घन्टे काम करते हैं बराबर गाड़ियों में चलते रहते हैं और जब एक व्यक्ति दिन रात में 16 घन्टे बस को ड्राईवर करता है तो क्या उसे नींद नहीं आयेगी। क्या उससे एक्सीडेन्ट्स नहीं होगा वह लाख बचाने की कोशिश करता है फिर भी उससे एक्सीडेन्ट हो जाते हैं। जो रात-रात भर चलता है, चौबीस घन्टे में 14 घन्टे और 16 घन्टे गाड़ी चलाता है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं। और जब एक्सीडेन्ट होता है तो आप कह देते है कि ड्राईवर शराब पीये हुए था। सभापति महोदय सभी तो शराब पीते नहीं है उनमें से कुछ लोग बेचारे अपनी थकान मिटाने के लिये शराब पीते हैं पीते हैं तो पीते हैं साहब क्या करें। उनकी कितनी हार्ड ड्यूटी है। जब वह बस चलाते हैं तो उनके पूरे शरीर को एक्सरसाइज होती है आंख, हाथ पैर, तथा नजर सभी केन्द्रित रहते है। उसको सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है वह कितना अलर्ट रहता है लाख बचाने पर भी उससे एक्सीडेन्ट हो ही जाता है इसके लिए मैं सभापति महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि उनकी ड्यूटी आठ घण्टे से बदली जाय वहां पर आपको ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि आठ घण्टे की ड्यूटी समाप्त होते ही वहां पर उसको दूसरा रिलीवर मिल जाना चाहिये। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं आपके मोटर व्हीकल्स एक्ट में कहीं लिखा हुआ है कि कोई भी बस का एन्जिन हो उसको पांच घण्टे के बाद आधा घण्टे तक उस एन्जिन को ठन्डा किया जावे। अब आप देखें सभापति महोदय कि एक लोहे के लिए तो आपके कानून में है कि उसको पांच घण्टे के बाद रेस्ट लेना जरूरी है लेकिन एक हाड़ मांस वाले व्यक्ति के लिए आपको 16 घण्टे तक काम करने में कोई दिक्कत नहीं। उसको रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है तो सभापति महोदय यह मांग करूंगा कि निगम के अधिकारियों को चाहिये कि आठ घण्टे की ड्यूटी के बाद तुरन्त उन्हें रिलीवर मिलना चाहिये। इसके अलावा सभापति महोदय यह जो बसेज के ड्राइवर हैं उन्हें तनख्वाह आपको अधिक देनी चाहिये क्योंकि बस ड्राईवर की रिस्क ज्यादा है ड्यूटीज उसकी हार्ड है। इसके अलावा सभापति महोदय एक लाईट कार जो चलाता है उसे उसके बराबर पैसा मिलता है यह कितना अन्याय है। मेरी यह मांग है कि बस ड्राइवर को कार ड्राइवर से पैसा अधिक मिलना चाहिये। इसके अलावा हमारे यहां के जो ड्राईवर बस कन्डक्टर्स वगैरह जो दिल्ली, भोपाल, और ग्वालियर वगैरह जाते हैं उनको जो आप डी. ए. देते हैं वह सिर्फ तीन चार रुपये रोज ही देते हैं यह कितने कम हैं दिल्ली के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वहां पर उनके रहने के लिए सोने के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां पर एक टंक के तीन रुपया खाने का लगता है तो दो टंक छः रुपये हो गये और साथ में चाय पानी वगैरह भी खर्चा होता है तो इस प्रकार अगर आप उसे आठ रुपये नहीं तो कम से कम सात रुपये तो दें डेली अलाउन्स के। इसके अलावा उनके रहने की रात को ठहरने की व्यवस्था भी करनी चाहिये मैंने खुद ने देखा है दिल्ली में बेचारे एक झुग्गी में पड़े हुए हैं उनके लिए

(श्री केशरीमल)

आपको अच्छे स्थान रात भर ठहरने के लिए व्यवस्था होनी चाहिये अन्यथा वह रात भर तो गाड़ी चलाता है बाद में दिन भर उसके पास सोने की कोई कोई जगह नहीं फिर बेचारे रात को और गाड़ी चलावें तो क्या होगा एक्सीडेन्ट ही होगा। अतः राज्य सरकार को इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

इसके अलावा सभापति महोदय, मोटरों के बीमा वगैरह होता है उसी तरह इन ड्राइवर्स कन्डक्टर्स का भी एक्सीडेन्ट के लिए बीमा निगम द्वारा कराया जाना चाहिये ताकि कभी एक्सीडेन्ट हो तो उन्हें मुआवजा मिल जाये। यह एक वह बीमा होता है उसे क्या कहते हैं त्रिदलीय बीमा कहते हैं। या कोम्प्रीहैन्सिव बीमा मोटर का तथा बस कण्डक्टर्स तथा ड्राईवर का निगम द्वारा ही कराया जाना चाहिये ताकि उनको पैसा मिले। यह पैसा उससे अलग होना चाहिये जो कि आर्डीनरी बीमा मिलता है। यह जो ई. एस. आई. वगैरह से पैसा मिलता है उसी तरह सरकार को यह एक अलग व्यवस्था करनी चाहिये तथा पैसे भी निगम द्वारा जमा कराये जाने चाहिये। सभापति महोदय मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर यह कहूंगा इस प्रकार की सहूलियतें आपको इन मजदूरों को देनी चाहिये। अभी जैसे हवाई जहाज के एक्सीडेन्ट से अगर किसी की मृत्यु होती है तो एक लाख रुपया उसको मिलता है और रेल से एक्सीडेन्ट पर पचास हजार रुपया दिया जाता है उसी तरह निगम द्वारा एक्सीडेन्ट होने पर इन लोगों को दिया जाना चाहिये। इनका बीमा किया जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है सभापति महोदय। हमको भी उस पर विचार करना चाहिये।

साथ ही एक और निवेदन करना चाहता हूं और फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस तरीके से रोडवेज चल रही है, नये रूट्स लिये जाते हैं, उन पर पहले जो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, जैसे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, उस रूट पर काम करने वाले ड्राइवर्स कन्डक्टर्स को निगम को लेना चाहिये और उनको निगम में काम करने का मौका देना चाहिये और उनको बेकारी से बचाना चाहिये। निगम के कार्यालय में उनको लेना चाहिये यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री चतुरभुज।

श्री चतुरभुज (टोडा रायसिंह) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए। राष्ट्रीयकरण तो आपने बसों का कर दिया। वह स्वागत योग्य है। लेकिन साथ ही सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि किसी योजना में कितना पैसा लग रहा है उससे उसको कितनी आमदनी हो रही है यह भी तो देखें। यह तो बिजनिस है और बिजनिस के तौर पर ही इसकी आय नहीं बढ़ायेंगे तो सरकार के लिए यह घाटे का ही सौदा रहेगा और सुविधा भी जनता को पूरी नहीं मिलेगी। इसलिये हमारा यह कहना है कि योजना को लागू करें तो कम से कम आय की ओर भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

दूसरा कर्मचारियों का जनता के साथ व्यवहार भी ठीक होना चाहिये। ठीक व्यवहार न होने से भी तो आय नहीं होती है। पैसेन्जरों को सुविधा न देने के कारण और लगेज न लेने के कारण हजारों रुपयों का फर्क पड़ता है इसलिए हमारा निवेदन है कि इस पर जिम्मेदारी के साथ में व्यवस्था होनी चाहिये। साथ ही यदि गाड़ी में कोई बीमार

(श्री चतुरभुज)

हो जाता है उसकी सेवा का भी बस के कर्मचारियों को करने का फर्ज हो जाता है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। यदि पैसेन्जर को सुविधा नहीं देंगे और व्यवहार पैसेन्जरों के साथ अच्छा नहीं होगा तो चाहे हजारों मील गाड़ियां चलाओ कोई फायदा नहीं होगा।

राष्ट्रीयकरण से जनता में क्या प्रतिक्रिया होती है यह भी देखने की आवश्यकता है। सुविधा देंगे तो अच्छी प्रतिक्रिया होगी वरना बदनाम होगी। साथ ही रास्तों में हम देखते हैं कि न तो पुलिया है और न ही रपटे हैं। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत हैं। वरना नदी नाले आवेंगे और बरसात में हजारों पैसेन्जर इधर-उधर पड़े रहेंगे रुके हुए। इसलिये आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज को इस ओर कोई कठिनाई न हो इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये। हाईवेज हैं, हैडक्वाटर है तो वहां पर रोडवेज बेकार नहीं पड़ी रहनी चाहिये और पुलिया वगैरा को दुरुस्त कराया जाना चाहिये। यदि सड़कें खराब हुई और उस रास्तों से आवागमन होता रहा तो लाखों रुपयों की गाड़ियों का नाश हो जावेगा। उनका नुकसान होगा और सरकार को घाटा रहेगा। आज हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों रुपया हमने इसमें लगाया है। एक हजार रुपये माहवार की लागत में 60) रुपया ही हम बचा पाते हैं। इसलिये मेरा यह कहना और सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा हम यह देखते हैं और मेरा यह सुझाव है कि पैसेन्जरों का लगेज नहीं लेने से बड़ी भारी असुविधा होती है उसको दूर करना चाहिये। पैसेन्जरों के सामान की पूरी व्यवस्था होना चाहिये। सामान की सुरक्षा के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये।

मैंने ये जो सुझाव दिये हैं यदि उन पर ध्यान पूर्वक विचार किया गया तो निश्चितरूप से रोडवेज की आमदनी बढेगी और पैसेन्जरों को भी सुविधा मिलेगी। मालपुरा के पास में नदी है वहां पर पुलिया है उसको बना दिया जाय। यह आपने अभी मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया है जयपुर से। बस, मुझे यही कहना है।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित)

माननीय मंत्रीजी !

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : माननीय सभापतिजी,

श्री सभापति : जो माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं वे तृतीय वाचन पर बोल लें।

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : सभापति महोदय, यह छोटा सा बिल है और केवल दो अमेन्डमेन्ट का है। खासतौर से बुनियादी तौर से नेशनेलाइज करें रूट्स का उनमें कोई दिक्कतें न आयें स्कीम्स के जरिये या परमिट के जरिये उनको अलग हटा कर नेशनेलाइज करते हैं नेशनेलाइजेशन का प्रोसेस जल्दी करें यही इसका

(यातायात मंत्री)

मकसद है। सब ही माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इसको रोडवेज के डिस्कशन में परिवर्तित कर दिया है।

कुछ बुनियादी सवाल उठाये गये। पहला तो महारावल साहब ने उठाया। ह्यूमेनिटेरियन पोइन्ट ऑफ व्यू से अलग अलग सवाल पैदा हुए राष्ट्रीयकरण के कारण उनका ध्यान रखा जाय और रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता हो तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाय। हम लगातार घोषणा कर रहे हैं कि हम पूरे के पूरे इस नेशनेलाइजेशन के प्रोग्राम का प्रयोग कर रहे हैं। कब कौनसे रूट का नेशनेलाइजेशन करेंगे इसकी हम सूचना देते हैं। ताकि जो बस ओपरेटर जिस रूट पर बस को ओपरेट करते हैं, बसें चलती हों उनको नेशनेलाइजेशन करने पर कोई दिक्कत न हो। जैसे हमने कहा कि अमुक रूट का हम 1974 में नेशनेलाइजेशन करेंगे तो वह प्लान कर सकता है। हम उन लोगों को भी सुविधा देने की कोशिश करेंगे।

भाई गफ्फार अलीजी ने प्रश्न उठाया मजदूरों और दूसरी बातों के लिये। मैं सोचता हूं कि किस तरह पार्टिसिपेशन होना चाहिये, किस लेवल का होना चाहिये, कैसे लेना चाहिये रोडवेज का मैनेजमेन्ट पूरी तरह से सीज्ड है। जल्दी से जल्दी इस पर कोई निर्णय लेने जा रहे हैं और मैं समझता हूं शोप्स से लेकर मैनेजमेन्ट तक इस पर विचार चल रहा है।

राष्ट्रीयकरण के बारे में मुझे यह प्रसन्नता है, सभापति महोदय, किसी माननीय सदस्य ने राष्ट्रीयकरण का विरोध नहीं किया है। इसके कारण कुछ असुविधायें हो रही हैं उनके बारे में वे अपनी भावनायें जरूर व्यक्त कर रहे थे। वैसे देखा जाय तो हमारी रोडवेज की जो परफोर्मेन्सेज हैं वह खराब नहीं हैं। मैं आपको कम्पेरेटिव फीगर्स दूंगा। एक तो ओपरेशनल कोस्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमारी रोडवेज परफोर्म कर रही हैं, एक्सीडेन्ट्स के बारे में क्या स्थिति है उन सारी बातों को देखें तो, सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा। पहले मैं ओपरेशनल कोस्ट के बारे में निवेदन करूंगा। आपरेशन कास्ट आन्ध्र प्रदेश की 155.70 है। गुजरात की 134.00 महाराष्ट्र की 165.00 मैसूर की 143.73 और राजस्थान की 120.00 इस दृष्टि से राजस्थान किसी से पीछे नहीं है। आगे ही है। तो हमारे परफोर्मेन्सेज को आब्जेक्टिव व्यू से अनेलाइज किया जावे तो अच्छा होगा। यह मेरी आप से प्रार्थना है। इस दृष्टि से जो आलोचना होगी उसका मैं स्वागत करूंगा।

सभापति महोदय, मैं ब्रेकडाउन के भी फिगर देता हूं: 10 थाउजेण्ड किलोमीटर पर ब्रेक डाउन में हमारा 0.46 है। आन्ध्रप्रदेश का 0.73 है, गुजरात का 0.67 है, महाराष्ट्र का 0.78 है।

एक्सीडेण्ट में भी हम आगे नहीं हैं। राजस्थान के फिगर 0.31 हैं आन्ध्र का 0.35 है, गुजरात का 0.42 है और महाराष्ट्र का 0.57 है। हम चाहते हैं कि घटनाएं न हों। पर जो अपनी चाल से जितनी तेज रफ्तार की सवारी होगी एक्सीडेन्ट की सम्भावनाएं उतनी ही रहेंगी। हवाई जहाज मोटर गाड़ी किसी को भी आप ले लीजिये। इस दृष्टि से आप हर जगह

(यातायात मंत्री)

के फिगर एनेलाइज करिये आपको राजस्थान की स्थिति बेहतर मिलेगी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : औरों के मुकाबले में राजस्थान में राष्ट्रीयकरण भी तो बहुत कम का हुआ है।

श्री मोहनलाल छगाणी : पर मैं तो 10 थाउजेण्ड किलोमिटर के हिसाब से बात कर रहा हूं। अब राष्ट्रीयकरण हमारा पांच परसेन्ट ही हो। उससे क्या।

अब रोडवेज में कई बातों के इम्प्रूवमेन्ट की जरूरत है इससे मैं इन्कार नहीं करता। बस स्टॉपों पर अमेनिटीज नहीं हैं पूरी। निश्चित है कि नहीं है। शौचालय, यूरिनल स्त्रियों के आराम की जगह नहीं है। हम करना चाहते हैं। वित्तीय साधनों को जुटा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे साधन बढ़ते जावेंगे। हम यह सब करते जावेंगे। हमारे ध्यान में है यह। जो भी अमेनिटीज होनी चाहिये यात्रियों को मिलें यह हमारा लक्ष्य है। बसें लगातार समय पर चलें यह भी व्यवस्था करने की बात हमारे ध्यान में है।

कुछ माननीय सदस्यों ने बस कण्डक्टरों पर चार्ज लगाये। कुछ तो प्रेशर इतना बढ गया है कि बेचारा कण्डक्टर क्या करे। रेलवे बन्द होने के कारण कोयले की कमी की वजह से बीकानेर जोधपुर क्षेत्र में प्रेशर बढा है। निश्चिततौर से बसें रेलवे का सब्स्टीट्यूट तो नहीं है। मुझे खुद व्यक्तिगत जानकारी है कि फलोदी में दो दो सौ आदमी बसों में बैठ गये। लॉ आर्डर की स्थिति पैदा हो गई। तो इस अवस्था में से भी हमें गुजरना पड़ रहा है। रेलों की स्थिति सुधार पर है, कोयला भी मिलने लगा है। तो इससे पैदा हुई असुविधाएं तो कम हो जावेंगी।

सभापति महोदय, कामां से आने वालों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जो भी बसों का किराया है वह टिकटों पर छपा हुआ होना चाहिये। इसमें जो थोड़ा बहुत भी कण्डक्टरों के प्रति भ्रम है वह दूर हो जावेगा। इसे अमल में लाने की हम कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय, एक हवा महल से, कुछ सदस्य हवाई महल कहते हैं, आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बीकानेर जाते हुए कुछ तकलीफ हुई। अगर तकलीफ हुई है तो मैं रोडवेज के बिहाफ पर उनसे क्षमा मांग लेता हूं और सूचित भी कर दूं कि एम. एल. ए. किसी भी बस में जा सकते हैं इसमें अगर किसी तरह का अवरोध हो तो मुझे व्यक्तिगतरूप से सूचित करें। मैं हमेशा तुरन्त एक्शन लूंगा। चाहे डीलक्स हो और चाहे और कोई बस हो। यह सही है कि आप थोड़े समय पहले इत्तला दें ताकि वे सीट रिजर्व रख लें आप लोगों के लिये। ऐन मौके पर जबकि बस चल रही हो तब सम्भव है सीट खाली न बची हो। तो अगर पहले से इत्तला दे दिया करें तो सहूलियत हो सकेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने नहीं कहा है। मैंने तो आपके विधायक की बात कही है। जनता के कष्ट की बात कही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जनता आपके द्वारा बोलती है ऐसा अपका खयाल है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : खयाल है या गलतफहमी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो बस का तरफ देखने वालों को ही होती है।

श्री मोहन छंगाणी : बस में कंजश्चन बहुत होता है यह कहा गया। जोधपुर वालों ने कहा। जहां तीन सीटें है वहां अगर गुमानमलजी सरीखे बैठ जावेंगे तो तकलीफ निश्चित होगी।

एक माननीय सदस्य : आप और भोगालसिंहजी भी बैठ जावें साथ साथ तो भी होगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुझे भी हो सकता है। होगी मैं इन्कार नहीं करता।

श्री केशरीमल : आजकल की डी-लक्स तो इतनी निकम्मी है कि तीन बैठ ही नहीं सकते।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस बारे में हमने एक टैकनिकल कमेटी बिठाई है। सीटों का हिसाब किस तरह से होना चाहिये कितनी होनी चाहिये डिस्टेन्स कैसा रहना चाहिये आदि बातों पर ये लोग निर्णय लेंगे।

श्री केशरीमल : पहले दो दो ही सीटें होती थीं डी-लक्स में। अब तीन कर दी हैं और सीटें भी बढा दीं और किराया भी बढा दिया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : दूसरा प्रश्न एजीटेट जो कर रहा था वह यह था कि प्राइवेट बस वालों के यहां जो ड्राइवर, कंडक्टर वगैरह नौकर थे और जो रूट नेशनेलाइज होने से बेकार हो गये हैं उनको किस तरह से खपाया जाय। हमारी निश्चित नीति है इस बारे में कि हम उनको प्रायोरिटी देंगे बशर्ते कि वे हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठ जावें। अब मान लो कि हमें पचास आदमी लेने हैं तो इसके लिये सर्टीफिकेट लेकर दो दो सौ आदमी आ जाते हैं। प्राइवेट बस ओनर्स काफी तादाद में सर्टीफिकेट इश्यू कर देते हैं। उनको स्क्रूटिनाइज करना हमारे लिये समस्या बन जाती है। तो इस तरह से हमारी तकलीफ बढ़ जाती हैं। प्राइवेट बस ओनर्स जरा सख्ती से सर्टीफिकेट इश्यू करें तो हमें सहूलियत हो सकती है।

अब भरतपुर के वर्कर्स मुझे मिले थे। मुझे जब इस बारे में कहा गया तो मैंने सेकण्ड इन्टरव्यू के लिये कह दिया। तो अगर वे हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं बूढ़े नहीं हैं तो हम निश्चिततौर से उनको प्रिफरेन्स देंगे यह हमारी नीति है।

श्री मीठालाल : हम अब फिर से मिलेंगे।

श्री मोहन छंगाणी : अगर वे हमारे क्राइटेरिया में फिट होंगे यह बात मैंने कही है। गारन्टी नहीं की है। हमारे मापदण्ड में फिट नहीं हो सकेंगे उनके लिये हमारी मजबूरी है, नहीं तो अवश्य देंगे।

यह कहा गया कि रोडवेज के नेशनेलाइज होने के बाद जितनी बसें चलनी चाहियें नहीं चलती।

6 बजे सायं

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे केसेज आये हैं पता नहीं कौन से के बारे में कह रहे हैं। पहले

(श्री मोहन छंगाणी)

रोडवेज में थे कुछ आदमी। वे कन्डक्टर थे और उनके खिलाफ चार्जेज थे।

श्री मीठालाल : आप चेम्बर में मिल लेना।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अजीतसिंहजी ने टोंक के बारे में सवाल उठाया है। कुछ पालिटिकल कन्ट्रोवर्सी जरूर हैं हमने भेजा भी था। शीघ्र उसका निर्णय लिया जायगा और टोंक में एक डिपो रखा जायगा। टोंक से कहीं बदला नहीं जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इन आब्जेक्टिव कन्डीशन्स के अन्दर, इस आब्जेक्टिव एनेलेसिस के साथ लेखा-जोखा किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा पैसेन्जर टैक्स रोडवेज नहीं दे रही है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं 73-74 तक हम पैसेन्जर टैक्स अदा कर चुके हैं। यह सदन को जानकार अचरज होगा हम एक व्हिकल पर करीब 47-48 हजार रुपया टैक्स का देते हैं-लुबरीकेन्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, पैसेन्जर टैक्स। हमारी परफारमेन्स अच्छी हो रही है। अब हमने 25 पर्सेन्ट का कर दिया है बहुत से वेस्टेड इन्टरेस्ट हैं उनके कारण दिक्कतें आती हैं। पहले 1800 मुकदमें थे आज 200 मुकदमें हैं। हम बहुत गति से बढ़ रहे हैं। शायद कहीं प्रशासन में कुछ कमजोरी हो तो वह भी आगे दूर करेंगे, क्योंकि हमारा केन्सोलिडेटेड साल है। बसेज की स्पेस के लिये निश्चिततौर से इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले दो-तीन महीनों में और अधिक व्यवस्था सुधारने की ओर ध्यान दे रहे हैं। रोडवेज बहुत अच्छा यूनिट है और मैं समझता हूं आपका आशीर्वाद मिलेगा।

श्री मनोहरलाल कोठारी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं उदयपुर से आपने नेशनेलाईजेशन शुरू किया और डेढ़ महीने से गाड़ियां हटा ली गई। आज तक वे गाड़ियां नहीं पहुंची हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सुना नहीं क्या कहा आपने।

श्री मनोहरलाल कोठारी : डेढ़ महीने पहले उदयपुर के कुछ रूट्स नेशनेलाइज किये जिनमें कुछ गाड़ियां लगाई····

श्री मोहनलाल छंगाणी : उदयपुर से ब्यावर·······

श्री मनोहरलाल कोठारी : उदयपुर से ब्यावर, उदयपुर से भीलवाड़ा के रूट्स पर गाड़ियां लगाई थीं और डेढ़ महीने बाद यकायक गायब हो गई। यह एफिसियेन्सी है रोडवेज की ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जिनको कोर्ट्स में आल्टरनेटिव रूट्स दे चुके हैं उन पर हम भी गाड़िया चलायें और वे भी अपनी गाड़ियां चलायें तो इस डीजल की कठिनाई में बड़ी भारी मुश्किल है इसलिये उनको बन्द करना पड़ा है।

श्री केसरीमल: माननीय मंत्री महोदय, मैंने 2-3 मुद्दे उठाये थे। एक तो जिनके मुकदमें निपट गये, उन मजदूरों को अभी लिया नहीं जा रहा है दूसरी बात एक कमेटी····

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपका जो सवाल है बयाना से आने वाले माननीय

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

सदस्य ने कहा रोडवेज का अगर ट्रिब्यूनल में फैसला हो जाय तो उसकी अपील नहीं की जानी चाहिये। यह रोडवेज को कानूनी तो अधिकार है लेकिन इस पर क्या निर्णय लें यह बैठकर विचार करेंगे क्या अपील की जाय या अपील नहीं की जाय। मैं निश्चित-रूप से विचार करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है हाई कोर्ट का तो एक उसी किस्म के केस में डिसिजन हो गया खासतौर से जो दूसरी सर्विसेज से रोडवेज में आये हैं। वह केस कन्टेस्ट हुआ उसमें एक कैलाशचन्द जैन के फेवर में कर दिया, उसको आपने अपाइन्ट कर लिया। इसी तरह के 28-30 केसेज हैं बजाय यह कहें कि इन्डीविज्युअल हाई कोर्ट में जाय तो उसी के बेसिस पर उनका अपाइन्टमेंट कर देना चाहिये। यह हम आपसे कम से कम एसपेक्ट करते हैं। हाई कोर्ट की जो डिसिजन की भावना है उसको आप देख लें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने परसों या दो-तीन रोज पहले बात कही थी। मैंने कहा था मैं विचार करके निर्णय करूंगा लेकिन मैं अभी कुछ कमिटमेंट कर सकूं, इस स्थिति में नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः श्री गफ्फारअली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेन्डमेंट दिया है, वैसे ध्यान आकर्षण के लिये दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप मूव नहीं करना चाहते हैं अमेन्डमेन्ट्स?

खण्डशः विचार के लिये विधेयक को लिया है। आप मूव नहीं करना चाहते हैं?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने इसलिये दिया था....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा सीधा सा प्रश्न है। खण्ड दो में कोई संशोधन रखना चाहते हैं?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप तशरीफ रखिये। देयर इज नो नीड फार एक्सप्लेनेशन।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974 विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड दो विधेयक का अंग स्वीकृत किया गया।

खण्ड 3। श्री गफ्फारअली।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मेरा नजरिया जो कुछ है वह यह है कि जितनी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं-राजस्थान सरकार की उसमें यह होना चाहिये कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सहूलियत जनता को दे सकें वह दी जाय। मैंने यह सुझाव रखा है जितनी फार्मेलिटीज लोगों की आब्जर्व की जाती हैं वे डिफन्क कर दी जाय। उनको यह आप्शन दिया जाय कि आप चलाना चाहते हैं तो आपको देते हैं और न चलायें तो दूसरों को देते हैं लेकिन लीगल इम्प्लीकेशन्स देख लिये जायं। अगर कोई उस किस्म की वाहन न हो और वहां से हटा दी जाय तो उचित नहीं है। वरना मैं इस स्टेज पर मूव नहीं करना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (3) विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड (3) विधेयक का अंग स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (4) विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड (4) विधेयक का अंग स्वीकृत किया गया।

खण्ड 5। श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

(खण्ड 5 विधेयक का अंग स्वीकृत किया गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 और 7 विधेयक के अंग बने ?

(स्वीकृत)

(खण्ड 6 और 7 विधेयक के अंग स्वीकृत किये गये)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

(खण्ड 1. अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि विधेयक के अंग स्वीकृत किये गये)

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाड़ी विधेयक, 1974 को पारित किया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल को पारित करने का यह प्रस्ताव है उसका समर्थन करते हुए मैं समझता हूं कि यह इस सदन में एक ऐतिहासिक कदम है जो हम राष्ट्रीयकरण की दिशा में उठाया जा रहा है। उपाध्यक्ष

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महोदय, इस सदन में कितने ही वर्षों से इस बात के लिए लगातार एजीटेशन किया जाता रहा कि राजस्थान में रोडवेज का राष्ट्रीयकरण पूर्णतया किया जाकर राज्य के आय के श्रोत को बढाया जाये लेकिन किन्हीं न किन्हीं निहित स्वार्थों के कारण जो कि समाज के बाहर मौजूद हैं, जो कि हमारे आफिशियलडम में मौजूद हैं और जो कि मन्त्रिमण्डल और रूलिंग पार्टी में मौजूद हैं उनकी वजह से वह अभी तक नहीं हो पाया था लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह कदम जिसके बारे में सुझाव पहले भी कितनी बार दिये गये लेकिन उसको किन्हीं न किन्हीं वजह से छोड़ दिया गया, उसको टाला दिया गया लेकिन अब की दफा डिटरमिण्ड तरीके से यह कदम उठाया गया है इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो यह कदम जिसका कि आमतौर पर इस सदन में स्वागत किया गया है एक नया अध्याय पब्लिक सेक्टर के अन्दर जोडने की शुरुआत होनी चाहिए। जिस रूप से इस सदन में समर्थन मिल रहा है उसी तरीके से मैं यह समझता हूं कि इस कदम का आम जनता से भी, आम मजदूरों से भी और रोडवेज के कर्मचारियों से भी समर्थन मिलेगा लेकिन एक नया प्रॉजेक्ट, नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। न केवल इस कानून को पास करके बल्कि पब्लिक सैक्टर किस तरीके से मॉडर्न सैक्टर बन सकता है, डामीनेटिंग सेक्टर बन सकता है और उसके अंदर हम वास्तव में जो इसका विरोध करने वाले है जो इसमें हमेशा घाटे की बात करके हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं उनको बता सकते हैं कि कैसे यह बेस्ट मैनेज्ड हो सकता है, कैसे यह प्राफिट गिविंग हो सकता है और कैसे जनता के लिए सबसे ज्यादा सुविधायें देने वाला हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस रूप में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्रीजी इन तीनों दृष्टिकोण से कुछ करने की कोशिश करें कि आम जनता को इसके जरिये अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त हों और जितनी भी आराम-देह जनता के लिए हम कर सकें उतना करें।

नम्बर 2 जो कर्मचारी हैं, आफिसर्स हैं उनका इन्वाल्वमेंट इसके अन्दर इस हद तक हो सके कि वह अपनत्व इसमें महसूस करें। एम्प्लायर्स और एम्पलाइ के जो रिलेशन्स होने चाहिएं पब्लिक सेक्टर में मैं समझता हूं कि मन्त्रीजी को इसके अन्दर एक नया अध्याय की शुरुआत करनी है और उस नये अध्याय की शुरुआत करके न केवल आज डाइरेक्टोरेट में एक नामीनी मजदूरों का बैठकर वह चेन्ज नहीं ला सकता वह नीचे से ऊपर तक हर लेवल पर शाप टू शाप, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हर लेवल पर इक्वल पार्टनर मजदूरों को, आफिसर्स को और आप स्वयं एक दूसरे को मानें और एक दूसरे में म्युचुअल कान्फीडेन्स के साथ आगे बढ़ें। तो मैं यह समझता हूं कि यह रोडवेज कारपोरेशन राजस्थान में एक माडल कारपोरेशन बन सकता है और उसके जरिए हम एक नयी दिशा चारों तरफ दे सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो ब्युरोक्रेटिक टेन्डेन्सी है ड्राइवर की या कन्डक्टर को हिकारत की नजर से देखना या एक गजटेड आफिसर है या हाइएस्ट आफिसर हैं उनमें कितना डिस्टेन्स है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

या लीडर हैं उनमें कितना डिस्टेन्स है वह डिस्टेन्स बिलकुल खतम होना चाहिए। यह महसूस होना चाहिए हर एक को कि जहां कन्डक्टर का काम है वह भी उतना ही इम्पॉरटेन्ट है जो कि मैनेजिंग डाइरेक्टर का है, जो मिनिस्टर का काम है और इस रूप में हर एक की रेस्पान्सीबिलिटी उसके ऊपर डालते हुए, कान्फीडेन्स रखते हुए, एक दूसरे की डिफिकल्टी, एक दूसरे का कोग्रापरेशन लेने का प्रयत्न किया जाये। तो मैं यह समझता हूंकि इस दिशा से हम आगे बढ़ सकते हैं और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आपको पूरे कोग्रापरेशन का इस बात में हाथ बढाता हूं। हमारी यूनियन ए. आइ. टी. यू. सी. हर तरह से कोग्रापरेट करेगी इसको एफीशियेन्ट बनाने में, इसको प्राफिट गिविंग बनाने में और इसको जनता के में सुविधाजनक बनाने में और इसमें हम यह चाहेंगे कि आपका भी एप्रोच, आपके आफिसर्स का एप्रोच इसमें इसी तरीके से हो ताकि हम जिस चीज को चेरिश करते हैं, जिस गोल के लिए हम और आप संघर्ष कर रहे हैं और हम मानते हैं कि आपके सामने भी वही गोल है, आप भी सेबोटेज नहीं करवाना चाहेंगे और आप सिन्सियरली आगे बढवाना चाहेंगे मैं यह निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीयकरण हमारे पड़ौस में गुजरात में सेन्ट परसेन्ट हो गया, हरियाणा में सेन्ट परसेन्ट हो गया तो अगले पांच वर्ष का प्रोग्राम रखा है इसको री-कास्ट करने की कोशिश कीजिए। क्यों नहीं आप इस तरह का कानून लाने की कोशिश करें जिससे तमाम के तमाम रूट्स को एक साथ सारा का सारा नेशनेलाइज़ कर सकें। आप इस बात पर भी विचार करें कि आर्टीकल 31 में जो अमेन्डमेन्ट हुआ है उसमें डिक्लेरेशन देने के बाद कम्पन्सेशन की बात को और कम किया जा सकता है और उस दृष्टिकोण से जो आर्थिक समस्यायें पैदा होती हैं कम्पन्सेशन के रूप में उसके अन्दर नया कानून लाकर उसके बारे में कुछ ठीक कर सकते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपको न केवल मजदूरों का ही कोग्रापरेशन लेना चाहिए बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स से और खासतौर से होम डिपार्टमेंट से भी कोग्रापरेशन लेने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे खेद है उपाध्यक्ष महोदय, बारबार इस सदन के अंदर इस बात को लिया है कि रोडवेज का बस स्टेण्ड होगा उसके बाहर टैक्सीज़ होती हैं और रोडवेज में बैठे हुए लोगों को बाहर की गाड़ियों में खींचकर लाकर बैठाते हैं। कलैण्डसटाइम सर्विसेस चलती हैं जिनको प्रश्रय है और इस रूप में मैं यह समझता हूं कि इस बात की कोशिश कीजिये और मैं समझता हूं कि कानून के अन्दर प्रावधान कीजिये जिससे कि यह कोग्रापरेशन आपको मिल सके। मैं यह चाहता हूं कि उन टैक्सीज को बन्द कराया जाये। पुलिस कुछ नहीं करती है। आज तक हमने और आपने कितनी ही बार कहा है लेकिन सिन्धी कैम्प पर रोडवेज के स्टेण्ड के बिलकुल सामने जो टैक्सीज चलती हैं वह रोडवेज के साथ कम्पीटीशन करते हैं। कहां तक उनका कानूनी स्टेण्ड हैं, कानूनी तरीके से एक भी सवारी नहीं उठा सकते। कान्ट्रैक्ट में पूरी की पूरी गाड़ी को ले जा सकते हैं लेकिन किराया लेकर और आठ, आठ सवारियां जाती हैं वह गैरकानूनी है। मैं समझता हूं कि इस तरीके का नया अध्याय आपको जोड़ना चाहिए।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह जो पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसमें माना है कि डिपार्टमेन्ट इसमें सहयोग नहीं करता और जो नेशनेलाइजेशन है वह कामयाब नहीं होता। आपके सामने ऐसे केसेज आये हैं जहां मजदूरों ने संघर्ष किया है राष्ट्रीयकरण के लिए लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आपका सोया हुआ रहता है। अलवर के अन्दर मुझे याद है पिछला भर्तृहरीजी का मेला था वहां आर. टी. ओ. ने प्राइवेट लोगों को परमिट दे दिये और रोडवेज में ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स जो कि एटक से सम्बन्धित थे उन्होंने आन्दोलन किया, पुलिस आगयी प्राइवेट गाड़ियों को चलवाने के लिए लेकिन उन्होंने फेस करने के लिए कहा और कहा कि गाड़ियां नहीं चलने देंगे और उनके आन्दोलन से प्राइवेट गाड़ियों के परमिट कैंसिल करने पड़े और रोड़वेज की गाड़ियां चलीं। मैं समझता हूं कि यह भी आपके सामने मुश्किल काम है। आपकी पार्टी जिस तरीके की बनी हुई है, जिस तरीके के प्रेशर आते हैं उनको आपको फेस करना पड़ेगा। और यही आपकी परीक्षा होगी और जिस विचार को आप रखते हैं, अब मौका आया है उसको इम्प्लीमेंट करने का तो आप इसमें कितने मजबूत निकलते हैं, किस तरह से जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके दबाव में आयेंगे या उनको एक तरफ छोड़कर आगे बढ़ते हैं या उनके दबाव के नीचे आकर और टायं टायं फिस, किस तरीके से सेबोटेज के नीचे नहीं दब कर आगे बढ़ते हैं, यह आपका भविष्य बताएगा।

अंत में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से इस दिशा में आप आगे बढ़ें और इससे भी ज्यादा कम्प्रीहेंसिव कानून इस हाउस में लायें और इस राष्ट्रीयकरण को पूरा कर सकें। अगर इस तरह का कानून लाओगे तो इस सदन में जहां तक हमारा दल है, आपको पूर्ण समर्थन और सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल मीणा।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय इन बस रूट का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय सरकार की एक ही नीति थी कि कम खर्चे में सुविधापूर्वक लोगों को पहुंचाना और इसीलिए राष्ट्रीयकरण किया गया है और इसमें जो बाधा थी उसको दूर करने के लिए अब यह अमेंडमेंट आया है। सरकार ने कई मार्गों का राष्ट्रीयकरण करके अपने हाथ में लिया है, मैं समझता हूं कि रोडवेज का जो मामला है इसमें अगर कुछ सुधार कर सके तो जिस प्रकार आप दूसरे मामलों में फेल हुए हैं शायद रोडवेज वाले मामले में सरकार फेल होने की स्थिति में नहीं रहेगी। लेकिन इसमें काफी सुधार करने की गुंजाइश है और काफी आवश्यकता है और इसमें अगर जरा भी सतर्कता से काम लें आपके अधिकारी तो यह समस्या का निराकरण हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा कि पांच साल में शत-प्रतिशत राष्ट्रीयकरण करने का आपका प्रोग्राम है और इस साल 25 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप राष्ट्रीयकरण में, किसी भी रूट पर जब ही हाथ डालें जबकि आपके हाथ में पर्याप्त बसें हों। इधर आपने राष्ट्रीयकरण करके अपनी बसें लगा दीं और प्राइवेट बसें जो चलती थी उनको बन्द कर दिया लेकिन

(श्री मीठालाल मीणा)

वहां पर जो पहले दस बसें चलती थीं उनकी जगह आपने दो या तीन बसें लगा दीं, आपकी दो बसें चलती हैं तो उससे यात्रियों को बहुत बड़ी असुविधा होती है। तो इस मामले में मेरा निवेदन है कि या तो आप उस समय जब कि आपके पास पूरी तरह से बसों का इन्तजाम हो जाय, तब हाथ डालें और तब तक या तो प्राइवेट बसों को चलने दिया जावे और आपकी सर्विस भी बराबर चले। जब आपके पास पर्याप्त बसों की व्यवस्था हो जावे तो सम्पूर्ण रूप से चलावें लेकिन जब तक व्यवस्था न हो तब तक प्राइवेट बसों को भी अपने साथ चलने दें ताकि लोगों को असुविधा न हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक पर्याप्त बसों का इन्तजाम न हो तब तक उसमें हाथ न डालें।

दूसरा अभी जैसा माननीय सदस्य केशरीमलजी ने निवेदन किया था कर्मचारियों के मामले में, दिल्ली में जो बस स्टैंड है वहां पर बिल्कुल सुविधा नहीं है। जैसे रेलगाड़ी में व्यवस्था होती है कि रेलगाड़ी पहुंचती है तो उसके ड्राइवर्स कन्डक्टर्स को खाने पीने की, ठहरने की सुविधा रहती है, उसी तरह से आप भी थोड़ा सा खर्चा करके इस ढंग की सुविधा बना सकते हैं और उनको बना बनाया खाना मिल सकता है। उनके सोने की, उनके आराम की व्यवस्था हो जिससे इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोका जा सके। पूरी तरह से आराम कर लें तो उनको परेशानी न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मिनी बसेज के बारे में माननीय सदस्य ने अभी कहा था और मैं भी निवेदन कर दूं कि यह मिनी बसें जो चलाते हैं उसके बारे में आपकी क्या नीति है। मैं निवेदन करूं कि इसमें काफी टैक्स की चोरी होती है और उसमें जहां पांच दस सवारी की जगह होती है उसकी जगह 15-15, 20-20 सवारी ऊपर नीचे भर लेते हैं और उसका पैसेन्जर टैक्स मिला कर टिकट का पैसा वसूल कर लेते हैं लेकिन उसका कितना पैसा जमा कराते हैं इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जितना किराया टैक्स के साथ बनता है, वह किराया वे मुसाफिरों से वसूल करते हैं लेकिन जितनी सवारी ले जाते हैं उसका टैक्स भी जमा कराते हैं या नहीं। तो इन मिनी बसेज के बारे में निश्चित नीति होनी चाहिए। किसी रूट पर कभी परमिट दे देते हैं, कभी किसी रूट पर मिनी बस चला देते हैं, कभी रोडवेज के साथ चलाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि भविष्य में मिनी बसेज के परमिट देने की प्रणाली बिल्कुल बन्द कर दें या इसके बारे में निश्चित धारणा बनायें जिससे आगे जाकर सही हल निकल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो कुछ आपने राष्ट्रीयकरण किया है रूटों का उनके बारे में शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि दौसा--लालसोट होकर उस रूट पर जयपुर से खण्डेला एक रोडवेज की बस चलती थी। किन्हीं कारणवश मुझे मालूम नहीं कि क्या कारण थे लेकिन जयपुर टौंक होकर सवाई माधोपुर तक आपने बस पहुंचा दी, जयपुर--महुवा--मण्डावर--हिण्डौन होते हुए करौली बस पहुंचा दी लेकिन जिस रास्ते से जयपुर--दौसा--लालसोट

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

होकर जो बस रूट था उसको बन्द कर दिया और बन्द करने के बाद अभी तक इस

(श्री मीठालाल मीणा)

रूट पर व्यवस्था नहीं है। दूसरा निवेदन यह है कि जब जयपुर-सवाई माधोपुर बस लालसोट सिकराय होकर चलती थी, जिसमें प्रमुख कस्बा लालसोट दौसा है, जो पहले बस चला करती थी उसको आपने बन्द कर दिया है। तो जो यह दौसा से गंगापुर मेन रोड है, करौली, सवाई माधोपुर जो बस पहुंचाई है उसमें यह सड़क सबसे अच्छी सड़क है, लेकिन उसके बारे में न मालूम वह बस वालों तक आपकी अप्रोच पहुंच गई या कोई अन्य मामला हुआ, अभी तक इस बारे में आपने विचार नहीं किया है। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप इस बारे में विचार करके जो बस बन्द कर दी है लालसोट तक उसको चलाने के लिए रोडवेज की बस जो पहले चलती थी, उसको चलाने के बारे में निश्चितरूप से घोषणा करें।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, शिकायतों के सवाल पर और कन्डक्टर्स के व्यवहार के बारे में दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं शिकायत की बात नहीं करना चाहता लेकिन एक तो यह है कि विधायकों के साथ ऐसा होता है कि जब बुकिंग की खिड़की पर जाते हैं तो कह देते हैं कि टिकट बस में मिल जाएगा और बस में कहते हैं कि खिड़की पर मिल जाएगा। आखिर इसका प्रावधान क्या है। कोई स्थान टिकट के लिए आप निश्चित बना दीजिए। या तो रिजर्वेशन रखिए या टिकट उचित स्थान से मिल जाय जिससे उनको दिक्कत न हो।

रेलगाड़ी में मुआवजे के बारे में केन्द्र सरकार ने जैसा निर्णय किया है इसी ढंग से जो रोडवेज की बसें हैं, उनमें भी किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उनको क्षतिपूर्ति मुआवजा किस तरह से दिया जाय उसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। इसमें किसी तरह से कोई प्रावधान लाकर मुआवजे के बारे में सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, तात्कालीन मुख्य मंत्री श्री बरकत साहब ने भारत-पाक युद्ध के समय घोषणा की थी कि जो पाक युद्ध में अपाहिज हो गए, घायल सैनिक हो गए, उनके घर वालों को रोडवेज की बस में फ्री यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस ढंग की घोषणा की थी उस समय लेकिन आज तक रोडवेज ने उस पर अमल नहीं किया है। उसके बारे में मेरा निवेदन है कि उस घोषणा का क्या हुआ। क्या उनको यह सुविधा दी जाती है। मेरी जानकारी जहां तक है इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में इन बसेज के सुधार वगैरह के बारे में कई माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव दिए हैं। मेरा सुझाव है कि जो आपके रोडवेज के स्टेशन हैं, आपके जयपुर में घाट दरवाजा का मोटर स्टेंड है या दूसरे बस स्टेंड हैं उनकी क्या दशा है। किसी भी मोटर स्टेंड पर आपके किसी मामले में कोई सुविधा नहीं है। जयपुर से लेकर दौसा तक किसी भी मोटर स्टेंड पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, न पेशाब की व्यवस्था है, न टट्टी की व्यवस्था है। इसके अलावा बस्सी, कानोता वगैरा में आपने रोडवेज के स्टेशन बनाए हैं। इन रोडवेज के स्टेशनों पर चद्दरें वगैरह हैं या तो किसी अधिकारी ने आपको गलत

(श्री मीठालाल मीणा)

सलाह दी है या किसी तरह से गलत बना दिए हैं या किसी कारण से……

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इन स्टेशनों पर बसें नहीं रुक रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय……

श्री उपाध्यक्ष : यह स्कोप नहीं है बिल का।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री मीठालाल : मेरा निवेदन है कि इन बस स्टेशनों पर आप पूरी सुविधा दें और पीने के पानी की व्यवस्था करें। अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं है इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद। और दौसा गंगापुर वगैरह रूट हैं और जयपुर खण्डार लालसोट रूट हैं, इनके बारे में आप निश्चित घोषणा करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय……

श्री उपाध्यक्ष : जनरल करेक्टर आफ दी बिल के बारे में कह रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसी के बारे में जो बातें रह गई हैं……

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दो दफा तो इस बिल पर बोल चुके हैं। यह तो कोई सीमा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो स्टेमीना आफ दी ओनरेबल मेम्बर पर डिपेंड करता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह तृतीय वाचन का समय है और सरकार ने विचार कर लिया है कि बिल को पास करना ही है। निवेदन मेरा करना यह है कि अब सरकार यह विचार करे कि समर्थन तो हो गया, कई महानुभावों ने समर्थन किया, मेरा निवेदन करना यह है कि जिस प्रकार सरकार ने अनाज का राष्ट्रीयकरण किया।……

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप पहले भी कई बार कह चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बसेज नहीं है, डीजल नहीं है। तब फिर आपको सरकारीकरण के लिये जल्दी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जनता को कठिनाई होगी। आपको प्राइवेट बस वालों और रोडवेज में प्रतिस्पर्धा कराना चाहिये। पिछली बार मंगलबिहारी जी का एक आर्टिकल निकला था……

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी भी वे ही हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब वे अध्यक्ष हो गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पद बदला है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आखिरकार राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। मनःस्थिति बनी है या नहीं बनी है। इस प्रकार का आर्टिकल या और मैं समझता हूं कि सरकार की मनःस्थिति बनी है और नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बनी है तो सरकार को जल्दी नहीं करना चाहिये। अन्यथा जो व्यवस्था है उसको भी आप ठप्प कर देंगे। विधान सभा का ही उदाहरण ले लीजिये। यहां की टेबुल पर लिखा हुआ एक तख्ती है रोडवेज की ओर से यहां पर एम. एल. एज. द्वारा बुकिंग कराया जा सकता है, वहां पर यह पट्ट पड़ा हुआ है और कोई क्लर्क वहां पर बैठा हुआ नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई आदमी वहां पर नहीं बैठा हुआ है। यह दुर्व्यवस्था का नमूना विधान सभा का मैंने बताया है मैं समझता हूं कि आगामी आने वाले समय में जब रोडवेज का आधिपत्य हो जावेगा, राष्ट्रीयकरण हो जायेगा तब जाकर के क्या हालत होगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर में यह घोषणा की गयी श्री जवानों के परिवारों को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जायेगी। यह घोषणा राजस्थान के भूतपूर्व स्वर्गीय मुख्य मंत्री बरकतुल्ला खां साहब, और वर्तमान में मैसूर के राज्यपाल मोहनलाल सुखाड़िया की मौजूदगी में उस समय की गयी थी जब नये भवन का शिलान्यास हुआ था और रोडवेज के चेयरमैन श्री ज्वाला-प्रसाद शर्मा ने मुख्य मंत्री की ओर से की थी।

निःशुल्क सुविधा प्रदान करने की यह घोषणा केवल घोषणा मात्र ही रह गयी है। यह कोई साधारण आदमी नहीं है। पत्रकारों को थोड़ी बहुत सुविधा मिली है, वह अब मिली है। जो साप्ताहिक पत्र हैं, रजिस्टर्ड हैं उन सब को यह सुविधा मिलनी चाहिये। परन्तु जवानों के प्रति यह आपकी घोषणा है। जो कि भारत पाक युद्ध में शहीद हुए हैं। यह एक गम्भीर प्रश्न है। उनको सुविधा देने की घोषणा आपने करदी और वह सुविधा उनको नहीं दी तो यह जवानों का अपमान है। बल्कि भारत की सम्पूर्ण जनता का अपमान है। मंत्री महोदय, जब इसका जवाब दें तो आखिर इस सम्बन्ध में भी घोषणा करें। पत्रकारों को सुविधा देने के बारे में, जवानों के परिवारों को सुविधा देने के बारे में पहले घोषणा की गयी थी। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में आप घोषणा करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बोल रहा हूं आप सुनिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट मुझे और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज (शोरगुल) माननीय सदस्य, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है 3/4 माननीय सदस्यों को एक साथ बोलने का मौका दे सकूं। आप बिराजिये (अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)....

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आप बिराजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई स्थानों पर प्राइवेट गाड़ियां चलाने को तैयार हैं। उनको रूट नहीं मिलता। वे तैयार हैं रूट लेने के लिये। इसी प्रकार से गाड़ियां राजस्थान से जाती हैं। वे नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लेकर जाती है। दूसरी स्टेट में जाती है। वहां से आती है। राजस्थान सरकार उसको नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट देगी परन्तु साथ ही वह उससे बाकी रकम भी वसूल करती है। आपने यह व्यवस्था कर दी है। पहले एक ही स्टेट ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी थी। उसमें पांच रीजन आ जाते थे। अब स्टेट ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी को भंग कर दिया है। अब नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट लेना है तो उसको सब के पास जाना होगा। उसको पांचों रीजन में भेजना पड़ेगा....

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पहले भी निवेदन किया था जनरल केरेक्टर के ऊपर बोलें। इन्डिविड्युल इन्स्टान्स न देवें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कई बार इन बसेज को यू. पी., पंजाब, हरियाणा जाना पड़ता है तो उनको कठिनाई होती है। इसी प्रकार से के. एम. जोशी यहां पर बैठे हैं। मुख्य मंत्री जोशी हैं, डाइरेक्टर जोशी है। ये सब मिलकर वहां पर गड़बड़ी करते हैं। काफी साजिश होती है। कई बार मैंने स्वयं ने शिकायतें की हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सारे विभाग में घोटाला है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए जो काम आपको करना है, उस पर विचार करना चाहिये। बिल पास करने से पहले, जो पहले वाला काम है उसको आप संभाल यही मेरा निवेदन है। इस क्षेत्र में सरकार प्रतिस्पर्धा की नीति अपनावें। प्राईवेट बस और रोडवेज की बस में कम्पीटिशन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदाराम।

श्री बिरदाराम (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जालोर से बस छूटती है तो वह आहोर जाकर रुकती है। आहोर से ऐलाना, जवाई बांध जाती है। मुसाफिरों को परेशानी होती है। सीधी बस होना चाहिये। रामदेवरा जाते हैं तो पोकरण उतार देती है। पोकरण से फिर दूसरी गाड़ियां जाती हैं। पोकरण से रोडवेज रामदेवरा को जाती है। इससे हैरानी हो जाती है। सामान बदलना पड़ता है। रात भर रहना पड़ता है। सर्दी में मुसाफिरों को दिक्कत होती है। मुसाफिर रामदेवरा तक जाते हैं। वहां तक बस जानी चाहिये। हमारा यह रास्ता सीधा है। जालोर से भीनमाल, सांचोर यह सीधी बस होनी चाहिये। रात के टाइम में बस नहीं है। गर्मी में बारह घंटे बस चलती है। मुसाफिरी नहीं की जा सकती है। रात को भी बस चलाना चाहिये। जालोर से भीनमाल भीनमाल से सांचोर और जोधपुर। यह बस चाहते हैं। जोधपुर से सीधी बस जालोर के लिये चाहते हैं। भीनमाल अच्छी मंडी है। अच्छा कस्बा है। वहां पर सीधी बस होने से आपको भी फायदा होगा, मुसाफिरों को भी लाभ होगा। इससे लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी।

प्राइवेट बस आपने बंद कर दी है। उनके ड्राइवर बेकार हो गये हैं। इनको ड्राइवरों को लगाने की सरकार को व्यवस्था करना चाहिये। उनकी तो रोजी रोटी छिन

(श्री बिरदाराम)

गयी। वे क्या करेंगे। आन्दोलन करेंगे। बस के आगे खड़े हो जायेंगे। ड्राइवर लोग हैं। उनको आप कहीं न कहीं लगाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान मोटर गाड़ी संशोधन विधेयक सदन में है, हाउस में है, उसका मैं स्वागत करता हूं। राष्ट्रीयकरण से आम जनता को फायदा मिलने वाला है। सरकार की राजस्व बढने वाली है। उस ओर यह एक कदम है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे कानून बनते हैं उनका पालन नहीं होता है। बस के रोड टेक्स की चोरी होती है। राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। वहां पर, बांसवाड़ा में रेल की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल आवागमन के लिये बस ही एक मात्र साधन है। आम जनता को असुविधा है। वहां पर अधिकतर प्राइवेट बसें चल रही हैं और ये प्राइवेट बस वाले सरकार के टेक्स की चोरियां करते हैं। एक रूट की गाड़ी को दूसरे रूट पर चलाते हैं। इस पर सरकार की ओर से उनसे 22/- रुपया प्रतिदिन वसूल किया जाता है लेकिन यातायात विभाग की मिलीभगत से टेक्स की चोरी होती है और कोई कार्यवाही नहीं होती है। एक मोटर मालिक कानून का उल्लंघन करता है। हजारों रुपयों का प्रतिदिन वह सरकार का नुकसान करता है।

यह मोटर एसोसियेशन, बांसवाड़ा के रेकार्ड को देखने से स्पष्ट हो जायगा, और इसके बारे में 3-4 दफा मैंने माननीय मंत्रीजी को लेटर भी दिये हैं लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई और लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। बांसवाड़े में केवल एक मोटर मालिक है जिसका मैं हाउस में नाम बता देना चाहता हूं, मणीलाल सुनार। वह एक ऐसा सेठ है कि वहां से 3 वर्षों में 60 बार इसके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। मोटर एसोसियेशन, बांसवाड़े के रेकार्ड से इसकी पुष्टि हो जाती है। इस मोटर मालिक के पास 10-12 गाडियां हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं कुछ बता देना चाहता हूं इस हाउस को उनके नम्बर आर. जे. वाई. 651, आर. जे. वाई. 652, आर. जे. वाई. 400, आर. जे. वाई. 502 आर. जे. वाई. 2772, आर. जे. वाई. 814, आर. जे. वाई. 482 आदि, आदि। इन गाड़ियों ने नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच होना चाहिए ताकि सरकार को ज्यादा से ज्यादा फायदा होवे।

वहां पर रोड टेक्स की चोरी भी होती है। नियम (1) के बारे में बता देना चाहता हूं कि जिस रूट पर गाड़ी जाती है और तीन बार कोई उसका चालान हो जाता है तो उसकी परमिट केन्सिल हो जाती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। न इन्सपेक्टर देखता है और न कोई जांच होती है। आज वह प्राइवेट बस का मालिक इसका फायदा उठा रहा है और सरकार के कोष में रुपयों का नुकशान हो रहा है। इसलिए आपके द्वारा मैं सरकार से मांग करता हूं

(श्री नाथूराम)

कि इतनी बार नियमों का उल्लंघन करने के कारण उसका परमिट कैन्सिल करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने निर्णय लेकर भी राज्य सरकार को भेजा है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। शायद बांसवाड़े पर नियम लागू नहीं होते हों। मगर सरकार की ऐसी मन्शा नहीं है। यह मैं नहीं कह सकता। नियम सब पर लागू होने चाहिएं। प्राइवेट बस मालिक को कमाने के लिए सुविधा दी गई है। उस मोटर मालिक का जनता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। बस वाला यात्री कर समय पर यात्रियों से वसूल कर लेता है लेकिन सरकार का उसमें लाखों रुपया टैक्स का बकाया है। टैक्स जमा करने में कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि वहां पर ट्रान्सपोर्ट के कर्मचारी रहते हैं, लेकिन वे मांगते नहीं हैं। उनको इनाम मिल जाता है और उनकी इच्छानुसार उनको सुविधाएं मिल जाती हैं। यातायात विभाग में इस प्रकार से भ्रष्टाचार को वहां की जनता बरदाश्त नहीं कर सकती है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर एक भी सुविधा नहीं है वहां पर इस यातायात की सुविधा तो दें। वहां पर रोडवेज की गाड़ियां बढ़ाना चाहिए। प्राइवेट बस मालिकों की रूट की गाड़ियां 6-6 महीनों तक यात्रा पर चली जाती हैं और सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती हैं। कई दफा लैटर लिखकर दिये और कलेक्टर से भी मिला। एस. डी. ओ. बांसवाड़े के पास लैटर पड़ा है। उसको कोई देखता तक नहीं है। सरकार का नुक्सान करने वाले आपके अधिकारी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर उनको यातायात की सुविधाएं करना चाहिए और भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए मैं यह भी निवेदन करता हूं कि जिस कर्मचारी की गलती है उनकी स्पेशल जांच करना चाहिए ताकि सरकार का नुकसान नहीं हो और लोगों को फायदा मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रीयकरण किया लेकिन लोगों को एक भी सुविधा नहीं है। वहां पर ज्यादे से ज्यादा गाड़ियां बढ़ाना चाहिए। रतलाम से बांसवाड़ा गाड़ी जाती है तो उसकी ऐसी दशा है कि जो लोग ट्रेन से आते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती है और बस पहले से ही भर जाती है। दूसरी बस जो इन्दौर से आती है वह भी भरी आती है और दोपहर के टाइम पर लोगों को जगह नहीं मिलती है। वहां पर माही सागर का काम चल रहा है। माही डैम पर कई कर्मचारी बाहर के काम पर लगे हुए हैं. और कोई कर्मचारी ड्यूटी पर जाय और उसको जगह बस में नहीं मिलती है तो वह ड्यूटी से वंचित रह जाता है। इसलिए मैं आपके द्वारा इस सरकार से मांग करता हूं कि आप रतलाम से बांसवाड़ा और रोडवेज की बसें बढ़ायें प्राइवेट बसों को परमिट न देकर। और शाम के लिए बांसवाड़े से रतलाम के लिए भी गाड़ी बढ़ाना चाहिए ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार से एक बस जयपुर से बांसवाड़े के लिए सुबह जाती है। वह वहां पर शाम को पहुंचती है। बांसवाड़े से इधर आने वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बांस-

Page No 148

(148)

(श्री नाथूराम)

वाड़े से भी जयपुर के लिए रोडवेज की गाड़ियां चलना चाहिए ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके और लोग शाम से बांसवाड़े से रवाना होकर सुबह तक यहां पहुंच सकें।

मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि डूंगरपुर में प्राइवेट बसें हैं वहां पर रोडवेज की बसें बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से गुजरात की तरफ जाने वाली जो रूट्स हैं और जहां पर डामर की रोड्स बन गई हैं, जहां पर रेलवे की सुविधा नहीं है वहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज की बसें बढ़ाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़े से गलियाकोट, बांसवाड़े से डूंगरपुर तक प्राइवेट बसें चलती हैं वहां पर रोडवेज की बसें चलाने की मांग करता हूं, और आपके द्वारा सरकार का निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर से बांसवाड़े की जो बसें चलती हैं वह डूंगरपुर आसपुर में नहीं ठहरती हैं। लोगों को दिक्कत पड़ती है क्योंकि बस खड़ी नहीं होती है। यह रोडवेज के कर्मचारियों की गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है तो क्या है। आसपुर में बस स्टेण्ड होना चाहिए। बांसवाड़े में एक भी बस स्टेण्ड नहीं रखा है तो गाड़ी चलाने से फायदा क्या है। गरीब लोगों को पेशी के लिए जाना पड़ता है उदयपुर जाना पड़ता है तो उनको यातायात की सुविधा नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बालोदा जो गढ़ा तहसील का है वहां बस स्टेण्ड होना चाहिए ताकि गढ़ी तहसील, प्रतापगढ़ और बालोदा के क्षेत्र के लोग जयपुर आयें तो बस को बालोदा पर रोकना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ताकि उनको यह सुविधा मिले। बस स्टेण्ड नहीं होगा तो गाड़ी खड़ी नहीं होगी और लोगों के लिए असुविधा होगी बालोदा पर बस स्टेण्ड होना चाहिए।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

आप मंत्री जी को सुन लें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राष्ट्रीयकरण के अन्दर इसकी जो प्रगति हुई है वह सही तौर से जो नई नीतियां आई हैं कांग्रेस की और जब यहां पर पिछले साल जब कि आज के मुख्य मंत्री यातायात मंत्री थे उस वक्त हमने प्रेस किया था और हमारे इन्सिसटेन्स पर जोशी जी ने कहा था कि इस साल 25 पर्सेन्ट रूट्स का राष्ट्रीयकरण हो जायगा। यह सही बात है कि यह हमारी नीतियों की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए हम लगातार लड़ते आ रहे हैं। यह राष्ट्रीयकरण सिर्फ सरकारीकरण नहीं है जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं। राष्ट्रीयकरण का सामाजिक अर्थ दूसरा है और इसको मद्देनजर रखते हुए लगातार हमने इस दिशा की ओर से प्रयत्न किया है और हमारी नीतियों के कारण बड़ी सफलता प्राप्त की है ...

श्री रामकिशन : भरतपुर से कौन आता है आपको मालूम है ? किस ने कहा

(श्री रामकिशन)

है ? आपको तो जा सामने दिख गया उसी के लिए कह दिया। मैंने नहीं कहा है। मैंने तो समर्थन किया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपने समर्थन तो किया है लेकिन आपने यह कहा कि सरकारीकरण न रह जाय यह राष्ट्रीयकरण।

श्री रामकिशन : मैंने नहीं कहा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह सही है कि जिस तरह की नीतियों के हिसाब से संगठन होना चाहिए और जो रफ्तार होना चाहिए और मैनेजमेंट जिस तरह का होना चाहिए उसमें कई खामियां रहीं हैं। उन खामियों को निश्चिततौर से दूर करें। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो पंचवर्षीय योजना के अन्दर पूरे राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य है। यह उसमें पूरा होगा। इसके साथ साथ ही अगर हमारी वित्तीय स्थिति पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों से पहले अच्छी हो गई तो इस रफ्तार को और तेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य रोडवेज की सुविधा राजस्थान के हर कोने में पहुंचा पायें और हर गांव वाले यह जवान से कह सकें कि हमारे यहां पर रोडवेज की बस आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सवाल उठा था मिनी बस के बारे में तो मैं कहना चाहता हूं कि मिनी बसों को आगे से परमिट नहीं दे रहे हैं।

दूसरा सवाल उठाया था माननीय सदस्य बिरदारामजी ने जालोर के बारे में तो जालोर और फालना के कोआर्डिनेशन की बात चल रही है और स्कीम भी चल रही है और ज्योंही तय हो जायगा तो अमल में स्कीम ले ली जायगी।

श्री मीठालाल : खण्डार वाली बस जो आपने बन्द कर दी है रोडवेज की उसको तो चालू कर दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : डिटेल मेरे पास नहीं है। आप प्रस्ताव लिखकर देंगे तो उस पर विचार करूंगा।

धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रात्रि सेवा के लिए कहा। तो हमने लिखकर प्रस्ताव भेजा है और यू. पी. वाले क्या जवाब देते हैं उस पर मुनस्सर करेगा।

राजस्थान विद्युत मण्डल के वार्षिक विवरण (आय-व्ययक), 1974-75 का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिये, माननीय सदस्य। प्रश्न यह है कि······

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जवानों के बारे में तो···

श्री मोहनलाल छंगाणी : वहां की सरकार का आश्वासन मिल जाये तो हम उत्तर दे सकेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जवानों पर तो उदारता का व्यवहार रखो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत मण्डल का वार्षिक विवरण (आय-व्ययक) 1974-75 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामकिशन : बहस तो कराते नहीं हो। रखने से क्या फायदा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खाद्यमन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, उस चर्चा को कल के लिए रख दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : यहां कहना चाहिए था। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 11 अप्रेल, 1974 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6 बजकर 55 मिनट पर वृहस्पतिवार, दिनांक 11 अप्रेल, 1974 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट I

(तारांकित प्रश्न सं. 783 की सूची)

अतिवृष्टि से क्षति ग्रस्त 80 बांधों की सूची प्रश्न वास्ते

क्र. सं.	नाम बांध	मरम्मत के लिये आंकी गई अनुमानित राशि	सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृत की गई राशि
1	2	3	4
1.	जोगडावास बांध व नहर	57,000/-	57,000/-
2.	राजपुरा बांध व नहर	37,000/-	37,000/-
3.	सादड़ी बांध व नहरें	160,000/-	160,000/-
4.	सेली की नाल बांध व नहर	39,000/-	39,000/-
5.	गुड़ा गोपीनाथ बांध व नहर	21,000/-	21,000/-
6.	काना बांध व नहरें	30,000/-	30,000/-
7.	मुथाना बांध व नहरें	37,000/-	37,000/-
8.	जवांई बांध व नहरें	976,705/-	800,000/-
9.	दांतीवाड़ा बांध व नहरें	78,000/-	78,000/-
10.	लाटारा बांध व नहर	26,000/-	26,000/-
11.	फूटेलाव बांध व नहर	5,000/-	5,000/-
12.	मीठड़ी बांध व नहरें	92,000/-	92,000/-
13.	चौपड़ा बांध व नहरें	38,000/-	38,000/-
14.	रायपुरलूनी बांध व नहर	85,000/-	85,000/-
15.	खीवान्दी बांकली बांध व नहरें	250,000/-	250,000/-
16.	डीगोर बांध व नहर	36,000/-	36,000/-
17.	सारन बांध व नहर	19,000/-	19,000/-
18.	उंगटी बांध व नहर	21,000/-	21,000/-
19.	बानियावास बांध व नहर	27,000/-	27,000/-
20.	शिवनाथ सागर बांध	32,000/-	32,000/-
21.	मगर तालाब नहर	5,000/-	5,000/-
22.	कोलर नहर	5,000/-	5,000/-
23.	हेमावास नहरें	32,000/-	32,000/-
24.	हारडा नहरें	27,000/-	27,000/-
25.	माली प्रोटेक्शन	200,000/-	200,000/-
26.	बाली प्रोटेक्शन	100,000/-	100,000/-

1	2	3	4
27.	गिरोलिया टैंक	295,000/-	276,000/-
28.	हेमावास डैम	231,000/-	55,000/-
29.	इंडला प्रोटेक्शन वर्क	100,000/-	—
30.	केसूली डैम	55,600/-	45,600/-
31.	गोराधारा डैम	30,500/-	30,000/-
32.	बोकी का बाला	8,300/-	8,400/-
33.	सोनगीरी का नाका	14,800/-	—
34.	कानूजा ऐनीकट	95,500/-	10,1300/-
35.	फूटिया ऐनीकट	30,000/-	—
36.	तखतगढ़ टैंक	18,000/-	—
37.	चांदावाल खडीन	10,000/-	10,000/-
38.	खारड़ा डैम और कैनाल	88,000/-	88,000/-
39.	बैंद टैंक	80,500/-	—
40.	गुन्डोज टैंक	25,000/-	23,500/-
41.	इन्डला टैंक	35,000/-	50,000/-
42.	राजकीयावास टैंक	25,000/-	24,950/-
43.	मानपुर	72,800/-	22,300/-
44.	केशरपुरा	—	24,550/-
45.	शासन जिलालाव	—	20,000/-
46.	बिलपना	—	11,000/-
47.	टिकली नाका	–	13,400/-
48.	मालनू गांव ऐनीकट	—	—
49.	बाबागांव प्रोटेक्शन वर्क	30,000/-	—
50.	गुडा सोहनगीरी का घोरा	15,000/-	—
51.	डीगाई का घोरा	25,000/-	—
52.	बसन्ता फ्लड प्रोटेक्शन वर्क	50,000/-	—
53.	राखाना घोरा	15,000/-	10,000/-
54.	उमकाली का घोरा	10,000/-	21,900/-
55.	कोयाल बाग ऐनीकट	4,000/-	14,000/-
56.	कुरन ऐनीकट	6,000/-	26,000/-
57.	पातूडिया ऐनीकट	10,000/-	9,500/-
58.	लालराई	10,000/-	11,500/-
59.	बेलार	8,000/-	—

1	2	3	4
60.	भादा टैंक	3,600/-	3,600/-
61.	उंडियावाला	44,600/-	—
62.	लूनियावास	10,000/-	10,500/-
63.	रोपरा वास	9,000/-	12,000/-
64.	गाडवाल की नाल	25,000/-	35,000/-
65.	गुड़ा केसर सिंह	10,000/-	—
66.	जोरकी नाड़ी (धामली)	6,000/-	—
67.	नावादान	20,000/-	—
68.	जीजोरली	10,000/-	—
69.	कोटारिया	10,000/-	15,000/-
70.	पानावाला (कुरकी)	15,000/-	—
71.	भक्तावरपुरा	20,000/-	10,000/-
72.	दीपावास कैनाल	18,000/-	—
73.	सालनाड़ी	15,000/-	10,000/-
74.	कालाली फीडर	20,000/-	20,000/-
75.	जोड़का नाका	10,000/-	—
76.	गोलची दांती	15,000/-	14,000/-
77.	काली पट्ठी	15,000/-	18,000/-
78.	केरिया नाका	10,000/-	11,000/-
79.	कांकरिया नाका	10,000/-	8,000/-
80.	जींजाश्यामपुर की रपट	10,000/-	14,500/-

परिशिष्ट-2

(ता० प्र० सं० 786 की सूची)

परिशिष्ट "क"

रोहतास इन्डस्ट्रीज को दिये ऋण की शर्तें

1. कच्चे माल, स्टॉक इन ट्रेड, अनिर्मित और तैयार माल के अतिरिक्त वनस्पति प्लान्ट की वर्तमान एवं भावी समस्त सम्पत्ति का प्रथम पंजीकृत बन्धक (मोर्टगेज)

2. मार्जिन 40%

3. ऋण की अवधि 10 वर्ष

4. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत कम्पनी के दो संचालकों द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान की गारन्टी

5. ऋण पर ब्याज प्रचलित बैंक दर से 4% अधिक देय होगा। यदि किश्तों का भुगतान नियमानुसार समय पर होता रहे तो आधा प्रतिशत की छूट (रिबेट) मिल सकेगी, किन्तु ब्याज की दर 8½% प्रतिवर्ष से कम नहीं होगी। यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 6½% प्रतिवर्ष की रियायती दर से पुर्नवित्त उपलब्ध होगा और कम्पनी द्वारा भुगतान समय पर होता रहे तो 8½% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करेगा।

6. निगम को बन्धक की गई समस्त अचल सम्पत्ति का बीमा ऋण वितरण से पूर्व कराना होगा 50% बीमा, जीवन बीमा निगम से कराया जाएगा।

7. प्रतिभूति के लिए प्रस्तुत की गई अचल सम्पति का मूल्यांकन ऋण वितरण से पूर्व निगम के मूल्य निर्धारक (एसेसर्स) के द्वारा किया जायेगा,

8. ऋण वितरण से पूर्व निगम के विधि परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित कारखाने की भूमि पर स्वामित्व के दस्तावेजों की जांच की जाएगी

9. जयपुर में कम्पनी की सम्पत्ति को ऋण-पत्र धारियों के प्रथम प्रभार से मुक्त कराया जाए और इस संबंध में निगम के विधि परामर्शदाता के सन्तोष हेतु कम्पनी द्वारा आवश्यक विधि विधेयक औपचारिकताएं सम्पन्न कर ली जाए

10. मशीनरी के प्रदायकों और कम्पनी के मध्य होने वाले समझौते की जांच वितरण से पूर्व निगम के विधि परामर्शदाता द्वारा की जाएगी।

11. कम्पनी को आवश्यक मात्रा में विद्युत् प्रदाय करने विषयक राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का एक आश्वासन-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

12. ऋण की शर्तें जो कि कम्पनी के प्रतिनिधियों और निगम के प्रबन्ध संचालक के मध्य वैयक्तिक वार्ता के बाद निर्धारित होगी वे ऋणी संस्थान को मान्य होगी ।

परिशिष्ट "ख"

संचालकों की सूची

1. श्री शान्ति प्रसाद जैन, चेयरमैन, टाइम्स हाउस, 7—बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 1
2. श्री मोहनलाल जालान, 34, चौरंगी, कलकत्ता—16
3. श्री सुकुमल कान्ति घोष, 14, आनन्द चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता—13
4. श्री नन्दलाल पोद्दार, 135, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता—1
5. श्री ई० आर० मेयर, 12, मेफेयर रोड, कलकत्ता—19

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण संघ, अलवर को दी गई राशि

787. श्री हरिकिशन (राजगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले पांच साल में कितनी कितनी धनराशि अलवर समाज कल्याण संघ को खर्चे के लिए दी गई है और उसका किस किस मद पर कितना कितना खर्च किया गया ?

(2) अलवर समाज कल्याण संघ के कितने सेन्टर है और कितने ग्राम सेविका व बाल सेविका नौकर है और प्रत्येक को कितना मासिक वेतन दिया जाता है और उनका कुल खर्चा कितना हुआ है ? क्या कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा रहा है ?

(3) क्या नियमानुसार संघ की संचालन कमेटी बनाना आवश्यक है ? यदि हां, तो अलवर संघ के कौन कौन पदाधिकारी सदस्य हैं और इसका निर्माण कब हुआ ?

(4) क्या राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों व निरीक्षकों ने पिछले 5 साल में अलवर संघ का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) क्या सरकार अब इस संघ का निरीक्षण कराने का कष्ट करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड द्वारा गत पांच वर्षों में अलवर समाज कल्याण संघ शाखा को दी गई धनराशि, एवं अलवर समाज कल्याण संघ शाखा द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) अलवर समाज कल्याण संघ द्वारा पांच केन्द्र चलाये जा रहे हैं । इन केन्द्रों पर पांच ग्राम सेविकाएं एवं पांच उद्योग शिक्षिकाएं कार्य करती हैं । संघ द्वारा अप्रशिक्षित ग्राम सेविका को 85 रुपया तथा अप्रशिक्षित उद्योग शिक्षिका को 60) रुपया प्रति माह से वेतन दिया जाता है । प्रशिक्षित सेविकाओं के लिए 60–3–90–4–130 की वेतन शृंखला निर्धारित है । कर्मचारियों को वेतन भुगतान मार्च 74 तक का कर दिया गया हैं ।

(3) जी हां । कमेटी का गठन संघ के आरम्भ होने की तिथि से ही किया गया हैं । संघ के पदाधिकारी निम्नलिखित हैः–

1. सुश्री उमा माथुर	अध्यक्षा
2. श्री पृथ्वी चन्द	कोषाध्यक्ष
3. श्री रघुवीर सिंह	सदस्य
4. श्री रामजीलाल शर्मा	,,
5. श्रीमती जामवती देवी	,,
6. श्री बने सिंह	,,

(4) जी हां । सदस्यों एवं निरीक्षकों द्वारा दिये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(समाज कल्याण मंत्री)

(5) संघ का निरीक्षण समय समय पर बोर्ड के सदस्यों व निरीक्षकों द्वारा किया जाता रहा है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में सीमेंट का उत्पादन

788. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ)
सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव, (आमेर)
श्री भीमसेन, (लूणकरणसर)
श्री सहदेव शर्मा, (जमवारामगढ़)
श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी (बयाना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सीमेंट का मासिक एवं वार्षिक उत्पादन क्या और कितना है? इस सीमेंट के उत्पादन का वितरण प्रदेश में कितना 2 और कब 2 हुआ तथा प्रदेश से बाहर कब 2 और कितना भेजा गया है? फैक्ट्रीवाइज एवं वर्षवाइज पिछले 5 साल की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा इन फैक्ट्रियों को रियायती दर पर भूमि, पानी, विद्युत्, टैक्स एवं वित्तीय सुविधाय दी गई हैं, जिसका वित्तीय भार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष राजस्थान की जनता को वहन करना पड़ता है? यदि हां, तो फिर राज्य की जनता को कूप निर्माण एवं विकास आदि कार्यों हेतु सीमेंट की उपलब्धि क्यों नहीं होती है?

(स्थगित किया गया)

छीतोली बांध

789. श्री सुरेश चन्द्र (कोटपुतली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छीतोली बांध, तहसील बैराठ की नहर जयसिंहपुरा ठीकरिया व तुलसीपुरा तक काफी रेतीली है?

(1) क्या यह सही है कि उपरोक्त नहर रेतीली होने के कारण इसका काफी पानी बेकार हो जाता है और किसानों में पानी का झगड़ा रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार नहर को पक्का बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नहर के अत्यधिक रेतीली भूमि में से गुजरने के कारण कुछ पानी सोख में चला जाता है जिससे सिंचाई में मिलने वाले पानी में कुछ कमी आ जाती है। इस नहर को पक्का करना विचाराधीन है।

जिला बोर्ड के वैद्यों और कम्पाउण्डरों का बकाया वेतन

790. श्री भंवरसिंह (नवलगढ़): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले के वैद्य और कम्पाउण्डरों को जिला बोर्ड के समय की तनख्वाह आज तक नहीं दी गई है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या राजस्थान के किसी अन्य जिले में भी वैद्य और कम्पाउण्डरों का वेतन बाकी है?

(स्थगित किया गया)

विद्युत् उत्पादन पर व्यय की गई राशि

791. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भाखरा नांगल परियोजना में विद्युत् उत्पादन के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च हुई है ? इस धनराशि में राजस्थान का शेयर कितना है ?

(2) चम्बल परियोजना के अन्तर्गत विद्युत् उत्पादन के लिए कितनी धनराशि खर्च हुई और इसमें राजस्थान का शेयर कितना है ?

(3) जवाहर सागर तथा राणाप्रताप सागर बिजली उत्पादन केन्द्रों के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च हुई ?

उत्तर

(1) भाखरा-नांगल परियोजना में वर्ष 1972-73 तक कुल खर्चा 1, 12, 49, 06, 010 रुपये हुआ है, जिसमें से राजस्थान विद्युत् का हिस्सा 19,04,22,282 रुपये है। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22% है।

(2) चम्बल परियोजना (गांधीसागर) में वर्ष 1972-73 तक कुल धनराशि 23, 21,35,431 रुपये खर्च हुई, जिसमें विद्युत् एवं सिंचाई दोनों का खर्चा शामिल है। उपरोक्त धनराशि में से राजस्थान विद्युत् का हिस्सा 5,55,03, 795 रुपये है। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 50% है।

(3) जवाहर सागर परियोजना पर वर्ष 1972-73 तक कुल खर्च 21,00,66, 309 रुपये हुआ जिसमें से राजस्थान का हिस्सा 10,50,33,154 रुपये है। राणाप्रताप सागर परियोजना पर वर्ष 1972-73 तक कुल 40,20,19,258 रुपये खर्च हुये। जिसमें सिंचाई एवं विद्युत् दोनों का खर्चा शामिल है। इस खर्चे में अभी तक के निर्णय के अनुसार राजस्थान विद्युत् का हिस्सा 17,20,77,719 रुपये है।

धोलपुर का बस स्टेन्ड

792. श्री बनवारी लाल (धोलपुर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

क्या राज्य सरकार धोलपुर के बस स्टेन्ड को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से वर्तमान जगह से हटा कर वर्कशाप के पास ले जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं।

गर्ल्स हायर सैकेण्डरी स्कूल, दौसा का भवन

793. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे:—

(1) दौसा में हायर सैकेण्डरी स्कूल (गर्ल्स) में अध्ययनशील बालिकाओं की कितनी संख्या है ? कृपया कक्षा व सैक्शनवार बतावें।

(2) उक्त कन्या शाला में कुल कितने कमरे हैं और उनमें से कितनों में बालिकाएं अध्ययन करती हैं और कितनों में कार्यालय व मुख्य अध्यापिका का कक्ष है ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(3) क्या छात्राओं की संख्या को देखते हुए उक्त शाला भवन काफी है ? यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) बालिका माध्यमिक विद्यालय दौसा में अध्ययनशील बालिकाओं की संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस शाला में 6 कमरे, एक हाल जाफरीदार, एक लम्बा बरामदा पार्टीशन सहित एवं 9 कोठरियां हैं। एक कोठरी (8'×8') में प्रधानाध्यापिका कक्ष एवं एक कमरे में विद्यालय कार्यालय चलता है।

(3) वर्तमान में छात्राओं की संख्या को देखते हुए शाला भवन पर्याप्त है।

बालिका माध्यमिक विद्यालय दौसा में छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

कक्षा	छात्रा संख्या
6	75
7अ	24
7ब	24
8अ	26
8ब	36
9अ	28
9ब	21
10	44
	278

बून्दी जिले के ग्रामों का विद्युतिकरण

791. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिन्डोली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले में कुल कितने ग्राम हैं तथा इनमें से कौन कौन से ग्रामों का विद्युतिकरण कर दिया गया है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इस चालू वर्ष में कौन कौन से ग्राम को विद्युतीकरण के लिए चुना गया है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) ऐसे ग्राम कौन कौन से हैं जिनको डी. पी. सी. लगातार दो तीन वर्षों से रिकमण्ड करके भेजती आ रही है और उनमें बिजली नहीं पहुँच पाई ? सूची सदन की मेज पर पंचायत समितिवार प्रस्तुत करें।

(4) ऐसे गांवों में अब तक बिजली नहीं पहुंचने के कारण कृपया बतावें तथा यह भी बतावें कि डी. पी. सी. द्वारा चयनित ग्रामों को कब तक विद्युत् दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में कुल 718 गांव हैं। विद्युतिकृत ग्रामों की सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1973-74 में जिले के 6 गांव, बालापुरा, बोरखंडी,, भीमपुरिया, रागी, चारी व अरनेठा का विद्युतिकरण किया गया है।

(3) जिन गांवों के विद्युतिकरण को जिला कृषि उत्पादन समिति ने एक बार से अधिक सिफारिश की है और जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उनकी सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत नहीं होने के कारण इन गांवों में बिजली नहीं पहुंच सकी है। जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा चयनित गांवों का विद्युतिकरण धनराशि की उपलब्धता के आधार पर तथा तकनीकी दृष्टि से साध्य होने पर किया जा सकेगा।

APPENDIX "A"

LIST OF THE VILLAGES ELECTRIFIED IN DISTRICT BUNDI UPTO FEBRUARY, 1974

S. No.	Name of the village
1	2
	TEHSIL HINDAULI
1.	Bhimganj
2.	Hindoli
3.	Harna
4.	Motipura
5.	Peeh-ki-Baori
6.	Tonkra
7.	Badhayagaon
8.	Raghunathpura
9.	Beechri
10.	Alod
11.	Singari
	TEHSIL NAINWA
12.	Nainwa
13.	Dheerpur
14.	Sunthali
15.	Korma
16.	Suwaniya
17.	Karwar
18.	Kalya Kheda
19.	Bood Karwar
20.	Kanakpura
21.	Kheroona
22.	Balapura
23.	Bachhola
24.	Seesola
25.	Bansi
26.	Dunghari
27.	Dei
	TEHSIL BUNDI
28.	Bundi
29.	Chhatarpura
30.	Gudha
31.	Ramnagar
32.	Beebanwa
33.	Nanakpura
34.	Hathipura
35.	Theekarda
36.	Barodiya
37.	Talabgaon
38.	Matoonda
39.	Daulara
40.	Mahrampura
41.	Karjoona
42.	Ramganj
43.	Sathoor
44.	Bhairoonpura
45.	Balapura } REGULARISED
46.	Borkhandi } REGULARISED
47.	Bheempuriya } REGULARISED

1	2
	TEHSIL TALERA:
48.	Aktasa
49.	Alphanagar
50.	Talera
51.	Alkodiya
52.	Barundhan
53.	Namana
54.	Sitapur
55.	Kurad
56.	Haripura
57.	Sunderpura
58.	Malipura
69.	Gagos
60.	Andher
61.	Laxmipura
62.	Jameetpura
63.	Suwasan
64.	Bazar
65.	Govindpura Baori
66.	Chhapawada
67.	Mandawari
68.	Mandawara
	TEHSIL K. PATAN
69.	Lakheri
70.	Keshorai Patan
71.	Ishar Nagar
72.	Chitawa
73.	Bhiya
74.	Hathanpura
75.	Papri
76;	Bara Kheda
77.	Laban
78.	Jharla
79.	Kasba Kaprain
80.	Adeeda
81.	Rari
82.	Chari
83.	Arnetha

LIST 'B'

List of the villages recommended by the D. A. P. C. Bundi more than once, but have not been electrified.

S. No.	Name of the village		Panchayat Samiti
1.	Chardana	x	Keshorai Patan.
2.	Roteda	x	,,
3.	Jethal	x	,,
4.	Sonagar	*	,,
5.	Gumanpura	x	Talera
6.	Amli	x	,,
7.	Silor	x	,,
8.	Dabi	x	,,
9.	Gudha		,,
10.	Kunwarati	x	,,
11.	Jawati Kalan	x	,,
12.	Dehit	x	,,
13.	Jakhmund	x	,,
14.	Notara	x	,,
15.	Mangal	x	,,
16.	Bheroopura Ojha	*	,,
17.	Dhoweda	x	Hindoli
18.	Chatarganj	x	,,
19.	Umar	x	,,
20.	Cheta	x	,,
21.	Gudha	x	,,
22.	Jarkhoda	x	Nainwa
23,	Khanpura	x	,,
24.	Rajalawata	*	,,

Note : x Surveyed, but scheme is remunerative.
* Surveyed, but scheme is non remunerative.

आबू के विकास के लिए समिति का गठन

795. श्री **भूराराम** (आबूरोड़) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आबू के विकास के लिये एक राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो इस समिति का गठन कब हुआ और इसका अध्यक्ष कौन है तथा कौन कौन सदस्य हैं ? सूची नाम व पदवाइज सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक सन 1973 में हुई थी ? यदि हां, तो कौन कौन से विभाग को कौन कौन से कार्यों के लिये कितनी कितनी धनराशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई थी ? प्रत्येक कार्य की अलग-अलग सेंक्शन की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या किसी विभाग ने आबू के विकास का कार्य प्रारम्भ किया है ? यदि नहीं तो देरी करने का क्या कारण है ? क्या सरकार ने देरी की जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर प्रस्तुत करते हुए यह बतायें कि आबू के विकास के कार्य में देरी रने में कौन दोषी है?

(स्थगित किया गया)

राज्य के आयुर्वेदिक औषधालय तथा यूनानी दवाखाने

796. **श्री हाजी जानमोहम्मद** (पिडावा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में आयुर्वेदिक औषधालय तथा यूनानी दवाखाने कितने कितने हैं ? कृपया श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त आयुर्वेदिक औषधालय तथा यूनानी दवाखानों में कितने कितने वैद्य और हकीम कार्य कर रहे हैं ? कृपया श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) राज्य के 74-75 के बजट अनुमानों में यूनानी दवाखानों और आयुर्वेद औषधालयों के लिये अलग अलग क्या प्रावधान रखा गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) राज्य में 1974–75 में कितने यूनानी दवाखानें और कितने आयुर्वेद औषधालय खोले जायेंगे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वेदिक औषधालय एवं यूनानी दवाखाने क्रमश: 1793 व 42 है इनकी श्रेणीनुसार संख्या निम्न है:—

चिकित्सा पद्धति	अ श्रेणी	ब श्रेणी	स श्रेणी
आयुर्वेद	34	146	1613
यूनानी	3	6	33

(2) आयुर्वेदिक औषधालय एवं यूनानी दवाखानों में क्रमशः 1874 वैद्य, एवं 46 हकीम कार्यरत हैं । कार्यरत वैद्य/हकीमों की संख्या श्रेणीनुसार निम्न है :—

	अ श्रेणी	ब श्रेणी	स श्रेणी
वैद्य	33	193	1648
हकीम	2	-	44

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) राज्य में 74-75 के बजट में आयुर्वेद औषधालय एवं यूनानी दवाखानों हेतु क्रमश: 2,16,77,000 एवं 6,02,500 रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसका कि मदवाइज ब्यौरा निम्नानुसार है :—

मद	आयोजन भिन्न	आयोजना
आयु. औष. एवं चिकि.	1,85,61,000	31,16,000
यू. दवा.	4,92,500	1,10,000

(4) वर्ष 74-75 में 25 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित है। किस चिकित्सा पद्धति के कितने औषधालय खोले जावेंगे इसका निर्णय यथासमय राज्य सरकार द्वारा लिया जावेगा।

जयपुर जिले के स्कूलों में अध्यापकों की कमी

797. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के कई उच्च प्राथमिक शालाओं में विभिन्न भाषाओं, विषयों के अध्यापकों की कमी है।

(2) यदि हां, तो क्यों तथा किस किस विषय में ? कृपया शालावार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त शालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

बांसवाड़ा जिले के काश्तकारों को बिजली

798. श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा में इस वर्ष काश्तकारों को बिजली देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इस जिले की किस किस पंचायत समिति क्षेत्र में कितने कितने कुओं पर बिजली देने का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समित पीपलखूंट को बिजली नहीं दी जायगी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। किस किस पंचायत समिति क्षेत्र में किन किन कुओं को बिजली दी जावेगी यह विद्युतीकृत ग्रामों में प्राप्त आवेदन-पत्रों एवं आवश्यक मात्रा में सामान व धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(2) जी नहीं, पीपलखूंट की स्कीम रिपोर्ट तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं पाये जाने के कारण इसे विद्युतीकरण हेतु अभी तक स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

ग्राम रामपुरा में अग्नि से क्षति

799. श्री भगराज चौधरी (रानीवाडा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पाली के ग्राम रामपुरा में करीब 4 माह

Page No 165

(श्री भगराज चौधरी)

पूर्व भयंकर आग लगने के कारण कुछ काश्तकारों की खलिहान में पड़ी खरीफ की फसल जल गई और जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति हुई है ? यदि हां, तो किन किन परिवारों को इस अग्निकांड से क्या क्या आर्थिक नुकसान हुआ है ? परिवार वाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता शीघ्र देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को कितनी-कितनी सहायता कब तक दे दी जायगी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 11-2-1974 को तहसील पाली के ग्राम रामपुरा में आग लग जाने के कारण 95 कृषक परिवारों की खलिहान में पड़ी हुई खरीफ की फसल जल गई। इससे अनाज एवं चारा जो फसल के थे, नष्ट हो गए। अग्निकांड से हुए नुकसान की परिवार वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अग्निकांड से क्षतिग्रस्त होने वाले व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। केवल सहायतार्थ अनुदान देने की व्यवस्था है। पीड़ित परिवारों को सहायता देने के लिए निम्न प्रकार धनराशि जिलाधीश को उपलब्ध की जा चुकी है :—

1. राज्यपाल सहायत कोष से दिनांक 23-2-74 को	7,000/रु०
2. मुख्य मन्त्री सहायता कोष से दिनांक 18-2-74 को	7,000)रु०
योग	14,000)रु०

इस प्रकार 14,000)रु० की नकद राशि जिलाधीश को पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए उपलब्ध कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लाडनूं में मुन्सिफ कोर्ट

800. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं जिला नागौर में मुन्सिफ कोर्ट एक अप्रेल, 1974 से खोले जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है ? अगर हां, तो उक्त न्यायालय स्थायीरूप से लाडनूं में रखा जाना तय है अथवा कुछ दिनों के लिए ?

(2) क्या यह सही है कि मुन्सिफ कोर्ट लाडनूं के लिए किसी भू-खण्ड का चुनाव कर लिया है ? अगर हां, तो भू-खण्ड किस दिशा में लिया गया है और उसका क्षेत्रफल क्या है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

एनिस्थेसिया विषय में डिप्लोमा के लिए आवेदन-पत्र

801. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कालेज में एनिस्थेसिया विषय में डिप्लोमा कब से शुरू किया गया ? उसके बाद इसकी प्रथम परीक्षाएं कब होनी थीं ?

(2) उपरोक्त कालेज में एनिस्थेसिया विषय में डिप्लोमा करने वाले प्रत्याशियों को आवेदन-पत्र कब देने चाहिए थे ?

(3) उपरोक्त विषय में बैठने वालों की क्या योग्यता होनी चाहिए व किन किन ने कब कब इन परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र दिए ?

(4) सरकार ने अपनी ओर से किसे और कब इस परीक्षा के लिए डेपुटेशन के लिये चुना ? चुनने के लिये क्या आधार थे ? इसके अतिरिक्त किन किन के आवेदन-पत्र सरकार के पास आये थे उन्हें न चुनने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कालेज में एनिस्थेसिया विषय में डिप्लोमा कोर्स सरकार के आदेश दिनांक 21-4-73 के अनुसार शुरू किया गया। इस विषय की परीक्षा अब दिसम्बर, 1974 में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी है।

(2) प्रधानाचार्य सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर द्वारा डिप्लोमा करने वाले प्रत्याशियों को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 5-12-73 रखी गई थी।

(3) इस विषय के लिए योग्यता निम्न प्रकार है:—

(अ) मेडिकल ग्रेजुएट मय एक साल का इच्छित विषय में हाउस मैनसिप का अनुभव।

(ब) राज्य सेवा में रत सी० ए० एस० को डिप्लोमा के लिए तीन साल की सेवा का अनुभव।

सेवारत सी०ए०एस० ग्रुप में केवल पांच आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुए थे।

(4) सरकार ने इस वर्ष एनिस्थेसिया के लिए डिप्लोमा कोर्स करने हेतु डा. सुरेश चन्द्र, सी०ए०एस० बास कृपाल नगर पी० एच० सी० को दिनांक 2-3-74 को मेडिकल कालेज, बीकानेर में डेपुटेशन के लिए चुना। चुनने के लिए निम्न आधार निर्धारित किये गये तथा इसका चयन एक समिति द्वारा किया गया:—

(1) वरिष्ठता का आधार (2) तीन साल की सी०ए०एस० व रूरल की राजकीय सेवा (3) एम. बी. बी. एस. दो से ज्यादा अटेम्प्ट्स में पास नहीं किया होना चाहिए (4) गोपनीय प्रतिवेदन।

इसके अतिरिक्त चार आवेदन-पत्र और थे परन्तु वे उपरोक्त आधार पर समिति द्वारा चयन नहीं किए गए।

सार्वजनिक छात्रावास सांचौर

802. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सही है कि सांचौर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सार्वजनिक छात्रावास का पंजीयन कई वर्षों पहिले हो चुका है ? अगर हां तो कब ? क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास में छात्रों की संख्या भी काफी है ? अगर हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास के दो खण्ड हैं ? क्या यह भी सही है कि छात्रावास के दोनों खण्डों के भवनों की अवस्था दयनीय है, और इस साल अत्यधिक वर्षा से भवन बहुत कमजोर हो चुका है एवं उसकी हालत गिरने जैसी हो चुकी है ? अगर हां, तो क्या सरकार उसकी विशेष मरम्मत शीघ्र करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक अगर नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास को सिर्फ एक बार दो हजार रुपये सरकारी अनुदान दिया गया था, और फिर नियमितरूप से अनुदान नहीं दिया गया था ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त छात्रावास को, इस वर्ष कितना अनुदान कब तक दिलाया जावेगा ?

(4) उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रावासों के बारे में आज तक सरकार की क्या नीति रही है एवं भविष्य में क्या नीति रहेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 23-4-65 को छात्रावास में छात्रों की संख्या 50 है।

(2) जी हां। यह सही है। बजट प्रावधान होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ इस छात्रावास की मरम्मत कराने पर विचार किया जायगा।

(3) जी हां। यह सही है। बजट प्रावधान सीमित होने के कारण।

(4) जो छात्रावास भवन दानपत्र पंजीकृत होने के पश्चात शिक्षा विभाग को दान से प्राप्त होते हैं उनकी मरम्मत हेतु उपलब्ध सीमित धनराशि तथा जन सहयोग से कराने का प्रयत्न किया जाता है।

अकाल राहत कार्य पर लगे मजदूरों की मृत्यु

803. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 26-6-73 को किशनगढ़, श्रीनगर, नसीराबाद सड़क पर चल रहे अकाल राहत कार्य में कार्यरत दो मजदूरों की मृत्यु खान में दब जाने से हो गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 17-6-73 को रूपगढ़ के निकट चल रहे अकाल राहत कार्य में कार्यरत एक मजदूर की मृत्यु खान में दब जाने के कारण हो गई थी ? क्या यह सही है कि मृतक मजदूरों के परिवार को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई।

(3) क्या सरकार मृतक के आश्रितों को सहायता देना न्यायोचित नहीं मानती ? यदि हां, तो सहायता राशि की संख्या क्या होगी और सम्बन्धित व्यक्ति को कब तक प्राप्त हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(अकाल सहायता मन्त्री)

(1) दिनांक 26-6-73 को खान पर हुई दुर्घटना में एक मजदूर की मृत्यु हुई थी।

(2) जी हां।

जी हां, मृतक मजदूरों के परिवारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

(3) सहायता कार्यों पर होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं के लिए सहायता व्यवस्था के अन्तर्गत कोई नकद राशि देने की वर्तमान में व्यवस्था नहीं है।

नागौर में सैशन्स कोर्ट

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिला मुख्यालय पर सैशन्स कोर्ट की अदालत कायम करने के सम्बन्ध में किस किस ने एवं कब प्रार्थना की है एवं हाईकोर्ट ने इस सम्बन्ध में कब कब व क्या क्या राय दी है?

(2) क्या यह सही है कि मेड़ता में स्थित सैशन्स कोर्ट की अदालत का भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है? यदि हां, तो इसकी मरम्मत पर क्या खर्च होना अनुमानित है?

(3) क्या यह सही है कि पेंडिंग मुकदमात को देखते हुए एवं निर्णित मुकदमात की संख्या के हिसाब से मेड़ता सैशन्स कोर्ट में नागौर, जायल, लाडनूं, डीडवाना एवं कुचामन (नावां) तहसीलों के मुकदमात की संख्या अधिक रही है एवं है?

(4) क्या यह सही है कि नागौर जिले की तहसीलों से मेड़ता के बजाय सुविधाजनक ढंग से जुड़ा हुआ है?

उत्तर

(1) अधिवक्ता संघ नागौर ने सन् 1951 एवं 1962 में व 1973 में नागौर में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का मुख्यालय नागौर रखने की मांग की थी। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय मेड़ता में ही रखने की राय जाहिर की थी। 1973 की संघ की मांग पर अभी कोई निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया है।

(2) जी हां। इसकी पूर्ण मरम्मत की लागत पर 2 लाख रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। नागौर व मेड़ता दोनों ही जिले की तहसीलों से सुविधाजनक ढंग से जुड़े हुए हैं।

जालौर क्षेत्र में बिजली की नई लाइन

805. **श्री विरदाराम फुलवारिया** (जालौर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार जालौर क्षेत्र में उदयपुर से सिरोही तथा सिरोही से जालौर बिजली की नई लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(2) क्या सरकार जालौर क्षेत्र में काश्तकारों के कुओं पर बिजली देने के लिये सायला से रेवतड़ा, बारां, बैरठ,

(श्री विरदाराम फुलवारिया)

डगातरा, सुरा, बकरा रोड, मढगांव, रानीवाडा, सरत, नरपडा, नून देलरडी और बिबलसर आदि गांवों को बिजली की लाइन से मिलाने का विचार भी रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि सरकार रेवतड़ा से बत्तक्षण, भागली, धानपुर, नारनावास तथा सायला से चोराऊ, आसाणा, बोरवाड़ा, तरा, थलवाड़, लोदराऊ, धनाड़ी आदि गांवों में भी बिजली पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। देवारी से सिरोही तथा सिरोही से जालौर 132 के. वी. लाइनें स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि आवश्यक मात्रा में सामान उपलब्ध हो जावे तो देवारी—सिरोही लाइन के चालू वित्त वर्ष में तथा सिरोही-जालौर लाइन के आगामी वित्त वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है।

(2) इन गांवों के विद्युतिकरण के बारे में अभी व निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

राज्य में सड़क दुर्घटनाएं

806. **श्री झाबरमल सूरडा** (फतेहपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में 1972-73 और 73-74 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में यातायात पुलिस शिक्षण की अलग से व्यवस्था नहीं हैं और न ही इस प्रकार कोई विशेष संस्थान है?

(3) क्या यह सही है कि अन्य राज्यों की तरह से यहां अलग से यातायात पुलिस भी नहीं है और अनुभवी ट्रेफिक अधिकारियों व कांस्टेबिलों का सामान्य पुलिस में स्थानान्तरण कर दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) भारतीय यातायात शिक्षण स्टेण्डर्ड के कितने पुलिस अधिकारी राज्य के पुलिस विभाग में हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जयपुर के फुटपाथों पर पैदल चलने वालों के लिये यातायात पुलिस उत्तरदायी नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि जयपुर की यातायात पुलिस के पास चांदपोल और अजमेरी गेट पर नियंत्रण करने की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है?

(7) क्या यह सही है कि जयपुर के ट्रेफिक यातायात, सड़क मरम्मत और नगरपालिका फुटपाथों के लिये कोई एक समन्वित अधिकारी उत्तरदायी नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 में क्रमश: 584 व 775 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये।

(2) यह सही नहीं है। यातायात के नियमों एवं नियंत्रण के बारे में पुलिस

Page No 170

(170)

(गृहमंत्री)

कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रत्येक केन्द्र पर दिया जाता है। कोई विशेष संस्थान नहीं है।

(3) राजस्थान में यातायात पुलिस हर जिले की नफरी में एवं सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षकों के नियंत्रण में हैं। यातायात में पदस्थापित अधिकारियों एवं कानिस्टेबलों का स्थानान्तरण यातायात शाखा से जिला पुलिस की अन्य शाखाओं में कर दिया जाता है क्योंकि यह भी जिले की अन्य पुलिस शाखाओं में से एक शाखा है। हर जिले में इस शाखा की नफरी बहुत ही कम है, इसलिये थोड़ी नफरी में नियंत्रण के लिये अधिकारी लगाना सम्भव नहीं है। पुलिस अधीक्षक एवं जिले के अन्य अधिकारियों का नियंत्रण रहने से यातायात स्टाफ सुचारु रूप से कार्य करता रहता है। जिनका कार्य संतोषजनक नहीं होता है या शिकायतें होती हैं तो उनका यातायात शाखा से अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना अनिवार्य हो जाता है।

(4) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(5) जी हां। फुटपाथ नगर परिषद के अन्तर्गत आते हैं।

(6) जी नहीं। इन दोनों ही स्थानों पर वैज्ञानिक व्यवस्था है।

(7) जी हां। ऐसे मामले भिन्न भिन्न विभागों के अन्तर्गत आते हैं।

यातायात ट्रेनिंग बम्बई से प्रशिक्षित पुलिस निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक

क.सं. 1	नाम अधिकारी 2	पद 3	जिला 4	ट्रेनिंग का समय 5	कोर्स नं. 6
1	श्री सुरेन्द्रनाथ शर्मा	याता. निरी.	जयपुर	1-9-66 से 31-12-66	
2	श्री कानसिंह	एम.टी.उ.नि.	जयपुर	,, ,,	
3	श्री गोविन्द नारायण	एम.टी.निरी.	जयपुर	1-3-67 से 30-6-67	
4	श्री एच. एच. टांक	याता.उ.नि.	अजमेर	,, ,,	
5	श्री उदयभानसिंह	,,	कोटा	15-7-67 से 15-11-67	
6	श्री आर.एच. लिविया	,,	जोधपुर	,, ,,	
7	श्री इन्द्रचन्द	,,	बीकानेर	1-12-67 से 31-3-68	
8	श्री बालकिशन	,,	जयपुर	15-1-69 से 14-5-69	
9	श्री मदनसिंह	,,	उदयपुर	2-6-69 से 30-9-69	13 वां
10	श्री रघुनाथसिंह	,,	कोटा	,, ,,	13 वां
11	श्री ओमप्रकाश	,,	चुरू	,, ,,	,,
12	श्री नगेन्द्रसिंह	टी. आई.	कोटा	16-10-69 से 14-2-70	
13	श्री हरदेव वाली	टी.एस.आई.	जोधपुर	,, ,,	14 वां
14	श्री सुरजभान	,,	जयपुर	,, ,,	,,
15	श्री नारायण सिंह	टी.आई.	जोधपुर	1-3-70 से 30-6-70	15 वां
16	श्री गौरीशंकर बाजा	उप. निरी.	बीकानेर	2-4-70 से 30-6-70	,,
17	श्री रामचन्द्र काला	,,	अजमेर	1-3-70 से 30-6-70	,,
18	श्री छतरसालसिंह	टी. आई.	अजमेर	16-7-70 से 14-11-70	16 वां
19	श्री यशवन्तसिंह	एस.आई.	उदयपुर	2-12-70 से 31-3-71	17 वां
20	श्री मदनलाल यादव	,,	जयपुर	16-4-71 से 14-8-71	18 वां
21	श्री दौलतराम	,,	भरतपुर	16-4-71 से 14-8-71	,,
22	श्री देवेन्द्र कुमार	,,	जयपुर	1-9-71 से 31-12-71	19 वां
23	श्री अर्जुनसिंह	,,	भीलवाड़ा	,, ,,	,,
24	श्री महेशकुमार	,,	अजमेर	15-1-72 से 15-5-72	20 वां
25	श्री शिवप्रसाद	,,	कोटा	,, ,,	,,
26	श्री हेतराम विश्नोई	,,	गंगानगर	1-6-72 से 30-9-72	21 वां
27	श्री नवलकिशोर वर्मा	,,	जयपुर	16-10-72 से 14-2-73	22 वां
28	श्री महावीरप्रसाद	,,	उदयपुर	,, ,,	,,
29	श्री बी. डी. मिश्रा	,,	,,	1-3-73 से 30-6-73	23 वां
30	श्री अब्दुल गफ्फूर	,,	सिरोही	,, ,,	,,
31	श्री कैलाश गोयल	,,	अजमेर	16-7-73 से 14-11-73	24 वां
32	श्री पी. सी. सिंघवी	,,	बीकानेर	,, ,,	,,

कोटा बेराज के पानी से क्षति

807. **श्री जगमोहनसिंह** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ महीने पूर्व कोटा बैराज (चम्बल नदी) से एक दम पानी का निकास कर देने से जन-धन की हानि हुई है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा इस घटना की कोई जांच कराई गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त दुर्घटना के लिए कौन दोषी पाया गया और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा बैराज से एक दम पानी नहीं निकाला गया। नदी में अधिक पानी आने के कारण बांध को खतरा हो जाने से गेट्स आवश्यकतानुसार खोले जाते रहे थे। इसकी पूर्व सूचना की गई थी। इस बहाव में कॉज वे पर चलते हुए दो व्यक्ति बह कर मर गये तथा एक ट्रक जो नदी में खड़ा किया हुवा था वह उलट गया था।

(2) जी हां। विभागीय जांच कराई गई। रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

(3) इस दुघटना के लिये कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। अत: किसी के भी विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

सीकर जिले में अकाल राहत कार्यों पर व्यय की गई राशि

808. **श्री मालाराम** (नीमकाथाना) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में गत अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कितने कुओं, बांधों व सड़क निर्माण के लिए किस किस तहसील में कितनी कितनी रकम खर्च की गई?

(2) क्या उक्त सभी कुए पूरे हो चुके हैं?

(3) क्या यह सही है कि बहुत से कुए अधूरे पड़े हुए हैं? यदि हां, तो किस कारण से?

उत्तर

(1) सीकर जिले में गत् वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जिन कुओं, बांधों एवं सड़कों का निर्माण कराया गया उनके बाबत तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है।

(2) 32 कुओं का कार्य अपूर्ण रहा है।

(3) तहसील सीकर के 6 कुओं का तथा तहसील दांता रामगढ के 26 कुओं का कार्य अपूर्ण रहा है। इन कुओं के अपूर्ण रहने का कारण कृषकों के द्वारा काम न करवाना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-1974 एवं 27-3-1974)

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दिनों कार्य करने का वेतन

144. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बून्दी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पिछले वर्ष राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के समय राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों को जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया था 10 दिन का वेतन देने की घोषणा की थी? यदि हां, तो क्या यह वेतन अकाल राहत के कर्मचारियों को भी दिया था? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह सही है कि पिछले वर्ष राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के समय राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों को जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया था एवं असाधारण कर्तव्यपरायणता प्रदर्शित की थी और हड़ताल की अवधि में अतिरिक्त कार्य किया था उन्हें 10 दिन के वेतन के बराबर अतिरिक्त अनुग्रह वेतन देने के आदेश जारी किये थे।

जहां तक अकाल राहत कार्यों पर कार्यरत कर्मचारियों का सम्बन्ध है अधिकांश अधीनस्थ कार्यालयों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि उनके यहां इस श्रेणी में आने वाले कोई कर्मचारी नहीं थे, अत: ऐसा चुकारा नहीं किया गया। परन्तु अकाल राहत के कर्मचारियों में से जिन लोगों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया एवं इस प्रकार विशेष कर्तव्यपरायणता से एवं अतिरिक्त समय देकर काम किया था, उन्हें अतिरिक्त अनुग्रह वेतन का चुकारा किया गया है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-74)

मेडिकल कालेजों का स्टाफ पैटर्न

404. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य के पांचों मेडिकल कालेजों में इन्डियन मेडिकल कौंसिल के पैटर्न के अनुसार ही सारे विषयों में टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की हुई है? यदि हां, तो प्रत्येक कालेज में अलग-अलग विषयों में कौन-कौन डाक्टर किस किस पद पर कब से नियुक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य के मेडिकल कालेजों में इण्डियन मेडिकल कौंसिल के पैटर्न के अनुसार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित स्टाफ पैटर्न क्या है?

(3) क्या यह सही है कि यदि इन्डियन मेडिकल कौंसिल के अनुसार प्रत्येक मेडिकल कालेजों में डाक्टरों को विभिन्न विषयों में नियुक्त किया जाय तो राज्यकोष को काफी फायदा हो सकता है? यदि हां, तो कितना कितना स्टाफ प्रत्येक विषय से सरप्लस हो जावेगा तथा इससे राज्यकोष को कितना फायदा होगा? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-74)

मठगुर्जा काण्ड के मृतकों की विधवाओं को पेन्शन

420. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या करौली उपखण्ड में हुए मठगुर्जा काण्ड में मृतकों की विधवाओं को मिनिमम पेन्शन एक्ट, 1968 के अनुसार पेन्शन दी जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार सरकारी ड्यूटी पर मारे गये मृतकों की विधवाओं को उक्त एक्ट के तहत अधिनियम लागू होने की तिथि से पेन्शन भुगतान करने की तुरन्त व्यवस्था करने का विचार रखती है ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-74)

पोल्यूशन की रोकथाम के लिए निर्देश

447. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डी. सी. एम. फैक्ट्री कोटा का क्लोरीन युक्त पानी निकटवर्ती केसवा नाले में डाला जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि नाले के पानी को परीक्षण हेतु सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट नागपुर को भेजा गया था और इन्स्टीट्यूट ने इस नाले के पानी को मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों के लिए हानिकारक बताया ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की ?

(3) आई. एस. आई. द्वारा निर्धारित मापदन्ड के अनुसार गन्दे पानी को विकार रहित (न्यूट्रलाइज) करने के लिए चम्बल नहर का पानी इस नाले में और डाला जाय इस प्रकार के निर्देष क्या कभी राज्य सरकार ने उक्त फैक्ट्री को दिये ? यदि हां, तो कब और क्या फैक्ट्री ने उक्त आदेशानुसार कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने उक्त फैक्ट्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(4) प्रदेश पोल्यूशन की रोकथाम के लिए क्या कभी भारत सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। दिनांक 23-4-73 को श्रीराम केमीकल्स लि. कोटा से सम्पर्क स्थापित कर उनकी फैक्ट्रियों का गन्दा पानी नाला बनाकर बोर खाड़ी नदी तक ले जाने के निर्देश, तथा धारा 133 सी. आर. पी.सी. के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सुझाव जिलाधीश कोटा को दिये गये हैं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में सूचना दे दी गई है।

(4) जी हां, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-74)

जिंक स्मेल्टर का दूषित पानी

453. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिंक स्मेल्टर (देवारी-उदयपुर) के दूषित और विषैले रासायनिक पानी के उदयसागर झील के नाले में पड़ने से इस नाले का पानी पशुओं और खेती के लिए घातक सिद्ध हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उदयसागर झील के नाले का पानी दूषित हो जाने के कारण नाले के किनारों के कुओं का पानी भी दूषित हो गया है कि जिसके फलस्वरूप उसका पानी, पशुओं, मनुष्यों और खेती के लिए हानिकारक हो गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त उदयसागर झील के दूषित नाले के वल्लभनगर बांध में गिरने से इस बांध का पानी भी दूषित होता जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि जिंक स्मेल्टर के दूषित रसायनों के पानी को उदयसागर झील के नाले में न पटका जाय—राज्य सरकार इसकी ओर प्रयत्न कर रही है ?

(स्थगित किया गया)

Page No 176

(176)

परिशिष्ट—4

(अता. प्र. सं. 474 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF BLOCK EXTENSION EDUCATORS IN RAJASTHAN.

Serial No.	Name of the District	Sanctioned strength	B. E. Es. working	Post kept in abeyance	Vacant post
1	Ajmer	8	5	1	2
2	Alwar	14	13	1	—
3	Banswara	8	1	1	6
4	Barmer	8	—	1	7
5	Bharatpur	13	12	1	—
6	Bhilwara	11	5	1	5
7	Bikaner	4	1	1	2
8	Bundi	4	1	1	2
9	Chittorgarh	12	4	1	7
10	Churu	7	6	1	—
11	Dungarpur	5	2	1	2
12	Ganganagar	9	8	1	—
13	Jaipur	17	16	1	—
14	Jaisalmer	3	—	1	2
15	Jalore	7	4	1	2
16	Jhalawar	6	2	1	3
17	Jhunjhunu	8	7	1	—
18	Jodhpur	9	3	1	5
19	Kota	11	6	1	4
20	Nagaur	11	4	1	6
21	Pali	10	4	1	5
22	S. Madhopur	10	8	1	1
23	Sikar	8	7	1	—
24	Sirohi	5	3	1	1
25	Tonk	6	3	1	2
26	Udaipur	18	7	1	10
	Total ...	232	132	26	74

परिशिष्ट-5

(अ० ता० प्र० सं० 479 की सूची)

मार्च, 1973 से मार्च, 1974 तक जिला कोटा के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कत्ल के मुकद्दमात की सूची

क्रम संख्या	पुलिस थाना	मुकद्दमा नं०	धारा	तारीख	मुल. गिर.	चालान की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	मंडाना	मु० नं० 8	धारा 302	दिनांक 7- 4-73	—	4- 6-73
2.	हुरनावदा	,, 31	,,	,, 23- 4-73	2	20- 7-73
3.	मगरोज	,, 26	,,	,, 27- 4-73	—	जेरतफतीश
4.	गुमानपुरा	,, 176	,,	,, 27- 5-73	—	एफ० आर० 12- 6-73 को अदम वकू ।
5.	इन्द्रगढ़	,, 13	302।148।149	,, 10- 6-73	3	चालान
6.	मकबरा	,, 88	302।318	,, 24- 5-73	1	26- 9-73
7.	मकरगढ़	,, 15	302	,, 19- 6-73	1	5-12-73
8.	बावचा	,, 28	,,	,, 29- 6-73	—	जेरतफतीश
9.	कैथून	,, 38	,,	,, 28- 6-73	3	31- 8-73
10.	चेचट	,, 45	,,	,, 1- 7-73	3	10-10-73
11.	सुलतानपुर	,, 50	,,	,, 25- 7-73	—	जेरतफतीश
12.	मंडाना	,, 31	,,	,, 20- 7-73	—	अदमपता 12- 1-74
13.	गुमानपुरा	,, 244	,, 341	,, 25- 7-73	4	14- 9-73
14.	सुलतानपुरा	,, 51	302	,, 26- 7-73	3	19-12-73
15.	बारां	,, 121	,,	,, 1- 7-73	4	31- 8-73
16.	मकबरा	,, 122	,,	,, 17- 7-73	—	अदमपता 14-12-73
17.	बारां	,, 136	धारा।302। 307।147। 148।149	दिनांक 4- 8-73	12	30-10-73
18.	मोठपुर	,, 48	302।341	,, 30- 7-73	4	10-10-73
19.	मवरगढ़	,, 29	302	,, 30- 6-73	—	जेरतफतीश
20.	रामगंज मंडी	,, 64	,,	,, 19- 8-73	5	2-11-73

1	2		3	4		5	6	7
21.	गुमानपुरा	मु. नं.	188	धारा 302	दिनांक	2- 6-73	3	चालान
22.	चेचट	,,	50	,,	,,	2- 8-73	3	22-10-73
23.	कंथून	,,	42	,,	,,	23- 9-73	1	22-12-73
24.	बनवास	,,	64	,,			5	11-12-73
25.	कोतवाली	,,	116	,,	,,	16-10-73	3	जेरतफतीश
26.	छाबडा	,,	82	302।392	,,	10-10-73	1	,,
27.	अटरू	,,	81	302	,,	25-10-73	5	,,
28.	मांगरोल	,,	73	,,	,,	25-10-73	—	अदम वकू 17-11-73
29.	इन्द्रगढ़	,,	42	,,	,,	1-12-73	—	जेरतफतीश
30.	किशनगंज	,,	65	,,	,,	8-12-73	1	9- 1-74
31.	छीपाबड़ौद	,,	73	,,	,,	11-12-73	3	जेर तफतीश
32.	बारां	,,	188	,,	,,	10-12-73	1	,,
33.	कनवास	,,	86	,,	,,	19-12-73	—	,,
34.	इटावा	,,	69	,,	,,	23-12-73	—	28- 2-74
35.	चेचट	,,	71	,,	,,	20-11-73	2	28-12-73

1974

1.	भीमगंजमंडी	मु. नं.	1	,,	दिनांक	2- 1-74	—	जेरतफतीश
2.	कोतवाली	,,	1	,,	,,	4- 1-74	1	,,
3.	सामोदे	,,	1	,,	,,	6- 1-74	—	,,
4.	गुमानपुरा	,,	11	,,	,,	9- 1-74	—	,,
5.	,,	,,	20	,,	,,	14- 1-74	2	चालान 31-1-74
6.	मकबरा	,,	13	,,	,,	30- 1-74	3	जेरतफतीश
7.	खातोली	,,	5	,,	,,	25- 1-74	—	,,
8.	बावचा	,,	3	,,	,,	2- 2-74	—	,,
9.	बारां	,,	29	,,	,,	21- 2-74	1	,,
10.	उद्योगनगर गुमानपुरा	,,	81	,,	,,	5- 3-74	15	,,
11.	कंथून	,,	10	,,	,,	22- 2-74	—	,,
12.	भवरगढ़	,,	8	,,	,,	9- 3-74	1	,,

परिशिष्ट–6

(अ. ता. प्र. सं. 480 की सूची)

पुलिस थाना शाहपुरा (जयपुर) के मुकदमात जिनको सन् 1973-74 में राज्य अपराध शाखा में स्थानान्तरित किया गया की तालिका

क्र.सं.	अभियोग नं. व दिनांक	जुर्म धारा	स्थानान्तरण करने के कारण	किसके आदेश से स्थानान्तरित किये गये	सी.आइ.डी. में लिये जाने की तारीख	सी.आइ.डी. के अनुसंधानकर्ता अधिकारियों के नाम	सी.आइ.डी. द्वारा की गई तफतीश का नतीजा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	25 दि. 14–2–73	436 ता. हि.	श्री गणेश पुत्र छोटू जाट नि. निठारा की प्रार्थना पर।	राज्य गृ. मन्त्री	21-3-1973	श्री जयदयाल उ. नि.	एफ. आर. अदम पता
2.	29 दि. 4–3–73	406/420 ता.हि.	स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमे की उचित तफतीश नहीं किये जाने के संबंध में शारदा कालेज के छात्रों की प्रार्थना पर।	,,	3-3-1973	श्री मेवाराम महेश्वरी व अपर अधीक्षक श्री उम्मेदाराम विश्नोई उप-अधी. श्री हनुमानसिंह उप-अधी.	तफतीश जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	100 दि. 22-3-73	147/447/323 ता. हि.	श्री मूरा पुत्र धाना जाट नि. रामपुरा द्वारा, स्थानीय पुलिस राजनैतिक दबाव के कारण उचित कार्यवाही नहीं करती कि शिकायत करने पर।	गृह आयुक्त	23- 8-1973	श्री गया प्रसाद उ. नि. श्री कृष्ण गोपाल निरी.	तफतीश जारी है।
4.	101 दि. 22-3-73	”	”	”	”	”	एफ. आर. प्रदम वक्त।
5.	179 दि. 28-10-73	302/147/148 149 ता. हि.	श्री अर्जुन मीना नि. महार खुर्द के प्रार्थना करने पर स्थानीय पुलिस मुलजिमानों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है।	राज्य गृह मन्त्री	22-11-1973	श्री गोबिन्द सिह उ. नि. श्री कैलाशचन्द निरी.	5 मुलजिम के खिलाफ धारा 302|147/148/149 ता.हि. में चालान किया गया एवं अन्य मुलजिमानों के खिलाफ 147/323/506 ता. हि. में चालान किया गया

(181)

परिशिष्ट-7

(अता. प्र. सं. 481 की सूची)

स्टेटमेन्ट बाबत अपराध जो माह जनवरी, 1973 से दिनांक 28-3-74 तक निम्न पुलिस थानों पर खर्च हुये

नं. शु.	नाम पुलिस थाना	कुल अपराध जो दर्ज रजिस्टर हुये	चोरी	धोखा	दुर्घटना	हमला	टोटल नं. 4 से 7	चालान	जेरतफतीश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आबू रोड	165	11	6	14	30	61	35	6
2	आबू पर्वत	41	7	—	10	6	23	14	1
3	पिंडवाड़ा	56	20	—	7	17	44	22	12
4	रोहिड़ा	53	7	1	4	7	19	9	4

(182)

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 486 की सूची)

Tentative list of the electrified localities in Tehsil Jaitaran, District Pali.

S. No.	*Name of the Village*	
1	Baloonda	
2	Bajakuri	
3	Jaitaran	
4	Nimaj	
5	Talkiya	
6	Thakurwas	
7	Khinaory	
8	Prithvipura	
9	Bedkalan	
10	Anandpur Kaloo	
11	Bhakarwas	
12	Sangawas	
13	Karoliya	
14	Chawandiya	
15	Agewa	
16	Kurki	
17	Garniya	
18	Latoli	
19	Birol	
20	Ramawas Kalan	
21	Ramawas Khurd	
22	Deoriya	
23	Nimbol	
24	Jajanwas	
25	Kanwaliya	
26	Lambia	
27	Kharchiya	
28	Maharajpura	
29	Jhunjhunda	
30	Jodhawas	
31	Beerampuri	
32	Bikarlai	
33	Kanjcha Ranawtan	
34	Raniwal	
35	Litariya	
36	Malpuriya	
37	Ras	
38	Kokinda	
39	Patwa	Regularised

तहसील जैतारण ज़िला पाली के सर्वेक्षण किए हुए ग्रामों की तालिका

1	पातुवास	अलाभप्रद योजना
2	बिरामपुरा	,,
3	पाटवा	,,
4	राजाखंड	लाभप्रद
5	रानीवाल	,,
6	फलूमल	,,
7	फालका	अलाभप्रद
8	बीकरलाई	लाभप्रद
9	भ्रासरलाई	,,
10	कुर्णिचा	,,
11	गोरावर	,,
12	बालारा	,,
13	सेवारिया	,,
14	बासनी धनपुरा	,,

(184)

परिशिष्ट— 9

(अ. ता. प्र. सं. 493 की सूची)

श्रीमती माथुर ने जिन जिन स्थानों पर कार्य किया है, की सूची

अराजपत्रित पद

(1) समाज शिक्षा आॅर्गेनाइजर (महिला) पंचायत समिति बस्सी, झोटवाड़ा चाकसू (जयपुर)	23-9-57 से 22-10-63 तक
(2) प्रधानाध्यापिका, कन्या माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर (अजमेर)	23-10-63 से 8-5-64
(3) प्रधानाध्यापिका, कन्या माध्यमिक विद्यालय, पीसांगन (अजमेर)	9-5-64 से 30-6-65
(4) बी. एड. प्रशिक्षण महेश टी. टी. कालेज, जोधपुर	1-7-65 से 30-4-66
(5) सहायक निर्देशिका, ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर (जोधपुर)	30-4-66 से 17-10-68
(6) सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या उच्च-माध्यमिक विद्यालय, बहरोड़ (अलवर)	18-10-68 से 1970
(7) सहायक अध्यापिका, कन्या माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर-सिटी	जुलाई 70 से 16-10-70 तक

राजपत्रित पद

(1) प्रधानाध्यापिका, कन्या माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर	17-10-70 से 24-7-71
(2) प्रधानाध्यापिका, कन्या माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर सिटी	26-7-71 से 18-7-73
(3) प्रधानाध्यापिका, कन्या माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा	13-7-73 से निरन्तर

———

श्रीमती चन्द्रा माथुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	नाम शिकायत-कर्ता	दिनांक	शिकायत का विषय	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	श्री मनमोहन नागरिक गंगापुर सिटी	वर्ष 72	प्रधानाध्यापिका का शाला से अनुपस्थित रहना एवं अन्य	निदेशालय के पत्र दिनांक 4-9-72 से उक्त शिकायत पत्र विद्यालय निरीक्षिका, अजमेर को जांच हेतु भेजा गया।
2.	श्री केशव शर्मा, गंगापुर सिटी	30-6-72	सरकारी धन हड़पने के सम्बन्ध में एवं श्रीमती माथुर का शाला से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में।	इस निदेशालय के पत्र दिनांक 18-9-72 द्वारा संयुक्त निदेशक (महिला) जयपुर को मूलरूप में जांच हेतु भेजी गई।

(राज्य सरकार के पत्र दिनांक 28-11-72 के द्वारा भी श्रीमती माथुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत इस निदेशालय में प्राप्त हुई जिसकी जांच बालिका विद्यालय निरीक्षिका, अजमेर द्वारा कराई जाकर राज्य सरकार को जांच प्रतिवेदन पत्र संख्या शिविर/संस्थापन/बी–4/पी. एफ. सी. माथुर/71/94, दिनांक 2-1-73 को भेजी गई जिसमें श्रीमती माथुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें तथ्यहीन पाई गई एवं शिकायतकर्ता श्री मनमोहन नाम का कोई व्यक्ति गंगापुर सिटी में रहने वाला भी नहीं पाया गया।)

3.	पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र सं. 499 दिनांक 2-5-73 के द्वारा श्री महेशचन्द्र आर्य गंगापुर सिटी की शिकायत			निदेशालय के पत्र सं. शिविरा (संस्था/बी-1/चन्द्रा माथुर/141 दिनांक 18-6-73 के द्वारा संयुक्त निदेशक (महिला) जयपुर को मौके पर जाकर जांच करने हेतु मूलरूप में भेजी गई। जिसका प्रत्युत्तर निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5
4.	श्री हुसैन बक्स	जून, 73	अनेक आरोप	निदेशालय के पत्र दि. 18-6-73 द्वारा संयुक्त निदेशक (म) जयपुर को मौके पर जांच कराने हेतु लिखा गया उत्तर अपेक्षित है ।
5.	श्री रणवीरसिंह शाहपुरा (भीलवाड़ा)	3-2-74	गलत यात्रा भत्ता उठाना एवं निजी कार्य में सर्विस पोस्टेज स्टाफ काम में लेना, अधिक आकस्मिक अवकाश लेना तथा बी. ए. का गलत प्रमाण-पत्र पेश करना ।	यह शिकायत माननीय शिक्षा मंत्रीजी को की जाकर प्रति निदेशालय को दी गई जिसको निदेशालय ने अपने पृष्ठांकन दि. 2-3-74 द्वारा उपनिदेशक (म) उदयपुर को टिप्पणी हेतु लिखा गया । जिसका उत्तर अपेक्षित है ।

परिशिष्ट— 10

(अ. ता. प्र. सं. 495 की सूची)

सत्र 1972—73 में कक्षावार पढ़ने वाले अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों की सूची ।

कक्षा	अनुसूचित जाति के छात्र	अनुसूचित जनजाति के छात्र	अनु. जाति एवं जनजाति के छात्रों का योग
6 ए	2	1	3
6 बी	7	3	10
7 ए	1	4	5
7 बी	1	6	7
8	4	1	5
9 ए	2	2	4
9 बी	1	-	1
9 सी	2	1	3
9 डी	2	3	5
9 ई	4	6	10
9 एफ	8	3	11
10 ए	2	-	2
10 बी	2	-	2
10 सी	14	3	17
10 डी	4	-	4
10 ई	6	5	11
11 ए	7	2	9
11 बी	1	1	2
योग	70	41	111

S/d
विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, सिरोही

सत्र 1972-73 में निम्नलिखित छात्रों को विद्यालय निरीक्षक सिरोही द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी जिनकी सूची

नवीनीकरण

1.	श्री सोहनलाल पुत्र श्री ताराचन्द	चमार	अ० जाति	10	200-00
2.	श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री नाथूलाल	हरिजन	,,	10	200-00
3.	श्री पन्नालाल पुत्र श्री मगनलाल	मेघवाल	,,	10	200-00
4.	श्री भगवानाराम पुत्र श्री नाथूजी	मेणा	अनु. जनजाति	9	200-00
5.	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गंगाराम	मोची	अनु. सू. जाति	9	200-00
6.	श्री मांगीलाल पुत्र श्री नथाजी	मेघवाल	,,	9	200-00
7.	श्री भगवानदास पुत्र श्री देवाजी	चमार	,,	10	200-00
8.	श्री जगदीशचन्द्र पुत्र श्री मुरताजी	सरगडा	,,	10	200-00
9.	श्री सीताराम पुत्र श्री लालाजी	मेघवाल	,,	11	200-00
10.	श्री भूरमल पुत्र श्री अन्नाजी	मोची	,,	11	200-00
11.	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामलाल	मोची	,,	9	200-00
12.	श्री शंकरलाल पुत्र श्री पूनमचन्द	मोची	,,	11	200-00
13.	श्री विनाराम पुत्र श्री नापाजी	मेघवाल	,,	9	200-00
				योग	26000-00

फ्रेश छात्रवृत्ति

1.	श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री छीतरसिंह	चमार	अनु. सू. जाति	10	200-00
2.	श्री देवी शंकर पुत्र श्री भैराजी	सरगडा	,,	9	200-00
3.	श्री सवाराम पुत्र श्री मोडाजी	भाट	,,	10	200-00
4.	श्री बागाराम पुत्र श्री भीमाजी	भाट	,,	9	200-00
5.	श्री शंकरलाल पुत्र श्री प्रेमाजी	मेगवाल	,,	10	200-00
6.	श्री ताराचन्द पुत्र श्री गलाजी	सरगडा	,,	11	200-00
7.	श्री खेताराम पुत्र श्री दानाजी	सरगडा	,,	9	200-00
8.	श्री गोविन्दलाल पुत्र श्री बदाजी	सरगडा	,,	10	200-00
				योग	1600-00

अनुसूचित जन जाति की सूची (फ्रेश छात्रवृत्ति)

1.	श्री गुलाबराम पुत्र श्री नैनाजी	भील	अनु. जनजाति	9	200-00
2.	श्री शंकरलाल पुत्र श्री नेमाजी	भील	,,	10	200-00
3.	श्री अमरलाल पुत्र श्री खरताराम	नायक	,,	11	200-00
				योग	600-00

S/d

विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, सिरोही

निम्नलिखित छात्रों की छात्रवृत्ति आठ माह की नहीं उठाई गई है :—
(जुलाई, 72 से फरवरी, 73 तक)

1.	श्री पन्नालाल पुत्र श्री मगनलाल	मेघवाल	अनुसूचित जाति	10	160/-
2.	,, भगवानाराम पुत्र श्री नाथूजी	मीणा	अनु० जनजाति	9	160/-
3.	,, ओमप्रकाश पुत्र श्री गंगाराम	मोची	अनु० जाति	9	160/-
4.	,, मांगीलाल पुत्र श्री नथाजी	मेघवाल	,,	9	160/-
5.	,, भगवान दास पुत्र श्री देवाजी	चमार	,,	10	160/-
6.	,, जगदीशचन्द्र पुत्र श्री सुरताजी	सरगडा	,,	10	160/-
7.	,, सीताराम पुत्र श्री लालाजी	मेघवाल	,,	11	160/-
8.	,, भूरमल पुत्र श्री अन्नाजी	मोची	,,	11	160/-
9.	,, कन्हैयालाल पुत्र श्री रामलाल	मोची	,,	9	160/-
10.	,, शंकरलाल पुत्र श्री पूनमचन्द	मोची	,,	11	160/-
11.	,, वीनारा पुत्र श्री गोपाजी	मेघवाल	,,	9	160/-
					1760

उपरोक्त छात्रों की माह मार्च, 73 एवं अप्रेल, 73 दो माह की छात्रवृति प्रधानाध्यापक रा० उ० मा० विद्यालय, आबू रोड ने उठाकर संबंधित छात्रों को भुगतान कर दिया है।

(190)

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल, 1974

क्र. सं.	स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1.	9	ऊपर से	5	एडवाकेट	एडवोकेट
2.	,,	,,	16	सुरेन्द्र व्यास	सुरेन्द्रप्रसाद व्यास
3.	,,	,,	1	आफिसशियों	ऑफिसियों
4.	,,	,,	6	रेटेट	रोटेट
5.	13	,,	17	उपलब्धी	उपलब्ध
6.	23	नीचे से	10	श्री गिरधारीलाल भार्गव:	श्री गिरधारीलाल भार्गव
7.	39	,,	2	श्री शाहू	श्री साहू
8.	42	,,	2	इन्स्टीट्यूसन	इन्स्टीट्यूशन
9.	45	,,	1	की सूची बुधवार, दिनांक	10 अप्रैल, 1974)
10.	51	,,	11	शाहूपरा	शाहपुरा
11.	57	,,		पाचस्थित	अभावस्थिति
12.	61	ऊपर से	5	दना	देना
13.	63	,,	7	राज्य-क्रीशा	राज्य-क्रीड़ा
14.	64	,,	6	करेगें	करेंगे
15.	66	,,	4	केद्र	केन्द्र
16.	69	,,	17	प्रशिशणार्थियों	प्रशिक्षणार्थियों
17.	101	नीचे से	2	श्री केदारनथ	श्री केदारनाथ
18.	129	ऊपर से	16	नारायन	नाजायज

1	2	3	4	5
19.	129	नीचे से 2	श्री मनानन्द	श्री रामानन्द
20.	132	ऊपर से 8	आयी	आयेगी
21.	135	नीचे से 9	दम	दम्भ
22.	136	,, 6	पार्टी मीटिंग	पार्टी की मीटिंग
23.	,,	,, 5	चर्चा हुई	चर्चा हुई
24.	139	ऊपर से 15	ध्य ानाआकर्षण प्रस्ताव	—
25.	146	,, 1	तरफ	तो
26.	151	नीचे से 3	अकस्मांत	अकस्मात
27.	257	ऊपर से 8	ड्राईवर	ड्राईव
28.	,,	,, 22	आवं	माल
29.	264	,, 13	अन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश
30.	273	,, 16	डिफाक	डिफन्क्ट
31.	290	,, 2	संभाल	संभालो
32.	371	,, 8	,रने	करने
33.	320	,, 19	पंचायत समिति	पंचायत समिति
34.	329	,, 10	व	
35.	347	ऊपर से 4	खर्च	दर्ज
36.	349	नीचे से 1	बासनीखनपुरा	बासनीजनपुरा